सत्यम् वद



लेखक

हितेश कुमार शर्मा

स्व० ऋषि कुमार गौड़ का परिचय

पिता : स्व0 प्रकाश स्वरूप गौड़

माता : स्व0 सुशीला देवी गौड़

पत्नि : श्रीमती सरोज गौड़

बड़े भाई : स्व0 सुशील कुमार गौड़

भाभी : स्व0 मालती गौड़

बहन : श्रीमती मन्जू शर्मा
एवं स्व0 उमा गौड़

पुत्र-पुत्रवधू : श्री राजीव गौड़-श्रीमती वन्दना गौड़
श्री सागर गौड़-श्रीमती राशि गौड़
श्री निधीकर गौड़-श्रीमती नित्या गौड़

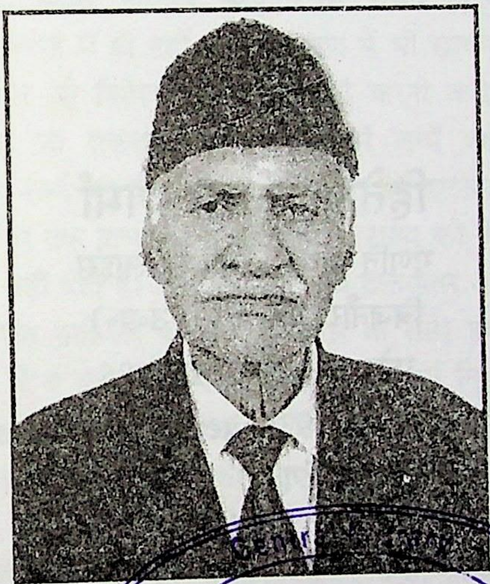
पौत्र : मास्टर राघवेन्द्र गौड़, धनंज्य गौड़, कृष्णा गौड़

पौत्री : कु0 हन्सा गौड़, कु0 देव श्री गौड़

पता : **जे–3/79ए प्रथम तल (बायीं तरफ)**
निकट– आशीर्वाद कुन्ज,
मालवीय नगर– खेड़की एक्सटेंशन,
नई दिल्ली

सत्यम् वद

सत्यम् वद



लेखक
हितेश कुमार शर्मा
गणपति भवन, सिविल लाइंस, बिजनौर-246701

सत्यम् वद

2017
प्रथम संस्करण
मूल्य रु॰ 200/- मात्र प्रति पुस्तक

हितेश कुमार शर्मा
गणति भवन, सिविल लाइंस
बिजनौर 246701 (उ॰प्र॰)
फोन : 01342-262085
ई-मेल : kumar1936hitesh@gmail.com
टाइप सैटिंग : हरिओम कश्यप

प्रकाशक
हरिगंगा प्रकाशन गणपति भवन, सिविल लाइंस,
बिजनौर 246701 (उ॰प्र॰) भारत
मोबाइल : 09319935979,
ISBN :

असत्य की धुंध में एक किरण है 'सत्यम् वद'

पं० गिरिमोहन गुरु 'नगरश्री' 'हितसहितं साहित्यम्' के अनुसार 'यथा नाम तथा गुण' को चरितार्थ करने वाले भारतीय संस्कृति के पोषक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महाकवि दिनकर की पंक्ति में सगर्व खड़े होकर भारतीय संस्कृति के पांचवे अध्याय के नायक युधिष्ठिर की वाणी में ही नहीं वरन आचरण में भी सत्यम् वद धर्मम् चर था। इसी प्रकार श्री हितेश कुमार शर्मा की करनी कथनी में भी वही सबकुछ देखा जा सकता है सन 1936 में जन्में वर्तमान पीढ़ी के मार्गदर्शक श्री शर्मा जी के हर शब्द में भारत प्रेम झलकता है उन्हें देश की दुर्दशा भीतर तक कचोटती है पश्चिम के प्रभाव की विषैली हवा उन्हें चैन से बैठने नहीं देती है। शाश्वत मूल्यों का उत्तरोत्तर अवमूल्यन उनकी रचनाओं में एक उत्तेजना आदेश एवं खीझ के साथ प्रकट हुआ है। वे किसी दबाव में न आकर सच्चे साहित्यकार का धर्म निभा रहे हैं उनकी समस्त कृतियाँ तथा अन्तर्राष्ट्रीय समाचार में समय-समय पर लिखे सम्पादकीय हमें प्राचीन भारत की आरम्भ के दर्शन कराते हुए वर्तमान राजनीति की उठापटक के दर्शन कराते हुए चाहते हैं कि न्यायालय की दीवाल पर अंकित 'सत्यमेव जयते' 'सत्यम् वद' के लिए प्रेरित करते रहें।

प्रस्तुत कृति सत्यम् वद भी देश के विभिन्न क्षेत्रों में घटी दुखद घटनाओं के पीछे हमारे आचरण के चरण गलत दिशा की ओर है इस ओर इंगित करते हुए दिशा निर्धारण में भी सहायक की भूमिका निभाती है इस स्वार्थ में आकंठ में डूबी डगमगाती इस नई पीढ़ी के लिए यह कृति 'सत्यम् परम धी महि' का पाठ पढ़ायेगी ऐसी हमारी मान्यता है।

हितेश कुमार शर्मा ने प्रत्येक विधा में लिखा है। गजल, कविता, समसामयिक लेख, कहानी तथा व्यंग्य कुछ भी उनसे अछूता नहीं रहा। इधर बहुत समय से वह नित्यप्रति एक सच्ची-मुच्ची लिख रहे हैं। उनकी कहानी की पुस्तक 'फर्जन्दे काश्मीर' काफी चर्चित हुई है तथा 'मैं गजल हूँ' की गजलों को भी काफी सराहना मिली है। उनकी प्रत्येक कविता, प्रत्येक गजल देशप्रेम से ओत-प्रोत तथा सामाजिक क्षेत्र में विशेष प्रकाश आलोकित करती हुई दिखती है।

मैं हितेश कुमार शर्मा के साहित्य को पढ़ता रहता हूँ। उनके सन्दर्भ में मैंने लिखा भी है, जो उन्होंने पत्रिका में प्रकाशित किया। ब्राह्मण अन्तर्राष्ट्रीय समाचार के नाम से प्रत्येक मास पत्रिका का प्रकाशन करना एक दुरूह कार्य है। वर्तमान में सभी साहित्यकार निःशुल्क पत्रिका चाहते हैं, कोई शुल्क देना नहीं चाहता। अपनी रचनाएँ भी छपवाना चाहते हैं फिर भी लगभग 70 पृष्ठ की मासिक पत्रिका निरन्तर प्रकाशित करना कठिन कार्य है, जिसके लिए मेरी शुभकामनाएँ उनके साथ हैं।

इस पुस्तक में ऐसे बहुत से लेख हैं, जो जन-साधारण को सत्य बोलने के लिए उत्साहित करेंगे। बहुत समय तक वह लम्बी-लम्बी कविताएँ लिखकर भी प्रेषित करते रहे हैं। उन्हीं में से एक कविता की चार लाइन इस पूरी पुस्तक का निचोड़ है।

देश को हिन्दी में हिन्दुस्तान लिख।
विश्व में भारत की हो पहचान लिख।
हौंसला गर है तो सच का साथ दे।
वर्ना खुद को यार बेईमान लिख।

सुन्दर कृति के लिए साधुवाद। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह आयुपर्यन्त इसी प्रकार लिखते रहे और समाज को जाग्रत करने का कार्य करते रहें।

—महिमाकांक्षी

पं० गिरिमोहन गुरु 'नगरश्री'

शिव संकल्प साहित्य परिषद, नर्मदापुरम (म.प्र.)

भूमिका

सत्य को जब झूठ से हारता हुआ देखता हूँ सत्य पर जब झूठे व्यक्तियों का हमला देखता हूँ तो रक्तचाप बढ़ जाता है, उसको कम करने का एक ही तरीका है कि मैं अपने मन की व्यथा को कागज पर उकेर दूँ। 'सत्यम् वद' में 30 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3 बिन्दुओं पर विचारण किया गया है। कुछ बिन्दुओं पर बार-बार लिखा गया है। यह सोचकर कि सम्भवतः पिछली बार इस पर सम्बन्धित व्यक्तियों का ध्यान न गया हो, शायद इस बार जाए। भारत के भाल पर लिखा है, 'सत्यमेव जयते' इस पर मेरी एक पुस्तक पहले प्रकाशित हो चुकी है। सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी गई। केवल आदरणीय राधेश्याम योगी, श्री देवकीनन्दन शांत तथा श्रीमती स्नेहलता के अतिरिक्त अन्य किसी का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। सत्ता से तो अपेक्षा करनी ही व्यर्थ है। सत्ता केवल उन्हीं से टोपी बदल मित्रता करती है, जिनसे वोटों का लालच होता है। उसी व्यक्ति के साथ उठती-बैठती है, जहाँ वोट बैंक दिखायी देता है। मेरे पास कोई वोट बैंक नहीं है। क्योंकि सच का अनुसरण करने वाले व्यक्ति आजकल कहीं खो गए हैं। इसलिए मैं अकेला ही लड़ रहा हूँ और जाग्रत करना चाहता हूँ उन सभी को जो देशभक्त हैं, जो समाज के प्रति सदभाव रखते हैं कि सत्य को जाग्रत करें।

मेरे अनुनय-विनय को स्वीकार करते हुए आदरणीय श्री गिरि मोहन गुरु ज़ी ने इस पुस्तक के बारे में दो शब्द लिखे मैं उनका आभारी हूँ। श्री गुरु मोहन गुरु वस्तुतः साहित्यिक क्षेत्र में गुरु का स्थान रखते हैं, उनका एक-एक शब्द अकाट्य है, उन्होंने बिलकुल मेरे मन की बात लिख दी मैं उनको पुनः-पुनः प्रणाम करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनका सशक्त साया मुझ पर बना रहे तथा वह मेरा मार्गदर्शन इसी प्रकार

करते रहें और मैं लिखता रहूँ। मेरी लेखनी को उनके आशीर्वाद की सतत आवश्यकता है।

मेरी पत्नी मुझसे हमेशा कहती हैं कि सीदी-सादी कविता लिखते रहो, गजल लिखते रहो, राजनीति पर लिखना बन्द कर दो वरना तुम्हारे शत्रु बहुत हो जाएँगे और राजनीति में जान की कोई कीमत नहीं होती। तुम हमारे लिए कीमती हो, इसलिए राजनीति पर लिखना बन्द करो। मैं बहुत सोचता हूँ कि वह सत्य कहती है, मैं भी थक गया हूँ राजनीति पर लिखते-लिखते। मैंने इसी पर एक बार लिखा था।

दर्दे दिल पर लिखो, पीर मन की लिखो,
कुछ धरा की लिखो, कुछ गगन की लिखो,
राजनीति लिखी पर तुम्हें क्या मिला-
प्यार में जो मिली उस तपन पर लिखो।

राष्ट्रभक्ति में तुम डूबकर खो गए,
अपनी पीड़ा हृदय में लिए सो गए।
बस बहुत लिख चुके देशभक्ति मियाँ,
अब किसी कामनी के नयन पर लिखो।

राजनेता किसी का ना होता सगा,
सत्ता पाई इधर बस उधर की दगा,
चाहे मोदी, मुलायम हो या सोनिया-
मत कभी अब किसी के कथन पर लिखो।

मेरा क्या, मुझको क्या एक सिद्धान्त है,
यह मिटेगा नहीं आद्योपान्त है,
व्यर्थ है गंगा तट पर करो प्रार्थना-
पी-पिलाकर मदिर आचमन पर लिखो।

पद्मभूषण तुम्हें भी मिलेगा मगर,
स्वर्ण की उनके घर तक बना दो डगर,

चाटुकारी या मौकापरस्ती करो-
योग्यता का नहीं है चलन पर लिखो।

यह धनाढ्यो का युग है तुम्हारा नहीं,
तुमको पढ़ना किसी को गवारा नहीं,
मात-गंगा को साहित्य सब सौंपकर-
मौत पर अपनी अपने कफन पर लिखो।

लेकिन सोचता हूँ इधर-उधर की लिखने से पत्नी ही पूछ सकती है, यह किस कामिनी के नयन पर लिख रहे हो। इसलिए इश्को-मुहब्बत पर लिखने से बचता हूँ और फिर राजनीति के अलावा अथवा देशभक्ति के अलावा लिखने को बचता ही क्या है?

अतः जिस प्रकार मेरी अन्य पुस्तकों को आपने पढ़ा है, उसी प्रकार इस पुस्तक को भी पढ़िएगा और यदि वास्तव में कुछ सार्थक लिखा है तो दो शब्द लिखने का प्रयास कीजिएगा ताकि मेरा मार्गदर्शन हो और मेरा उत्साह बढ़े।

आभारी हूँ हरिओम कश्यप का, जिसने मेरे विचारों को पुस्तक का रूप दिया। पुनः-पुनः आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। प्रत्येक पाठक को दीपावली की शुभकामनाएँ। यह पुस्तक दीपावली के शुभ अवसर पर प्रकाशित हो रही है, इसकी मुझे प्रसन्नता है आशा है इस पुस्तक की कोई न कोई लाइन अवश्य ही समाज का मार्गदर्शन करेगी।

पुनः शुभकामनाओं सहित। पुस्तक आपको समर्पित।

दिनांक 20-10-17

—हितेश कुमार शर्मा

सत्यम वद—1

वर्तमान युग में सत्य बोलने वाला अगर आपको कहीं मिले तो उसको तुरन्त गले लगाईये, उसका सम्मान कीजिए और उसे सहयोग दीजिए। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री ने पहली बार सच बोलने का साहस किया है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उनको पूरा सम्मान दिया जाये और उनके कथन को मान्यता दी जाये। अपने आपको तथाकथित रूप से गैर साम्प्रदायवादी कहने वाली पार्टियों को मांझी से सबक लेना चाहिए। मांझी का यह कथन के दलितों/गरीबो को आरक्षण नहीं शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे अपनी योग्यता के बल पर आगे बढ़ सकें। बात बिलकुल सही है। 60 वर्ष से भी अधिक से आरक्षण का प्राविधान चल रहा है और दलितों को इस आरक्षण से कोई लाभ नहीं पहुँच रहा। हाँ, दलितों के नाम पर राजनीति करने वाले 24-24 कमरों की कोठियों में रह रहे हैं। अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं और महत्वपूर्ण पद हथियायें बैठे हैं। जो सक्षम है और जिनकी राजनीति में पहुँच है वह सभी आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। न्यायालय द्वारा यह कहना कि पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए बिल्कुल सही है। एक दफा आरक्षण के नाम पर पदासीन होने के बाद व्यक्ति को अपनी योग्यता सिद्ध करनी चाहिए और योग्यता के आधार पर ही उसको पदोन्नति दी जानी चाहिए। यह अन्याय होगा यदि आरक्षण के नाम पर अयोग्य व्यक्ति को वरिष्ठता क्रम तोड़कर योग्य व्यक्ति के ऊपर पदोन्नति दे दी जाए। वैसे भी 60 वर्ष में बालक जवान होकर बूढ़ा हो जाता है और निष्क्रिय हो जाता है। इसी प्रकार आरक्षण भी अब बूढ़ा हो चुका है और निष्क्रिय भी लगभग हो चुका है। इससे पहले कि आरक्षण को जनता मार दे

अथवा अपनी मौत मर जाये आरक्षण को ससम्मान संविधान से विदा कर देना चाहिए। अधिक से अधिक दलित और गरीब को आरक्षण के नाम पर आर्थिक और शैक्षिक सहायता का प्राविधान होना चाहिये। दलितों को योग्य बनाकर प्रस्तुत करना सत्ता का कर्त्तव्य है। अब तक सत्ता ने एक प्रकार से दलितों को आरक्षण का लाभ देकर आलसी बना दिया। उनको योग्य बनने का अवसर नहीं दिया और अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकी। आरक्षण के नाम पर केवल वोट बटोरने का काम किया गया। दलितों का कोई लाभ नहीं हुआ। केवल दलितों के नाम पर नेताई करने वाले व्यक्ति मठाधीश व सत्ताधीश बन गये और अकूत धन इकट्ठा कर लिया। दलित गरीब था गरीब ही रहा। अब आवश्यकता है आमूल-चूल परिवर्तन की।

जनसंख्या नियंत्रण एक ज्वलंत मुद्दा है। भिन्न प्रकार के बयान इस संबंध में आते रहते हैं। कोई अल्पसंख्यकों की जनसंख्या पर सवाल उठाता है तो कोई हिन्दुओं को अधिक बच्चे पैदा करने का उपदेश देता है। वस्तुस्थिति इससे भिन्न है। जनसंख्या के संदर्भ में एक निश्चित कानून होना चाहिए। जो सबके लिए एक समान होना चाहिए। यदि एक विवाह/एक पत्नी का कानून बनता है तो वह सबके लिए होना चाहिए भले ही वो ईसाई हो, हिन्दू हो या मुस्लिम हो। कानून राज्य के आधार पर बनते है, जो सबके लिए प्रभावी होते हैं। चीन, जापान सब जगह एक सा कानून है। धर्म के आधार पर कानून नहीं होना चाहिए। यही स्थिति बच्चों के संदर्भ में होनी चाहिए। दो बच्चों से अधिक पर प्रतिबंध होना चाहिए, जो इस कानून को नहीं मानता, जो एक से अधिक विवाह करता है, जो दो बच्चों से अधिक पैदा करता है। उसका मतदान का अधिकार रद्द किया जाना चाहिए। मतदान का अधिकार उसको ही होना चाहिए जो इस कानून को मानता है, जो धर्म के आधार पर इस कानून के विरुद्ध है तो उनके लिए यही उचित होगा कि वह मतदान के अधिकार से

वंचित कर दिये जाये और भी जो अन्य सुविधायें जनता को दी जाती है वह भी इस कानून को न मानने वालों से छीन ली जानी चाहिए। ऐसा करने पर धर्म के आधार पर कोई व्यक्ति विरोध भी नहीं कर सकेगा। आवश्यकता है सख्त कानून की और सख्ती से उसके पालन किये जाने की। बगावत किसी भी सूरज में सहन नहीं की जानी चाहिए और जो बगावत करता है उस पर उसी प्रकार से शिकंजा कसा जाना चाहिए जैसे देशद्रोह के मामले में कसा जाता है। धर्म के आधार पर बहुसंख्यक का धर्म अल्पसंख्यक का धर्म, ईसाई धर्म, सिक्ख धर्म तथा अन्य धर्मावलम्बियों के आधार पर बनाये गये कानून अवैधानिक है और यदि बनाये भी जाते हैं तो मतदान का अधिकार कानून के अनुसार ही होना चाहिए।

अभी एक बागी सांसद ने अपने ही दल के विरुद्ध बयानबाजी की है। यह सांसद अपने जीवनकाल के आरम्भ से ही खलनायकी करते रहे हैं और स्वयं को बड़ा भारी विद्वान मानते हैं। जबकि जनता की नजरों में इनकी कोई कीमत नहीं है। यह उस पागल हाथी की तरह हैं जो अपनी ही फौज को कुचलने लगता है। ऐसे सांसदों, ऐसे पार्टी के नेताओं पर सम्बन्धित दलों को लगाम लगानी चाहिए। बल्कि मैं कहता हूँ कि दल से निकाल देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने दल के मुखिया का सम्मान नहीं कर सकता है, जो व्यक्ति दूसरे दल के मुखिया की प्रशंसा करता है। वह बागी करार दिया जाना चाहिए और उसे वही सजा दी जानी चाहिए जो एक बागी को दी जाती है। इसी प्रकार जो नेता किसी एक सम्प्रदाय विशेष के बारे में अपशब्द बोलते हैं अथवा किसी व्यक्ति के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं उन पर भी लगाम लगायी जानी चाहिए। एक प्रांतीय नेता जी सदैव पीएम के बारे में उलटी सीधी बात कहते रहते हैं और हम सुनते रहते हैं। आखिर कब-तक तुष्टिकरण के नाम पर इन अपशब्द बोलने वालों को छूट दी जाती रहेगी। मैं शपथपूर्वक कहता हूँ कि यदि मैं राज्यपाल होता तो ऐसे नेताजी को विधानसभा से बाहर खड़ा

कर देता और मैं सम्बन्धित राज्यपाल महोदय से निवेदन करूँगा कि वे नेताजी को तुरंत विधानसभा की सदस्यता तथा मंत्री पद से मुक्त कर दें। ताकि जनता यह जान सके कि गाली का जवाब कैसे दिया जा सकता है। कायर ही बात को बर्दाश्त करते हैं। कायर ही बार-बार यह कहते हैं कि अब की बार गाली दे तो जानू और दबंग व्यक्ति हमेशा गोली से ही बात करता है। गाली का जवाब गाली नहीं होती बल्कि कानूनी कार्यवाही होती है। तुष्टिकरण को सदैव के लिए मुक्त कर दिया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार का तुष्टिकरण देश के लिए लाभदायक नहीं है।

■

सत्यम वद–2

काश्मीर में दो भाईयों में एक समझौता हुआ और यह पारिवारिक समझौता संविधान के दायरे में ले जाया गया। वह दो भाई थे स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला। यह तथ्य सामने आ चुका है कि स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू के दादाजी मुसलमान थे और अँग्रेजों से बचने के लिए उन्होंने अपना नाम गंगाधर रख लिया था और चूंकि यह लोग नहर के किनारे रहते थे अतः पहले नहरूए कहलाये और कालान्तर में नेहरू हो गये। इस प्रकार शेख अब्दुल्ला और स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू आपस में भाई-भाई ही माने जा सकते है। दोनों भाईयों में समझौता था कि जवाहर लाल नेहरू पूरे हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे और शेख अब्दुल्ला काश्मीर के प्रधानमंत्री रहेंगे। हिन्दुस्तान काश्मीर में कोई दखल नहीं देगा इसलिए काश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया और धारा 370 लगा दी गई। यह समझौता भी बूढ़ा हो चुका है और इसे भी अब संविधान के दायरे से बाहर कर दिया जाना चाहिए, जो लोग यह कहते हैं कि धारा 370 हटाने पर वह बन्दूक उठा लेंगे तो उनकी बन्दूक का जवाब भी सत्ता को देना चाहिए जो लोग यह कहते है कि लाश पर से होकर धारा 370 हटेगी उनकी जीवन की सुरक्षा का प्रबन्ध भी सत्ता को करना चाहिए। काश्मीर में बाजार भाव से कम पर वस्तुए उपलब्ध करानी बंद होनी चाहिए। जिस कीमत पर काश्मीर को हम हम अपना कह रहे हैं वह कीमत बहुत अधिक है। भारतवर्ष के समस्त कानून काश्मीर में प्रभावी होने चाहिए। काश्मीर के बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के लिए वहां नये-नये उद्योग स्थापित किये जाने चाहिए ताकि वहाँ बेरोजगारी दूर हो। जिस प्रकार राशन कार्ड प्रणाली पूरे भारतवर्ष में प्रभावी है उसी

प्रकार काश्मीर में भी प्रभावी होनी चाहिए। जिस मूल्य पर चीज बाजार भाव के अनुसार दिल्ली में बिकती है उसी प्रकार काश्मीर में भी बिकनी चाहिए कोई सब्सिडी नहीं कीमतों में कोई कमी नहीं। केवल बेरोजगारी दूर करने का प्रयास होना चाहिए। काश्मीर जिसको जल प्रलय से निकालने में भाजपा ने पूरा सहयोग दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक और सैनिक सहायता प्रदान की उस काश्मीर ने चुनाव में स्पष्ट कर दिया कि वह अहसान मानने वालों में से नहीं है। अतः काश्मीर के साथ वही नीति अपनाई जानी चाहिए जिसके वह योग्य है।

विश्व हिन्दू परिषद और उसके नेता केवल भाषणबाजी करते हैं। जनता को भड़काते है और अपना फोटो खिंचवाते हैं। इससे क्या लाभ होता है? यदि देखे तो लाभ नहीं हानि होती है। शोर मचाकर जनता को भड़काना भारत के विकास में बाधक है। भड़काऊ भाषण से अल्पसंख्यक वोटों पर अंतर पड़ता है। भारतवर्ष के अधिकांश नेता और राजनीति अल्पसंख्यक वोटों पर निर्भर करती है उनको भड़काऊ भाषण देकर भड़काना राजनीति में बवंडर पैदा करना है। भड़काऊ भाषण के कारण ही काश्मीर में भाजपा को कोई सीट नहीं मिल सकी और उत्तर प्रदेश में भी वांछित सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसका कारण विश्व हिन्दू परिषद के नेताओं के भाषण है। साक्षी महाराज, तोगड़िया जी, प्राची साध्वी, साध्वी निरंजन ज्योति इन सभी के भाषणों का दुष्प्रभाव पड़ा। आखिर हम मोदी जी से भाषण देने की कला क्यों नहीं सीखते। मोदी जी ने यह सिद्ध कर दिया है कि भाषण में भड़काऊ शब्दों का प्रयोग न करके भी अपनी बात कही जा सकती है। क्या आवश्यकता है धर्मांतरण के मुद्दे को इतना तूल देने की। क्या शोर मचा कर काम करने से ही देश का लाभ होता है। धर्मांतरण ऐसा मुद्दा है जो बाबर के हिन्दुस्तान में आने के बाद से आरम्भ हुआ। मुगलकाल में और अँग्रेजों के शासन में भी धर्मांतरण होता रहा है। यदि आज धर्मांतरण होता है तो संसद की कार्यवाही ठप्प क्यों की

जाती है और धर्मांतरण का शोर क्यों मचाया जाता है, जो काम आराम से बगैर शोर मचाये हो सकता है उसके लिए शोर मचाने की क्या आवश्यकता है। धर्मान्तरण पर कानून बनाना व्यक्तिगत अधिकारों में हस्तक्षेप है क्योंकि धर्मांतरण एक व्यक्तिगत प्रश्न है, एक व्यक्तिगत पसंद है। राजनीति से इसका कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए धर्मांतरण को राजनीतिक रंग देना मंच पर इसके संदर्भ में बड़े-बड़े भाषण देना वांछनीय नहीं है। मेरा विश्व हिन्दू परिषद से अनुरोध है कि देश के विकास में बाधा डालने वाले भड़काऊ भाषण कम से कम दो साल तक स्थगित रखें।

विदेश संस्कृति ने भारतवर्ष की जनता का कितना पतन किया है यह अगर आपको देखना है तो विचार कीजिए लिव इन रिलेशनशिप पर, वैलेन्टाईन डे पर तथा नववर्ष की तिथि पर तथा क्रिकेट पर यह सभी चीजे विदेशी उपहार हैं। विदेशियों द्वारा हम पर थोपी गई है, जो हमें याद दिलाती है कि हम अभी भी उन अँग्रेजों के गुलाम है, जिन्होंने पहले हम पर अत्याचार किये हैं, जिन्होंने जलियाँवाला बाग में निहत्थों पर गोली चलवायी है तथा अन्य ऐसे बहुत से जुल्म किये है, जिनका वर्णन करना भी पाप लगता है। क्रांतिकारियों को झूठे मुकदमें चलाकर फँसाया गया उनको फांसी दी गई और काला पानी की सजा दी गई। उनका थोपा हुआ है लिव इन रिलेशनशिप। अर्थात अविवाहित व्यक्तियों का पत्नी पति की तरह साथ-साथ रहना। इसको व्यभिचार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। भारतीय संस्कृति के अनुसार अविवाहित स्त्री पुरुष का पति-पत्नी की तरह साथ-साथ रहना पाप है, दुराचार है, जिसका समर्थन कोई नहीं कर सकता किन्तु चूंकि विदेशों में ऐसा होता है और अनैतिक रूप से शारीरिक आनन्द प्राप्त होता है। अतः भारतवर्ष में भी इसको ठूंस दिया गया। अनैतिक बच्चे होंगे तथा अनैतिक सम्बन्धों के अनैतिक ही परिणाम होंगे। आपस में अलग-अलग होने पर लिव इन रिलेशनशिप में हुए बच्चे

किसका नाम धारण करेंगे कोई नहीं सोच रहा। इसी प्रकार वैलेन्टाईन डे नामक कुत्सित उत्सव मनाया जाता है, जिसमें प्रेम का प्रदर्शन किया जाता है और अविवाहित कुंवारे लड़के-लड़कियाँ एक-दूसरे को पुष्प देकर उपहार देकर प्रेम प्रदर्शित करते हैं। अनैतिक सम्बन्धों को जन्म यहीं से होता है। हमारी संस्कृति में कुंवारे लड़के लड़कियों को आपस में इस प्रकार प्रेम प्रदर्शन करना अनैतिकता है और दुराचार है किन्तु विदेशी संस्कृति में रंगे लोग जो शारीरिक सुख को ही अपना उद्देश्य मानते हैं उन्होंने इसको बढ़ावा दिया है। जनता अब जाग रही है और कई स्थानों पर इन दोनों संदर्भो में विरोध भी हो रहा है। सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए ऐसे कार्यो का। नया वर्ष भी पहली जनवरी को मनाने का कोई औचित्य नहीं है। हिन्दुस्तानी मान्यता के अनुसार नया वर्ष होली के अवसर पर आरम्भ होता है। हमारे शास्त्रों में नये वर्ष के प्रथम दिन का वर्णन है। इसके अतिरिक्त नवसम्वतसर भी होली के बाद ही आरम्भ होता है। अतः अब नववर्ष जनवरी में मनाने के स्थान पर अपनी संस्कृति और सभ्यता के अनुरूप सम्वतसर के आरम्भ से मनाया जाना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार विदेशी संस्कृति को सर पर लाद कर चलना छोड़ना चाहिए। क्रिकेट भी एक प्रकार से विदेशियों द्वारा थोपा गया एक ऐसा मनहूस खेल है, जिससे देश का विकास बाधित होता है। 12 महीने 24 घंटे खेले जाने वाला यह खेल सरकारी कार्योलयों में काम ठप्प कर देता है। स्कूलों में विद्यार्थी अनुपस्थित हो जाते हैं और देश का विकास बाधित होता है। अँग्रेजों ने भारतवर्ष में इस खेल को आरम्भ किया था उनके जाने के बाद इस खेल को विदा कर देना चाहिए था। किन्तु विदा करने के स्थान पर इसको 12 महीने 24 घंटे खेले जाने का प्रबन्ध कर दिया गया। क्योंकि एक-एक खिलाड़ी को करोड़ों रुपये की आमदनी होती है, जिसकी सुगंध चयनकर्ताओं को भी प्राप्त होती है और सम्बन्धित राजनेता भी अछूते नहीं रहते इसलिए यह खेल गरीबों को और गरीब तथा अमीरों

को और अमीर बनाने के लिए चल रहा है। हो सकता है किसी भारतीय नेता के मन पर इस खेल को बंद करने का विचार आये और देश का उद्धार हो सके किन्तु अभी तो ऐसा नहीं लगता कि इस खेल पर जिसमें हम अधिकांश मैचों में हारते हैं कोई प्रतिबन्ध लग सकेगा। विगत इतिहास देखें तो भारत अधिकांश मैच हारा किन्तु व्यक्ति विशेष का शतक बना। जिस खेल में फिक्सिग सिद्ध हो चुका है उसे बंद न करना मिली-भगत का खेल हो सकता है।

सत्यम वद–3

सच बोलना और सच को स्वीकार करना कमजोर दिल वाले व्यक्तियों की बात नहीं है। सच के लिए हौंसला चाहिए। सच के लिए हिम्मत चाहिए और यह हिम्मत थी वीर सावरकर में, शहीदे आजम भगत सिंह में, चन्द्रशेखर आजाद में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संस्थापक और सरसंघचालक डा. हेडगवार में और उन सभी सेनानियों में जो भारतवर्ष की आजादी के हित शहीद हो गए और उन सभी सैनिकों में जो आज भी सीमा पर डटे हुए हैं और शत्रुओं की गोली का जवाब सीना तानकर गोली से देते हैं। भाजपा ने भी हिम्मत दिखाई है और पी.डी.पी. के साथ कश्मीर में समझौता सरकार बनाई है। हालांकि भाजपा सुश्री मायावती जी के साथ समझौता सरकार बनाकर धोखा खा चुकी है लेकिन फिर भी हमारे देश पर पृथ्वीराज की संस्कृति का असर है और वह बार-बार विश्वास करने की परम्परा को अपनाती रहती है। भाजपा ने फिर विश्वास किया है पी.डी.पी. पर और पी.डी.पी. ने सत्ता संभालने के पहले दिन ही विवादित बयान देने आरंभ कर दिए। वस्तुतः भाजपा को समझ लेना चाहिए था। जब काश्मीर में कोई सीट नहीं मिली थी। वास्तविकता यह है कि मोदी जी ने जिस काश्मीर को जल-प्रलय से बचाया जहां के सोये हुए शासन को जगाया और करोड़ों की सहायता दी उस पर कितना विश्वास किया जा सकता है और कितना नहीं। संस्कृति-संस्कृति का अन्तर है और यह अन्तर आज से नहीं है आदिकाल से चला आ रहा है। मुगलकाल में और अँग्रेजों के समय में यही विश्वास और विश्वासघाती खेल चलते रहे हैं। सभी देशवासी चाहते हैं कि काश्मीर में समझौता सरकार चलती रहे। और काश्मीर में आतंकवाद के

स्थान पर उद्योगधंधे पनपे। वहां के लोगों को रोजगार मिले ताकि उनका रूझान अपने व्यवसाय की तरफ हो। जो व्यक्ति रोजगार से अलग होता है वो खाली बैठा-बैठा अहित ही सोचता है। अशांत ही रहता है और अशांत व्यक्ति शांति प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए काश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए वहां नये-नये उद्योगधन्धों का स्थापित किया जाना आवश्यक है। वहां के व्यक्तियों को बारोजगार करना आवश्यक है। पी.डी.पी. के सिद्धान्त भाजपा से मेल कभी नहीं खा सकते। कहीं ना कहीं मतभेद बना रहेगा लेकिन मतभेदों के बीच में सरकार चलती रहे और जनहित के कार्य होते रहे तभी सार्थकता इस समझौता सरकार की है अन्यथा समझौता सरकार की कोई सार्थकता नहीं है। दोनों पक्षों को लचीलापन अख्तियार करना पड़ेगा। यदि लचीलापन नहीं रखा तो सरकार अधिक दिन तक नहीं चल सकेगी। हालांकि मुफ्ती साहब की बातचीत से ऐसा लग रहा है कि वह विवादास्पद मुद्दे खड़े करते रहेंगे। लेकिन उनका समाधान शांतिपूर्ण ढंग से भाजपा करती रहे यह ही उचित होगा। किन्तु अपने सिद्धान्तों की कीमत पर अपनी मर्यादा को भूलकर, अपने स्वाभिमान को त्यागर अगर भाजपा कोई समझौता छुपकर करती है और वह सम्पूर्ण राष्ट्र के हित में नहीं है तो भाजपा जनता की नजरों से गिर जाएगी और पूरे देश में वही हाल होगा जो दिल्ली में हुआ है। वैसे भी भाजपा को पूर्व अनुभव होगा। बड़ी मुश्किल से मोदीजी ने भाजपा वर्चस्व कायम किया है और भाजपा को एक शानदार जीत उपलब्ध कराई है। इसको बरकरार रखना भविष्य के कार्यक्रमों पर निर्भर करता है। मैं आशा करता हूँ कि कोई भी समझौता देशअहित में इतना झुककर नहीं किया जाएगा कि सर की पगड़ी ही गिर पड़े।

देश में गौहत्या पर पाबन्दी है। फिर भी चोरी छुपे गौवंश की हत्या की जाती है, गौमांस बिकता हुआ पकड़ा जाता है। गौमांस निर्यात तक होता है। मैं क्या और मुझे क्या के सिद्धान्त पर कार्य करने वाले अधिकारी मांस

उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियों पर जांच तो की जाती है लेकिन कागजी यदि सख्ती से जांच की जाए तो गौवंश की हत्या पर प्रतिबन्ध लग सकता है। अभी एक अखबार में छपा है कि कई सौ गाय गौशाला से गायब हो गई हैं। कहाँ गई ऐसा नहीं है कि गौमांस के खाने से आदमी में बल बढ़ता है या नई शक्ति प्राप्त होती है। केवल एक समुदाय के लोग ज़िद के कारण गौवंश की हत्या करते हैं। गौपूजक व्यक्तियों को चिढ़ाने के लिए गौमांस खाते हैं। ऐसा नहीं है कि गौवंश की हत्या पर आज ही प्रतिबन्ध लगा हो। यह प्रतिबन्ध बहुत पहले से है लेकिन अमल में नहीं लाया जाता। किसी भी प्रकार से येन-केन-प्रकारेण एक समुदाय गौवंश की हत्या कर देता है। गौवंश की हत्या करने वाले को कभी सजा हुई हो ऐसा जानकारी में बहुत कम आता है अधिकतर मामले गौपूजको की लापरवाही के कारण अदालत से छूट जाते हैं बहुत से मामले साक्ष्य के अभाव में छूट जाते हैं। गौमांस बेचने वाला व्यक्ति कहाँ से गौमांस लाया इसकी कोई जांच पड़ताल नहीं होती, केवल उसे पकड़कर खानापूर्ति की जाती है और वही हमारी अदालतों का पुराना सिद्धान्त कि सबूत के अभाव में सन्देह का लाभ देते हुए छोड़ दिया गया। यदि सख्ती से साथ कानून का पालन हो तो गौहत्या पर और गौमांस बेचने पर रोक लग सकती है। कानून के साथ-साथ दूसरे समुदाय के लोगों को भी यह सोचना चाहिए कि किसी एक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचा कर कार्य करना सर्वथा अनुचित है। कार्य वह होना चाहिए जिससे कोई भी दुखी न हो, परेशान न हो किसी की आत्मा पर चोट न पहुंचे जब गौमांस भक्षक और गौहत्यारे यह सोचने लगेंगे तब कानून बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी स्वतः ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाएगी कि लोग गौहत्या नहीं करेंगे और गौमांस नहीं खाएंगे। अन्यथा जिस तरह से सुअर के मांस के खाने से स्वाइन फ्लू फैल रहा है किसी समय गाऊ फ्लू के रूप में गौमांस भक्षकों पर कहर टूट सकता है।

काश्मीर में सीमाओं की रक्षा के लिए फोर्स तैनात है पी.डी.पी. अवश्य ही फौज की तैनाती पर सवाल खड़े करेंगी और यह चाहेंगी कि वहां पर फौज कम कर दी जाए तथा सुरक्षाबलों को हटा दिया जाए ताकि कश्मीरी आतंकवादी मनमानी कर सकें और आतंकवादियों को खुलेआम पनाह दे सकें। लेकिन यहां प्रश्न है देश की सीमाओं की सुरक्षा का अतः फौज को किसी भी कीमत पर कश्मीर से हटाना या कम करना देशहित में नहीं होगा। भाजपा कह सकती है कि यह वही फौज है जिसने जल-प्रलय के समय कश्मीरियों को रक्षा प्रदान की इसलिए कश्मीर में सेना की तैनाती और सुरक्षाबलों का वहां रहना अत्यन्त आवश्यक है। किसी भी प्रकार का समझौता फौज के बिन्दु पर नहीं करना चाहिए। फिर कह रहा हूँ अगर देश के स्वाभिमान की कीमत पर अपने सिद्धान्तों की कीमत पर भाजपा कोई समझौता पी.डी.पी. से करती है तो देश को स्वीकार नहीं होगा और इसका हानि भाजपा को उठानी पड़ेगी। तीन सौ सत्तर का समझौता दो परिवारों के बीच समझौता था कहीं ना कहीं दोनों परिवारों के आपसी सम्बन्ध बहुत प्रगाढ़ थे इसीलिए पं. जवाहर लाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच तीन सौ सत्तर का समझौता हुआ। अब काश्मीर में भी वंशवाद लगभग समाप्त हो चुका है और दिल्ली में वंशवाद समाप्त हो चुका है। अतः वंशवाद के इस समझौते को भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए। वस्तुतः तीन सत्तर का समझौता भारत की सम्प्रभुता का अपमान है। काश्मीर को अन्य प्रान्तों की भांति ही भारतवर्ष से जुड़ाव रखना होगा। किसी भी प्रकार का विशेष राज्य का दर्जा काश्मीर को नहीं देना चाहिए सहायता की बात दूसरी है किन्तु वहां पर कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध कराना वहां के लोगों को आलसी बनाना और कर्महीन होने के बावजूद उनको वह समस्त सुविधाएं प्रदान करना जो कर्मनिष्ठ व्यक्तियों को प्राप्त होती है। सर्वथा अनुचित है। जैसा कि अभी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने कहा कि किसी भी जाति को आरक्षण का लाभ दिया जाना

उचित नहीं है। बल्कि उसको उन्नति करने के लिए सहायता दी जानी चाहिए। उसको वह सब सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए जो पढ़-लिखकर योग्य बनने के लिए आवश्यक है। केन्द्र सरकार को मांझी के इस बयान को गम्भीरता से लेना चाहिए। यदि आप आरक्षण प्राप्त व्यक्तियों से भी बात करें तो वह भी आरक्षण नहीं चाहते। आरक्षण प्राप्त कोई व्यक्ति जब बीमार होता है तो आरक्षण प्राप्त डाक्टर से इलाज नहीं कराता क्योंकि उसे उसकी प्रतिभा पर उसकी योग्यता पर भरोसा नहीं होता। ठीक इसी प्रकार काश्मीर में कम कीमत पर चीजें उपलब्ध न कराकर वहां के निवासियों को स्वावलम्बी बनाया जाना चाहिए और उन्हें इतनी योग्यता प्रदान की जानी चाहिए कि वह देश के अन्य नागरिकों के समान अपना जीविकोपार्जन कर सकें भीख देकर किसी को जिन्दा रखने की अपेक्षा उसकी सहायता करके उसे इस योग्य बनाना कि वह भीख मांगने की आवश्यकता अनुभव न करे अधिक लाभकारी है। काश्मीर में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होनी चाहिए कि वहां पर कम कीमत की वस्तुएं उपलब्ध न कराई जाए अन्य राज्यों की भांति भारतवर्ष के सभी कानून काश्मीर में प्रभावी हो काश्मीर का कानून अलग न हो। वहां नये-नये उद्योग धन्धे स्थापित किए जाए ताकि काश्मीर आर्थिक रूप से सम्पन्न हो सके अगर देखा जाए तो काश्मीर के जितने भी नेता सत्ता में रहे उनका प्रयास यही रहा कि काश्मीरी तरक्की नहीं कर सके। योग्य नहीं बन सके, स्वावलम्बी नहीं बन सके बल्कि उनकी कृपा पर जीवित रहे। ताकि इस लोकतंत्र के युग में अपनी इच्छानुसार उसको वोट प्राप्त किए जा सके। वोट की राजनीति के आधार पर ही काश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। और वहां पर कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध कराई गई। काश्मीरी तरक्की करना भूल गया। और वह सहायता पर निर्भर रहने का आदि हो गया। अब इसमें बदलाव लाना आवश्यक है। इस मुद्दे पर भाजपा को पी.डी.पी. को राजी करना चाहिए। कि कश्मीर में नागरिकों को स्वावलम्बी बनाया जाए शिक्षा

के नये-नये क्षेत्र स्थापित किए जाएं। रोजगार के नये-नये अवसर प्रदान किये जाएं। तभी यह कहा जा सकता है कि काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। वर्ना अभी तो बुद्धिजीवियों को उसे अभिन्न अंग मानने में कष्ट होता है।

सत्यम वद–4

होली बीत गई। कहीं धूमधाम से कहीं, धूमधड़ाके से कहीं, कहीं हंगामें में और कहीं धमाके के साथ। कुछ हादसें हुये और कुछ खुशियाँ बिखरी। मातम भी हुआ और रंग का मौसम भी खुशी से मनाया गया। ईश्वर कितना कृपालु है कि होली के दिन धूप निकली और धूप में लोगों ने रंग और गुलाल से त्यौहार को मनाया और अगले दिन शाम को बारिश तूफान और बादल गरजने लगे। रात भर बारिश हुई और तीसरे दिन फिर खुल गया। इतवार के दिन सोचने का मौका मिला तो चिन्तन मनन में यह आया कि होलिका दहन किया गया, जिसमें लकड़ी और उपले का ढेर लगा कर परिक्रमा की गई और रात को पूजन करके होलिका दहन किया गया। पूजा किसकी की गई होलिका की जो प्रहलाद की बुआ थी और जिसने प्रहलाद को गोदी में लेकर जलाने का प्रयास किया था। वह पूजनीय कैसे हो गई। इस पर सोचने विचारने के बाद यह बात समझ में आयी कि हम लकीर की फकीर पीट रहे हैं। होलिका दहन का कोई तात्पर्य नहीं है। होली वाले दिन शाम को हवन यज्ञ किया जाना चाहिये, जिससे की वातावरण शुद्ध हो और भगवान की और देवताओं की स्तुति हो तथा मन को शांति मिले। घर के और आस-पड़ोस के सभी लोग मिलकर प्रभु का स्मरण करें लकड़ी उपले जलाकर कुछ नहीं मिलता केवल वातावरण में धुआँ घुलता है और वातावरण दूषित होता है और ओजोन परत पर असर पड़ता है। प्रभु का कोई स्मरण होलिका दहन के समय नहीं होता। प्रभु की कोई पूजा होलिका दहन के समय नहीं होती। केवल परम्परा का पालन होता है जो वर्तमान में बदला जाना चाहिए। यदि परिजन पुरजन मिलकर हवन करेंगे तो प्रभु का स्मरण होगा। उस प्रभु का स्मरण होगा, जिसने प्रह्लाद को बचाया और हम वर्तमान में उसका पूजन

करते है जो प्रह्लाद को जलाना चाहती थी। अतः होलिका दहन के स्थान पर मेरे विचार से केवल हवन होना चाहिए और मंत्रोच्चार के साथ प्रभु का स्मरण होना चाहिए। इसके साथ ही होली के अवसर पर मावे की बनी हुई मिठाइयाँ गुजियाँ आदि प्रतिबन्धित होनी चाहिए। गुजियाँ बनाई जाये, जिसमें कसार, मिशमिश और थोड़ा बहुत गोला और मेवा भरा जाये। मावा बिलकुल प्रयोग नहीं आना चाहिए क्योंकि मावे में जो मिलावट हो रही है उसको रोकना सम्भव प्रतीत नहीं हो रहा। होली, दिवाली के अवसर पर तो दुकानों की जांच होती है और मावा आदि पकड़ा जाता है लेकिन बाकी साल कोई जाँच नहीं होती। मिठाइयाँ प्रतिबन्धित होनी चाहिए और पूरे साल मिठाइयों की जांच होनी चाहिए। देशी घी के नाम पर भी गन्दी चीजें बिक रही हैं। घी का सामान भी अच्छा नहीं होता अतः इन दोनों त्यौहारों पर मिठाई प्रतिबन्धित रहे और भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा में जो कसार बनता है वहीं बनाया जाये। उसमें थोड़ा बहुत गोला और मेवा मिलाया जा सकता है। जब तक हमारा नैतिक चरित्र इतना ऊँचा नहीं उठ जाता कि हम मिठाई के नाम पर मिलावट न बेचे तब तक मिठाइयों का प्रयोग बंद रहे। यदि जन साधारण इस बात को समझेंगा तो हलवाइयों को भी अकल आयेगी। मिठाइयाँ हम खरीदते हैं हमें मिठाइयाँ खरीदनी बंद कर देनी चाहिए। मेहमान का स्वागत मेवा से फलों से किया जा सकता है। घर में मठरी बनाई जा सकती है। मिलावटी सामान से अपनी जान बचाने के लिए यह आवश्यक है।

होली के अवसर पर एक बात और विशेष कहना चाहूँगा भाजपा ने कश्मीर में समझौता सरकार बनाई। शायद भाजपा को ज्ञात नहीं था कि एक बार समादरणीय महबूबा जी के अपहरण का मामला सामने आया था, जिसके बदले में कई आतंकी छोड़े गये थे। उस समय मुफ्ती जी का आतंकवाद से प्रेम स्पष्ट हो गया था। भाजपा को सावधानी के साथ और कड़ी शर्तो को रखते हुए समझौता सरकार बनानी चाहिए थी किन्तु

सम्भवतः भाजपा के नेता मंत्री बनने की जो महत्वाकांक्षा पाले हुए थे उसके लिए उन्होंने झुककर भी समझौता करना उचित समझा। काश्मीर का चरित्र बहुत पहले से साफ है। काश्मीर में धारा 370 पर जो नेहरू जी और अब्दुल्ला में समझौता हुआ था। वह दो भाइयों का समझौता था। उस समझौते की आवश्यकता क्या थी? जब काश्मीर का भारत में विलय हो चुका था, तो समझौता क्यों किया गया? धारा 370 के कारण कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। वहाँ भारतवर्ष की महंगी चीजों को उपलब्ध कराया गया। काश्मीरियों का एक प्रकार से पालन पोषण किया गया और काश्मीरी कितने अपने है यह हम कई बार देख चुके है। कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगा दिया गया। सिक्खों का वहाँ कत्लेआम किया गया तथा देशविरोधी बयान दिये गये। आतंकवादियों को पनाह देने के मामले भी सामने आये। जल-प्रलय के समय भाजपा की केन्द्रीय सरकार ने करोड़ों की सहायता कश्मीर में की और सेना ने कश्मीरियों को बचाया। किन्तु कश्मीरियों ने पीडीपी को ही वोट देना मुनासिब समझा। जबकि पीडीपी जल-प्रलय के समय अपने घरों में सोई पड़ी थी। पीडीपी ने जलप्रलय के समय किसी कश्मीरी की सहायता नहीं की। कश्मीरियों ने भाजपा को अनदेखा करके पीडीपी को ही वोट दिये। उस पीडीपी के साथ समझौता में बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए थी जो नहीं बरती गई। उमर अब्दुल्ला जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने प्रधानमंत्री जी के सामने ही 370 के प्रश्न पर कड़वे बोल बोले थे और अब शपथ ग्रहण के समय ही मुफ्ती मौहम्मद सईद ने प्रधानमंत्री के सामने ही आतंकवादियों, हुर्रियत नेताओं तथा पाकिस्तान की प्रशंसा की। आखिर हम क्यों इतना सहते हैं। फौज हमारी, सुरक्षा बल हमारे और कड़वे बोल कश्मीर के। आखिर क्यों? क्यों वहाँ पर सस्ती चीजे उपलब्ध कराई जाती है। क्यों वहाँ पर 370 अब तक लागू है। वर्तमान केन्द्र सरकार को इस संबंध में सोचना चाहिए। भले ही बल क्यों न प्रयोग करना पड़े लेकिन 370 वहाँ से हटनी चाहिए। कश्मीरियों को कम कीमत पर वस्तुएँ उपलब्ध कराने की प्रथा

समाप्त होनी चाहिए बल्कि वहाँ पर नये-नये उद्योग धंधे लगाकर रोजगार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कश्मीरी पंडितों का पुर्नस्थापना होना आवश्यक है। चेतावनी स्पष्ट रूप से होनी चाहिए कि यदि एक भी कश्मीरी पंडित मारा गया तो कातिलों को फांसी से कम की सजा नहीं होगी। एक भी जान अगर कश्मीरी पंडित की जाती है तो उसकी कीमत कातिलों को चुकानी पड़ेगी। मुफ्तखोरों को तभी पाला जा सकता है जब उनमें निष्ठा हो। यदि निष्ठा नहीं है तो शठ्े शाठ्यम समाचरेत की नीति अपनाई जानी चाहिए। वर्तमान में पीडीपी के उलजलूल वक्तव्य प्रतिबन्धित होने चाहिए देश विरोधी निर्णय लेने पर विरोध होना चाहिए। भले ही समझौता सरकार चले या न चले। झुक कर कोई भी बात मानना उचित नहीं होगा।

देश की सड़कें पूरी तरह जर्जर हालत में पहुंच चुकी है। इसके बावजूद हम कश्मीरियों के पालन पोषण पर भारत के सच्चे नागरिकों की कीमत पर बहुत अधिक धन व्यय कर रहे है। जबकि समान बर्ताव होना चाहिए। जिस कीमत पर वस्तुएँ दिल्ली में उपलब्ध है उसी कीमत पर कश्मीर में उपलब्ध होनी चाहिए। सड़कों पर हादसे बढ़ गये है। उसका कारण है वाहनों का बढ़ जाना। कार कम्पनियाँ 12-12 मॉडल एक साल में कार के निकाल रही है। धनी व्यक्ति हर साल बल्कि कभी-कभी साल में दो बार नये मॉडल की कार खरीदते है और पुराने मॉडल की बेच देते है। इन्कम टैक्स घटोत्तरी की छूट के कारण उन्हें कोई हानि नहीं होती। यदि नये मॉडल की कार नहीं बनेगी तो सड़कों पर कारों की आमद कम हो जाएगी। हमारी सड़के इस काबिल नहीं है कि उस पर हर साल एक लाख कारे थोप दी जाए। वर्तमान में कारों और दो पहियों की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि यदि सम्भव हो तो इन पर कम से कम दो साल के लिए रोक लगा दी जानी चाहिए और निर्माता कम्पनियों को अस्त्र शस्त्र बनाने को प्रेरित कर दिया जाना चाहिए। 15 साल पुरानी कारों को जब्त कर लिया जाना चाहिए और उसकी मुनासिब कीमत देकर उसे नष्ट कर दिया

जाना चाहिए ताकि वह सड़क पर दिखाई न दे। इससे भी वाहनों की संख्या कम हो सकती है। प्रदूषण घट सकता है। जिस प्रकार भूमि के संदर्भ में एक सीमा निश्चित की गई कि किसी भी व्यक्ति पर एक निश्चित सीमा से अधिक भूमि नहीं होगी उसी प्रकार एक परिवार में एक अथवा दो से अधिक कारें सामान्यत: नहीं होनी चाहिए। विशेष परिस्थिति का उल्लेख खरीददार करें इसका दायित्व उसी का है। नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाते हुए देखकर उस बच्चे के अभिभावक को जेल भेज दिया जाना चाहिए। छोटे-छोटे बच्चे सड़क पर स्कूटर और मोटरसाइकिल चलाते हुए देखे जा सकते हैं, जिस कारण दुर्घटनाएँ बढ़ती है और सरकार को मुआवजा देना पड़ता है। पहले देश की सड़के पूरी तरह से ठीक होनी चाहिए। उसके बाद नये मॉडल की कार का निर्माण अनुमोदित किया जाना चाहिए। सड़कों में एक-एक फीट गहरे गड्ढे हो गये है, जिसमें दुर्घटना की सम्भावनाएँ बहुत होती है। दिल्ली तक में सड़कों में गड्ढे पाये जाते है। देश की एक भी सड़क जब तक खराब है तब तक वाहनों के निर्माण पर रोक होनी चाहिए। यदि निर्माता कम्पनियों को अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में लगा दिया जाएगा तो हमें अस्त्र शस्त्रों का आयात भी नहीं करना पड़ेगा और हम आत्मनिर्भर हो जाएँगे तथा निर्माता कम्पनियाँ भी हानि में नहीं रहेगा। जर्जर सड़कों पर दुर्घटनाएँ बहुत होती है सरकार को मुआवजा देना पड़ता है। घरों के एकलौते वारिस खो जाते है। परिजन दुखी होते है। इस सबका इलाज एक ही है कि पहले जर्जर सड़के ठीक कराई जाए तथा वाहनों के प्रयोग और निर्माण को प्रतिबन्धित किया जाये। एक व्यक्ति एक वाहन का सिद्धान्त लागू होना चाहिए। पुराने वाहनों का चलन समाप्त किया जाना चाहिए। करने को बहुत कुछ है किन्तु करने से ही कल्याण हो सकता है। केवल मात्र सोचना कल्याणकारी नहीं है। ■

सत्यम वद–5

कभी हम सच को जानने का प्रयास नहीं करते और कभी-कभी सच सामने नहीं आ पाता और हम मनोभावन झूठ के सहारे जिन्दा रहने का प्रयास करते हैं। सच यह है कि काँग्रेस अपना विश्वास खो चुकी है, काँग्रेस जिसका राज भारतवर्ष पर सर्वाधिक रहा, नेहरू जी, इन्दिरा जी, राजीव गांधी सबका वर्चस्व रहा और इन सभी ने हुकूमत को अपने हिसाब से चलाया और सत्ता का सुख अपने हिसाब से भोग किया। किन्तु जितने घोटाले काँग्रेस के राज में हुए और सामने आए वह भी एक कटु सत्य है। बोफोर्स तोप घोटाले का झगड़ा बहुत दिन चलता रहा, नेहरू जी के काल में अस्त्र-शस्त्र की फैक्ट्री में खिलौने बनवाए गए। फलस्वरूप चीन ने हमारी सेना को मारा और बुरी तरह मारा और अब मनमोहन सिंह के काल में जितने घोटाले हुए हैं, उन सबने रिकार्ड तोड़ दिया, जिस क्षेत्र में देखों घोटाला, हाऊसिंग स्कीम घोटाला, टू-जी स्पैक्ट्रम घोटाला, वाढरा लैण्ड डील घोटाला, कोयला आवंटन घोटाला और सब जानते हैं कि मनमोहन सिंह जी के हाथ में शासन नहीं था बल्कि असली शासन सोनिया जी के हाथ में था। क्या काँग्रेस में सोनिया जी और राहुल गांधी के अतिरिक्त कोई नेता नहीं है, कोई इतना सक्षम नहीं है कि देश को नई दिशा दे सके और देश पर घोटाला मुक्त शासन कर सके। सोनिया जी और श्री राहुल गांधी जब से यह दोनों कांग्रेस के रथ पर सवाल हुए हैं, तब से रथ घोटालों में धँसता जा रहा है और मजे की बात यह है कि कर्ता-धर्ता यह दोनों हैं मगर बन्दूक दूसरे के कन्धे पर है। जनता को बहुत समय तक मूर्ख बनाया गया लेकिन नईं पीढ़ी कम्प्यूटर वाली पीढ़ी है यह आसानी से मूर्ख बनना नहीं चाहती और यही कारण है कि घोटाले दर

घोटालों की परते खुलती चली गई, और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इतनी भी सीट नहीं प्राप्त कर सकी जितनी नेता विपक्ष के लिए आवश्यक होती है अब खिसियायी बिल्ली की तरह खम्भा नोचने से तो जनता संतुष्ट होगी नहीं जनता का जब विश्वास उठ गया है तो उसे पुनः जमने में समय लगेगा। और कांग्रेस को यदि जीवित रहना है तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हाशिये पर रखना होगा। आवश्यकता है एक ऐसे दबंग नेता की जो सोनिया जी की बातों को उनके पर्दे के पीछे के निर्देशों को न सुने बल्कि फटकार दे। अगर ऐसा दबंग नेता काँग्रेस नहीं ढूँढ सकती और पुनः सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ही बागडोर सौंपती है तो मेरा यह लिखा हुआ किसी न किसी अखबार में छपेगा आप सम्भाल कर रखें। कि कांग्रेस का देश की सत्ता की रेस से सफाया हो जाएगा। कांग्रेस का नाम लेने वाला दूर-दूर तक दिखाई नहीं देगा। और आने वाले समय में लोकसभा में इतनी भी सीट नहीं मिलेंगी, जितनी इस बार मिली हैं। मैं कांग्रेसी नेताओं की परेशानी भी समझता हूँ वास्तविकता यह है कि यदि वह कांग्रेस छोड़ते हैं तो उनका स्वागत सत्कार करने वाला कोई नहीं होगा और अगर बने रहते हैं तथा पुनः वंशवाद के हाथ में काँग्रेस की बागडोर चली जाती हैं तो जनता की गालियां खानी पड़ेगी। संसद में बोलने वाले कांग्रेसी नेता अपनी पार्टी की भलाई बुराई क्यों नहीं सोचते? इस पर मुझे आश्चर्य होता है अब भी समय है अगर कांग्रेस कोई अच्छा नेता ढूँढ सकती है तो ढूँढ लेना चाहिए।

काश्मीर में पुनः जल-प्रलय के आसार नजर आ रहे हैं। नदियां फिर उफनी हैं, नौ-दस लोगों के मरने की भी खबर है। तथा साथ ही जान-माल का नुकसान तो होगा ही। कभी काश्मीर में बर्फबारी होती है, कभी बादल फटता है, कभी नदियाँ उफनती है, ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत समय पहले कभी आई हो तो काश्मीर में बाढ़ आई हो लेकिन इधर दो साल से पहले तो ऐसी प्राकृतिक आपदा की बात नहीं सुनी थी,

वस्तुतः काश्मीर में जो हो रहा है, उससे प्रकृति भी नाराज है, उससे भगवान कहें या अल्लाह कहें वह भी नाराज है। जब आदमी-आदमी एक हैं तो वहां पर हिन्दुओं के साथ जुल्म क्यों हो रहा है। क्यों कश्मीरी पंडितों को अपना घर-बार छोड़कर भागकर आना पड़ा। और मजबूरी में दिल्ली में शरणार्थियों की तरह रहना पड़ा, क्या उनकी आहें, क्या उनका दुख-दर्द भगवान को कुपित करने के लिए काफी नहीं है। आतंकवादियों को वहां पनाह दी जाती है मुफ्ती सरकार ने आते ही खूंखार आतंकवादी को रिहा कर दिया। क्या यह कष्टदायक नहीं है। अगर यह कष्टदायक है तो इसकी प्रतिक्रिया अवश्य होगी। जिस दिन काश्मीर में हिन्दुओं पर अत्याचार बन्द हो जाएंगे, जिस दिन वहां पर काश्मीरी पंडित पुर्नस्थापित हो जाएंगे और जिस दिन वहां के वाशिंदे हिन्दुओं को अपना भाई मानकर उनके साथ जुल्म करना बन्द कर देगी और जब वहां पर हिन्दु लड़कियां स्वयं को सुरक्षित महसूस करेंगी। जब वहां से धारा 370 हट जाएगी और जब काश्मीर से आतंकवाद का साया समाप्त हो जाएगा। उस दिन सच मानिए काश्मीर फिर से जन्नत बन जाएगा और वहां पर यह प्राकृतिक आपदाएं आनी बन्द हो जाएगी। अन्यथा अत्याचारियेां को मारने के लिए बर्फबारी काफी है, जल-प्रलय काफी है और इससे बचने का एकमात्र रास्ता सद्भावना है। जब तक काश्मीर के मुस्लिम भाईयों में सद्भावना उत्पन्न नहीं होगी तब तक किसी भी प्रकार से काश्मीर का बचाव सम्भव नहीं है। काश्मीर को बचाना है तो हमें अपने आपको सुधारना होगा। काश्मीर की जनता को जो वस्तुएं हिन्दुस्तान में अन्य क्षेत्रों में प्रभावी कीमत से कम पर उपलब्ध कराई जाती हैं उसका अहसान वहां के मुस्लिम भाईयों को हिन्दुओं की सुरक्षा के रूप में अदा करना आवश्यक है। अधिक दिन तक न तो अत्याचार चल सकता है न ही गुण्डागर्दी चल सकती है। आतंकवादी भी रोज मारे जाते हैं लेकिन धर्मान्धता के कारण पुनः भारत में घुसपैठ का प्रयास करते हैं परिणाम होता है मौत, यदि

आतंकवादी स्वयं को नहीं बदलेंगे तो ईश्वर/अल्लाह का निजाम भी नहीं बदलेगा। जुल्म की सजा मौत है। जुल्म का सफाया जुल्मी की मौत है। और यह नियम आरम्भ से चला आ रहा है। काश्मीर के वाशिंदों को मिल-जुलकर रहने की भावना अपनानी होगी। द्वेष की भावना छोड़नी होगी। आतंकवादियों का साथ छोड़ना होगा। तभी काश्मीर बच सकता है वर्ना तो अभी तो यह एक प्रदर्शन मात्र था यदि असली प्रलय आ गई तो भारत भी नहीं बचा सकेगा।

बाबरी मस्जिद में फिर खुदर-पुदर शुरू हो गई है फिर कुछ लोगों के नाम नोटिस जारी हुए हैं। कुछ लोगों के नाम बाबरी मस्जिद विंध्वंस से जोड़े जा रहे हैं। जब हिन्दुस्तान पाकिस्तान बना था तब यह तय हो गया था कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे और हिन्दू हिन्दुस्तान में रहेंगे। कौन सा लालच था महात्मा गांधी को जो उन्होंने मुसलमानों को पाकिस्तान जाने से रोका और हिन्दुओं का पाकिस्तान में कत्लेआम होने दिया। करोड़ों अरबों रूपयों की मदद भी पाकिस्तान को कराई, इसकी जांच कराने से कोई लाभ नहीं है क्योंकि जनता की नजरों में यह महात्मा गांधी का कार्य हिन्दुत्व की भावना के विरुद्ध था, जिसका नुकसान आज तक हम उठा रहे हैं। मुसलमान अधिकांश वह लोग हैं, जो बाबर के आने के बाद धर्मान्तरण के कारण मुसलमान हो गए। बाबर के आने से पहले मुसलमान शब्द हो सकता है इतिहास में हो, मुझे नहीं मिला। और बाबर कुछ सौ घुड़सवारों के साथ हिन्दुस्तान में दाखिल हुआ था। आपसी फूट के कारण उसने हिन्दुस्तान पर कब्जा कर लिया और तब कुछ लोग डर के मारे, कुछ मनमौजी आनन्द उठाने के लिए धर्मान्तरित होकर मुसलमान बन गए। अधिकांश वही मुसलमान ज्यादा कट्टर हैं, जो हिन्दू से मुसलमान हुए हैं। बाबरी मस्जिद का झगड़ा क्या है, अदालत से यह तय हो चुका है कि वहां पर पहले मन्दिर था। स्पष्ट है कि बाबर के हिन्दुस्तान पर हमले के बाद वहां पर मस्जिद बनाई गई। कहा यह जाता

है कि किसी ने बाबर से यह कहा था कि यदि तुम यहां मस्जिद बना दोगे तो हिन्दुस्तान पर तुम्हारा कब्जा हो जाएगा। बात सही साबित हुई बाबरी मस्जिद बनी और बाबर के खानदान का कब्जा हिन्दुस्तान पर हुआ लेकिन अगर वहां पर मन्दिर पहले से था और वह जगह राजा दशरथ के नाम खसरा खतौनी में दर्ज है तो बाबरी मस्जिद का विध्वंस यदि कर दिया गया तो क्या गलती हुई अगर मेरे घर पर किसी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और मैं जवान होने के बाद उस कब्जे को हटाने का प्रयास करता हूँ तो कानून क्या जुर्म है। इसके अलावा मैं मुसलमान भाईयों से अपील करूँगा कि हिन्दुस्तान में उन्हें हिन्दुओं के साथ मिलकर रहना चाहिए। सीधी और सपाट बात यह है कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना था वह अगर वहां नहीं जाना चाहते और हिन्दुस्तान में रहना चाहते हैं तो हिन्दुओं की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, उनके साथ मिलकर रहना चाहिए। नेताओं की बात पर विचार नहीं करना चाहिए। मैं आपको अपना व्यक्तिगत उदाहरण दे सकता हूँ। मेरी 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई बिजनौर मुस्लिम इण्टर कालेज में हुई जहां हिन्दुओं से अधिक मुसलमान भाई मेरे दोस्त थे और आज भी हैं मैं जब मेरठ में बी.काम में पढ़ने के लिए गया तो वहां मुस्लिम हास्टल में मुझे कमरा मिला, जिसमें मेरे कमरे में सहभागी इस्लाम मौहम्मद नाम का लड़का था, जो नियमित रूप से नमाज पढ़ता था और मैं नियमित रूप से पूजा करता था, हम दोनों में एक दिन भी किसी मुद्दे पर विवाद नहीं हुआ। हम दोनों आपस में बहुत मिलकर बड़े प्यार से रहते थे। तो क्यों हिन्दु और मुसलमान मिलकर प्यार से नहीं रह सकते। क्यों हम एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान नहीं करना चाहते। क्यों हिन्दुओं के जलूस पर यह पाबन्दी लगाई जाती है कि वह मस्जिद के सामने से ढोल बजाते हुए ना गुजरें। क्यों नमाज के वक्त होली का जुलूस प्रतिबन्धित हो। सारी पाबन्दियाँ हिन्दुस्तान में हिन्दुओं पर ही लगाई जाएंगी। तो फिर मिलकर रहने की बात कहां

रहेगी। तो आपस में मेल कैसे होगा। मेल होने की गुंजाइश तभी है तब दोनों एक-दूसरे की भावनाओं को समझे और मिल-जुलकर रहने की बात को स्वीकार करें । सबसे अधिक जिम्मेदारी मुसलमान भाइयों पर आती है। उनको हिन्दुस्तान में रहने के लिए हिन्दुओं के साथ मिलकर रहना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और सब मुसलमान भाइयों को एक राय होकर बाबरी मस्जिद के सम्बन्ध में बुलन्द आवाज होकर मामले को खत्म करने के लिए वहां राम मन्दिर निर्माण स्वीकार करते हुए हाथ बटाना चाहिए। बाबरी मस्जिद में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई और अब भी यदि वहां पर मस्जिद बनाने की कोशिश हुई तो देशहित में अच्छा नहीं होगा। ठंडे दिल से इस बिन्दु पर विचार करना आवश्यक है और हिन्दुओं की भावनाओं का सम्मान भी आवश्यक है। ■

सत्यम वद–6

यह कितना बड़ा सच है कि हमारे देश के सभी नेता यह कहते हैं कि काश्मीर भारतवर्ष का अभिन्न अंग है। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि काश्मीर में भारतवर्ष के सभी कानून प्रभावी नहीं होते। काश्मीर में भारतवासी कोई सम्पत्ति नहीं खरीद सकते और ना वहाँ पर बस सकते हैं। धारा 370 के अन्तर्गत काश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। सम्पूर्ण भारतवर्ष में जो वस्तु 30 रु. किलो है वह काश्मीर में 10 रु. किलो पर उपलब्ध कराई जाती है। काश्मीर में किसी भी भारतवासी को जो वहाँ का नागरिक नहीं है कोई स्वतन्त्रता नहीं है। अभी कश्मीरी पंडितों के वहाँ पर पुनर्वास की बात चली है तो विवादस्पद बयान आने आरम्भ हो गए। भारत के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि कश्मीर में पंडितों के लिए एक अलग कालोनी बनाई जाए। जबकि जो तथाकथित अलगाववादी हैं वो इसके विरोध में हैं। यानी है तो अलगाववादी लेकिन अलग कालोनी बनाने का विरोध कर रहे हैं। विरोध आरम्भ हो गया है गिरफ्तारियां हो रही हैं। काश्मीर के मुख्यमंत्री जो पहले अलग कालोनी बनाने के पक्ष में थे, अब अपने बयान से पलट गए हैं, वह भी अलगाववादियों के सुर में सुर मिला रहे हैं। अलगाववादी आरम्भ से ही कश्मीरी पंडितों के विरोध में रहे हैं और इसी विरोध के चलते काश्मीर से पंडितों को पलायन करना पड़ा था और वह शरणार्थियों की तरह से दिल्ली में रह रहे हैं। यह नितान्त आवश्यक है कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में पुनः बसाया जाए। साथ ही यह भी आवश्यक है कि उनके रोजगार की व्यवस्था की जाए और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। क्योंकि यदि सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई तो उन्हें फिर पलायन करना

पड़ सकता है क्योंकि काश्मीर में अलगाववादियों का कब्जा है, हुर्रियत के नेताओं की चलती है। यही कारण है कि काश्मीर में बीजेपी का एक भी विधायक नहीं जीता। यदि जम्मू में जीत न हुई होती तो बीजेपी को इतने भी विधायक न मिलते, जो मिल गए। यदि रोजगार न मिला तो वह पुर्नवास के बाद भी क्या करेंगे। किस तरह अपना पेट पालेंगे, किस तरह अपनी गुजर-बसर करेंगे यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जिसका पुर्नवास के साथ-साथ हल किया जाना नितान्त आवश्यक है। वस्तुस्थिति यह है कि यदि पुर्नवास हो गया तो यह बीजेपी की एक बहुत बड़ी जीत होगी। काश्मीर के निर्वासित पंडितों के जख्मों पर मरहम का काम करेगी और पूरे देश में भाजपा के प्रति एक विश्वास की भावना पैदा होगी। अतः कश्मीरी पंडितों का पुर्नवास, उनकी सुरक्षा और उनके लिए रोजगार का प्रबन्ध अत्यन्त आवश्यक है भले ही इसके लिए विशेष सैन्य प्रबन्ध क्यों ना करना पड़े। लेकिन कश्मीरी पंडितों की जान-माल की रक्षा भी आवश्यक है। उनकी लड़कियों, महिलाओं की सुरक्षा भी आवश्यक है तभी पुर्नवास का प्रश्न सही प्रकार से हल हो सकेगा।

अखबार में प्रकाशित हुआ है कि तेजाब काण्ड से पीड़ित कन्याओं का मुफ्त इलाज होगा। कौन सा अस्पताल मुफ्त इलाज करेगा, क्या सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज सम्भव है क्या अब वहां के डाक्टर इतने संवेदनशील हो गए हैं कि वे तेजाब से झुलसी कन्याओं का मुफ्त इलाज करेंगे। अथवा प्राइवेट चिकित्सकों के यहाँ मुफ्त इलाज किया जाएगा। प्रश्न यह है कि मुफ्त इलाज कहाँ होगा और क्या यह सम्भव है आज के युग में जब रु. 100/- से रु. 500/- तक चिकित्सकों के केवल परामर्श और देखने की फीस है वहाँ मुफ्त इलाज की बात सोचना अखबारों में छपा सच तो हो सकता है किन्तु यह सच क्रियान्वित होगा यह नहीं लगता। होना यह चाहिए था कि तेजाब पीड़ित कन्याओं को कम से कम पांच लाखा और उससे अधिक जितना उनके ऊपर खर्च आए वह

सरकार वहन करती अथवा पीड़ित को नकद धन देकर सहायता की जाती। ताकि वह अपना इलाज मनमाने ढंग से करा सके। मुफ्त इलाज की बात कभी सफल नहीं हो सकती, कभी सच नहीं हो सकती। क्योंकि देश की जो परिस्थितियाँ हैं, वहाँ सुविधा शुल्क, राजकीय शुल्क पर हावी है, जिस प्रार्थना पत्र पर रु. 1.50 का टिकट लगता है, उस प्रार्थना पत्र के निस्तारण में डेढ़ लाख तक खर्च हो सकते हैं। अतः नकद सहायता अधिक उचित रहती। न्यायालयों का, कानूनविदों का, अधिवक्ताओं का अथवा राजकीय नेताओं का ध्यान इस ओर क्यों नहीं जाता कि तेजाब काण्ड कैसे रूके। ऐसे बहुत से उदाहरण है, जिसमें तेजाब काण्ड का आरोपी व्यक्ति पकड़ा जाता है और 15 दिन बाद ही जमानत पर सलाखों से बाहर आ जाता है। कानून में आमूल-चूल परिवर्तन आवश्यक है, तेजाब काण्ड में पकड़ा गया व्यक्ति जमानत पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। बल्कि उसके मुकदमें के निस्तारण तक उसे जेल में ही रखा जाना चाहिए और जुर्म साबित हो जाने पर उसे वही सजा दी जानी चाहिए, जो जुर्म उसने किया है। यदि तेजाब काण्ड आरोपी व्यक्ति को भी उतनी ही सख्त सजा दी जाए। जिनता जघन्य अपराध उसने किया है, तभी तेजाब काण्ड रूक सकते हैं, एक लड़की जिसके ऊपर तेजाब फेंका जाता है, वह जीवन भर उस तेजाब की आग से झुलसती रहती है, चेहरा विकृत हो जाता है, शरीर जगह-जगह से जल जाता है। कभी-कभी आँख भी क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसके मुकाबले में तेजाब काण्ड के आरोपी को जो सजा मिलती है वह बहुत कम है, उसको भी आजीवन उसी आग में झुलसने की सजा दी जानी चाहिए, जिस आग में तेजाब पीड़ित झुलस रहा है। तेजाब डालने को मजाक नहीं समझा जाना चाहिए और तेजाब काण्ड के आरोपी को जमानत तो बिलकुल भी नहीं मिलनी चाहिए। यदि तेजाब के आरोपी को अपराध की जघन्यता को देखते हुए फाँसी भी दी जाती है तब भी आरोपी के प्रति कोई अन्याय नहीं होगा। क्योंकि जो

अन्याय करके वह आया है उसकी सजा उसी अन्याय के अनुरूप होनी चाहिए तभी तेजाब काण्ड रूक सकते हैं अन्यथा तेजाब पीड़ित को कितनी भी आर्थिक सहायता दे दी जाए उसके जीवन में वह खुशी नहीं लौट सकती, जो तेजाब काण्ड के बाद गायब हो चुकी है।

किसान इस समय बर्बादी के कगार पर खड़ा है, पिछले साल शुगर मिलों को दिए गए गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। इस साल का भुगतान होने की तो अभी स्थिति ही उत्पन्न नहीं हुई है। शुगर मिल गन्ना समितियों को पैसा भेजती हैं और गन्ना समितियाँ किसान को भुगतान करती हैं, समितियों की क्या आवश्यकता है। शुगर मिल में बैंक काउण्टर होना चाहिए और शुगर मिल से प्रत्येक गाड़ी प्रत्येक किसान को उसके गन्ने के मूल्य का चैक उसी समय दिया जाना चाहिए जब वह गन्ना देता है। बैंक शुगर मिल के नाम उतनी धनराशि लिखें, जितनी धनराशि का चैक काश्तकार को दिया गया है और वह काश्तकार पैसा नकद ले अथवा खाते में जमा कराए यह उसकी मर्जी है। उधार गन्ना लेने-देने की प्रथा समाप्त होनी चाहिए। तत्समय ही नकद भुगतान इस समस्या का समाधान कर सकता है अन्यथा समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता। गन्ने का भुगतान न होने की दशा में किसान आर्थिक रूप से संकट में है। इधर बरसात में आलू की और गेहूं की फसल किसी-किसी स्थान पर पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। सरकार के वायदे नेताओं के भाषण अखबारों में छप रहे हैं और हरियाणा सरकार ने राहत के नाम पर रु. 200/- के चैक किसानों को दे दिए हैं, विरोधी दल तो भाजपा की सत्ता को बदनाम करने में तुले हुए है, लेकिन हरियाणा में तो भाजपा की ही सरकार है। मुख्यमंत्री जी अपने राजभवन में बैठकर भाषण देते हैं, बड़े-बड़े नेता प्रेस कांन्फ्रेंस करके भाषण/आश्वासन देते हैं लेकिन काश्तकार को कुछ नहीं मिलता। सीधा सरल उपाय था कृषक भी आत्महत्या करने से बच सकते थे, भाजपा की साख भी बढ़ सकती थी और बर्बाद फसल में

राहत भी पहुंच सकती थी। प्रत्येक सांसद को आदेश दिया जाता कि वह अपनी-अपनी सांसदनिधि से काश्तकारों को गांव में जाकर प्रत्येक काश्तकार की बर्बाद फसल का आंकलन करके उसे सहायता राशि का चैक देंगे। सांसद के साथ पटवारी, कानून गो, डी.एम. और ट्रेजरी आफिसर भी होने चाहिए थे। जो सांसद अपने क्षेत्र में वोट मांगने के लिए घूमता है, वह सांसद आसानी से यह आंकलन कर सकता है कि किस किसान का कितना नुकसान हुआ है। इसमें उसकी पटवारी/काननूगो मदद कर सकते हैं और सही नियम तो मुझे पता नहीं लेकिन सम्भवतः सांसदनिधि के चैक पर जिलाधिकारी के भी हस्ताक्षर होते होंगे। अतः दोनों साथ रहेंगे तत्समय ही चैक दे दिए जाएंगे। एक महीने में यह राहत कार्य निबट सकता था और जहाँ पर सांसदनिधि कम पड़ती वहाँ सांसदों को और धन उपलब्ध कराया जा सकता था, काम ईमानदारी से होता, काश्तकारों की परेशानी दूर हो जाती। समय पर उनको पैसा मिल जाता और आत्महत्याएं न होती लेकिन लेट-लतीफी, लालफीताशाही, अहम् ब्रह्मास्मि की भावना मंत्रियों और नेताओं की तानाशाही कोरे आश्वासन और भाषण ऐसा कुछ नहीं करने देते, जिससे देशहित हो, अथवा जनहित हो। कृषक मरते हैं तो तरह-तरह के बयान नेताओं के आने लगते हैं। असली मुद्दा सब भूल जाते हैं। कृषकों को राहत अभी तक नहीं मिली। गन्ने का पूरा मूल्य अभी तक नहीं मिला। आलू और गेहूं की फसल जहाँ बर्बाद हो गई है, वहाँ कुछ हाथ नहीं आएगा। और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी। आश्वासन देती रहेगी। कृषक मरते रहेंगे, परिजन-पुरजन रोते रहेंगे। हल कुछ नहीं निकलेगा। इस सन्दर्भ में प्रधानमंत्री जी को यह सलाह देना चाहूंगा कि एक सलाहकार समिति बनाएं जिसमें ढूँढ-ढूँढ कर भाजपा के नेताओं को न लाएं बल्कि जनता में से संवेदनशील व्यक्तियों को, जनहित की सोचने वाले व्यक्तियों को समिति का सदस्य बनाए तब सम्भवतः उनको सही मार्गदर्शन मिल सकता है अन्यथा यदि वह केवल

मैं ही सोचूंगा, मैं ही बोलूंगा और मैं ही हर समस्या को हल करूँगा वाले सिद्धान्त पर अटल रहे तो हाथ में से रेत की तरह से वक्त फिसल जाएगा और देश खाली हाथ खड़ा रह जाएगा। ■

सत्यम वद–7

नक्सलवादियों ने फिर घात लगाकर हमला किया और सी.आर.पी.एफ. के जवान मार दिए। नक्सलवादी लगातार हमला कर रहे हैं, सुरक्षा बलों को मार रहे हैं, सुरक्षा बलों के हैडक्वाटर पर हमला कर रहे हैं अब उनमें महिलाएं भी सम्मिलित हो गई हैं, और जब महिलाएं सम्मिलित हो गई हैं, तो सन्तान भी होगी और वह भी नक्सलवादी ही बनेगी। आखिर क्या कारण है कि नक्सलवादी मुख्यधारा में आकर नहीं मिल रहे हैं। नक्सलवादियों की मांग क्या है। दबे शब्दों में कुछ लोगों को कहते सुना गया है कि नक्सलवादियों पर दबंगों ने बहुत अत्याचार किए हैं, उनकी जमीने छीन लीं, उनकी औरतों का अपहरण किया, उनके बच्चों को बंधुआ मजदूर बनाया। अगर यह बात सच है तो सरकार को देखना चाहिए कि नक्सलवादियों पर कौन लोग अत्याचार कर रहे हैं। किन लोगों ने अत्याचार किए हैं। उन्हें चिह्नित करना चाहिए और उन्हें सजा देनी चाहिए। नक्सलवादियों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराना चाहिए, उनकी स्त्रियों को मुक्त कराना चाहिए और उनकी जमीनों को मुक्त कराना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, केवल मुफ्त की शराबखोरी, औरतखोरी और बिना कुछ करे मौजमस्ती के लिए युवक नक्सलवादी बन रहे हैं तो उनके साथ 'शठे शाठयम् समाचरेत' वाला बर्ताव करना चाहिए। जो नेता, मंत्री, अधिकारी नक्सलवादियों की सहायता कर रहे हैं, उनको भी चिह्नित करना चाहिए और उन्हें दण्डित भी करना चाहिए। नक्सलवादियों को धन कहाँ से मिल रहा है, क्या इसमें राजनीतिक स्वार्थ तो नहीं है और यदि राजनीतिक स्वार्थ है तो उनको भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, हो सकता है कुछ लोग व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण नक्सलवाद को पनपने में सहायता दे रहे हों और अपने शत्रुओं को उनके

द्वारा हटाना चाहते हों। हो सकता है किसी दल विशेष का सहयोग नक्सलवादियों को प्राप्त हो। यदि ऐसा है तो इन सब बातों की जानकारी करके उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी कार्यवाही करनी चाहिए, जो जानबूझकर राष्ट्रद्रोही नक्सलवादियों को पनपने का अवसर दे रहे हैं। हमारे पास अरबों का रक्षा बजट है, बहुत बड़ी फौज है, लाखों की संख्या में सुरक्षाबल हैं, लेकिन हम नक्सलवाद को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या है, क्या एक बार हम पूरे देश में नक्सलवाद के विरुद्ध अभियान चलाकर उन्हें मुख्यधारा में मिलने के लिए विवश नहीं कर सकते अथवा किसी भी प्रकार से उनको आत्मसमर्पण के विवश नहीं कर सकते। क्या हम सामूहिक गिरफ्तारी करके एक बार को नक्सल मुक्त देश को नहीं बना सकते। यदि नहीं बना सकते तो धिक्कार है हम पर, हमारी फौजों पर, हमारी सेनाओं पर। एक बार शरीर के सड़े हुए अंग को काटने में कोई बुराई नहीं है यदि शेष शरीर उसके काटने से बच सकता है। नक्सलवाद का पनपना देश के हित में नहीं है। नक्सलवाद साँप की तरह हमारे अधिकारियों को डस रहा है, हमारे सुरक्षा बल के जवानों को मार रहा है, आत्मरक्षा के लिए उसे मारना कदापि पाप नहीं होगा। हमें नक्सलवाद को समाप्त करना ही होगा। यदि नहीं करेंगे तो यह अन्दरूनी आतंक देश की शान्ति व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को और विकास की गति को दुष्प्रभावित करता रहेगा।

शरद यादव ने सही कहा है कि पद्म सम्मान में निष्पक्षता/पारदर्शिता नहीं बरती जाती है। पद्म सम्मान अधिकांशतः सांसदों की सिफारिशों पर दिए जाते हैं, हमारे देश के सांसद किस प्रकार की सिफारिश करते हैं, यह विगत वर्षों में हम देख चुके हैं, कैसे सिफारिश की जाती है और किन व्यक्तियों की सिफारिश की जाती है, यह पूर्व मंत्री के कार्यकाल में सिद्ध हो चुका है। एक अभिनेता के परिवार में प्रत्येक को पद्म पुरस्कार प्रदान कर दिया गया है, और पुनः उस अभिनेता को एक और बड़ा पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है, केवल व्यक्तिगत पसन्द के आधार पर वर्ना

उस अभिनेता से अधिक अच्छे अभिनेता अशोक कुमार, दिलीप कुमार, देवानन्द और राजकुमार रहे हैं। लेकिन इनके समर्थन में सांसद नहीं थे या इन्होंने सांसदों की चापलूसी करनी नहीं चाही इसीलिए यह बड़े-बड़े पदम पुरस्कारों से वंचित रहे। यही स्थिति पूर्व में दिए गए भारतरत्न पुरस्कार के बारे में भी कही जा सकती है। एक क्रिकेटर को अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के समक्ष रख दिया गया जबकि इन दोनों का त्याग और इनकी महानता, इनका देशप्रेम उस क्रिकेटर से कहीं अधिक है, जिसने क्रिकेट के खेल से अरबों रुपये कमाए। इन दोनों व्यक्तियों ने देश को सर्वस्व अर्पण कर दिया और क्रिकेटर महोदय ने देश से अपना सर्वस्व बना लिया। साहित्य के क्षेत्र में भी देखने में आ रहा है कि कुलपति या पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी थोड़ा बहुत लिखने लगते हैं और अपनी पहुँच के कारण पद्म सम्मान पा जाते हैं। एक साहित्यकार जो पचास-साठ पुस्तके लिख चुका है और अपने पैसे से प्रकाशित करा रहा है, वह पदम सम्मान से वंचित रह जाता है और एक मंचीय कवि जिसने केवल गिनती की कविताएं लिखी हैं किन्तु मंच पर झूम-झूमकर सुनाता है वह पद्म पुरस्कार पाता चला जाता है, पाता चला जाता है, पाता चला जाता है। इसी पाने वालों की श्रेणी में अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो आपका नम्बर जल्दी आ जाएगा किन्तु यदि आप बहुसंख्यक हैं तो यदि भाग्य ने साथ दिया तो मरने से कुछ महीने पहले ही आपको पद्म सम्मान मिल सकता है, इससे पहले नहीं। वर्तमान सरकार से यह आशा है कि वह पद्म सम्मानों में अवश्य ही पारदर्शिता लाने का प्रयास करेगी। पद्म सम्मान का अपना महत्व है और इसको केवल इसलिए प्रदान नहीं कर दिया जाना चाहिए कि स्वनाम धन्य साहित्यकार किसी मुख्यमंत्री का चहेता अथवा किसी विश्वविद्यालय का कुलपति रहा है या भूतपूर्व प्रशासनिक अधिकारी रहा है और अपने कार्यकाल में उसने उन राजनेताओं को लाभ पहुँचाया है, जो उसे पद्म सम्मान दिला सकते हैं, जो सच्चे साहित्यकार हैं उनकी उपेक्षा करने से

समाज पथभ्रष्ट हो सकता है। क्योंकि साहित्यकार ही समाज का मार्गदर्शन करता है और यदि आप साहित्यकार की उपेक्षा करेंगे तो वह भी समाज की उपेक्षा करने लगेगा।

लगता है भाजपा भी वही पुराने काँग्रेस के ढर्रे पर चल पड़ी है, कोई ठोस कार्य, जिससे विपक्ष का मुँह बंद हो सके अभी नहीं नहीं हो रहा है। वर्तमान में किसान बहुत परेशान है गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, आलू और गेहूँ की फसल आँधी-तूफान-बारिश-ओले के कारण नष्ट हो गई। अतः आर्थिक दृष्टि से किसान टूट गया। किसानों ने आत्महत्या का रास्ता अपनाया और अब तक सैंकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। देखना यह है कि क्या हम किसानों को आत्महत्या से बचा सकते थे या भाजपा के गडगरी जी के बयान के अनुसार भगवान पर भरोसा छोड़ने और सरकार से आशा न रखने के आधार पर किसानों को मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। यदि सरकार चाहती तो किसानों का गन्ने का भुगतान मिल सकता था। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं चाहा। गन्ने के भुगतान का सबसे सरल तरीका है कि गन्ना समितियाँ भंग कर दी जाएं। काश्तकार गन्ना शुगर मिल को दे शुगर मिल के प्रांगण में बैंक स्थित हो और शुगर मिल काश्तकार को उसके गन्ने के मूल्य का चैक प्रदान करे। चैक काश्तकार अपने खाते में जमा कराए अथवा नकद भुगतान ले यह उसकी इच्छा है, सीधे सरल तरीके को जनता के सामने उलझाकर पेश करना जनता के साथ अत्याचार कहा जा सकता है। जितनी मिलों पर गन्ने का भुगतान बकाया था, केन्द्र सरकार सबकी चीनी खरीद लेती और चीनी का निर्यात कर देती तथा काश्तकारों को भुगतान कर देती, न शुगर मिल मरते, न काश्तकार मरता। जिन काश्तकारों की ओला और बारिश से फसलें नष्ट हो गई। केन्द्र सरकार अपने सांसदों से उनकी आर्थिक स्थिति का आंकलन कराकर उन्हें सांसद निधि से सहायता प्रदान करवा सकती थी। प्रत्येक सांसद अपने-अपने क्षेत्र में जाकर किसानों की आर्थिक स्थिति का आंकलन करता तथा तत्समय ही तत्काल उसी स्थान पर

आर्थिक सहायता का चैक अपनी सांसद निधि से प्रदान करता। किसानों की जान भी बच जाती और सरकार की साख भी रह जाती लेकिन वही कोरे आश्वासन, वही पुराना रवैया, मुआवजा देंगे, आर्थिक सहायता देंगे, स्थिति का आंकलन कर रहे हैं, शीघ्र ही स्थिति नियंत्रण में होगी। होता रहा और किसान मरते रहे। जिस देश में प्रजा भूख से मरती है वहाँ राजा को खाना खाने का अधिकार नहीं है। ऐसे राजा को राजा कहलाने का अधिकार नहीं है और जहाँ पर प्रजा आर्थिक संकट में हो वहाँ राजकोष को भरे रखने का प्रयास पाप की श्रेणी में आता है। प्रजा को आर्थिक सहायता पहुँचाना सरकार का कर्त्तव्य है, केवल जन-धन योजना के अन्तर्गत खाते खुलवा देना ही काफी नहीं है, अभी भी समय है केन्द्र सरकार को चाहिए अपने सांसदों को निर्देशित करे और वह सांसद अपने-अपने क्षेत्र में जाकर किसानों की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाए और उनको तत्काल सांसदनिधि का चैक पकड़ाए। एक राज्य के मुख्यमंत्री ने तो मानवता की सभी सीमाएं तोड़ दीं। ओलावृष्टि से नष्ट फसलों के सन्दर्भ में रु. 200/- के चैक काश्तकारों को पकड़ा दिए गए। इससे अधिक संवेदनहीनता क्या हो सकती है, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। केन्द्र सरकार को काश्तकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। केवल प्रान्तीय सरकारों पर निर्भर रहना उचित नहीं होगा। क्योंकि केन्द्र सरकार चक्रवर्ती सम्राट की तरह से है और प्रान्तीय सरकारें मुगल बादशाहों के नवाबों की तरह से हैं। प्रजा के मरने का दोष नवाबों को नहीं दिया जा सकता। यह दोष बादशाह पर ही आता है। अतः केन्द्र सरकार को शीघ्रता करनी चाहिए और अपने सांसदों के माध्यम से किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

■

सत्यम वद–8

संविधान में सत्यता और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका को स्वायत्ता प्रदान कर दी गई। न्यायपालिका अपने ही आधीन थी, पराधीन नहीं थी। न्यायपालिका पर अपना ही नियंत्रण रहेगा। कार्यपालिका से नियंत्रित नहीं होगी। न्यायिक सुरक्षा अधिनियम की व्यवस्था भी इसीलिए की गई थी कि न्यायाधीर डर कर काम न करे। लेकिन जनता के मन में अब कुछ प्रश्न उठने लगे हैं जैसे कि सलमान खान के ऊपर एक हत्या का आरोप सिद्ध हुआ। एक व्यक्ति को विकलांग करने का आरोप सिद्ध हुआ, झूठ बोलने और बुलवाने का आरोप सिद्ध हुआ। गवाहों को प्रभावित करने का आरोप सिद्ध हुआ। दुर्घटना के बाद घटनास्थल से भाग जाने का आरोप सिद्ध हुआ तथा साक्ष्य मिटाने का आरोप सिद्ध हुआ। तथा शराब पीकर अन्धाधुन्ध तेज गाड़ी चलाने का आरोप सिद्ध हुआ और इन सब आरोपों के विरुद्ध सजा केवल 5 साल की। और वह भी नाम के लिए क्योंकि 20 मिनट बाद ही जमानत मिल गई। आशाराम ने मीडिया की मार्फत यह पूछा है कि सलमान खान को सजा के बाद 20 मिनट में ही जमानत मिल गई और मुझे 20 महीने में भी जमानत नहीं मिली। मुकदमा लगभग 13 साल तक चला क्योंकि मुकदमा लम्बा खीचने का कारण ही यह था कि सलमान खान को पता था कि उसने अपराध किया है, जिसकी सजा उसको मिलेगी। इसलिए मुकदमें को लम्बा खीचते रहे ताकि गवाह मर जाएं, गवाहियां मिट जाएं और अपने पक्ष में जो कुछ भी खरीदा जा सकता है, वह खरीद लिया जाए। सलमान खान को अल्पसंख्यक होने का लाभ भी मिला। यही लाभ पहले सैफ अली खान को भी मिल चुका है, जब उनका एक एन.आर.

आई. से झगड़ा हुआ था, उनको भी तुरंत ही जमानत पिछले दरवाजे से निकाल कर दे दी गई थी। कुछ-कुछ ऐसी ही स्थिति श्री लालू यादव के केस में भी हुई है। लालू यादव का मुकदमा भी 20 वर्ष के लगभग चला और करोड़ों का घोटाला सिद्ध होने के बाद सजा केवल 5 साल की और जुर्माना 25 लाख। उच्च न्यायालय में अपील करने पर जमानत मिल गई और अब वह फिर खुलकर खेल रहे हैं। पूरी आशा है कि अपनी पत्नी के माध्यम से फिर बिहार पर राज करेंगे। जिस मुकदमे में सजा की उम्मीद होती है उसे लम्बा खीचा जाता है और जिसमें उच्च न्यायालय में फैसला अपने हक में होने की उम्मीद होती है उस मुकदमे का निस्तारण उच्च न्यायालय स्तर पर शीघ्र कराने का प्रयास किया जाता है इस सम्बन्ध में जयललिता जी का उदाहरण हमारे सामने है। जयललिता जी को आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में सजा हुई और वह जेल में भी रहीं लेकिन चूंकि उच्च न्यायालय में उन्हें जीतने की आशा थी इसलिए मुकदमे का शीघ्र निस्तारण हुआ और वह आरोपों से बरी हो गईं। कुछ मुकदमे ऐसे हैं जिसमें जनता के मन में यह प्रश्न उठता है कि समान परिस्थितियों में निर्णय हलके भारी क्यों हो जाते हैं। संजय दत्त को केवल अवैध हथियार रखने के आरोप में सजा हुई और वह जेल में है, सलमान खान को इस आरोप में अभी तक कोई सजा नहीं हुई बल्कि काले हिरण की हत्या का मामला भी लम्बित है, क्या अदालतें मोदी जी के साथ पंतगबाजी करने के कार्यक्रम से प्रभावित हुई हैं, या अन्य कोई दबाव ऐसा था जिसके कारण दबंग के साथ पूरी रियायत की गई और किसी भी दृष्टिकोण से उनको भारी सजा से वंचित कर दिया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि सलमान खान की पैरवी उन्हीं सुप्रसिद्ध वकील साहब ने की जिन्होंने मुलायम सिंह और मायावती को आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में बरी कराया था। आशाराम को उन्हीं को अपना वकील करना चाहिए क्योंकि आशाराम बड़े वकील की फीस देने में

सक्षम हैं। बड़े बुजुर्ग कहते है सारी सम्पत्ति खर्च करके भी यदि सम्मान बच जाए तो बचा लेना चाहिए। फिर भी न्यायपालिका पर आज भी देश को पूरा विश्वास है और यदा कदा न्यायपालिका जिन्दाबाद के नारे लगते रहते हैं किन्तु कुछ प्रश्नों का समाधान भी आवश्यक होता है।

यह कितना बड़ा सच है कि अल्पसंख्यकों में ईश्वरीय विश्वास के समान एकता है, जितनी कट्टरता से वह अपने भगवान को मानते हैं। एकता में भी उतने ही कट्टर है, बड़ौत में कुछ जमातियों का रेल में झगड़ा हुआ, गाली देने के साथ-साथ मारपीट हुई और जमाती जब अपने गन्तव्य पर उतरे तो उन्होंने अपने बन्धु बान्धवो को अपने साथ हुई मारपीट और झगड़े से अवगत कराया और एकता जिन्दाबाद का नारा लगाते हुए हजारों की संख्या में टोपी पहने हुए अल्पसंख्यक स्टेशन पर पहुँच गए और गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। आश्चर्यजनक स्थिति थी कि रेल के ऊपर, इंजन के ऊपर, खिड़िकियों पर, रेल के नीचे, दरवाजों पर, चारों तरफ टोपियां पहने हुए अल्पसंख्यक ही नजर आ रहे थे। भला हो कुछ समझदार लोगों का जिन्होंने हालात पर काबू पाया और समझा बुझा कर गोधरा कांड जैसी घटना को होने से बचा लिया। अन्यथा अनर्थ हो सकता था पूरी गाड़ी में कुछ भी हो सकता था क्योंकि जिस जनून के साथ जमातियों के हिमायती ट्रेन पर कब्जा किए हुए थे वह देखने योग्य था। ट्रेन का कोई हिस्सा अछूता नहीं था। मैं यह नहीं कह सकता कि उन लोगों के पास हथियार थे या नहीं लेकिन वह बदला लेने की तैयारी से गए थे। वास्तविकता का पता किसी को नहीं था, जिस व्यक्ति पर मारपीट का आरोप लगाया गया और उसे गिरफ्तार किया गया। उसके अनुसार- पहले जमातियों ने गाली दी थी, बाद में मारपीट की नौबत आई। लेकिन आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि हिन्दुस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक मिलकर नहीं रहना चाहते अथवा बात-बात पर झगड़ा करके स्वयं को दबंग सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। क्या कारण है क्यों अल्पसंख्यक इतनी जल्दी

उत्तेजित हो जाते हैं और हमलावर हो जाते हैं। वस्तुस्थिति पर विचार करने का प्रयास नहीं करते। इसका कारण सम्भवतः शक्ति संतुलन न होना है। सम्भवतः अशिक्षा का होना है, सम्भवतः सहनशीलता न होना है। यदि एक वर्ग कमजोर है और दूसरा ताकतवर है तो झगड़े दंगे हमेशा होंगे। क्योंकि कमजोर व्यक्ति कभी पहल नहीं करेगा और ताकतवर मारपीट में देर नहीं करेगा। यदि झगड़ा दंगा रोकना है तो शक्ति संतुलन करना पड़ेगा। सरकार को भी अपने पुलिस फोर्स को मजबूत करना पड़ेगा और पुलिस को यह पूर्वादेश होने चाहिए कि जो कोई भी सरकारी सम्पत्ति को हानि पहुंचाता है, आगजनी करता है अथवा निर्दोष व्यक्तियों पर हमला करता है तो उस पर गोली चलाने में गुरेज न करे। अल्पसंख्यक यह जानते हैं कि पुलिस हम पर गोली नहीं चलाएगी। क्योंकि सरकार हमारे वोटो से बनती और बिगड़ती है। अल्पसंख्यक यह समझ गए है कि जब तक उनमें एकता है तब तक हर सरकार उनके सामने झुकेगी, उनके वोट के लिए खुशामद करेगी और उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसी का लाभ अल्पसंख्यक उठाते हैं। और बहुसंख्यक जो हमेशा से फूट का शिकार रहे है, जिनमें कभी आज तक एकता नहीं रही, बाबर से लेकर पूरे मुगल काल में, अंग्रेजो के राज्य में अलग-अलग बहुसंख्यक राजाओं के सिक्के चलते रहे कभी आपस में बैठकर विदेशी आक्रमण का सामना करने का प्रयास नहीं किया। अहंकार में डूबे हुए बहुसंख्यक इसीलिए पिटते रहे। अभी भी अक्ल नहीं आई है और एकता का बहुत बड़ा अभाव अभी भी देखने को मिलता है। यदि थाने में एक अल्पसंख्यक व्यक्ति को पकड़ लिया जाए तो हजारों की तादाद में अल्पसंख्यक थाने में पहुंच जाते हैं और उस पकड़े गए व्यक्ति को छुड़ाने का प्रयास करते हैं। यदि एक बहुसंख्यक पकड़ा जाए तो केवल उसके परिजनों को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता। यदि बहुसंख्यकों में एकता नहीं होगी। तो शक्ति संतुलन नहीं होगा। और शक्ति संतुलन

नहीं होगा तो अल्पसंख्यक प्रत्येक क्षेत्र में हावी रहेंगे। और आशाराम के मुकाबले सलमान खान को जमानत तुरन्त मिलती रहेगी।

राहुल गांधी ने एक प्रकार से अरविन्द केजरीवाल वाला तरीका अपनाया है, जिस तरह की राजनीति अरविन्द केजरीवाल करते हैं, धरना, प्रदर्शन, हल्ला और केन्द्र सरकार पर दोषारोपण वही सब वर्तमान में राहुल गांधी कर रहे हैं। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना सत्य को असत्य और असत्य को सत्य सिद्ध करना राहुल गांधी ने आरम्भ कर दिया है, अमेठी में फूड पार्क बनने का प्रश्न हो, अथवा किसान बिल का मुद्दा हो सबको गलत तरीके से देश के सामने रखना और स्वयं को देश का सबसे बड़ा हितैषी बताना उनके दैनिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो गया है। राहुल गांधी स्वयं को हिन्दुस्तान का बादशाह बनते देखना चाहते हैं। वह हिन्दुस्तान की गद्दी को वंशानुगत मानते हैं। वह मोदी से एक साल के कार्यकाल का हिसाब मांगते हैं और कांग्रेस के 50 साल का हिसाब देने को तैयार नहीं है। घोटालों पर चुप रहते हैं। अपनी बैंकाक यात्रा के बारे में सत्य उजागर नहीं करते और मोदी की विदेश यात्रा जो पूरी तरह से पारदर्शी है उस पर सवाल उठाते रहते हैं। किसानों को बहकाने का, अनपढ़ लोगों को सरकार की कमी बताने का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। जनता को मूर्ख समझने वाले राहुल गाँधी यह भूल गए हैं, कि मात्र दूसरों के दुर्गुण गिनने से दूसरों की आलोचना करने से आप जनता के चहेते नहीं बन सकते जब तक कि आपमें स्वयं में अपना कोई गुण न हो। बैंकाक जाने से पहले अथवा बैंकाक से आने के बाद राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार के दुर्गुण गिना रहे हैं, जिनमें से अधिकांश सत्य नहीं हैं। लेकिन अपना कोई गुण उन्होंने अभी तक नहीं बताया। जो काम कांग्रेस 50 साल के शासन में नहीं कर सकी। उसे वह मोदी जी से 1 साल में सम्पन्न करने की आशा करते हैं। सर्वथा अनर्गल और अप्रासंगिक बातें करके वह जनता का दिल जीतना चाहते हैं जबकि इसका प्रभाव

उलटा पड़ रहा है। जनता की नजरों में कांग्रेस की छवि खराब हो रही है। समझ में नहीं आता कि काँग्रेस में संसद को खड़खड़ाने वाले श्री खड़गे संसद को आनन्दरहित बनाने वाले श्री आनंद शर्मा, मध्य प्रदेश के राजा दिग्विजय सिंह और बड़े-बड़े परिपक्व नेता होने के बावजूद सारे के सारे राहुल गांधी को ही कांग्रेस अध्यक्ष क्यों बनाना चाहते हैं। जिस व्यक्ति को कोई अनुभव नहीं, जिसकी बोलचाल में कोई ठोस मुद्दा नहीं, जिसके पास कोई भविष्य का कार्यक्रम नहीं उस व्यक्ति के हाथों में कांग्रेस की अध्यक्षता सौंपने से किसको लाभ होगा। क्या देश को कोई लाभ हो सकता है। क्या कांग्रेस पुनः स्थापित हो सकती है। मेरा मानना है नहीं। कांग्रेस को किसी परिपक्व नेता को अपना अध्यक्ष चुनना चाहिए जो अनुभवी हो और जिसने कांग्रेस को अपने जीवन का बहुमूल्य समय दिया हो। अभी राहुल गांधी न तो परिपक्व हैं ना ही उनकी सोच में कोई मौलिकता है, केवल मात्र आलोचना, केवल मात्र अप्रासंगिक मुद्दों पर विवाद करना और कभी-कभी असत्य का सहारा लेना उनका एकमात्र लक्ष्य बन चुका है। ऐसा व्यक्ति देश को कोई दिशा प्रदान नहीं कर सकता, अपने दल का भला भी नहीं कर सकता और प्रत्येक प्रकार से केवल वंशवाद के सहारे सत्ता पर काबिज होना चाहता है, जो जनता स्वीकार नहीं करेगी।

■

सत्यम वद–9

इस सच से आप कई बार रूबरू हो चुके हैं कि भारतवर्ष में तुष्टिकरण अपनी चरम सीमा पर है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें तुष्टिकरण न किया जा रहा हो और तुष्टिकरण का सबसे अधिक लाभ यदि किसी को उपलब्ध है तो वह अल्पसंख्यक समाज क्योंकि अल्पसंख्यक समाज में ऐसे नेता हैं जो पी.एम. को हत्यारा कहने की हिम्मत रखते हैं, जो सरकार के खिलाफ खुलेआम नारे लगाते हैं और सरकार वोट की राजनीति के चलते हुए बड़े आराम से कोई न कोई रास्ता अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण का निकाल लेती है। इस सच की जानकारी तो आपको हो चुकी होगी कि अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाना है और योग में ओम का उच्चारण तथा सूर्य नमस्कार प्रमुख हैं। हौंसला देखिए अल्पसंख्यकों का कि उन्होंने योग पर आपत्ति उठाई और सूर्य नमस्कार को इस्लाम विरोधी बताया। और तुष्टिकरण देखिए हमारी सरकार का कि सरकार ने तुरन्त अल्पसंख्यकों की आपत्ति को स्वीकार कर लिया और सूर्य नमस्कार को योग प्रक्रिया से हटा दिया। इससे अधिक ज्वलंत उदाहरण तुष्टिकरण का क्या हो सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में से अल्पसंख्यकों की आपत्ति पर ध्यान देते हुए सूर्य नमस्कार को हटा दिया गया। एक यही सच नहीं है, तुष्टिकरण का और भी कई सच हैं। सलमान खान के मामले में उनके रैश ड्राईविंग के कारण एक व्यक्ति मर गया था और एक व्यक्ति विकलांग हो गया था, जो मुकदमा तेरह वर्ष तक चला और तेरह वर्ष बाद जघन्य अपराधों के लिए सजा केवल पांच वर्ष की और जुर्माना कुछ नहीं। जो अपराध उन्होंने किए थे उन पर यदि गौर किया जाए तो–

1. मुकदमा 13 साल तक चला और सुनवाई टालने का हर सम्भव प्रयास आरोपी की ओर से किया गया। 2. गवाहों के मर जाने का इन्तजार भी इसमें सम्मिलित है।, 3. गवाहों को खरीदने का पूरा प्रयास किया गया।, 4. गवाहों से झूठ बुलवाया और स्वयं भी झूठ बोला।, 5. अन्धाधुन्ध शराब पीकर कार चलाई।, 6. कार अत्यन्त तेजी से चलाई, जिससे रैश ड्राईविंग सिद्ध होता है।, 7. अनियंत्रित कार फुटपाथ पर चढ़ गई, जिससे एक आदमी की मौत हुई और एक जीवन भर के लिए विकलांग हो गया। 8. दुर्घटना के पश्चात आरोपी घटनास्थल से भाग गया और पुलिस को सूचना नहीं दी।, 9. आरोपी आदतन अपराधी है। वह कानून तोड़ने में विश्वास रखता है, उसके ऊपर एक केस काले हिरन की हत्या का भी चल रहा है। इन सब अपराधो की सजा केवल पांच साल की कैद और सम्भवतः न्यायालय भी जागरूक है, तुष्टिकरण के सम्बन्ध में मात्र दो घंटे में सलमान खान को बेल दे दी गई। दुबई जाने की इजाजत भी उनको मिल चुकी है। काले हिरण का मामला लटका हुआ है। मोदी जी उनके साथ पतंग उड़ाने पहुंच जाते हैं। आखिर सत्ता क्या सन्देश देना चाहती है। तुष्टिकरण के कारण हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि अल्पसंख्यक न्यायालय का निर्णय मानने को तैयार नहीं है। हाशिमपुरा कांड में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है जबकि उचित प्रक्रिया थी कि फैसले के खिलाफ अपील हो सकती थी और उत्तर प्रदेश सरकार को मजबूर करके हाशिमपुरा कांड में अपील करा दी। ऐसी कितनी मिसाले हैं, जो स्पष्ट रूप से अल्पसंख्यकों का तुष्टिकरण परिलक्षित करती हैं। आखिर वह किस राजनीतिक दल की सरकार होगी, जो तुष्टिकरण को राजनीति से हटा देगी। आखिर वह कौन सा दल होगा, जो सत्ता में रहते हुए तुष्टिकरण को नकार देगा या हमें रहती दुनिया तक तुष्टिकरण को झेलना पड़ेगा। म्याँमार में कमाण्डो आपरेशन हुआ। जिन्होंने हमारे सैनिकों को मारा

था, उनसे दुगने उग्रवादियों को सेना ने मार गिराया। जनता यही चाहती थी और जनता बहुत समय से यही मांग कर रही है कि शठे शाठयम् समाचरेत होना चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान यदा–कदा आतंकी हमले करता रहता है, आतंकवादियों की घुसपैठ कराता रहता है, उसका समाधान भी इसी प्रकार से करना होगा। जितने भी आतंकी अड्डे पी.ओ.के. में चल रहे हैं, उन सबको कमाण्डो कार्यवाही से नष्ट करना आवश्यक है। पाकिस्तान को मुर्शरफ जैसे नेता उकसाते रहते हैं, जो कई बार भारतीय सेनाओं से मात खा चुके हैं। पाकिस्तान में हाफिज सईद जैसे लोग अनर्गल बात करते रहते हैं, जिससे वहां का माहौल आतंकिया हो जाता है, इन सभी के विरुद्ध कमाण्डो कार्यवाही आवश्यक है, हो सकता है एक बार को फिर युद्ध हो जाए। लेकिन अबकी बार जब युद्ध हो तो धारा 370 भी हटा दी जानी चाहिए। बहुत समय से हम वह सबकुछ झेल रहे हैं। जो कदापि उचित नहीं है। म्याँमार में की गई कमाण्डो कार्यवाही से सिद्ध हो गया है कि भारतवर्ष जो अब तक शांति वार्ताओं में विश्वास रखता था, जो अब तक शत्रु की गोली और गाली का जवाब केवल विरोध पत्रों से देना जानता था, अब नए नेतृत्व में अंगड़ाई लेकर खड़ा हो गया है, और वह किसी भी प्रकार से अब चुप बैठने वाला नहीं है। अगर आतंकी हमारे एक सैनिक को हताहत करेंगे तो बदले में दस सैनिक शत्रु के मार दिए जाएंगे। हमें कायर समझने वाले, हमें अहिंसावादी समझने वाले अब यह जान जाए कि हम अहिंसक अवश्य है किन्तु कायर नहीं है। हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते लेकिन हमलावर का मुँह तोड़ना भी जानते हैं। म्याँमार आपरेशन के लिए वह सभी कमाण्डो सैनिक बधाई के पात्र है, जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। हमारे श्री डोभाल और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा रक्षा मंत्री मनोहर पार्किकर विशेष बधाई के पात्र है, इन्होंने देश का सर गर्व से ऊँचा किया है पुनः भगवान राम की याद दिला दी है, जिन्होंने रावण को उसके ही गढ़ में जाकर बन्धु

बान्धवों सहित मार गिराया था। कमाण्डो सैनिकों ने पुनः श्री हनुमान जी की याद दिलाई है, जिन्होंने समुद्र लांघकर रावण के गढ़ में प्रवेश किया था और वहां पर आग लगा दी थी। भगवान राम को भजने वाले सुरक्षित रहेंगे किन्तु राम विरोधी यदि अपनी हरकत से बाज नहीं आए तो उन्हें अपने दुष्कृत्यों के दुष्परिणाम झेलने होंगे। एक बार पुनः कमाण्डों सैनिकों को और सम्बन्धित व्यक्तियों को बहुत–बहुत बधाई और ईश्वर से प्रार्थना कि वह हमारे सम्बन्धित मंत्रीगण को शक्ति प्रदान करे, साहस प्रदान करें और शौर्य प्रदान करें।

भारतवर्ष को जब आजादी मिली थी तब उसकी कीमत बंटवारे के रूप में चुकानी पड़ी थी और बंटवारा जनसंख्या के आधार पर हुआ था, अर्थात् तथाकथित अल्पसंख्यक पाकिस्तान चले जाएंगे और पाकिस्तान में रह रहे बहुसंख्यक हिन्दुस्तान आ जाएंगे। बंटवारे का दंश इस कीमत पर झेलने के लिए देश तैयार हो गया था किन्तु कुछ सत्ता के लोभी और तथाकथित मानवतावादी आदर्श व्यक्तियों ने अल्पसंख्यकों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। जिसके बारे में कहा गया कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। हम आज तक उस त्रासदी को झेल रहे हैं। क्या स्वार्थ था उन नेताओं का जिन्होंने बंटवारे के बाद भी जनसंख्या का बंटवारा नहीं होने दिया। करोड़ों रुपये और हजारों एकड़ जमीन देने के बाद निर्मित पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को जाने से क्यों रोक दिया गया। क्या स्वार्थ था उन नेताओं का। और यदि रोक भी दिया गया था तो उन्हें मताधिकार क्यों दिया गया। उनको बहुसंख्यकों के समान सुविधाएँ क्यों दी गई। या तो बंटवारा जनसंख्या के बंटवारे के आधार पर नहीं किया जाता और यदि किया गया था तो उसका अनुपालन होना चाहिए था। हालांकि अल्पसंख्यक प्रेमी होने की कीमत महात्मा गाँधी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। शासक को कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी एक वर्ग का तुष्टिकरण करना सर्वथा अनुचित है। सन

1947 में बंटवारे के समय अल्पसंख्यकों को हिन्दुस्तान में रोककर जो भूल की गई है, उसका सुधार अब भी हो सकता है, जितने अलगाववादी नेता है, जितने अनर्गल प्रलाप करने वाले नेता है, जो हमारे प्रधानमंत्री को हत्यारा बोलते हैं, जो हर बात का विरोध करते हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास न रखकर झगड़ा आन्दोलन करना चाहते हैं। उन सभी को बाघा सीमा के पार भेज दिया जाना चाहिए। भारतवर्ष में उसको रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो भारत के नैतिक मूल्यों के विरुद्ध बोलता है, जिसका भारत की न्यायिक प्रणाली में विश्वास नहीं है, जो भारत के प्रधानमंत्री को हत्यारा बोलता है, जो हिन्दु–मुस्लिम झगड़े कराता है। ऐसे लोगों का सही स्थान पाकिस्तान में हैं। यदि हम भारतवर्ष में शांति चाहते है। तो हमें उन अराजक तत्वों को, उन अलगाववादी नेताओं को, जो अशांति फैलाने में माहिर हैं। भारतवर्ष के बाहर बाघा सीमा के उस पार भेजना ही वांछनीय होगा। जरा–जरा सी बात पर आन्दोलन करना, जरा–जरा सी बात पर थाना घेरना, सरकार को गाली देना और योग जैसे कार्यक्रम पर आपत्ति उठाना, यह सभी अब सहन करना मुश्किल नजर आ रहा है। योग किसी पर थोपा नहीं गया था। जिनको नहीं करना था, वह न करते। लेकिन विरोध इस बात का करना कि योग में से सूर्य नमस्कार हटा दिया जाए। योग करते समय ओम न बोला जाए सर्वथा अनुचित है। अब यह बातें असहनीय हो गई हैं। जनसंख्या के साथ–साथ तथाकथित अल्पसंख्यकों का विरोध भी बढ़ रहा है और यदि इसका उपचार अभी नहीं किया गया तो यह भयानक रूप ले सकता है। अतः अभी से इसका उपचार करना होगा और सन 1947 में की गई गलती को सुधारना होगा।

सत्यम वद–10

अगर आप खोज करेंगे तो रोज एक सत्य की खोज कर सकते हैं और अगर झूठ से लिपटे रहेंगे तो सत्य आपसे दूर होता चला जाएगा। मैगी के मामले में यही हुआ। जब खोज की गई तो सत्य सामने आया कि मैगी खाना स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है। जब तक खोज नहीं की गई तब तक महान अभिनेता द्वारा विज्ञापन, सुप्रसिद्ध अभिनेत्री द्वारा विज्ञापन तथा अन्य महान कलाकारों के विज्ञापन सामने आते रहे और भारतवर्ष की जनता इतनी भोली है। कि वह सुन्दर चेहरा देखकर घटिया से घटिया वस्तु के विज्ञापन को सर्वश्रेष्ठ मान बैठती है। और यही होता रहा भारतीय सिनेमा के इतिहास में जिस व्यक्ति को महान अभिनेता का दर्जा दिया गया। भिन्न–भिन्न सम्मानसूचक नामों से पुकारा गया। वह मैगी का विज्ञापन करते रहे और मैगी खाने की सलाह देते रहे। किन्तु किसी भी विज्ञापन में आप उसको एक हजार बार देख लें वह स्वयं मैगी खाते नजर नहीं आए क्योंकि उन्होंने मैगी खाने के पैसे नहीं लिए थे विज्ञापन के सन्दर्भ में जो करोड़ों रूपये लिए गए थे वह उसका विज्ञापन करने के लिए लिए गए थे और यही स्थिति महान अभिनेत्री के साथ हुई वह भी उछल कूद करके मैगी का विज्ञापन करती हैं और अपने साथ अपने परिवार को भी मैगी खाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। यह किसी हद तक ठीक है कि खुद खा रही है और दूसरों को खाने की सलाह दे रही है, लेकिन जिस व्यक्ति ने खुद मैगी नहीं खाई और वह दूसरों को खाने के लिए प्रोत्साहित करता है, वह बड़ा पापी है, इसी प्रकार अन्य कई अभिनेता, अभिनेत्रियां, क्रिकेटर भिन्न–भिन्न वस्तुओं का विज्ञापन करते नजर आते हैं। कई अभिनेता और अभिनेत्रियां स्प्रे वाले परफ्यूम

का विज्ञापन का करते नजर आते हैं, ऐसा दिखाया जाता है कि एक विशेष ब्रांड का परफ्यूम इस्तेमाल करने से लड़कियां खीची चली आती है, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है, जनता विश्वास कर रही है और उसी परफ्यूम को खरीद रही जिसका हमारे महान अभिनेता जी विज्ञापन कर रहे हैं। यही स्थिति महान क्रिकेटर के बारे में हैं, वह भी भिन्न–भिन्न वस्तुओं का विज्ञापन करते नजर आते हैं। एक पद्मश्री प्राप्त अभिनेता तो अमूल माचो का विज्ञापन दौड़ के मैदान में ऐसे ठुमके लगाकर करते हैं कि भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पदमश्री की धज्जियां उड़ जाती हैं। मैगी पर तो प्रतिबन्ध लग गया। परफ्यूम पर भी प्रतिबन्ध लगना चाहिए साबुन की भी जांच होनी चाहिए। हाजमोला का विज्ञापन जो अभिनेता महोदय करते हैं उनकी भी नापतोल होनी चाहिए। और जनता को मेरी सलाह है अगर समझ में आ जाए कि ऐसी कोई भी वस्तु ना खरीदे जिसका विज्ञापन महान अभिनेता, सुन्दर अभिनेत्रियां, महान क्रिकेटर अथवा ऐसे लोग करते हों, जो स्वयं उस वस्तु का प्रयोग नहीं करते। करोड़ों रूपये लेकर विज्ञापन करने वाले व्यक्ति को इस बात से कोई सरोकार नहीं होता कि जिस वस्तु का वह विज्ञापन कर रहा है, वह वास्तव में सेवन करने के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं उसके सेवन से हानि तो नहीं होगी। बस करोड़ों रूपये अपना पारिश्रमिक लिया और जेब में डाला तथा विज्ञापन करके चलते बने। भले ही उस वस्तु के सेवन से हानि हो अथवा लाभ हो। अतः बाईकाट कर दीजिए उन सभी वस्तुओं का जिनका अभिनेता–अभिनेत्री अथवा क्रिकेटर विज्ञापन करते हों।

ललित मोदी भारतीय राजनीति पर राहु के रूप में उभर कर आए हैं। कई राजनेताओं की प्रतिष्ठा को ग्रहण लग गया है। कई को लगने वाला है वस्तुतः स्वयं को बचाने के लिए अपनी तरफ से सरकार का ध्यान हटाने के लिए ललित मोदी इस प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं, नए–नए लोगों का नाम उछाल रहे हैं। वर्ना कोई भी व्यक्ति अपने

मददगार को बदनाम नहीं करना चाहेगा। अगर ऐसा होने लगा तो लोग एक–दूसरे की मदद करना बन्द कर देंगे। वह सूचनाएं विरोधियों को कहां से प्राप्त हुई, जिनके बारे में सिर्फ ललित मोदी को अथवा मददगार को पता था और मददगार कभी भी उन सूचनाओं को जाहिर करना नहीं चाहेगा जिससे मदद करने वाले अथवा उसकी प्रतिष्ठा पर आंच आती हो। यदि ललित मोदी ने अपने मददगारों को परेशानी में डालने के लिए और अपनी ओर से सरकार का ध्यान हटाने के लिए ऐसा किया है तो यह शर्म की बात है। भविष्य में कोई भी किसी की मदद नहीं करना चाहेगा। ऐसा भी सम्भव हो सकता है कि भाजपा में ही गद्दार बैठे हों क्योंकि हिन्दू सदैव ही अपनी फूट का शिकार रहा है आपसी फूट के कारण ही मुगलों ने देश पर कब्जा किया। आपसी फूट के कारण ही अंग्रेजी शासन झेलना पड़ा और आपसी फूट के कारण ही क्रांतिकारियों का बलिदान हुआ और सन 1857 की क्रांति नाकामयाब हुई। यह पता लगाना अत्यन्त आवश्यक है कि ललित मोदी की मदद के सन्दर्भ में सूचनाएं किस स्तर से लीक हुई हैं। विरोधियों को यह बात कैसे पता चली कि ललित मोदी की मदद किसने की और क्या की। हमें भविष्य में सतर्क रहने के लिए यह सब बातें जाननी अत्यन्त आवश्यक हैं। क्योंकि देश का भविष्य उन गद्दारों के हाथ में नहीं होना चाहिए जो पागल हाथी की तरह से अपने ही सेना को कुचलने लगते हैं, जो अपने ही आदमियों की त्रुटियाँ उजागर करते हैं। सत्ता पक्ष को सचेत होना होगा तथा ललित मोदी से सम्बन्धित सूचनाओं को लीक होने का माध्यम जानना होगा। यदि ललित मोदी वास्तव में भगोड़ा है, ललित मोदी वास्तव में भारत का अपराधी है तो वह दाऊद की तरह से अब तक आजाद क्यों हैं। हमें ललित मोदी को यदि उसने अपराध किया है तो तुरन्त भारत लाकर वांछित कार्यवाही करनी चाहिए। किसी भी विषय पर सो जाना अथवा उसे लाल बस्ते में बांध देना देशहित में नहीं है। यदि ललित

मोदी को देश से बाहर न जाने दिया होता। तो स्थिति ऐसी नहीं होती। वर्तमान में आरोपण प्रत्यारोपण का दौर जारी है और ललित मोदी उसका केन्द्र बिन्दु बने हुए हैं और जो कीचड़ ललित मोदी के चारों तरफ एकत्रित हो गई है, उसके छींटे उन लोगों पर भी पड़ रहे हैं, जो उनके मददगार रहे हैं। ललित मोदी के मामले में वांछित कार्यवाही अत्यन्त शीघ्र की जानी चाहिए और अत्यन्त शीघ्र ही इस तथ्य का भी पता होना चाहिए कि ललित मोदी से सम्बन्धित मदद की सूचनाएं कैसे लीक हुई और किसने लीक की।

माननीय आडवाणी जी ने बआवाजे बुलन्द फरमाया कि भारतवर्ष में आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो रही है। उनके कहने का तात्पर्य क्या था। क्या आपातकाल लगाया जा सकता है, ऐसी परिस्थितियां हुई हैं अथवा आपातकाल जैसी परिस्थितियां विद्यमान हैं। एक प्रकार से यह केन्द्रीय सत्ता पर हमला था श्री आडवाणी जी का यह कहना यह ईशारा करता है कि वह केन्द्रीय सत्ता से खुश नहीं हैं। तथा वह इसमें परिवर्तन चाहते हैं। श्री आडवाणी जी दुखी तो हैं ही। लेकिन कभी सुखी भी नहीं रहे। वैसे तो हर आदमी जो घर–बार छोड़कर राजनीति में लग जाएगा कभी ना कभी शीर्ष पर पहुंच ही जाएगा। लेकिन वैसे कोई ऐसा काम श्री आडवाणी जी ने नहीं किया जो स्वर्णाक्षरों में लिखा जा सके। वस्तुतः उनको अपने उपेक्षित होने का भी दुख है जबकि उनकी उपेक्षा नहीं हुई है, वह जितने वरिष्ठ हैं, उसके हिसाब से उनको संरक्षक या सलाहकार बनाना सर्वथा उचित है। आडवाणी जी ने इसी तरह की एक बात और कहीं कि वह देश में नरम नेतृत्व चाहते हैं अर्थात् म्यांमार में जो कमांडो आपरेशन हुआ और हमारे सैनिकों की मृत्यु के बदले में जो कमाण्डो ने म्यांमार में घुसकर वहां के उग्रवादियों को मार दिया वह उनको अच्छा नहीं लगा। सरबजीत की मृत्यु के बाद जो एक हिन्दुस्तानी पाकिस्तान में जासूसी के सन्देह में पकड़ा गया था वह 48 घंटे में छूट गया क्या यह

उनको अच्छा नहीं लगा। श्रीलंका की सरकार ने और पाकिस्तान सरकार ने वर्षो से कैद मछुआरों को छोड़ दिया क्या यह उनको अच्छा नहीं लगा। क्या रक्षा मंत्री का यह कहना कि म्यांमार जैसी कार्यवाही और भी हो सकती हैं। क्या पाकिस्तान को रक्षा मंत्री का चेतावनी देना उनको अच्छा नहीं लगा। वस्तुतः देश को इस समय नरम नेतृत्व की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नरम नेतृत्व तो हम बरसो से भुगत रहे हैं, हम पिटते आए हैं और पिटते रहे है और कागजी विरोध पत्र भेजते रहे हैं। वस्तुतः अब आवश्यकता है शठे शाठयम् समाचरेत की। आडवाणी जी यह महसूस क्यों नहीं करते कि अब तक कांग्रेस के शासन काल में जो नरम नेतृत्व रहा अथवा जो तुष्टिकरण रहा उससे देश की हानि हुई है। जब कभी भी देश में गरम नेतृत्व परिलक्षित हुआ है तब ही देश की गरिमा बढ़ी है। अहिंसा परमो धर्मः के साथ यह सिद्ध करना भी आवश्यक है कि हम कायर नहीं है। यदि कमाण्डो कार्यवाही करके पीओके में चल रहे आतंकवादी अड्डों को समाप्त कर दिया जाए यदि आतंकवादियों को गिरफ्तार करने के 6 महीने के अन्दर जुर्म साबित होने पर फांसी दे दी जाए तो देश का सम्मान बढ़ेगा घटेगा नहीं। आडवाणी जी को ऐसा कोई वक्तव्य नहीं देना चाहिए जो हमारी सेनाओं के मनोबल को, जो केन्द्र सरकार के मनोबल को प्रभावित करता हो। देशहित में है कि श्री आडवाणी जी वक्तव्य देना बन्द करे और जब कभी उनसे केन्द्रीय नेतृत्व कोई सलाह मांगे तो उसको निष्पक्षता से सोच–समझ कर प्रदान करें। इसी में उनका सम्मान है अन्यथा जनता सब जानती है और समझती है।

■

सत्यम वद–11

एक सत्य टी.वी. पर सबने देखा। किस तरह से काँग्रेस ने सदन की कार्यवाही को बाधित किया। किस तरह करोड़ों रुपये का देश को नुकसान पहुंचाया और पूरा संसद सत्र त्रिया हठ और बाल हठ की भेंट चढ़ गया। वस्तुतः अब समय आ गया है जब गाँधी जी की उस उक्ति को स्मरण करते हुए काँग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। 40 सिरफिरे लोगों ने 440 लोगों को काम नहीं करने दिया। यह शर्म की बात है। यदि भाजपा भी उसी कुटिलता पर उतर आती और काँग्रेस के एक–एक सदस्य को पकड़कर उसका मुंह बन्द कर देती तो सम्भवतः अच्छा नहीं होता। भाजपा ने मर्यादा में रहकर आचरण किया और काँग्रेस ने मर्यादाहीन आचरण करके यह सिद्ध कर दिया कि उसे अपनी हठ के आगे देशभक्ति से कोई सरोकार नहीं है। काँग्रेस भारतवर्ष को अपने बाप की जागीर समझ रही है और इसीलिए उसे कुर्सी छिन जाने का दुख है, जनता का कर्त्तव्य है कि अब देश को अँग्रेजों की तरह से काँग्रेस से भी मुक्ति दिलाए इस आजादी के पर्व पर प्रत्येक नागरिक को जो देशभक्त है एक कसम उठानी चाहिए कि वह किसी भी प्रकार से देशद्रोहियों का साथ नहीं देगा और काँग्रेस यह सिद्ध कर चुकी है कि वह देशभक्त नहीं बल्कि देश विकास गति की विरोधी है। केवल एक हठ कि सुषमा स्वराज का इस्तीफा होना, केवल एक हठ की शिवराज सिंह का इस्तीफा होना चाहिए, देश को बर्बाद करने पर तुली हुई है। सोनिया गांधी ने कितना मर्यादाहीन आचरण किया है कि वह सभापति के आसन के निकट पहुंच गईं। राहुल गाँधी सदन में चर्चा के लिए नहीं आते।

बहस का उत्तर देने नहीं आते बल्कि पहले से घर से लिखकर लाते हैं कि क्या बोलना है, राहुल गाँधी में अपने बाबा स्व. फिरोज गांधी का एक भी गुण नहीं आया है, वह देशहित के लिए बोलते थे और राहुल गाँधी अपनी इटेलियन मां के कहने में आकर देश विकास की गति को बाधित करने के लिए बोलते हैं। सारी मर्यादा की सीमाएं पार हो गईं और यह देखकर दुख भी हुआ कि काँग्रेस ने वन्दे मातरम का बहिष्कार कर दिया। वस्तुतः भारतमाता, भारतवर्ष अथवा भारत की परम्पराओं से काँग्रेस हाईकमान का कोई सरोकार नहीं है यह केवल सत्ता के लिए और केवल सत्ता के लिए देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं। राहुल गाँधी का सुषमा स्वराज से यह पूछना कि ललित मोदी से कितने पैसे लिए एक बचकाना बात है। पैसे लेने का आरोप वह लगाता है, जिसके पास यह ठोस सबूत हो कि वास्तव में कितने पैसे लिए गए, किस प्रकार से लिए गए और किस अकाउण्ट में जमा हुए। भारत का दुर्भाग्य है कि मां–बेटे राजनीति से वाकिफ नहीं है मां–बेटे राजनीति की मर्यादा को भंग करने पर तुले हुए हैं किन्तु फिर भी कुछ कांग्रेसी नेता उनके पीछे हाथ–पैर फेंकते नजर आते हैं, संसद के इस सत्र में कोई काम की बात कांग्रेस ने नहीं की कोई देशहित की बात कांग्रेस ने नहीं की, केवल एक हठ और केवल एक जिद पूरे संसद के सत्र को पी गई। जनता को चाहिए कि वन्दे मातरम का बहिष्कार करने वाली संस्था तथा देश की संसद की मर्यादा को भंग करने वाली संस्था, देश के विकास की गति में बाधा डालने वाली संस्था कांग्रसे को अब उसी तरह से देश से बाहर कर दे जिस प्रकार अँग्रेजों को बाहर किया गया था।

चुनाव आयोग के क्या अधिकार हैं, क्या कर्त्तव्य है इसका विस्तृत अध्ययन मैंने नहीं किया किन्तु मैं समझता हूँ कि संसद के कार्य में बाधा डालने वाली संस्था, वन्दे मातरम का बहिष्कार करने वाली

संस्था देश के करोड़ों रूपये खर्च करने पर भी संसद को कार्य न करने देने वाली संस्था काँग्रेस की मान्यता रद्द होनी चाहिए। महात्मा गाँधी भी यही चाहते थे कि आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। वस्तुतः कांग्रेस महत्वाकांक्षी व्यक्तियों की संस्था बन चुकी है, जिनको केवल कुर्सी चाहिए, घोटालों के अवसर चाहिए और देश पर हुकूमत चाहिए। इसलिए काँग्रेस जनादेश के विरुद्ध संसद को कार्य करने नहीं दे रही है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के उन नेताओं को जो त्रिया हठ और बाल हठ के समक्ष नतमस्तक खड़े हुए हैं और उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। सांसदों को वेतन और भत्ता सदन देता है, संसद देती है कोई व्यक्ति विशेष नहीं देता। इसलिए संसद की मर्यादा रखनी चाहिए। जो संस्था वेतन और भत्ता दे रही है उसकी ही मर्यादा भंग करना उसके द्वारा आयोजित वन्दे मातरम में सम्मिलित न होना एक जघन्यतम, नीचतापूर्ण व्यवहार है जिसकी हर तरफ से निन्दा होनी चाहिए। जिसके लिए कोई क्षमा नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग काँग्रेस की मान्यता रद्द करे यह मेरा अनुरोध है किन्तु यदि चुनाव आयोग ऐसा नही करता है तो जनता को चाहिए कि वह काँग्रेस का बहिष्कार करे, काँग्रेसी नेताओं का बहिष्कार करें, इनका सामाजिक बहिष्कार करें इनको किसी प्रकार का क्षमा दान न दें। संसद में काम नहीं होने दिया। संसद को कार्य नहीं करने दिया। इसका पूरा दोष काँग्रेस पर जाता है। जिसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। यह जनता का पाप है, जो कोढ़ के रूप में संसद को बाधित कर रहा है। यह जनता का गलत निर्णय था कि उसने 40 सांसदों को भी कांग्रेस के जिताया। अब समय आ गया है कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयन्ती से पूर्व या तो चुनाव आयोग कांग्रेस की मान्यता रदद करे अथवा जनता कांग्रेस का सामाजिक, व्यवहारिक, पारिवारिक व राजनीतिक बहिष्कार करे। चुनाव आयोग को यह

अधिकार दिया जाना चाहिए कि जो भी राजनीतिक दल संसद की मर्यादा को भंग करता है उसकी मान्यता रद्द कर दी जाए। यह निर्णय कठोर अवश्य होगा किन्तु यदि शरीर का कोई अंग गलने लगे और विष पूरे शरीर में फैलने की आशंका हो तो उस अंग को काट देना चाहिए। कांग्रेस राजनीतिक शरीर का ऐसा अंग बन चुकी है, जो केवल सत्ता के लालच में वह सब कुछ कर सकती है, जो देशहित में नहीं है। वह व्यक्ति जो एकांत चिन्तन के लिए थाईलैण्ड जाता है, वो वहां से राजनीति का कौन सा अध्याय सीखकर आया है, यह सदन की कार्यवाही में निश्चित हो गया। जो व्यक्ति अपना भाषण रोमन लिपि में लिखकर लाता है, वह हिन्दुस्तानी हो ही नहीं सकता। आरम्भ में जब विदेशी बहू का मुद्दा उठा था उस वक्त सबसे बड़ी गलती हुई जब विदेशी बहू को स्वदेशी बहू मान लिया गया। वस्तुतः देश में दूरदर्शिता की भी कमी है तुष्टिकरण इस कदर हावी है कि हम शत्रु को भी नहीं पहचानते और उसका भी तुष्टिकरण करने लग जाते हैं।

धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी राजनीतिक दलों का जो कांग्रेस की असलियत को पहचान गए और जिन्होंने उससे किनारा कर लिया। जो दल अभी भी काँग्रेस के साथ हैं, उनकी सोच पर दया आती है। देश विरोधी गतिविधियाँ हमें पहले भी गुलाम बना चुकी है, और क्या हम पुनः देशविरोधी संस्था काँग्रेस के गुलाम बनना चाहते हैं। यदि उत्तर नहीं है तो समस्त राजनीतिक दलों को काँग्रेस से किनारा कर लेना चाहिए और जो राजनीतिक दल काँग्रेस से किनारा नहीं करते। उनसे जनता को किनारा कर लेना चाहिए। प्रश्न हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई या दलित का नहीं है। प्रश्न है भारतीयता का। प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसने काँग्रेस का आचरण इस सत्र में संसद में देखा है उसमें यदि कुछ भी भारतीयता है तो वह काँग्रेस के साथ

कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। सैकड़ों करोड़ रूपये का नुकसान कांग्रेस की हठधर्मी के कारण हुआ। आदरणीय स्पीकर महोदया ने पूरी काँग्रेस पार्टी को, पूरे काँग्रेस दल को संसद से बहिष्कृत करना चाहिए था, केवल थोड़े से कांग्रसियों को बहिष्कृत करना, निलम्बित करना काफी नहीं था, जनता ऊब चुकी है, कांग्रेस की हठधर्मी से कांग्रेस के आचरण से, और कांग्रेस के संसद को बाधित करने वाले क्रियाकलापों से। विपक्ष का कार्य होता है कि सत्ता को यह बताए कि वह कहाँ गलत है और सत्ता को ठोस सुझाव दे। विपक्ष का कार्य संसद को बाधित करना नहीं होता। सत्ता की स्वस्थ आलोचना का सभी स्वागत करते हैं किन्तु हठधर्मी के कारण सत्ता को कोई भी देश विकास कार्य करने से रोकना पूर्णतः निन्दनीय है। जिन सांसदों ने संसद के कार्य में बाधा डाली है, उनको किसी भी प्रकार का वेतन भत्ता इस सत्र में नहीं मिलना चाहिए। जनता का पैसा लूटने के लिए नहीं है और काँग्रेस जो पहले से घोटाले करते आई है, वो इसके बगैर जीवित नहीं रह सकती। जो पार्टी घोटालों के बगैर जीवित नहीं रह सकती, जो पार्टी जनविरोधी कार्यो में संलिप्त है और देशहित के कार्यो के लिए संसद को बाधित करती है, उस पार्टी को जीवित रखना देशहित में नहीं होगा। यह उचित समय है जब जनता या तो स्वयं काँग्रेस का बहिष्कार करे अथवा चुनाव आयोग को मजबूर करे कि वह काँग्रेस राजनीतिक दल की मान्यता तुरन्त रद्द कर दें। और इस सबमें अन्य राजनीतिक दलों को भी सत्ता पक्ष का साथ देना चाहिए और चुनाव आयोग से यही मांग करनी चाहिए। इसी में देश का हित है, इसी में भारतवर्ष का कल्याण है। अँग्रेजों से आजादी प्राप्त करने का युद्ध हमने जीत लिया अब काँग्रेस से आजादी प्राप्त करने का युद्ध जीतना है।

■

सत्यम वद–12

दूरदर्शन पर तथा अखबारों में बड़े जोर–शोर से प्रचार–प्रसार हो रहा है कि बिसाहड़ा काण्ड पर लेखक और साहित्यकार जो साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित हुए हैं, अपना सम्मान और पुरस्कार राशि अकादमी को लौटा रहे हैं। वस्तुतः आदमी कोई भी कार्य करता है तो वह या तो अपनी खुशी के लिए करता है या अपने स्वामी को खुश करने के लिए करता है। यह लेखक और साहित्यकार निश्चित ही अपनी खुशी के लिए यह सम्मान और पुरस्कार राशि नहीं लौटा रहे तो फिर किसकी खुशी के लिए लौटा रहे हैं। यह विचारणीय विषय है और इसका डी.एन.ए. टैस्ट कराया जाना चाहिए। बिसाहड़ा काण्ड में गौहत्या की अफवाह पर अखलाक की हत्या कर दी गई। क्या वास्तव में गौहत्या हुई थी या केवल अफवाह थी और अगर गौहत्या हुई थी तो कुछ लोगों को नाराजगी होना स्वाभाविक था किन्तु किसी व्यक्ति की हत्या कर देना, कानून को अपने हाथ में ले लेना एक बहुत बड़ा अपराध है, जिसके लिए कोई माफी नहीं है। राज्य सरकार ने मुआवजे के रूप में अखलाक के परिवार को 45 लाख रुपया दिया। मायावती जी ने 11 लाख रुपया दिया। अखलाक के एक बेटे को दिल्ली में नौकरी मिल गई। मकान भी मिल गया। दुख पर मरहम लगाया गया, जो एक सियासी कार्य था। क्या लेखक और साहित्यकार अखलाक की हत्या से दुखी हैं और इस कारण से अपने पुरस्कार और सम्मान लौटा रहे हैं अथवा वह अखलाक के परिवार को 56 लाख रुपये मिलने से दुखी हैं। अखलाक के परिवार के एक लड़के को दिल्ली में नौकरी मिलने से दुखी हैं, उसको दिल्ली में मकान मिलने

से दुखी है। प्रश्न उठता है किस दुख के कारण वह राज्य सरकार द्वारा दिया गया सम्मान और पुरस्कार राशि लौटा रहे हैं। अर्थात् वह क्या सन्देश देना चाहते हैं अगर वह गौहत्या की अफवाह पर अखलाक की हत्या काण्ड से दुखी हैं तो उन्हें अपनी कलम के द्वारा इस सम्बन्ध में जनजागरण करना चाहिए। वह स्वतन्त्र है यह लिखने के लिए कि गौहत्या हो अथवा नहीं। वह स्वतन्त्र है यह लिखने के लिए कि जो मुआवजा दिया गया। वह उचित था, कम था या बहुत ज्यादा था। अगर वह मुआवजा दिए जाने से दुखी है तो उनका दुख जायज नहीं है क्योंकि यह तो सरकार का काम है कि वह किसको क्या दे। उनको भी पुरस्कार राशि दी गई है। सम्मान पत्र भी दिया गया है, कुछ को पद्मश्री भी दी गई है। सम्मान, पुरस्कार राशि और पद्मश्री वापस करने से पहले प्रत्येक लेखक और साहित्यकार को यह स्पष्ट कर देना चाहिए था कि वह किस कारण से सम्मान और पुरस्कार की राशि वापस कर रहा है। जनता तो दिग्भ्रमित है कि अगर उन्हें गौहत्या से दुख हुआ है तो इसके विरोध में लिखते और अगर हत्या से दुखी है तो उसके विरोध मे लिखते। मृत्यु के बाद अखलाक के परिवार को दी जाने वाली सुविधाये उनके गले नहीं उतर रही है तो उसके बारे में लिखते। अकादमी का अपमान करना समस्या का समाधान नहीं है। लेखक का काम है जन–जागरण करना और वह कलम के माध्यम से हर सन्दर्भ में विरोध अथवा समर्थन जनता तक पहुंचा सकता है और यदि किसी को प्रसन्न करने के लिए यह सम्मान वापस किए जा रहे हैं तो इसका कोई इलाज नहीं है। मैं सम्मान और पुरस्कार राशि को वापस किए जाने को उचित नहीं मानता। यदि एक हत्या के आधार पर सम्मान और पुरस्कार राशि वापस की जा रही है। तो मुजफ्फरनगर दंगे में 73 लोग मारे गए थे तब यह सम्मान और पुरस्कार राशि वापस क्यों नहीं की गई। अभी दो

पत्रकारों को गोली मार दी गई। एक पत्रकार जिन्दा जल गया तब यह सम्मान और पुरस्कार राशि वापस क्यों नहीं की गई। कश्मीर में सिक्खो का कत्ल कर दिया गया। कश्मीरी पंडितों को मारा गया और कश्मीर से बाहर खदेड़ दिया गया। तब लेखकों की अन्तर्आत्मा कहां गई थी, तब इन्होंने सम्मान और पुरस्कार राशि वापस क्यों नहीं की। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, जो इस बिसाहड़ा हत्याकाण्ड से भी ज्यादा वीभत्स है। उन पर इन लेखकों और साहित्यकारों का ध्यान क्यों नहीं गया। सरकार को चाहिए इन साहित्यकारों का नाम नोट कर ले और भविष्य में इन्हें किसी भी प्रकार का सम्मान न दिया जाए। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को चाहिए कि वह इन लेखकों और साहित्यकारों से सम्बन्धित कुछ भी प्रकाशित न करें। रात–दिन बम धमाके होते हैं, लोग मरते हैं, इन लेखकों और साहित्यकारों को उनकी चिन्ता नहीं होती। लेकिन राजनीतिक रंग देने के लिए अपनी भावना को सम्मान और पुरस्कार राशि लौटाने से जोड़ना सर्वथा असमर्थनीय है।

अभी गगनांचल नाम की पत्रिका आई है, जिसमें साहित्यकारों के नाम उल्लेखनीय हैं। कुछ साहित्यकार पूर्व में राजनयिक सेवा में रह चुके हैं। कुछ राजनेता रह चुके हैं। कुछ कुलाधिपति अथवा साहित्यिक संस्थाओं से सम्बन्धित हैं। वर्तमान के राज्यपाल का नाम भी लेखकों में सम्मिलित है और उनकी कविताओं को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। यदि यह सब साहित्यकार सम्मानित किए गए हैं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए वर्तमान में सरकारी सेवा से निवृत्त प्रत्येक व्यक्ति कविता लिखना आरम्भ कर देता है क्योंकि अतुकांत कविता लिखने में, हाइकु लिखने में, क्षणिका लिखने में किसी परिश्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती। साधारण बात को साधारण शब्दों में लिख देना ही अतुकान्त कविता है। छन्दबद्ध कविता लिखना, लयबद्ध गीत लिखना सरल नहीं है क्योंकि उसमें पिंगल का ध्यान रखना

पड़ता है, मात्राओं की गणना करनी पड़ती है। सरकारी सेवानिवृत्त अधिकारी को इतना समय कहां है कि वह यह सब ज्ञान प्राप्त करें और तब कविता लिखे वह तो सीधी सादी बात लिखता है। और वह कविता हो जाती है। जो साहित्यकार 100 पुस्तकें लिख चुके हैं, सम्मानित होने में उनका नम्बर नहीं आता। क्योंकि उनकी पहुंच–पूंछ इतनी लम्बी नहीं होती कि वह दिल्ली दरबार तक पहुंच सके और दिल्ली दरबार में जिसकी पहुंच नहीं है उसको सम्मान प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं है, जिसका कोई राजनीतिक बाप नहीं है वह साहित्यकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, सम्मान नहीं पाता, पुरस्कार नहीं पाता। और यह सेवानिवृत्त अधिकारी अथवा राजनयिक सेवानिवृत्ति के बाद एक साल में ही इतने बड़े साहित्यकार बन जाते हैं कि उनको पद्मश्री तथा अनेकानेक साहित्यिक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त होने लगते हैं, यह सब सम्पर्कों का प्रभाव है, इसमें योग्यता का कोई मापदण्ड नहीं है। वस्तुतः जब कोई व्यक्ति प्रशासनिक सेवा में होता है, राजनयिक पद पर होता है, किसी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है अथवा किसी अन्य प्रतिष्ठित पद पर होता है और वह सम्बन्धित व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की स्थिति में होता है और राजनेताओं को साहित्यिक संस्थाओं के अध्यक्षों को किसी प्रकार से अपने पद के अनुसार अनुग्रहीत करता है। तब वह नेता जब पद्मश्री देने वाली स्थिति में होते हैं तब उस अनुग्रह को वापस कर सकते हैं और समझदार सेवानिवृत्त अधिकारी इस बात को समझता है और भुनाता है। अतः वह कवि ना होते हुए भी कविताएँ लिखने लगता है। कहानी किस प्रकार लिखता है यह अकेले में पूछेंगे तो बता दूंगा। और बड़े आराम से वह अपने द्वारा अनुग्रहीत व्यक्ति से अपने ऊपर अनुग्रह के रूप में पद्मश्री पा जाता है। वास्तविक कवि, लेखक, कहानीकार, व्यंग्यकार बाल–बाल रह जाते हैं। यह हमारे देश की

विडम्बना है।

चुनाव प्रक्रिया चल रही है। बिहार में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दॉव पर है। चुनाव पहले भी हुए हैं लेकिन जैसे चुनाव इस बार हो रहे हैं, वह चाहे लोकसभा का हो, बिहार का हो अथवा दिल्ली का हो सबमें मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। बिहार में भारतवर्ष के प्रधानमंत्री को खुलेआम गालियाँ दी जा रही है, कोई महापिशाच कहता है, कोई शैतान कहता है, कोई धोखेबाज कहता है। यू.पी. के एक कद्दावर मंत्री तो कुत्ते के बच्चे का बड़ा भाई बताने से भी नहीं चूकते और हत्यारा तो वह कई बार कह चुके हैं। पारिवारिक सन्दर्भो में भी वो टीक्का टिप्पणी करते रहते हैं, जिस तरह के जहर प्रधानमंत्री के विरुद्ध उगले जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि सर्वोच्च न्यायालय उसका संज्ञान क्यों नहीं ले रहा। सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है और संज्ञान लेना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसको घोटाले में सजा हो चुकी है खुलेआम भड़काऊ भाषण दे रहा है, गालियाँ दे रहा है, गौमांस खाने की वकालत कर रहा है उसको जमानत दे दी गई और इस सबके बावजूद भी उसकी जमानत रद्द नहीं हो रही जबकि भड़काऊ भाषण देने पर वरुण गांधी को क्या–क्या नहीं भुगतना पड़ा था। लेकिन बिहार के इस पदावनत मुख्यमंत्री के बयानों का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। चुनाव आयोग भी चुप है। जबकि जरा–जरा सी बात पर चुनाव आयोग संज्ञान लेता है और कार्यवाही करता है। लेकिन इस मामले में खामोश है। क्या सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग दोनों ही दबंगों से डरते हैं। अथवा संविधान में भारत के प्रधानमंत्री को गालियाँ देने से देश का कोई अपमान नहीं होता। विदेशों में छवि खराब नहीं होती। जिस तरह के व्यंग्य बाण और जिस तरह से गालियों की बौछार की जा रही है उससे शान्ति भंग हो सकती है। वह तो ईश्वर की बड़ी कृपा है कि

हिन्दू अहिंसा परमो धर्मः के तालाब में डूबा हुआ है और उसे न तो हिंसा अच्छी लगती है, न हिंसा करता है और ना ही हिंसा का जवाब अच्छी तरह देना जानता है। इसीलिए इतिहास गवाह है कि प्रतिरोध किए बगैर हिन्दू मारे जाते हैं। कश्मीर में सिक्खों का कत्ल हो जाता है, कश्मीरी पंडितों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, संविधान में सम्भवतः इन सब बातों का संज्ञान लेने के लिए कोई प्राविधान नहीं है। होना यह चाहिए कि जो देश के प्रधानमंत्री को गाली देता है अथवा उस पर व्यंग्य करता है। उसका संज्ञान लिया जाए और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध देश का अपमान करने का वाद योजित किया जाए। यह एक प्रकार से देशद्रोह के समान है। इस पर कड़ी से कड़ी दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। जो व्यक्तिगत, पारिवारिक आक्षेप करते हैं उन पर भी लगाम लगानी आवश्यक है। लोकतंत्र का मतलब यह नहीं है कि जिसके जो जी में आए वह कहता घूमे। और भाषण की स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अर्थ यह भी नहीं है कि आप किसी को भी अपशब्द कहने के लिए स्वतन्त्र हैं, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग उत्तर प्रदेश के एक मंत्री महोदय करते हैं। उससे अशांति हो सकती है और जिस दिन हिन्दू अहिंसा परमो धर्मः को भूलकर ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाएगा। उस दिन यह भाषण अवश्य ही रूक जाएँगे लेकिन ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। सरकार को संविधान में भारतीय दण्ड संहिता में तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करना चाहिए। तथा अपशब्दों के प्रयोग पर भी दण्ड का प्राविधान सुनिश्चित करना चाहिए। प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने पर पूर्णतया प्रतिबन्ध होना चाहिए और यदि कोई व्यक्ति बार–बार कहने पर भी ना माने तो उसको अधिकतम दण्ड देने का प्राविधान होना चाहिए, जिससे उसकी जुबान सदैव के लिए बन्द हो सके अन्यथा स्थिति बिगड़ सकती है। क्योंकि सहनशीलता की भी एक सीमा होती

है और जब उस सीमा को छेदकर गालियाँ अथवा अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है तो एक गिरा–पड़ा व्यक्ति भी प्रतिरोध अवश्य करता है। एक अंग्रेजी का वाक्य है– A Desperate man can do anything. अतः ऐसे वाक्यों का प्रयोग जो किसी व्यक्ति को Desperate होने की स्थिति तक पहुंचा दे प्रतिबन्धित होने चाहिए। सम्भवतः सरकार के कानों तक यह आवाज पहुंचेगी और इस पर उचित निर्णय अवश्य ही लिया जाएगा।

■

सत्यम वद–13

असहिष्णुता के सन्दर्भ में भांति–भांति के बयान आ रहे हैं। अखबार में अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि असहिष्णु कौन है। क्या सरकार असहिष्णु है या समाज असहिष्णु है या आतंकवाद की पैरवी करने वालों के विरुद्ध बोलना असहिष्णुता है। आखिर यह असहिष्णुता पिछले एक माह के अन्दर कहाँ से निकली, कैसे उपजी और कैसे एकदम से कैक्टस बन गई। असहिष्णुता का अर्थ यदि आप किसी सामान्य व्यक्ति से पूछे तो वह शायद बता नहीं सकेगा। क्योंकि यह असहिष्णुता बड़ा क्लिष्ट शब्द है और केवल उच्च स्तरों पर स्थापित राजनयिक अथवा साहित्यकार ही इसका प्रयोग करते हैं। साधारण व्यक्ति असहिष्णुता का मतलब यदि आप समझाएंगे तो असहनशीलता मानेगा। असहनशीलता क्या है। आप जिस काम को पसन्द नहीं करते हैं। यदि उस काम को कोई बार–बार आपको चिढ़ाने के लिए करे तब एक समय ऐसा आएगा। जब आपकी सहनशीलता जवाब दे जाएगी और तभी आप असहनशील हो जाएंगे। जहाँ अखबारों में छपे समाचारों का प्रश्न है, बिसाहड़ा कांड में गौहत्या की अफवाह पर अखलाक की जो हत्या की गई। उससे असहिष्णुता उत्पन्न हुई है। एक समुदाय गाय की पूजा करता है और दूसरा समुदाय उसको काटने में गर्व अनुभव करता है, जो गाय की पूजा करता है। वह यदि गाय का कटना सहन नहीं करता। गौहत्या के विरुद्ध बोलता है तो उसे असहिष्णु कहा जाता है और जिसने गाय काटी है। उसको कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि प्रचलन ऐसा हो गया है कि हम हर दोष बहुसंख्यक पर रखेंगे और अल्पसंख्यक का तुष्टिकरण करेंगे। सन

1947 से तथाकथित अल्पसंख्यकों का तुष्टिकरण हो रहा है। महात्मा गाँधी भारतवर्ष के आंगन में तुष्टिकरण को कैक्टस की तरह से बो गए हैं और यह फलफूल रहा है। अल्पसंख्यकों का ही नहीं, सभी का तुष्टिकरण करने का दायित्व सरकार का है और मजबूरी बहुसंख्यकों की है। रेलवे के कर्मचारी हड़ताल करते हैं। बीमा कार्यालय के कर्मचारी हड़ताल करते हैं, सरकारी कार्यालयों के प्रशासनिक अधिकारी हड़ताल करते हैं, रिक्शा चालक, बस चालक यहाँ तक की कोई भी संस्था हड़ताल करती है तो सरकार उनका तुष्टिकरण करने का प्रयास करती है। आन्दोलन होते हैं। सरकारी सम्पत्ति में तोड़–फोड़ होती है, आगजनी होती है। और इस आन्दोलन में कुछ लोग मरते हैं, उनका भी तुष्टिकरण किया जाता है अर्थात् मरने वाले के परिवार को मुआवजा दिया जाता है। मरने वाले ने कितनी तोड़–फोड़ की कितनी सरकारी सम्पत्ति में आग लगाई। इसका कोई हिसाब नहीं लगाता और यही असहिष्णुता है। जिसने तोड़–फोड़ की उसने मोटे–मोटे शब्दों में और क्लिष्ट भाषा में असहिष्णुता का कार्य किया। और साधारण भाषा में असहनशीलता का कार्य किया। इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि यदि किसी ने प्रतिक्षा नहीं की और वह जो चाहता था नहीं पा सका तो वह भी असहनशील हो जाता है। वस्तुतः देखना यह आवश्यक है कि कोई व्यक्ति असहिष्णु अथवा असहनशील क्यों हुआ। यदि उसके मन्तव्य और वांछनीयता पर रोक न लगाई जाती। तो वह असहिष्णु नहीं होता। उसे रोक सहन नहीं हुई इसलिए वह असहनशील हो गया।

अभी आजम खां साहब ने एक बात कहीं की हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो असहिष्णु किसे कहेंगे, जिसने क्रिया की उसको अथवा जिसने प्रतिक्रिया की उसे। असहिष्णु कौन है यह तय करना बड़ा मुश्किल है। जिसने क्रिया की वह असहिष्णु है अथवा जिसे उस क्रिया

से दुख पहुंचा वह असहिष्णु है। क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी ही किन्तु असहिष्णु कौन है यह तय करना मुश्किल होगा। अतः इस शब्द को परिभाषित करने के चक्कर में न पड़ा जाए और कानून को अपना काम करने दिया जाए। आजम खां साहब मोदी जी को लगातार अपशब्द बोल रहे हैं। क्या यह असहिष्णुता नहीं है। क्या वह मोदी जी को पसन्द नहीं करते और इसलिए सहन नहीं कर पा रहे। अभी जंगल में एक बैल कटा हुआ मिला और गाय के पैर बँधे हुए मिले। जिन्होंने यह कृत्य किया उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। असहिष्णु कौन जिसे गाय या बैल का जिन्दा देखना गँवारा नहीं हुआ अथवा जो गाय या बैल का मांस खाने की अपनी इच्छा को दबाना सहन नहीं कर सका अथवा वह लोग हैं, जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची और उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गहरे तक जाइए तब भी आप असहिष्णुता का अर्थ नहीं समझ सकेंगे और यह निश्चित करना अत्यन्त कठिन होगा कि असहिष्णु कौन है। छोटी–छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं और उनकी हत्या कर दी जाती है। असहिष्णु कौन है, जो अपनी कामवासना को सहन नहीं कर सका और उसे पूरा करने के लिए दुष्कर्म तो किया ही पकड़े जाने के डर से बच्ची को मार भी दिया अथवा असहिष्णु वह लोग है जिसने दुष्कर्मी को पकड़ लिया और पीट–पीट कर मार डाला अथवा ऐसी असहिष्णु वह पुलिस है, न्याय प्रक्रिया है, प्रशासन है, कौन है, जो आरोपियों को गिरफ्तार करता है फिर सजा दिलाता है।

बड़ा विचित्र है शब्दों का खेल और उससे भी अधिक विचित्र है शब्दों से खेलने वालों का आचरण। हमारा एक आचरण दूसरे को सहन नहीं होता। और हमें अपने आचरण पर लगाम लगाना सहन नहीं होता। तो असहिष्णु किसे कहेंगे। क्या वर्तमान में इस असहिष्णुता शब्द का सहारा लेकर कलाकारों, फिल्मकारों, साहित्यकारों का सम्मान वापस

करना असहिष्णुता नहीं है। किस बात से उन्हें दुख पहुँचा, कौन सी बात उन्हें सहन नहीं हुई, जिस कारण सरकार द्वारा दिए गए सम्मान वापस करने की नौबत आ गई। सन 1947 में देश का बंटवारा हुआ, कत्लेआम हुए। जनसंख्या के आधार पर बंटवारे के बाद भी गांधीजी ने अल्पसंख्यकों को रोक लिया। गाँधी जी को अल्पसंख्यकों का जाना और हिन्दुस्तान का बंटवारा सहन नहीं हुआ। और गौडसे को गांधी जी का अल्पसंख्यको को रोकना सहन नहीं हुआ। असहिष्णुता ने जन्म ले लिया। परिणाम गोडसे को फाँसी और गांधी जी का निधन यह असहिष्णुता सन 1962 के, सन 1971 के युद्ध के समय कहाँ थी। ■

सत्यम वद–14

सलमान खान पर लगे सभी आरोप निराधार सिद्ध हुए और उनको आरोपों से बरी कर दिया गया। यदि आरम्भ से देखे तो जिस दिन तथाकथित दुर्घटना हुई थी उस दिन ही निर्णय भी हो गया था वस्तुतः ऐसी कई बातें हैं, जिनके कारण सलमान खान को बरी होना ही था। दबंग तो वह हैं ही। उनके प्रशंसक भी मुम्बई में बहुत हैं और उनमें न्याय से सम्बन्धित लोग भी होंगे। मुकदमा 13 वर्ष तक लम्बा खीचा उसका तात्पर्य ही यह है कि मुकदमा कमजोर हो जाए। गवाह मर जाएँ। गवाहियाँ नष्ट हो जाएँ, जो खरीदा जा सकता है, खरीद लिया जाए और मुकदमा अपने पक्ष में कराने का जो भी प्रयास हो सके वह किया जाए। विरोधाभासी गवाहो और गवाहियों के बीच में सन्देह पैदा होना स्वाभाविक है और सन्देह का लाभ हमेशा आरोपी को मिलता है। मरने वाले को नहीं मिलता। यदि सलमान खान ने फुटपाथ पर सोए लोगों पर गाड़ी नहीं चढ़ाई थी और उसमें एक मौत तथा चार घायल नहीं हुए थे तो भारत के खुफिया तन्त्र को यह तो पता लगाना ही चाहिए कि फिर वह आदमी मरा तो कैसे मरा। जो घायल हुए थे, वह कैसे घायल हुए। सलमान खान के बॉडीगार्ड ने जो बयान दिया उसके मुकाबले सलमान खान के ड्राइवर का बयान क्यों सच माना गया। निचली अदालत ने सुनाई थी पाँच साल की सजा। और सजा सुनाने के तुरन्त बाद ही पिछले दरवाजे से जमानत हो गई थी। तभी तय हो गया था कि मुकदमा कमजोर है। अभियोजन पक्ष में भी मनुष्य ही होते हैं और मानवजनित कमजोरिया उनमें भी होती हैं फिर अभियोजन पक्ष के लोग भी दबंगों से डरते हैं। उनके

प्रशंसकों से डरते हैं। अदालत पर भी इस बात का दबाव पड़ सकता है कि यदि सलमान को सजा हो जाती तो हो सकता था उनके प्रशंसक तोड़–फोड़ करते आन्दोलन करते और तब देश का ज्यादा नुकसान होता। इस तरह एक प्रकार से अदालत ने जन–धन की हानि को बचा लिया। निर्णय बिलकुल सटीक है उसकी आलोचना या उसमें कमी केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही यदि चाहे तो ढूँढ सकता है। व्यक्ति विशेष को यह अधिकार नहीं है कि वह निर्णय की आलोचना करे। अभियोजन पक्ष ने केस को अच्छी तरह से प्रस्तुत नहीं किया। गवाह और गवाहियाँ 13 साल में जर्जर हो चुकी थीं सलमान खान करोड़ों रूपये खर्च करने की स्थिति में थे क्योंकि 13 साल में जब वह संगीन धाराओं में मुकदमा होने पर भी जेल से बाहर रहे तब भी फिल्मों में काम करके करोड़ों कमा रहे थे। अतः ऐसे कमाऊ पूत को जो देश को धन–सम्पदा दे रहा है, अपनी आय पर आयकर दे रहा है, उसे सजा तो होनी ही नहीं थी और यदि सजा से मुक्ति न्यायोचित है तो बहुत अच्छा हुआ और अगर सजा गलत माफ की गई है तो ईश्वर की अदालत में न्याय होगा। मनुष्य के हाथ से तो जो होना था वह हो गया। यह भी पूरी सम्भावना है कि काले हिरण की हत्या के केस में भी सलमान खान बरी हो जाएँगे क्योंकि वह मुकदमा भी कई साल से चल रहा है। हमें धैर्य तथा न्याय प्रक्रिया पर विश्वास रखना चाहिए। यह एकदम आश्चर्यजनक है कि एक आदमी मरा चार घायल हुए किन्तु अदालत यह तय नहीं कर सकी कि यह दुर्घटना किसने की।

संसद में फिर गतिरोध चल रहा है। वस्तुतः संसद में पाँच साल तक यही चलेगा। क्योंकि कमजोर सरकार दृढ़ निश्चय वाला निर्णय नहीं ले सकती। नेशनल हेराल्ड मामले में यह सुनिश्चित है कि यदि आरोपी व्यक्ति मुकदमा हार जाते हैं तो उन्हें जेल जाना होगा।

इसीलिए वह कानूनी कार्यवाही को भी बदले की कार्यवाही कह रहे हैं। भला कानून में बदले का क्या तात्पर्य। काँग्रेस संसद को बाधित करके अपने लिए अगले सत्र में संसद में जीत सुनिश्चित कर लेगी ऐसा नहीं लगता। जनता के मन में संसद बाधित करने वालों के प्रति कोई सम्मान नहीं है। जनता इस बात से दुखी है कि संसद के कामकाज में अवरोध क्यों उत्पन्न किया जा रहा है। काँग्रेस का बदले की कार्यवाही कहकर असली मुददे पर कुछ न बोलना। यह सिद्ध करता है कि कहीं न कहीं दाल में काला अवश्य है। वैसे भी सुब्रह्मण्यम् स्वामी देश के वफादार रहे हैं। काँग्रेस से उन्हें कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हाँ, दोषी व्यक्ति को सजा मिले। ऐसा प्रयास वह अवश्य करते हैं और इसी के फलस्वरूप उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामला उठाया है। वस्तुतः काँग्रेस को कोई न कोई बहाना चाहिए जिससे वह संसद को बाधित करती रहे और पांच वर्ष पूरे होने के पश्चात जनता से यह कह सके कि भाजपा सरकार ने पूर्ण बहुमत में होते हुए भी देश में कोई कार्य नहीं किया। काँग्रेस यह नहीं जानती कि जनता सब देख रही है। जनता समझ रही है कि नेशनल हेराल्ड मामले में हंगामा क्यों हो रहा है। हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि काँग्रेस को अपना पक्ष नेशनल हेराल्ड मामले में कमजोर नजर आ रहा है। हंगामा वही व्यक्ति करता है, जो कमजोर होता है। ताकतवर व्यक्ति कानून के अनुसार चलता है और न्याय प्रक्रिया की प्रतीक्षा करता है। काँग्रेस एक प्रकार से नेशनल हेराल्ड मामले में हंगामा करके यह सिद्ध करने की कोशिश भी कर रही है कि उसे इस मामले में सम्भवतः न्याय की कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा जहाँ वह अपने आपको शायद दोषमुक्त सिद्ध न कर सके। अतः मामले में हंगामा करके अदालत को भी प्रभावित करने का प्रयास है और सरकार पर भी दबाव बनाने का प्रयास है। किन्तु इन बातों से कोई लाभ होने

वाला नहीं है। भारत की न्याय पालिका सक्षम है, स्वतंत्र है तथा स्वयंभू है। वह जो भी निर्णय देगी, वह निष्पक्ष ही होना चाहिए। और काँग्रेस को न्यायपालिका पर विश्वास होना चाहिए। काँग्रेस अपना सबकुछ खो चुकी है इसलिए वह संसद को बाधित कर रही है। क्योंकि काँग्रेस जानती है कि संसद बाधित करने से यदि जनता नाराज भी होगी तो अब उसके पास क्या है, जो जनता छीनेगी। समाज में सम्मान, संसद में स्थान अब कुछ भी काँग्रेस के पास नहीं है। जो काँग्रेस के सिपहसलार हैं, वह भी जानते हैं कि भविष्य में उन्हें शायद संसद में भी स्थान नहीं मिलेगा। अतः सारी उम्मीद छोड़कर हंगामा करने पर तुले हुए है, जिससे कम से कम मन की भड़ास तो निकल जाए। जो दूसरे की नहीं सुनता केवल अपनी ही बोलता रहता है, उसे लोग बुद्धिमान नहीं कहते और उसकी बात पर विश्वास नहीं करते, जो सबकी सुनता है। और सबकी सुनने के बाद उचित निर्णय लेता है और सटीक बोलता है, जनता उस पर विश्वास करती है। संसद में हंगामा करके काँग्रेस का बचा–कुचा सम्मान भी नष्ट हो सकता है।

कमलेश तिवारी के तथाकथित बयान पर मुस्लिम समाज में उबाल है। जगह–जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, आन्दोलन हो रहे हैं, कमलेश तिवारी का सर काटने वाले को ईनाम का ऐलान हो चुका है। कमलेश तिवारी गिरफ्तार हो चुके हैं। तथा कमलेश तिवारी के विरुद्ध मुकदमा भी कायम हो गया है। फिर वही बात आती है कि क्या मुस्लिम समुदाय को न्याय प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। जो आन्दोलन किया जा रहा है अथवा शक्ति प्रदर्शन करना ही एकमात्र उद्‌देश्य है। आजम खां भारत के प्रधानमंत्री को हर बार अपशब्दों से सम्बोधित करते हैं। मुस्लिम समाज को तब कोई उबाल नहीं आता। कोई कार्यवाही फ्रांस में होती है। भारतवर्ष का मुस्लिम समाज उबल जाता है। कार्यवाही

डेनमार्क में होती है, प्रतिक्रिया भारतवर्ष में होती है। स्व. पेन्टर मकबूल फिदा हुसैन ने भारतवर्ष के देवी--देवताओं के अमर्यादित चित्र बनाए थे। मुस्लिम समाज ने उसका विरोध नहीं किया। आखिर इतना असहिष्णु मुस्लिम समाज क्यों है। कमलेश तिवारी ने अनुचित बात कही है, जो नहीं कहनी चाहिए थी। और इसके लिए उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही आरम्भ हो गई। कानूनी निर्णय की प्रतीक्षा करना ही एकमात्र उचित उपाय है। आन्दोलन, प्रदर्शन कोई उपाय नहीं है। जहाँ तक शक्ति प्रदर्शन की बात है। मुस्लिम समाज में एकता बहुत है और इसी कारण से जरा सी कोई बात होती है तो धरने प्रदर्शन आरम्भ हो जाते है। यदि बात सहिष्णुता और असहिष्णुता की देखी जाए तो यह धरने प्रदर्शन असहिष्णुता की श्रेणी में ही आते हैं। सहिष्णुता की नहीं। भारतवर्ष पर आतंकी हमले लगातार हो रहे हैं। आज से पहले कभी भी मुस्लिम समाज ने इन आतंकी हमलों की निन्दा नहीं की। कश्मीर में कितने पंडित मार दिए गए। कितनी कन्याओं का अपहरण हुआ। मुस्लिम समाज कभी विचलित नहीं हुआ। अब अवश्य ही कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने उन बातों की बुराई करनी आरम्भ कर दी है, जो वस्तुतः बुरी हैं। कमलेश तिवारी के मामले में उसके सर कलम करने वाले को ईनाम देने की घोषणा करना भी अपने–आपमें एक अपराध है, जिसका संज्ञान अगर प्रशासन या न्यायालय लेता है। तो फिर आन्दोलन होगा। फिर प्रदर्शन होंगे। परिणाम क्या होगा। केवल समाज में उथल–पुथल, केवल सामाजिक अस्थिरता, जो झगड़ें में भी परिवर्तित हो सकती है। अतः ऐसे आन्दोलन और प्रदर्शनों पर रोक लगनी आवश्यक है और यह रोक स्वयं हमें अपने ऊपर लगानी होगी। सरकार इस पर रोक लगाए। यह वोट और तुष्टिकरण की राजनीति में सम्भवः नहीं है।

■

सत्यम वद–15

भारत में रहने वाले भारत का नमक खाने वाले भले ही वह विदेशी क्यों न हो यदि भारत को मुर्दाबाद और पाकिस्तान को जिन्दाबाद कहते हैं, तो वह देशद्रोही हैं। देशद्रोह की परिभाषा में देश का अपमान सन्निहित है, देश के नेताओं को गाली देना सन्निहित है। काश्मीर में आजादी की माँग करना और पाकिस्तानी समर्थक नारे लगाना देशद्रोह है, जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी काँग्रेस की देन है और इसीलिए राहुल गाँधी देशद्रोही छात्रों के साथ उनके धरने में सम्मिलित हुए। इसीलिए काँग्रेस के नेता देशद्रोही छात्रों के समर्थन में छात्रों की आवाज न दबाने वाली बात कर रहे हैं। काँग्रेस का सिद्धान्त बन गया है कि भले ही देश का अहित हो, भले ही जनता का अहित हो, लेकिन हर उस बात का विरोध करो, जो भाजपा कर रही है। एक–दो जगह निकाय चुनाव में जीतने से तथा उपचुनाव में जीतने से काँग्रेस के हौंसले बुलन्द हो रहे हैं। आज के (दि.18.2.16) बिजनौर टाइम्स के मुख पृष्ठ पर छपा है कि राहुल गाँधी के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। अवश्य ही कोई जगमोहन लाल सिन्हा जैसा जज इस मामले में निष्पक्षता से फैसला देगा। 24 घण्टे मोदी सरकार की आलोचना करना, सरकारी कार्यो में बाधा डालना जिस पार्टी का उद्‌देश्य है, उसको जनता बर्दाश्त करना बन्द कर दे। देशद्रोहियों को किसी भी कीमत पर माफी नहीं मिलनी चाहिए बल्कि फाँसी की सजा होनी चाहिए। मैं मोदी सरकार से भी यह अपील करूंगा कि इस मामले में सख्ती से निपटना आवश्यक है। क्योंकि हर मामले में दरियादिली दिखाना उदारतापूर्ण नीति रखना

देशहित में नहीं है, जो अफजल गुरू को दी गई फाँसी का विरोध करता है और अब फाँसी दिए जाने के कई साल बाद उस मुद्दे को उछाल कर देश में बबाल करता है। वह देशद्रोही है। पहले भी कुछ कश्मीरी विद्यार्थियों ने इसी प्रकार के नारे लगाए थे। किन्तु उनके साथ उदारतापूर्ण नीति अपनाने से पुनः उसकी पुनरावृत्ति हुई है। यदि पहले ही उन छात्रों के साथ उदारतापूर्ण नीति न रखी होती तो यह बवाल न होता। हमें चीन की तरह सख्ती के साथ हर बाधा से निपटना होगा और जिस दिन जनता यह समझ जाएगी कि सरकार सख्ती से निपटना जानती है, उस दिन इस तरह के कारनामे बन्द हो जाएँगे। काश्मीर में आई.एस.आई.एस. के झण्डे लहराना, पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाना और काश्मीर को पाकिस्तान का अंग बताना सब देशद्रोह में सम्मिलित हैं। इन सबके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए बल्कि यदि काश्मीर में आई.एस.आई.एस. के झण्डे लहराने वालों को और पाकिस्तान जिन्दाबाद का नारा लगाने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए जाएँ तब ज्यादा उचित होगा। प्रधानमंत्री को गाली देने वाले की जबान काटनी आवश्यक है। काँग्रेस का यह कहना कि छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश न करें सरकार। नाकाबिले बर्दाश्त है। हर किसी को, हर कुछ कहने की छूट नहीं होनी चाहिए। यह हमारी उदारतापूर्ण नीति का परिणाम है कि जिसके जी में आए वह देश विरोधी नारे लगाने लगता है, शत्रु के झण्डे फहराने लगता है। और प्रधानमंत्री को अपशब्द बोलने लगता है। क्यों नहीं हम चीन की तरह से ऐसे लोगों से सख्ती से नहीं निपटते। प्रत्येक बात की एक सीमा होती है, अब समस्त सीमाएँ समाप्त हो चुकी हैं। विपक्षी दलों को समझ जाना चाहिए कि हर किसी को कुछ भी करने की छूट नहीं मिल सकती। सरकार को सख्ती से निपटने का कानून बनाना ही होगा। स्वतन्त्रता की अभिव्यक्ति

का तात्पर्य यह नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री को शैतान कहता है, कोई हत्यारा कहता है, स्वतन्त्रता की अभिव्यक्ति का मतलब है, बात कहो किन्तु शालीनता के साथ, सभ्यता के साथ।

जम्मू काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। मैं पिछले कई वर्षो से यह कह रहा हूँ कि अगर जम्मू काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तो वहाँ पर भिन्न–भिन्न कानून क्यों हैं। क्यों भारत के सारे कानून वहाँ लागू नहीं होते। क्यों कश्मीर में भारत के अन्य प्रान्त में रहने वाले व्यक्तियों को सम्पत्ति खरीदने की आज्ञा नहीं है जबकि भारत के अन्दर प्रत्येक कश्मीरी को सम्पत्ति खरीदने की छूट है, व्यवसाय करने की छूट है। धारा 370 काश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानने में बाधा है, यह बाधा दूर होनी चाहिए। आए दिन काश्मीर में पाकिस्तानी झण्डे लहराए जाते हैं, पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, काश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया जाता है और हम, हमारी फौज, जिसके हाथ बँधे हुए हैं, मूकदर्शक की तरह से झण्डा फहराने वालों को केवल मात्र देखती रहती है, जो सर्वथा अनुचित है। जो भारत के विरोध में नारे लगाए, जो वहाँ आई.एस.आई.एस. के समर्थन में झण्डे फहराये पाकिस्तान के समर्थन में झण्डे फहराये उनको देखते ही गोली मारने का आदेश होना चाहिए। मालदा में जो भी हुआ वह दुखद आश्चर्यजनक और भयावह है भीड़ ने पुलिस को निशाना बनाया, सरकारी सम्पत्ति फूंकी, गाड़ियों में तोड़फोड़ की और कोई रूकावट नहीं की गई। क्या वोट की राजनीति में जनता की सुरक्षा आवश्यक नहीं है। क्या केवल वोट नहीं मिलने के डर से हम उपद्रवियों को, उग्रवादियों को, आतंकियों को, दुष्कर्मियों को, देशद्रोहियों को देखते ही गोली मारने का आदेश नहीं दे सकते। क्या सत्ता हमारे साथ जाएगी। क्या कुर्सी और भारतवर्ष की संसद किसी एक व्यक्ति की बपौती है। क्या कारण है कि हम सबको मनमानी करने की छूट

दे रहे हैं। कमलेश तिवारी का मामला जगह–जगह आन्दोलन हुए, उसका सिर काटने का फरमान जारी हो गया। सिर काटने वालों को ईनाम देने की घोषणा हो गई। क्या इसे अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता कहेंगे या सरकार की कायरता कहेंगे। या वोट की राजनीति में अल्पसंख्यकों का विशेष प्रभाव कहेंगे। आखिर क्या डर है, जिसकी वजह से हम उपद्रवियों को उपद्रव करने से नहीं रोक सकते। सैकड़ों गाड़ियाँ तोड़ दी जाती है, सरकारी सम्पत्ति में आग लगा दी जाती है। लेकिन हम मूकदर्शक बने देखते रहते हैं। हम चीन की तरह सख्त कानून क्यों नहीं बना सकते। क्या केन्द्र या प्रान्तों की सरकारें यह समझती हैं कि सख्त कानून बनाने से जनता उनसे नाराज हो जाएगी। और मरने पर जो उनके साथ कुर्सी जाने वाली थी, अथवा सत्ता जाने वाली थी अथवा जमीन जाने वाली थी, अथवा सम्पत्ति जाने वाली थी, वह नहीं जा पाएगी। शर्म आनी चाहिए सत्तासीन व्यक्तियों को यह सत्ता किसी के साथ नहीं जाती है। सिकन्दर खाली हाथ गया था। बड़े–बड़े तानाशाह जिन्होंने सारी पृथ्वी को जीत रखा था वह जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो केवल उनके अच्छे कार्य याद किए गए। बुरे कार्यो की भर्त्सना की गई और सारी सम्पत्ति, सारी भूमि, सारी सत्ता यहीं रह गई। सरकार को निडर होकर कानून बनाना चाहिए। समान आचार संहिता लागू करनी चाहिए। तभी देश का कल्याण हो सकता है तभी आतंकवाद रूक सकता है, तभी मालदा जैसी घटनाएँ रूक सकती है, तभी कमलेश तिवारी को फाँसी देने के नाम पर चल रहे आन्दोलनों पर काबू पाया जा सकता और सरकारी सम्पत्ति को बचाया जा सकता है।

आन्दोलन के नाम पर याद आया जाट आरक्षण आन्दोलन बेकाबू हो रहा है। रोज गर्जनाएँ हो रहीं हैं। धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। जाट आरक्षण चाहते हैं। जाट जो कि एक क्षत्रिय कौम है, जिस पर देश की

रक्षा का भार है, जो एक बहादुर कौम है। उसको आरक्षण चाहिए। क्यों जाट अपने–आपको आरक्षण की श्रेणी में लाना चाहते हैं। केवल इसलिए कि आरक्षित लोगों को जो सुविधाएँ प्राप्त हैं, वह उनको नहीं हैं। भारतवर्ष में आरक्षण एक कैंसर की तरह बढ़ रहा है, अभी तक यह दिल पर नहीं आया है। इसलिए जिसे देखिए वह आरक्षण माँग रहा है। स्व. अम्बेडकर साहब ने आरक्षण के लिए एक सीमा निश्चित की थी और उसके बाद आरक्षण को समाप्त होने का प्राविधान रखा था। किन्तु धन्य हो हमारी सरकार, जो भी सरकार आई, उसने आरक्षण प्राप्त व्यक्तियों के वोट अपने पक्ष में करने के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ा दी। यह तो ब्राह्मण और वैश्य ऐसी स्वाभिमानी कौम है कि यह आरक्षण कभी नहीं चाहेंगे। वरना तो गुजरात के पटेल भी आरक्षण की माँग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान के जाट भी आरक्षण चाहते हैं। आरक्षण में क्या है। केवल अपमान। स्वयं को दलित कहलाना और दीन–हीन बनकर आरक्षण माँगना। कदापि स्वीकार नहीं होना चाहिए। आवश्यक तो यह था कि सरकार ही आरक्षण को समाप्त कर देती। सबको एक साथ लेकर चलना ही राष्ट्र धर्म है, समान आचार संहिता का मतलब भी यही है। कहीं अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया जा रहा है जबकि अल्पसंख्यक अब अल्पसंख्यक नहीं रहे। कहीं तुष्टिकरण के नाम पर अल्पसंख्यकों के किसी भी राष्ट्र विरोध कार्य को रोकने का प्रयास नहीं किया जा रहा। मोदी जी से आशा थी कि वह अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में भेद नहीं करेंगे किन्तु यह आशा भी धूमिल हो गई, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में भेदभाव जारी है और यह इसी भेदभाव का परिणाम है कि आज अल्पसंख्यक हावी है, कभी कमलेश तिवारी के बयान को लेकर, कभी दादरी की घटना को लेकर, कभी मालदा में, कभी दिल्ली में, कभी मुजफ्फरनगर में आन्दोलन, जलसे, भाषण करता रहता है और हम मूक बने देखते रहते हैं।

कितने आश्चर्य की बात है कि हम भारतवर्ष में बहुसंख्यकों को नजरअन्दाज कर सकते हैं। किन्तु अल्पसंख्यकों को नजरअन्दाज नहीं करना चाहते। वास्तव में बँटवारे में जिनके हिस्से में भारतवर्ष आया था। वह भारतवर्ष में ही नंबर 2 के नागरिक हो गए हैं। समय–समय पर नेताओं के बयान आते रहते हैं कि भारतवर्ष के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। जिनके लिए पाकिस्तान बना था, उनको पाकिस्तान जाने से रोक लिया गया और तब से अब तक प्रत्येक सत्तासीन सरकार तथा प्रत्येक राजनीतिक दल अल्पसंख्यकों को सर पर बैठाए घूमता है। उनकी हर एक मांग को पूरा करने का प्रयास करता है। उनके हर एक आन्दोलन को अनदेखा कर दिया जाता है। कई बार सर कलम करने का ऐलान करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय को प्रत्येक वह सुविधा हासिल है, जो बहुसंख्यक को आसानी से प्राप्त नहीं होती। कब इस तुष्टिकरण की नीति से छुटकारा मिलेगा। कब कोई सरदार पटेल भारत में जन्म लेगा और समान आचार संहिता लागू करेगा। इसकी प्रतीक्षा है। काम मुश्किल नहीं है। दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है, चीन की तरह कानून यहाँ भी बन सकते हैं। लेकिन हमें हौंसला कौन देगा। हमारे निश्चय को दृढ़ता कौन प्रदान करेगा। यही आवश्यक है। प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि सदैव रात ही रहेगी, कभी ना कभी तो दिन निकलेगा ही।

■

सत्यम वद–16

परमपूज्य संविधान के निर्माता बोधिसत्व श्री अम्बेडकर जी की जयन्ती पर सम्भवतः समस्त देश में छुट्टी रही। किन्तु हनुमान जयन्ती पर छुट्टी उत्तर प्रदेश में तो रही नहीं बाकी का संज्ञान नहीं है। वस्तुतः इस समय भारतवर्ष के समस्त राजनैतिक दल श्री अम्बेडकर जी की शरण में हैं। क्योंकि दलित वोट बैंक एक ऐसा बैंक है, जिसके सारे वोट एकमुश्त पड़ते हैं, बँटते नहीं। इसलिए समस्त राजनीतिज्ञ यह चाहते हैं कि श्री अम्बेडकर जी की कृपा हो जाए और समस्त वोट हमें मिल जाएँ इसीलिए अम्बेडकर जी के साथ–साथ दलित नेताओं की भी चरण वन्दना हो रही है। भारतवर्ष का भाग्य देखिए श्री अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म में जो मुख्य शर्तें हैं उनमें सबसे पहली है मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को नहीं मानूँगा। मैं राम और कृष्ण को अवतार नहीं मानूँगा। मैं हिन्दू धर्म के अन्तर्गत किसी देवता की पूजा नहीं करूँगा। हिन्दू धर्म–कर्म को स्वीकार नहीं करूँगा। मैं हिन्दुओं के त्यौहार नहीं मनाऊँगा। इसके अतिरिक्त भी और प्रतिबन्ध हैं, शब्दों का हेरफेर हो सकता है, किन्तु उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि हिन्दू धर्म छोड़ने के साथ–साथ अम्बेडकर जी ने हिन्दु देवी–देवताओं, हिन्दू पूजा, हिन्दू कर्मकाण्ड सभी कुछ छोड़ दिया। यानी हिन्दू तो रहे ही नहीं। हिन्दू धर्म में आस्था भी नहीं रही। विश्वास भी समाप्त हो गया तब जो व्यक्ति ना हिन्दू रहा ना ही हिन्दू धर्म कर्म को मानने वाला रहा। उसकी पूजा हिन्दुस्तान में देवी–देवताओं से भी अधिक की जानी आश्चर्यजनक नहीं है किन्तु दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ तक संविधान निर्माता होने का प्रश्न है। अम्बेडकर जी संविधान समिति के

अध्यक्ष थे तथा उन्होंने एक सीमित अवधि के लिए आरक्षण को संविधान में सम्मिलित किया था तथा धारा 370 का विरोध किया था। इस नाते वह सम्माननीय हैं। किन्तु संविधान निर्माता कहना अतिश्योक्ति है और कुछ नहीं। जब अम्बेडकर जी हिन्दू ही नहीं रहे तो दलित हिन्दू के द्वारा पूजनीय कैसे हो गए। तथाकथित दलित पहले हिन्दू है बाद में कर्मानुसार उसको कुछ भी कहा जा सकता है। यह दलित शब्द भी नेताओं का दिया हुआ है। वरना दलित कोई नहीं है, मनुष्य अपने कर्मानुसार पुकारा जाता है जैसे व्यापार करने वाला कोई भी हो उसको व्यापारी अथवा लाला ही कहते हैं। इसी प्रकार जिलाधीश या तहसीलदार कोई भी हो उसे पदनाम से ही पुकारा जाता है। वर्तमान समय में मान्यताएँ बदल रही हैं। अब व्यक्ति को उसके कर्मानुसार पहचान दी गई है किसी भी व्यक्ति को जन्म से जाति में विभक्त करना धीरे–धीरे लुप्त हो रहा है अतः तथाकथित दलित भी इस बात को पहचाने की अब वह दलित नहीं हैं। अब वह भी वर्मा, राकेश, भारतीय आदि सरनेम लिखने लगे हैं। केवल मात्र दिखाने के लिए ही कुछ लोग अपने नाम के आगे दलित सूचक सरनेम लगा रहे हैं, जो नेता दलित शब्द का प्रयोग करके तथाकथित जनता को बहका रहे हैं। वह अपने स्वार्थवश ऐसा कर रहे हैं। अब देश में कोई दलित नहीं है सब एक समान हैं। कोई वर्मा है, कोई पासवान है, कोई राकेश है, कोई सर्वेश है, कोई भारती है इसलिए अब किसी को दलित कहना उचित नहीं है और अम्बेडकर जी जो बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद न हिन्दू रहे न मुसलमान रहे। उनको दलितों का नेता कहकर पूजना तथाकथित दलितों का अपमान है। अब हम वस्तुतः सब एक हैं आपस में शादी–विवाह हो रहे हैं। बच्चे साथ–साथ पढ़ रहे हैं। अब किसी किस्म का कोई अन्तर नहीं रह गया है, जब रोटी–बेटी का सम्बन्ध होने लगे तो जातिगत भेदभाव भूल जाना चाहिए। संविधान से भी

आरक्षण शब्द समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि यह भेदभाव का द्योतक है। हमें आपस में मिलकर रहना है जहाँ तक छुट्टी का प्रश्न है राजनीतिक दल छुट्टी वोट के आधार पर करते हैं। अब अम्बेडकर जी के नाम पर वोट मिल सकता है और हनुमान जी के नाम पर वोट कौन देगा क्योंकि बहुसंख्यक तो वैसे ही बँटा हुआ है। पूरी तरह भ्रमित है। पूरी तरह दबा हुआ है। पूरी तरह गुमनाम हो चुका है। इसलिए अब हनुमान जयन्ती पर छुट्टी न होना आश्चर्यजनक नहीं है। आश्चर्य उस दिन होगा जब दशहरा पर छुट्टी होनी बन्द हो जाएगी। जब दिवाली पर लक्ष्मी पूजन बन्द हो जाएगा। तथा तब होली पर कोई बहुसंख्यक रंग लेकर नहीं निकलेगा। अभी तो आरम्भ है, अभी तो हनुमान जयन्ती तक ही बात पहुंची है। प्रतीक्षा कीजिए यदि नपुसंकता का परिचय इसी प्रकार दिया जाता रहा। यदि राजनीतिक स्वार्थ और सत्ता इसी प्रकार हावी रहे तो बात हनुमान जयन्ती से लेकर रामनवमी और राम के दशहरे तक पहुँच सकती है। स्वतन्त्रता की अभिव्यक्ति केवल देशद्रोहियों का अधिकार है। देशद्रोही संख्या में कम किन्तु आक्रामक होने के कारण पूरे समाज पर हावी हो जाते हैं और देशभक्त संख्या में अधिक होने के कारण भी अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाते। स्वतन्त्रता की अभिव्यक्ति आजम खां का जन्मसिद्ध अधिकार है। वह कभी भी किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। कोई पूछने वाला अथवा विरोध करने वाला नहीं है। कभी प्रधानमंत्री को हत्यारा कहते हैं, कभी राज्यपाल को डकैतों और बदमाशों का संरक्षक बताते हैं। कभी राष्ट्रपति पर वार करते हैं, कभी राज्यपाल को कुछ भी कह देते हैं और कभी प्रधानमंत्री को प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हैं। यही स्थिति कन्हैया की है, कन्हैया खुलेआम अफजल जैसे व्यक्तियों की तारीफ करता है, उसके कातिलों को जिन्दा बताता है और खुद शर्मिन्दगी महसूस करता है। अफजल के

कातिल कौन हैं। अफजल को फाँसी की सजा की पुष्टि सर्वोच्च न्यायालय ने की थी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध एक शब्द भी बोलना न्यायालय का अपमान है। किन्तु न्यायालय भी समझता है कि किसके शब्दों को अपमान समझा जाए और किसके शब्दों को स्वतन्त्रता की अभिव्यक्ति समझा जाए अतः न्यायालय ने भी कोई संज्ञान कन्हैया के भाषण का नहीं लिया। हम चारों तरफ से अहिंसा/कायरता/नपुंसकता जैसे शब्दों से घिरे हुए हैं। हम कोई संज्ञान नहीं लेना चाहते, जिससे देशद्रोही नाराज हो जाएँ, जिससे अल्पसंख्यक नाराज हो जाए अथवा जिससे तथाकथित दलित नाराज हो जाए। जनता भी समझती है और महान साहित्यकार भी समझते हैं कि अखलाक की मृत्यु पर सम्मान वापस किए जा सकते हैं और डॉ. नवरंग की हत्या पर आँख बन्द करके सोया जा सकता है और सत्ता भी समझती है कि अखलाक की मृत्यु पर आधे करोड़ का मुआवजा, दिल्ली में मकान और उसके पुत्र को नौकरी अल्पसंख्यकों के वोट मिलने का आधार बन सकती है और डॉ. नवरंग की मृत्यु पर भले ही कुछ भी कर दिया जाए लेकिन वोट का आधार नहीं बन सकता। क्योंकि बहुसंख्यक पर से राजनीतिक दलों का विश्वास हट चुका है। बहुसंख्यकों पर राजनीतिक दलों को कोई विश्वास नहीं है। वह इनको बेपेन्दी का लोटा समझते हैं और सच भी है आज अल्पसंख्यक हावी है क्योंकि उसमें एकता है और बहुसंख्यक बँटा हुआ होने के कारण अप्रभावी हो गया है। हैदराबाद की घटना हुई, बेमुल्ला ने आत्महत्या की। घोर कायरता का कार्य है आत्महत्या और आत्महत्या को राजनीतिक रंग दे दिया गया। सम्मानीय राहुल गाँधी ने बेमुल्ला के विचारों को अम्बेडकर के विचारों के समान बताया और श्री थरुर ने कन्हैया को भगत सिंह के समान बता दिया। जय हो काँग्रेस पार्टी की, जय हो राहुल गाँधी की, जिन्होंने सही मायने में देश

की नब्ज को पहचाना है। कब किस देशद्रोही को देशभक्त कहना है और कब किस देशभक्त को देशद्रोही कहना है यह केवल काँग्रेस ही समझती है। अन्य कोई राजनीतिक दल इतनी समझ नहीं रखता इसलिए सीधी सच्ची बात कहता है और तुलसीदास कृत मानस के अनुसार वर्तमान समय में **हंस चुगेगा दाना दुनका, कव्वा मोती खाएगा।** सच होने जा रहा है। आज देशद्रोही नेता बने हुए हैं। स्वतन्त्रता की अभिव्यक्ति के नाम पर गालियाँ बाँटते हैं और देशभक्त डरे–डरे से, मरे–मरे से, भाग्य और भगवान के भरोसे समय काट रहे हैं।

अच्छा समय आने की पूरी आशा है प्रत्येक क्षेत्र में विकास का कार्य हो रहा है। औद्योगिक क्षेत्र प्रगति पर हैं। कृषि केवल सूखे की मार को छोड़कर उन्नति कर रही है। रेलों में यातायात के साधन सुविधाजनक हुए हैं। बसों में भी वृद्धि हो रही है। केवल कुछ एक बिन्दु ऐसे हैं, जो अभी नियन्त्रण में नहीं आए हैं। किन्तु प्रयास चल रहा है। वस्तुतः सरकार कमजोर है अथवा यूँ कहें कि भविष्य से डरती है। इसलिए कोई सख्त कानून नहीं बनाना चाहती और ना कोई सख्त कार्यवाही करना चाहती है। इसीलिए जिन लोगों को दबकर रहना चाहिए था उनके हौंसले बढ़े हुए हैं। न्यायालय भी केवल न्याय करना चाहता है वह भी अपनी कुर्सी से। जनता को जिस न्याय की आशा है, वह नहीं कर पाता। एक व्यक्ति लड़की के ऊपर तेजाब डालता है, उसका चेहरा, उसका शरीर बिगाड़ता है। भाग जाता है। पकड़ा जाता है पुलिस उसे अदालत में पेश करती है। अदालत प्रक्रिया के उपरान्त उसे सजा देती है और येन–केन प्रकारेण निचली या उचली अदालत से उसे जमानत मिल जाती है। वह पीड़ित को और उसके परिवार को धमकाना आरम्भ कर देता है। और कभी–कभी पीड़िता के किसी परिवार के सदस्य पर हमला भी कर देता है। जनता को न्यायालय

से कोई न्याय नहीं मिल पाता। क्योंकि अपराधी की जमानत हो जाती है और मुकदमा इतना लम्बा चलता है कि गवाह दम तोड़ देते हैं अथवा बिक जाते हैं। अपराधी छूट जाता है हौंसले बुलन्द हो जाते हैं। पीड़ित परिवार जीते–जी मर जाता है। गैंगरेप में भी यही होता है। अपराधी पकड़े जाते हैं, पुलिस कार्यवाही करती है, न्यायालय जमानत दे देता है। कभी–कभी अपराधी को नाबालिग सिद्ध करने में उसके परिवार के लोग सफल हो जाते हैं और इस प्रकार वह नाबालगियत का फायदा उठाकर सजा से बच जाता है। जो नाबालिग वह अपराध कर रहा है, जो बालिग द्वारा किए जाने की श्रेणी में आता है, उस पर मुकदमा बालिग मानकर ही चलाया जाना चाहिए। किन्तु न्यायालय भी मजबूर हैं। विधायिका ने जो कानून बनाये हैं, उनमें प्रत्येक में कुछ न कुछ झोल छोड़ दिया जाता है, जिसका लाभ अपराधी उठाते हैं। अपराधी से सभी डरते हैं। और अपराधी भी पहला अपराध करने तक डरता है उसके बाद उसका हौंसला बढ़ जाता है और वह अपराध दर अपराध करता चलता है।

न्यायालय हैं तो न्यायाधीश नहीं हैं। न्यायाधीश हैं, तो कर्मचारी नहीं हैं और यदि सबकुछ है तो अधिवक्ताओं की हड़ताल है। जो काम करने से रोकती है। प्रान्तीय उच्च न्यायालय में लगभग आधे जजों की कमी है। इनकी नियुक्ति पूर्ण संख्या तक कभी नहीं होगी। क्योंकि नियुक्तिकर्ताओं का कोई स्वार्थ इसमें लिप्त नहीं है। आज प्रत्येक व्यक्ति जो सत्तासीन है, केवल वह कार्य करना चाहता है, जिसमें उसे कुछ दिखाई देता हो, जिसमें उसे कुछ प्राप्त होने की आशा हो। जहाँ कुछ प्राप्त होने की आशा नहीं है, वहाँ कोई काम नहीं होता और यही कारण है कि योग्यता होते हुए भी आज न्यायालय रिक्त हैं। मुकदमों की संख्या दिनोदिन बढ़ रही है, करोड़ों मुकदमे लम्बित हैं किन्तु न्यायाधीश नहीं हैं। न्यायालय की प्रक्रिया के सन्दर्भ में कुछ भी

कहना न्यायालय का अपमान है किन्तु इतना अवश्य कहूँगा कि न्यायाधीश निर्णय देते समय वाद को पुर्नप्रेषित न करें। तथ्यों एवं न्याय के आधार पर जो निर्णय उचित हो वही प्रदान करें। यदि जाँच की आवश्यकता हो तो अपने स्तर पर कराए। निचली अदालत पर वाद को प्रेषित करके और बोझा न डाले। किस–किस बात का विवरण दिया जाए किस किस बात पर ध्यान दिया जाए। जो बातें सत्ता को सोचनी चाहिए उन पर हस्तक्षेप भी उचित नहीं है किन्तु न्यायालय को और शासन को मिलजुलकर इस सन्दर्भ में निर्णय लेने चाहिए और यदि कहीं भी जरा सी भी सत्यनिष्ठा बाकी है तो इस 31 दिसम्बर से पहले समस्त न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या पूरी कर दी जानी चाहिए और इसके अतिरिक्त 5 प्रतिशत न्यायाधीश चयनित करके रिजर्व में रखने चाहिए। ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनसे भी काम लिया जा सके। विलम्बित न्याय अन्याय के समान होता है। कब समझ में आएगी यह बात उच्च न्यायालयों की और विधायिका की। इसकी प्रतीक्षा है।

■

सत्यम वद–17

बहुत निर्भीक और आत्मविश्वासी व्यक्ति ही सत्य बोल सकता है। प्रत्येक व्यक्ति न सत्य बोल सकता है और न सत्य को सहन कर सकता है। कल प्रातःकालीन भ्रमण के समय मेरे एक मित्र जो भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता है। मुझे मिले और मुझे रोककर उन्होंने यह कहा– कि आजकल मेरे घर पर पुताई व निर्माण का कार्य चल रहा है, पुताई करने वाला तथाकथित अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई है, राज, मजदूर, बढ़ई तथा लोहे की ग्रिल बनाने वाला यह सभी तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। उन्होंने कल कहा कि बाबूजी आपके कितने बच्चे हैं? तो मेरे मित्र ने जवाब दिया कि दो बच्चे हैं, एक विदेश में है, और एक गुड़गाँव में हैं। राज, मजदूरों ने पूछा कि आपका कौन सा बच्चा यहां आकर आपके साथ इस मकान में रहेगा तो मेरे मित्र कुछ असहज हो गए और उन्होंने कहा कि भाई पता नहीं कौन रहेगा आकर कौन नहीं अमेरिका वाला तो आने वाला नहीं है और गुड़गाँव वाले ने वहीं पर मकान बना लिया है। राज, मजदूरों ने कहा बाबूजी ऐसा लगता है कि इस मकान में 15–20 साल बाद हम ही रहेंगे। क्योंकि आपके तो दो पुत्र हैं और वह दोनों भी बाहर हैं हमारे प्रत्येक के 8 से 10 तक बच्चे हैं। आपके बच्चे तो आएंगे नहीं और हमारे बच्चे कहीं जाएंगे नहीं तो जाहिर है कि एक दिन इस मकान पर हमारा ही नाम लिखा जाएगा। मेरे मित्र को उनकी बात कुछ समझ में नहीं आई और वह हँस कर टाल गए किन्तु मैंने पूरे 24 घण्टे विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि राज, मजदूरों का कथन बिलकुल सटीक है। वर्तमान में हिन्दुओं ने यह कसम खा रखी

है कि प्रत्येक घर में दो बच्चे एक लड़का व एक लड़की चाहिए। अधिक नहीं और तथाकथित अल्पसंख्यक वर्ग को यह बताया जाता है कि अधिक से अधिक बच्चे पैदा करो क्योंकि यह कुदरत की नियामत है। हमारे देश का कानून जो परिवार नियोजन के नाम से बड़े गम्भीर रूप से चलाया गया उसमें भी तथाकथित मुस्लिम अल्पसंख्यकों को छूट है। हिन्दुओं को छूट नहीं है। पता नहीं हमारे नेता तुष्टिकरण के नाम पर वह सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, जो देशहित में नहीं है। क्यों वह चीन से सीख नहीं लेते। जहां कानून पूरे देश के लिए एकसमान बनता है। हमारे भारत में प्रान्तों–प्रान्तों के कानून अलग, समाज के कानून अलग हैं। प्रत्येक धर्म और मजहब के नाम पर कानून अलग है। मंदिरों का कानून अलग और मस्जिद का कानून अलग है। परिवार नियोजन जो वर्तमान समय में एक गम्भीर मुद्दा है कम से कम यह तो समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। वर्ना राज, मजदूरों की कहीं हुई बात सत्य साबित हो जाएगी और एक दिन हिन्दुओं के हर मकान पर तथाकथित मुस्लिम अल्पसंख्यकों का कब्जा हो जाएगा। स्थिति का अध्ययन कीजिए तो पता चलेगा कि अधिकांश सम्पत्तियाँ जो बिक रही हैं, उन्हें तथाकथित मुस्लिम अल्पसंख्यक खरीद रहे हैं। घने बसे हुए हिन्दुओं के मोहल्ले में बिलकुल निर्भीक भाव से तथाकथित मुस्लिम अल्पसंख्यक जाकर सम्पत्ति खरीद लेता है और वहां रहने लगता है। लेकिन घने बसे मुस्लिम अल्पसंख्यकों के मुहल्ले में किसी भी हिन्दू की सम्पत्ति खरीदने की हिम्मत नहीं होती। आज बाजार को देखिए तो 60 प्रतिशत दुकानें तथाकथित अल्पसंख्यक मुस्लिमों की हैं। हिन्दुओं के हाथ से कारोबार छिन रहा है और तथाकथित मुस्लिम अल्पसंख्यक कारोबार पर हावी हो रहे हैं। सम्भवतः वह दिन दूर नहीं है जब राज, मजदूरों की बातें सच साबित हो जाएंगी और हिन्दुओं को पुनः एक

बार वही त्रासदी झेलनी पड़ेगी जो सन 1947 में झेली थी, अगर हमारे नेतागण सचेत ना हुए और परिवार नियोजन का कानून समान रूप से सभी नागरिकों पर लागू नहीं हुआ तो वह सच सामने आएगा, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि अल्पसंख्यकों के परिवार में भयंकर रूप से वृद्धि होती जाएगी और बहुसंख्यकों के परिवार सुकड़ते चले जाएंगे। एक दिन यह होगा कि भारतवर्ष में 70 प्रतिशत वर्तमान के तथाकथित अल्पसंख्यक और 30 प्रतिशत वर्तमान के बहुसंख्यक रह जाएंगे। सोचिए फिर क्या होगा।

मन में प्रश्न उठता है कि वह क्या कारण थे कि जनसंख्या के आधार पर देश का बंटवारा होने के बाद भी मुस्लिम समुदाय को भारतवर्ष में ही रोक लिया गया। गांधीजी ने अनशन कर दिया। और प्रत्येक तौर से यह प्रयास किया विश्वास दिलाकर समाज में भ्रांति फैलाकर कि मुस्लिम समुदाय को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। और उन्हें भारतवर्ष में ही रहना चाहिए क्योंकि भारतवर्ष ही उनका जन्मस्थान है। यदि ऐसा ही था तो जनसंख्या के आधार पर बंटवारा क्यों स्वीकार किया गया। क्या देशहित में मुस्लिम नेता स्व. जिन्ना की बात मानना उचित नहीं था। यदि स्व. जिन्ना को देश का पहला प्रधानमंत्री बना दिया जाता तो देश का बंटवारा नहीं होता और यह देशहित में होता बंटवारे के बाद जो कत्लेआम हुआ उससे मुस्लिम समुदाय और अधिक आक्रामक हो गया तथा हिन्दू समुदाय जो पहले से ही अहिंसा परमो धर्म का अनुयायी था और अधिक डर गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों को जाने से रोक लिया गया और रोक ही नहीं लिया गया जब से रोका है तब से आज तक उनको प्रत्येक राजनेता यह विश्वास दिलाने का प्रयास करता है कि हम तुम्हारे हैं। हिन्दुस्तान तुम्हारा है। यहां ही हर सुख–सुविधा पर पहला अधिकार तुम्हारा है। तुम्हारा हर कानून देश के अन्दर माना जाएगा। तुम्हें कोई गाली भी देगा तो उसे हम

साम्प्रदायिक कहकर जेल में बन्द कर देंगे। और तुम कुछ भी कहोगे उसे हम स्वतन्त्रता की अभिव्यक्ति कहकर हँसकर टाल देंगे। ऐसे–ऐसे कानून बनाना चाहेंगे जिनसे तुम्हारा हाथ सदैव ऊपर रहे तुम्हारे विरुद्ध कोई एक शब्द भी बोले तो उसे तुरन्त गिरफ्तार कर लिया जाए उसे सजा दी जाए और तुम अगर किसी को मार भी दो तो भी तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की जाए। किसी भी हादसे में तुम्हारा कोई व्यक्ति यदि मारा जाता है या मर जाता है या आत्महत्या कर लेता है तो उसे लाखों रुपये का मुआवजा दिया जाएगा उसके परिवार के सदस्यों को विशेष दर्जा दिया जाएगा। नौकरियाँ दी जाएंगी और यदि बहुसंख्यक समाज का कोई व्यक्ति मरता है, मारा जाता है या आत्महत्या करता है तो यह साधारण सी बात समझकर लाख–पचास हजार का मुआवजा ही दिया जाएगा। हर मामले में तुम्हें तरजीह दी जाएगी। तुम्हारी मस्जिदों की सुरक्षा पूरी तरह से की जाएगी और अगर कोई मन्दिर टूटता है तो उसमें तुम पर कोई आक्षेप नहीं आएगा। तुम्हारे मजहब के मामले में तुम्हें पूरी छूट दी जाएगी। परिवार नियोजन जैसे कानून तुम्हारे लिए नहीं होंगे। ये हिन्दुओं पर लागू होंगे और राजनैतिक स्तर पर प्रत्येक सम्मान तुम्हारे लिए खुला होगा। तुम्हारे समुदाय का कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में यदि थोड़ा सा भी काम करता है तो उसे पद्म सम्मान दिए जाएंगे। राजनैतिक संस्थान से आर्थिक सहायताएं दी जाएंगी। यकीन मानो तुम्हारा तुष्टिकरण पूरी तरह से किया जाएगा यदि मुस्लिम समुदाय और हिन्दू समुदाय में झगड़ा होता है तो सरकार मुस्लिम समुदाय की तरफदारी करेगी। और यही कारण है कि इतनी सुख–सुविधाएं, तुष्टिकरण के नाम पर मुस्लिम समुदाय को दी जा रही है कि वह भारतवर्ष से जाने की बात सोच भी नहीं सकते। और धीरे–धीरे यहीं अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं। चीन में, अमेरिका में, जापान में, ब्रिटेन में,

जर्मनी में और इस्लामिक देशों में भी वह तुष्टिकरण मुस्लिम समुदाय को प्राप्त नहीं है, जो हमारे देश में खुलेआम देशहित को ताक पर रखकर दिया जाता है। आज भी काश्मीर में 370 प्रभावी है। काश्मीर को भारत का अभिन्न अंग कहने वाली सत्ता वहाँ से 370 नहीं हटा सकती। क्योंकि मुस्लिम समुदाय नहीं चाहता। जबकि धारा 370 देश विरोधी है और अलगाववाद की जन्मदाता है। तुष्टिकरण की हद यह है कि हिन्दुओं के त्यौहारों पर जुलूस आदि निकलते हैं तो मस्जिद के सामने से निकालने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। बाजा बन्द करना पड़ता हैं और कभी–कभी बात इतनी बढ़ जाती है कि रास्ता भी बदलना पड़ता है। क्या मजाक है? कि हिन्दुस्तान में हिन्दुओं पर ही प्रतिबन्ध हैं, अल्पसंख्यकों को पूरी छूट है।

आरक्षण और तुष्टिकरण जब तक इस भारतवर्ष में हावी रहेंगे तब तक न तो देश का विकास हो सकता है न देश सुरक्षित रह सकता है और न आतंकवादी हमले रूक सकते हैं। अल्पसंख्यक आयोग की बैठक में खुलेआम श्री पी.एल. पूनिया की उपस्थिति में कहा जाता है, कि हम आरक्षण के लिए तन–मन–धन से प्रयास करने के साथ–साथ बल से भी प्रयास करेंगे। हमारी फैक्ट्री में तमन्चे भी बनते है और सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती। अल्पसंख्यकों की मजहबी बैठक में खुलेआम कहा जाता है कि मजहबी मामलों में दखलअन्दाजी बर्दाश्त नहीं। साध्वी प्रज्ञा को हिन्दू आतंकवादी कहकर गिरफ्तार किया जाता है, जेल में यातनाएं दी जाती है, ब्रेस्ट कैंसर का इलाज नहीं कराया जाता, स्वस्थ साध्वी प्रज्ञा जेल से अस्वस्थ होकर बाहर आ सकती हैं। यह सब अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए किया जाता है। हमारे हिन्दू नेता जो भारतवर्ष का भविष्य बनते हैं, जो हिन्दुओं के अलम्बरदार बनते हैं, वह खुलेआम हिन्दू आतंकवादी गतिविधियों की चर्चा करते हैं और हिन्दुओं को आतंकवादी बताते हैं। इशरत जहां एनकाउण्टर का

केस राजनीतिक दल जिन्दा रखे हुए हैं। क्योंकि वह अपने आपको अल्पसंख्यकों का हितैषी सिद्ध करना चाहते हैं। जबकि इसमें न्यायालय से निर्णय हो चुका है और इशरत जहाँ को हेडली ने आतंकवादी करार दिया है। फिर भी आये दिन यह मुद्दा उछलता रहता है क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि हम सच्चे अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं। फ्रांस ने जिन इमामों को निष्कासित किया है ऐसा न हो मुस्लिम तुष्टिकरण के अन्तर्गत उनको भारत के नेता गले लगा लें। चीन में जिन मस्जिदों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है, ऐसा न हो भारत के राजनीतिक दलों के हिन्दू नेता इसके विरोध में जन्तर मन्तर में हड़ताल कर दें। तुष्टिकरण की पराकाष्ठा देखने को मिली फिल्म अभिनेता सलमान खान के केस में जिस नाटकीयता के साथ सजा सुनाई गई और गिरफ्तारी से पहले चन्द घण्टों में ही जमानत दी गई और अन्तत्वोगत्वा हत्या के केस से बरी कर दिया गया। बगैर यह साबित किए हुए कि हत्या किसने की थी, क्योंकि हत्या तो हुई थी, सरकारी अंगरक्षक के बयान पर विश्वास न करते हुए सलमान खान के ड्राइवर पर विश्वास किया गया। धन्य है हमारी न्यायिक प्रक्रिया, पूरा विश्वास है कि काले हिरन वाले मामले में भी सलमान खान बरी हो जाएंगे क्योंकि तुष्टिकरण की नीति के अन्तर्गत स्वयं प्रधानमंत्री जी उनके साथ पतंग उड़ा चुके हैं। दादरी गांव की घटना ने तुष्टिकरण की एक नई तस्वीर सामने रखी है। जिसको भीड़ ने गौकशी के आरोप में पीट–पीट कर मार डाला उसमें पूरा जोर यह सिद्ध करने के लिए लगा दिया गया कि वह गौकशी नहीं थी और मृतक के पुत्र को नौकरी दी गई, दिल्ली में मकान दिया गया और लगभग आधा करोड़ रूपया दिया गया। बेकसूर डॉ. नवरंग को भीड़ ने मार दिया और कहीं कोई हरकत नहीं हुई। पश्चिमी बंगाल में मालदा की घटना और वहां पर सशस्त्र भीड़ का थाने में आग लगाना, वाहनों को

जलाना और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही न होना पूर्णतः मुस्लिम तुष्टिकरण का फिल्मांकन है। तुष्टिकरण की कितनी मिसाले दी जा सकती हैं उनका यदि उल्लेख किया जाए और सन 1947 से अब तक तुष्टिकरण के नाम पर क्या–क्या किया गया तो इस पर एक पूरी पुस्तक तैयार हो सकती है, यदि कोई लेखक हिन्दुस्तान में सरदार खुशवन्त सिंह जैसा जिन्दा है तो मैं उससे प्रार्थना करूंगा कि वह तुष्टिकरण के नाम पर अत्याचार के शीर्षक से एक पुस्तक अवश्य प्रकाशित करें। यह तुष्टिकरण यदि न रोका गया तो हिन्दुस्तान को हिन्दु शब्द से मुक्त कर देगा। कुर्सी का मोह छोड़कर नेताओं को देश के प्रति, समाज के प्रति मोह को जाग्रत करना होगा तभी हिन्दुस्तान बच सकता है, तभी तुष्टिकरण के सर्पदंश से जनता बच सकती है अन्यथा जैसे राम भरोसे देश चल रहा है, चलता रहेगा, जब तक सोचिए कब तक।

■

सत्यम वद–18

अगर विश्व नहीं तो कम से कम सारा भारतवर्ष यह मानता है कि आजादी के नाम पर देश का बंटवारा बहुत बड़ी भूल थी। दो व्यक्तियों की जिद का नतीजा था देश का बंटवारा और देश का ही नहीं दिलों का बंटवारा, जिस दिन से बंटवारा हुआ है उस दिन से हिन्दु–मुस्लिम वैमनस्य अपने चरम पर है। कोई दिन, कोई महीना, कोई साल ऐसा खाली नहीं जाता जब दोनों सम्प्रदाय के झगड़े सुनने में न आते हों उस पर भी कोढ़ में खाज यह हुई कि गांधी जी ने जिद करके जनसंख्या के बंटवारे में टाग अड़ा दी और मुसलमान जनसंख्या को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। इसका क्या कारण था यह तो कोई नहीं समझ सका लेकिन सम्पूर्ण भारतवर्ष मानता है कि यह गांधी जी की गलती थी। गलती पर गलती होती गई और हम उसकी सजा आज तक भुगत रहे हैं। काश्मीर में धारा 370 का विषवृक्ष बो दिया गया। जिसके कारण वहां केवल आतंकी पलते हैं या सरकार पलती है। जनता आतंकियों से त्रस्त रहती है और आतंकी जब चाहें तब जिसके घर में चाहे उसके घर में वारदात करने के बाद छिप जाते हैं और वहीं पर अपनी दाल–रोटी का जुगाड़ करते हैं। काश्मीर के वाशिन्दे डर के मारे उनका पता नहीं बताते और इस प्रकार आतंकी रात–दिन पुलिस पर सुरक्षाबलों पर हमले करते रहते हैं। सीमा पर कड़ी चौकसी के बाद यदि श्रीनगर में आतंकी हमला होता है तो इसका तात्पर्य यही है कि कश्मीर के निवासियों द्वारा आतंकियों को आश्रय दिया जाता है। आतंकी वहां छिपे होते हैं और मौका मिलते ही शहर में आकर पुलिस पर सुरक्षा बलो पर हमला कर देते हैं। यह

इतनी बड़ी गलती थी और है कि जिससे सारा भारतवर्ष परेशान है। मुफ्त में काश्मीरियों को कम कीमत पर वह वस्तुएँ आपूर्ति की जाती है, जिसके लिए देशभक्तों को अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। इसके बाद भी गलतियां रूकी नहीं। जब कबालियों ने काश्मीर पर हमला किया और हमारी फौज कबालियों को खदेड़ते हुए आगे बढ़ रही थी और यह करीब ही था कि हमारी फौज कबालियों (तथाकथित पाकिस्तानियो) को कश्मीर से बाहर खदेड़ देती लेकिन उससे पहले ही तत्कालीन प्रधानमंत्री ने बढ़ती फौजों के कदम रोक दिए फौज ने सिर पीट लिया क्योंकि फौज उस वक्त ऐसी स्थिति में थी कि सम्पूर्ण कश्मीर भारतवर्ष के पास होता तथाकथित कबाली (पाकिस्तानी) भारत में ना होते और आज पी.ओ.के. का अस्तित्व न होता। लेकिन गलती दर गलती होती चली गई और आज हम इस स्थिति में आ गए कि सिवाय आँसू बहाने के और कुछ नहीं कर पाते और आज भी वह गलतियां रूकी नहीं हैं। तुष्टिकरण के नाम पर सच्चे भारतवासियों की कीमत पर तथाकथित अल्पसंख्यकों का भारतवर्ष के संसाधनों पर प्रथम अधिकार बताया जाता है। यह अल्पसंख्यक और इनके नेता सरकार को गाली देते हैं प्रधानमंत्री को गाली देते है, देशभक्त हिन्दुओं को गाली देते है और प्रशासन खामोश खड़ा सुनता रहता है। प्रशासन में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वह इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही कर सके। हाँ, जब कोई देशभक्त हिन्दू इन तथाकथित अल्पसंख्यकों की गाली का जवाब देता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करने को प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकार तुरन्त खड़ी हो जाती है। वस्तुतः किसी अँग्रेज का यह कहा सच है कि भारतवर्ष केवल राम भरोसे चल रहा है। यदि भगवान राम मदद न करते तो काँग्रेस ऐसा कानून बनाने जा रही थी, जिसमें केवल मात्र रिपोर्ट करने पर देशभक्त हिन्दुओं के विरुद्ध गिरफ्तारी और कार्यवाही हो सकती थी

जबकि इस कानून में देशभक्त हिन्दुओं द्वारा रिपोर्ट करने के बाद अल्पसंख्यकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो सकती थी। वह तो ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि काँग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और वह कानून नहीं बना।

जब हम सभी मानते हैं, प्रशासन भी मानता है और बड़े–बड़े चौड़े सीने वाले नेता भी मानते हैं। कि बंटवारा गलती थी, धारा 370 गलती थी और कबालियों को खदेड़ते समय फौज के कदम रोक देने की बड़ी भारी गलती थी और उससे भी बड़ी गलती पाकिस्तान जाने वाली जनसंख्या को हिन्दुस्तान में रोकने की हुई। शास्त्रानुसार प्रत्येक गलती का सुधार हो सकता है बशर्ते कि हम रोना–धोना बन्द करके दृढ़ निश्चय के साथ इस गलती का सुधार करने का प्रयास करें। हो सकता है इसमें कुछ जान–माल की हानि हो। लेकिन इतनी भयंकर नहीं होगी, जितनी बंटवारे के समय हुई थी। हम एक समय सीमा निश्चित कर सकते हैं जब सभी तथाकथित अल्पसंख्यकों से यह निवेदन किया जा सकता है कि उस समय महात्मा गांधी ने गलती से आप लोगों को हिन्दुस्तान में रोक लिया था लेकिन हम यह गलती सुधारना चाहते हैं, अतः आप लोग तुरन्त पाकिस्तान चले जाईये। इसमें कोई हर्ज नहीं है। अधिक से अधिक यह किया जा सकता है कि जाने वाले जो सम्पत्ति छोड़कर जा रहे हैं। उसका मुआवजा उन्हें दे दिया जाए। यदि किसी कारण से यह अल्पसंख्यक देश छोड़ना नहीं चाहते और हम जबरदस्ती भेजने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि हम कमजोर है, क्योंकि हमारे अन्दर दृढ़ निश्चय की कमी है, क्योंकि हम अहिंसक हैं। हमारे अन्दर हर वह कमी मौजूद है, जो उस जोरू के पति में होती है, जिसे सब भाभी कहने लगते हैं। तो कम से कम एक काम तो हो सकता है कि अल्पसंख्यकों को मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया जाए। इनकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी

जाए। यह गलती का सुधार ही तो है, हम किसी पर अत्याचार नहीं कर रहे। हमारे किसी पूर्वज ने किसी विदेशी को अपने घर में रोक लिया। अब जब हम समझदार हो गए हैं, औरवह पूर्वज भी दिवंगत हो गया है तब यह हमारा अधिकार है कि हम उस अतिथि को अपने घर में रहने दे अथवा उससे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करें कि वह अपनी वांछित जगह चला जाए। यह कोई अत्याचार नहीं है। बंटवारा जनसंख्या के आधार पर हुआ था और यह निश्चित हुआ था कि सभी मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे। और सभी हिन्दु पाकिस्तान से हिन्दुस्तान में आ जाएंगे। पाकिस्तान को भी चाहिए कि वह सभी हिन्दुओं को हिन्दुस्तान जाने के लिए कह दे। जहाँ तक धारा 370 का प्रश्न है यह दिवंगत प्रथम प्रधानमंत्री ने शेख अब्दुल्ला को खुश करने के लिए लगाई थी। यह धारा 370 हिन्दुस्तान के हित में नहीं है, भारतवासियों के हित में नहीं है अतः भारत की केन्द्रीय सरकार को पूरा अधिकार है। कि वह धारा 370 को समाप्त कर दे। फिर वही बात आती है हो सकता है आन्दोलन हो, इसका विरोध हो, क्योंकि जो चोर आपके घर में घुस आया है, उसको आप बाहर निकालना चाहेंगे, उस पर प्रतिबन्ध लगाना चाहेंगे तो वह विरोध तो करेगा ही। आतंकवाद जब तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक काश्मीर में धारा 370 प्रभावी है। आज धारा 370 समाप्त कर दी जाए आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। धारा 370 समाप्त करने पर यदि आन्दोलन होता है तो सख्ती से दबाया जाना चाहिए तोड़ फोड़ आगजनी करने वालों को देखते ही गोली मार दी जानी चाहिए। अपना हक यदि लेने की ताकत है तभी कुर्सी पर बैठना उचित है अन्यथा नहीं। मुझे पूरा विश्वास है यदि लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जिन्दा होते अथवा संजय गांधी की अकाल मृत्यु ना हुई होती। तो धारा 370 हट सकती थी और तथाकथित अल्पसंख्यक भी हिन्दुस्तान छोड़कर जा

सकते थे। लेकिन अपनों ने ही अपने स्वार्थ में संजय गांधी का जीवन नहीं चाहा।

एक बार गलती सुधारने का निर्णय अगर दृढ़ निश्चय के साथ ले लिया जाए तो गलती का सुधार हो सकता है। हर गलती सुधार साथ लेकर आती है। हर समस्या के साथ समाधान का जन्म होता है और ईश्वर उन्हीं की मदद करता है, जो शेर की भांति अपने अधिकार के लिए लड़ने को तत्पर रहते हैं, महाभारत में केवल पांच पांडव एक तरफ थे और 100 कौरव पुत्र दूसरी तरफ थे। दृढ़ निश्चय और सत्य पथ पर चलने के कारण पांडव विजयी हुए और कौरव समाप्त हो गए। स्थिति बिल्कुल यही थी कौरवों ने छल से पांडवों का राज हथिया लिया था। कौरव बहादुर नहीं थे, अत्याचारी थे, और अत्याचारी कभी बहादुर नहीं होता। जब तक आप दबते रहेंगे अत्याचारी आप पर हावी रहेगा। जब आप उसका सामना करने के लिए खड़े हो जाएंगे तो अच्छे–अच्छे अत्याचारी भागते नजर आए हैं। अभी आपने देखा मथुरा में नया कंस पैदा हुआ, जिसने पुलिस पर हमला कर दिया और एक बहादुर जांबाज एस.पी. और एस.ओ. की जान ले ली। लेकिन जब पुलिस फोर्स ने अपना असली रूप दिखाया और पूरी ताकत के साथ हमला बोला तो वही कंस मारा गया और उसके अनुयायी जो हजारों की तादाद में थे भाग गए। कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक अत्याचारी आप पर हावी रहेगा। इतिहास गवाह है कि जब भी शान्तिप्रिय व्यक्ति हथियार लेकर खड़ा हुआ है तब–तब बड़े–बड़े अत्याचारी भागते नजर आए हैं, समर्पण करते नजर आए हैं अथवा मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। आप तो कोई अत्याचार कर ही नहीं रहे। आप तो पूर्वजों की भूल सुधार कर रहे हैं, काश्मीर भारतवर्ष का है, राजा हरि सिंह ने काश्मीर को भारतवर्ष में विलय कर दिया था तो किसी और को उस पर कब्जा

रखने या अपने हिसाब से कानून बनाकर रहने का अधिकार ही नहीं है। आवश्यकता है दृढ़ संकल्प की यह सब भागते नजर आएंगे जो 370 की हिमायत में खड़े होते हैं, जो आतंकवादियों को आश्रय देते हैं, दिन में आतंवादियों को भारत विरोधी बताकर उनकी निन्दा करते हैं और रात में उन्हीं के साथ बैठकर खाना खाते हैं। भारतवर्ष जिसने जल–प्रलय के समय काश्मीरियों की रक्षा की उसका इतना अधिकार बनता है कि वह काश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दे। यदि हमें इतना भी अधिकार नहीं है तो हम काश्मीरियों को मुफ्त की रोटी खिलाकर, कम कीमत पर सब चीजें उपलब्ध कराकर क्यों पाल रहे हैं, जिस व्यक्ति पर हमारा अधिकार नहीं है, जो व्यक्ति हमारे साथ मिलकर चलने को तैयार नहीं है उस व्यक्ति की हम क्यों सुनें। उस व्यक्ति की बात हम क्यों माने। सीमा पर इतनी चौकसी होने के बाद भी यदि श्रीनगर में आतंकवादी सुरक्षाबलों पर हमला करते हैं। आत्मघाती हमला करते हैं तो इसका अर्थ क्या निकलता है। यही कि आतंकवादी कश्मीर में ही पैदा होते हैं और कश्मीर में ही रहते हैं। हमारी ही रोटी खाते हैं और हम पर ही हमला करते हैं। बन्द होना चाहिए यह नाटक कितने आश्चर्य की बात है? कि अभी फौज के हथियारों के डिपो में आग लगी जहां पर स्टाफ भी नाकाफी था और संयंत्र भी नाकाफी थे। जबकि काश्मीर में कोई भी वस्तु नाकाफी नहीं है, वहां के रहने वालों को बहुत न्यूनतम कीमत पर खाने की वस्तुएं आपूर्ति की जाती है और वह समस्त सुविधाएँ जो देशभक्त भारतवासियों को उपलब्ध नहीं होती। वह उनको मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है। क्यों पाल रहे हैं हम उन लोगों को जो हमारे हो ही नहीं सकते। जो धारा 370 समाप्त करने में हमारे साथ नहीं है, उनको हम अपना क्यों मानते हैं। आवश्यकता है चीन से सीखने की, चीन जो राजनीति के क्षेत्र में पाकिस्तान का साथ देता है किन्तु अपने अन्दरूनी मामलों में मस्जिदों

में ताला डलवा देता है, रोजे–रमजान पर प्रतिबन्ध लगाता है, जहाँ पर मुसलमान अपने आपको मुसलमान कहलाने से डरता है। क्या खास बात है चीन में और क्या कमी है हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तान क्यों नहीं वही बर्ताव अल्पसंख्यकों के साथ नहीं कर सकता, जो चीन में होता है। साध्वी प्रज्ञा को केवल अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण हेतु आतंकवादी ठहराकर गिरफ्तार किया जाता है, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है और अन्त में सिद्ध होता है कि वह आतंकी नहीं थी। अखलाक की मौत पर साहित्यकार अपने पुरस्कार वापस करते हैं सरकार आधे करोड़ का मुआवजा उसके पुत्र को देती है साथ ही मकान और नौकरी मुफ्त। यह सब घटनाएँ सिद्ध करती हैं कि हमारे देश पर अल्पसंख्यकों का अधिकार हमसे ज्यादा है, उनके तुष्टिकरण के लिए प्रत्येक नेता जी–जान से लगा रहता है और यह साबित करने की कोशिश करता है कि वह उनके प्रति वफादार है। हर प्रकार का सम्मान, हर प्रकार की सुविधा जिस देश में अल्पसंख्कों को उस देश के निवासियों के साथ भेदभाव करके दी जाती हो वह देश वास्तव में राम भरोसे ही चलता है वरना प्रत्येक दल की सत्ता की कोशिश यही रहती है कि अल्पसंख्यक उनके सर पर बैठे रहे और सच्चे हिन्दू देशभक्त आतंकवादी कहकर जेलों में डाल दिए जाए। आज फिर आवश्यकता है राम की। पुनः वांछित है भगवान कृष्ण का अवतार जो इन अहिंसक नपुंसकों को जाग्रत कर सके। और अत्याचारियों को दण्ड दे सके। प्रतीक्षा है और प्रतीक्षा ही एकमात्र एक मात्र उपाय है।

■

सत्यम वद–19

आजकल सच का पर्याय शक्ति प्रदर्शन बन गया है। झूठ को सच साबित करने के लिए दबंगई कितनी आवश्यक है। यह अक्सर देखने को मिलता है। ना तो कुछ लोग न्यायपालिका पर विश्वास करते हैं और ना ही कार्यपालिका पर विश्वास करते हैं। वह केवल अपनी दबंगई और शक्ति प्रदर्शन पर विश्वास करते हैं और यदा–कदा अवसर मिलते ही सत्ता के विरुद्ध शक्ति प्रदर्शन करते रहते हैं। ताजा–ताजा प्रकरण है कि भाजपा के श्री दयाशंकर पाण्डेय ने अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी सुश्री मायावती जी के विरुद्ध कर दी, जो अब अपने–आपको बहनजी के स्थान पर देवी कहलाना चाहती हैं। सुश्री मायावती जी और उनके सहयोगियों ने तुरन्त दयाशंकर पाण्डेय के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया, एफ.आई.आर. करा दी। भाजपा ने दयाशंकर पाण्डेय को अपने दलीय सभी पदों से हटा दिया। जबकि दयाशंकर पाण्डेय ने शर्तरहित माफी मांग ली थी। गलती हो जाती है, अमर्यादित टिप्पणी हो जाती है लेकिन यदि व्यक्ति माफी मांग ले और पश्चात्ताप कर ले तो उसको माफ कर देना चाहिए और प्रकरण को समाप्त कर देना चाहिए। किन्तु ऐसा नहीं हुआ। सुश्री मायावती जी के उकसाने पर विशाल प्रदर्शन किया गया। पुतला फूंका गया और श्री दयाशंकर पाण्डेय की पत्नी और पुत्री के विरुद्ध उसी भाषा का प्रयोग किया गया, जिस भाषा के सुश्री मायावती के विरुद्ध प्रयोग किए जाने पर दयाशंकर पाण्डेय को आरोपी बनाया गया था। कायरता देखिए भाजपा की कि अपने आदमी को क्षमा मांगने के बावजूद पार्टी से निष्काषित कर दिया। तथा समस्त पदों से मुक्त कर दिया। फिर

क्या था विरोधियों को अवसर मिल गया। अकेला देखकर दयाशंकर पाण्डेय के विरुद्ध कई हजार लोग इकट्ठे हो गए। उनमें अधिकांश वह लोग थे जो ज्यादातर उस भाषा का प्रयोग करते हैं, जो दयाशंकर पाण्डेय ने की। अब बुआ के भतीजे को देखिए उन्होंने दयाशंकर पाण्डेय के विरुद्ध अनर्गल बयान देना शुरू कर दिया। न्यायपालिका जो वर्तमान में उतनी सशक्त नहीं रह गई है, जितनी सशक्त होनी चाहिए। उसने तुरन्त दयाशंकर पाण्डेय के विरुद्ध वारण्ट जारी कर दिया और जब वह कई जगह छापे मारने के बाद नहीं मिले तो गैरजमानती वारण्ट जारी कर दिया। जो अपराध दयाशंकर पाण्डेय ने किया था, वही सुश्री मायावती जी के उकसाने पर उनके सहयोगियों ने किया, जिनके विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज है। उनके विरुद्ध वारण्ट नहीं निकाले गए। क्योंकि दबंग से सब डरते हैं और सुश्री मायावती जी की दबंगई और शक्ति प्रदर्शन अक्सर दिल्ली और लखनऊ में होता रहता है। न्यायपालिका ने भी एकपक्षीय कार्यवाही की। होना यह चाहिए था कि यदि दयाशंकर पाण्डेय के वारण्ट निकाले गए थे तो उनके भी निकाले जाते, जिन्होंने दयाशंकर पाण्डेय की पत्नी और पुत्री के विरुद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग किया। सुश्री मायावती जी परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने प्रत्येक शब्द का फायदा उठाना सीखा है। इसलिए उनके हृदय पर अपशब्दों की कोई चोट नहीं लगी। केवल शक्ति प्रदर्शन का बहाना मिल गया। जबकि दयाशंकर पाण्डेय की सीधी सादी पत्नी और बेटी के हृदय पर चोट लगी और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मैं न्यायपालिका की इस एकतरफा कार्यवाही को उचित नहीं मानता। वारण्ट निकले तो दोनों पक्षों के निकले अन्यथा न्याय को अपना काम नियमित ढंग से करना चाहिए। अभद्र भाषा के प्रयोग पर एफ.आई.आर. तो दर्ज हो ही गई थी, मानहानि का दावा भी किया जा सकता था। इस शक्ति प्रदर्शन की

क्या आवश्यकता थी। क्यों अपने आपको हिटलर के रूप में स्थापित करना आज के नेता आवश्यक समझते हैं। यदि एकपक्षीय कार्यवाही पाण्डेय के विरुद्ध की जाती है तो यह घोर अन्याय होगा। कार्यवाही दोनों पक्षों पर होनी चाहिए यह अत्यन्त आवश्यक है और यही न्याय कहता है। भविष्य में ऐसे प्रदर्शनों पर रोक लगनी चाहिए। यह कोई राजनीतिक कारण नहीं था, जिसके लिए प्रदर्शन किया जाए। व्यक्तिगत मानहानि का मामला था, जिसके लिए फौजदारी और दीवानी दोनों प्रकार की दंड संहिता में वाद योजित करने का प्राविधान है और भाजपा को भी ऐसे कायरतापूर्ण कार्य से बचना चाहिए, सिर्फ वोटों की खातिर अपने--आपको दलित का मसीहा सिद्ध करने की खातिर दयाशंकर पाण्डेय की बलि चढ़ाना सर्वथा अनुचित रहा। ईश्वर भाजपा को कभी माफ नहीं करेगा। और यही कारण है कि भाजपा के यही कृत्य उसको उभरने नहीं दे रहे।

बात चली है दबंगई की तो देखिए दबंग अभिनेता श्री सलमान चिंकारा की हत्या के आरोप से भी बरी हो गए। प्रश्न फिर वही उठता है कि यदि न्यायपालिका, कार्यपालिका, जनता और राजनीतिज्ञों के चहेते सलमान खान ने चिंकारा को नहीं मारा। तो किसने मारा चिंकारा तो मारा गया और जहां चिंकारा मारा गया वहां सलमान खान शिकार खेल रहे थे। उनको बरी कर दिया गया। तो क्या उनके दोस्तों ने मारा, क्या उनके ड्राइवर ने मारा। 18 साल तक मुकदमे को लम्बा खीचा गया। यह साधारण प्रक्रिया नहीं थी बल्कि जान बूझकर मुकदमा 18 साल तक चलाया गया। परिणाम क्या हुआ, जो सोच रखा था कि गवाह गायब हो गए या गायब कर दिए गए। वन विभाग कमजोर पड़ गया या बिक गया। सभी सम्भावनाएँ हैं और मुकदमा श्री सलमान खान के पक्ष में निस्तारित हो गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा-- कि चिंकारा के शरीर से जो छर्रे मिले वे

सलमान की लाइसेंसी बन्दूक से नहीं चलाए गए थे। मजेदारी देखिए कि वर्ष 1998 में सलमान और उसके दोस्तों ने चिंकारा के शिकार के लिए जिस जीप का इस्तेमाल किया था। उसका ड्राइवर लापता हो गया था और अन्य लोग पहले ही बरी हो गए थे तथा ऐसा भी लगता है कि वन विभाग से सांठ–गांठ करके मामले को इस प्रकार प्रबन्धित किया गया था कि सलमान खान को काले हिरण और चिंकारा के मामले में सजा न मिले। धन्य है हमारी न्यायपालिका और धन्य है हमारी कार्यपालिका, जहाँ दूध का दूध और पानी का पानी बड़ी आसानी से हो जाता है। और यही स्थिति बम्बई फुटपाथ पर सोए हुए लोगों पर कार चढ़ाने के दौरान भी हुई थी, एक मर गया था, एक अपाहिज हो गया था। उसमें भी सलमान खान सबूतों के अभाव में लगभग 20 वर्ष मुकदमा चलने के उपरान्त बरी हो गए थे। उस समय भी यही प्रश्न उठा था कि यदि सलमान खान ने नहीं मारा तो गाड़ी फुटपाथ पर सोते हुए व्यक्तियों पर किसने चढ़ाई? जिसमें एक अपाहिज हो गया और एक मारा गया। विचारणीय है कि सरकारी बॉडीगार्ड के बयान पर विश्वास नहीं किया गया। बल्कि सलमान खान के ड्राइवर पर विश्वास किया गया। अधिकार है न्यायपालिका को वह गवाह पर चाहे विश्वास करे और जिस पर चाहे विश्वास न करें। मुकदमें को लम्बा खीचने का तात्पर्य ही यह होता है कि गवाह मर जाते हैं या गायब हो जाते हैं और सबूत मिट जाते हैं और हत्यारा बरी हो जाता है। क्योंकि अदालती कार्यवाही सबूतों पर चलती है। फिर भी मेरा मानना है कि ईश्वरीय न्याय भी अभी जिन्दा है। वह नहीं बिका है और अगर वास्तव में काले हिरण और चिंकारा को सलमान खान ने ही मारा है और इसमें उन्हें बचाने में न्यायपालिका और वन विभाग का हाथ है तो इस वर्ष के अन्त होने तक इन सभी को अवश्य ही सजा मिलेगी। अभी मेरी जानकारी में आया है कि चिंकारा मामले

का प्रमुख गवाह प्रकट हो गया है। और अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तो वह अपने बयान अवश्य देगा। लेकिन वह गायब कहाँ था, गायब क्यों था? यह प्रश्न भी मन में ऊभर रहा है। ऐसा ना हो कि वह फिर गायब हो जाए अथवा गायब कर दिया जाए। अतः पुलिस को उसकी सुरक्षा और उस पर निगाह रखनी आवश्यक है। क्योंकि हो सकता है हाई कोर्ट के फैसले तक उसे गायब रहने का कुछ दिया गया हो। और पुनः सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक गायब होने के लिए दे दिया जाए। प्रथम तो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष इस गवाह को लेकर पुर्नविचार याचिका प्रस्तुत करनी चाहिए। क्योंकि यदि इसी स्तर पर पकड़ हो जाती है तो अधिक अच्छा रहेगा।

जहाँ तक अच्छे की बात है तो अच्छाई और सच्चाई कभी न कभी प्रकट हो ही जाती हैं। अखलाक के मामले में गौभक्तों ने कानून हाथ में लेकर उसके साथ मारपीट की और मारपीट में अखलाक की मृत्यु हो गई। पूरे हिन्दुस्तान में शोर मच गया कि अखलाक को मार दिया। जबकि वह गौकशी नहीं कर रहा था। उसके यहां पाया गया मांस गाय का नहीं था। प्रान्तीय सरकार ने आधा करोड़ रूपया अखलाक के पुत्र को दे दिया क्योंकि मुस्लिम वोटो के लिए तो प्रत्येक दल अपनी थैली खोले घूमता है। दिल्ली में मकान दिया गया। नौकरी दी गई। यानी ऐसा माहौल बना दिया प्रान्तीय सरकार ने जैसे कि कोई बहुत महत्वपूर्ण आदमी पहली बार मारा गया हो। जो मांस पकड़ा गया था उसकी जांच भी नहीं हुई और हमारे देश के साहित्यकारों ने अपने–अपने सम्मान वापस करने शुरू कर दिए। असहिष्णुता का नारा दिया गया। सारा दोष हिन्दू समाज पर डाल दिया गया। किसी ने सत्य के जानने की या मांस की जांच के उपरान्त सत्य का पता होने की प्रतिक्षा नहीं की। अब उस मांस की जांच हुई है। फोरेसिंक रिपोर्ट आई है। जिसमें वह मांस गाय का ही पाया गया। अब जिन

साहित्यकारों ने अपने–अपने सम्मान वापस किए थे। वह खामोश हैं। क्योंकि वह अब सामने आने से कतरा रहे हैं। प्रथम तो साहित्यकारों को इस प्रसंग से प्रभावित होकर सम्मान वापस नहीं करने चाहिए थे। यदि सत्ता विरोधी दल ने कहा भी था तब भी उसे टाल देना चाहिए था। केवल मात्र केन्द्रीय सत्ता को बदनाम करने के लिए अपने सम्मान वापस करना साहित्यकारों का एक ऐसा पाप है, जो सैकड़ों वर्ष तक याद रखा जाएगा और किसी प्रकार भी वह नहीं धुल सकता। अब जब फोरेसिंक रिपोर्ट आ गई और उसमें मांस गाय का सिद्ध हो गया तब अखलाक के सुपुत्र उस रिपोर्ट को फर्जी और छेड़छाड़ से युक्त बता रहे हैं। उन्हें उस रिपोर्ट पर विश्वास नहीं है, जो रिपोर्ट उस प्रान्तीय सत्ता के माध्यम से प्राप्त हुई है, जो उन्हें आधा करोड़ दे चुकी है। भला वह अपने आधे करोड़ को व्यर्थ क्यों करेगी। जब प्रान्तीय सत्ता एक बार इस सन्दर्भ में अपना मत सुनिश्चित दे चुकी तब उस पर दूसरा मत देना कभी भी उचित नहीं होता। लेकिन फोरेसिंक रिपोर्ट का क्या हो यह तो सिद्ध करती है कि मांस गाय का ही था। अब प्रान्तीय सरकार दिया हुआ धन वापस ले, मकान वापस ले, नौकरी वापस ले यह भी नहीं कर सकती। क्योंकि इससे मुस्लिम मतदाताओं में प्रान्तीय सरकार के विरुद्ध विचार जाएगा। अतः प्रान्तीय सरकार के तो पैसे भी गए और किरकिरी भी हुई। किसी ने भी तथाकथित अल्पसंख्यक मुस्लिम जनता से यह नहीं कहा कि हिन्दू जब गाय को माता मानते हैं तो वह गौकशी को कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। ऐसी घटनाएँ पुनः पुनः होंगी अगर गौकशी नहीं रूकी। तथाकथित अल्पसंख्यक मुस्लिम जनता को चाहिए कि वह गौकशी ना करे। भारत में रहना है, हिन्दुस्तान में रहना है तो हिन्दुओं की भावनाओं को समझना होगा। उनको ठेस पहुंचाने से बचना होगा। हम यह नहीं कर सकते कि एक तरफ तो भावनाओं को ठेस पहुँचाएँ

और दूसरी ओर जब उसकी प्रतिक्रिया हो तब उस पर रोने बैठ जाएँ। धरने–आन्दोलन करें। भविष्य में भी प्रान्तीय सरकार को ऐसे मामलों में सोच–समझकर मुआवजा देना चाहिए। यह धन जो सरकार के पास है, यह अधिकांश हिन्दुओं का है और उनका अधिकार है कि वह यह जानने का प्रयत्न करें कि धन का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। भारतवर्ष हिन्दू राष्ट्र है, हिन्दू राष्ट्र था और हिन्दू राष्ट्र रहेगा। बाबर के आने मात्र से हिन्दू राष्ट्र को कोई और नाम नहीं दिया जा सकता। अतः हिन्दू राष्ट्र में जिसे रहना है, वह हिन्दुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं कर सकता। और अगर करेगा तो अखलाक की साथ जो हुआ। वैसी घटनाएँ बार–बार हो सकती हैं।

■

सत्यम वद–20

सच से मुँह मोड़ना और एक झूठ को सच मानकर स्थापित करने का प्रयास करना राजनीतिज्ञों को खूब आता है लेकिन जनता इनकी सच्चाई से वाकिफ है इसलिए वह अपनी राह पर चलती रहती है, यह अपनी घोषणाएं करते रहते हैं। अभी बिहार में शराबबन्दी घोषित की गई। नीतिश जी ने इस सच को साबित करने की कोशिश की कि शराबबन्दी करने से जनता सुखी होगी। पत्नियाँ सुखी होगी, बच्चे सुखी होंगे। लेकिन सच क्या है, सच यह है कि शराबबन्दी हो ही नहीं सकती। शराब का प्रचलन इतना अधिक बढ़ चुका है कि यह कैंसर के रोग की भांति है, जो घटता नहीं बढ़ता है। शराबबन्दी से लाभ कम नुकसान अधिक हैं। चोरी–छिपे जहरीली शराब बनती है, जो सस्ती मिलती है, घरों में खीची जाती है, जिसे पीकर प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में मौत होती हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस शराब को पीने से अपने आपको नहीं रोक पाता। गरीब मजदूर इसको पीते हैं। मर जाते हैं। बीवी बच्चे अनाथ हो जाते हैं। जिस प्रान्त में शराबबन्दी की जाती है, वहाँ आसपास के प्रान्तों से भी शराब चोरी छिपे आती रहती है और दुगुने तिगुने दामों पर उपलब्ध होती है, जिसका बोझ गरीब की जेब पर पड़ता है। कितने भी नशामुक्ति केन्द्र खोल दिए जाए भरती होने वाले सौ में से केवल 5 ही ठीक होते हैं। 95 नशामुक्ति केन्द्र से निकलकर पुनः शराब पीनी शुरू कर देते हैं। होटलों में, वायुयान में, शराब उपलब्ध रहती है, सम्भ्रांत व्यक्ति, पैसे वाले सेठ वहाँ जाकर शराब पीते हैं। नृत्य करते हैं और रात को नशे में अन्धे होकर गाड़ी चलाकर घर लौटते हैं, रास्ते में फुटपाथ पर सोए

व्यक्तियों की जिन्दगी उनके रहमो–करम पर होती है। लोग अपने घरो में शराब पीते हैं, कहीं–कहीं पर पति–पत्नी दोनों शौकीन हैं। यह लोग अच्छे हैं, कम से कम घर से बाहर निकलकर हंगामा नहीं करते। उनके शराब पीने का किसी को पता नहीं चलता। बिहार में लगातार बाहर से शराब आ रही है, जहरीली शराब बन रही है और जनसाधारण, अधिकारी तथा नेता सभी खुलेआम शराब पी रहे हैं। शराब पर किसी भी प्रकार की पाबन्दी सम्भव ही नहीं है होना यह चाहिए था। कि जहरीली शराब के निर्माण पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगा दिया जाता, जहरीली शराब बनाने वाले को फाँसी की सजा सुनायी जाती। सरकारी शराब में मिलावट पूरी तरह से रोकने का प्रयास करना चाहिए था। मिलावट करने वाले को भी फाँसी का ही प्राविधान होना था। सरकारी शराब सस्ती होनी चाहिए थी, जिससे गरीब आदमी भी खरीद सके, हाँ, यह होना आवश्यक है कि राशन कार्ड जारी कर दिए जाने चाहिए थे, बगैर राशन कार्ड पर एण्ट्री कराए कोई व्यक्ति शराब नहीं खरीद सके और अनाज, चीनी, तेल की तरफ शराब की भी प्रति व्यक्ति खरीदने की सीमा निर्धारित होनी चाहिए थी। अन्य प्रान्तों से आने वाली शराब के प्रवेश पर पूरा नियन्त्रण होना चाहिए था, जो प्रान्त के बाहर से अवैधानिक रूप से शराब लाता था, उसके लिए कठोर दण्ड का प्राविधान होना चाहिए था। होटलों में भी व्यक्ति के राशन कार्ड पर एण्ट्री के उपरान्त ही उसको निर्धारित पैग शराब दिए जाने का प्राविधान होना चाहिए था। शराब पीकर घर में या सड़क पर हंगामा करने वालों का न्यायिक तौर से बुरा हाल करना चाहिए था। उनका मुंह काला करके शहर में घुमाना, गले में जूतों की माला डाल देना अर्थात् ऐसे शराबी को जो शराब पीकर घर के बाहर या घर के अन्दर हंगामा करता है, उसको कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए। शराबबन्दी सफल नहीं हो सकती किन्तु शराबियों पर नियन्त्रण किया

जा सकता है। वर्तमान में बिहार में अथवा यदि अन्य किसी प्रान्त में भी शराबबन्दी है तो वहाँ चोरी–छिपे शराब आ रही है। पी जा रही है। पुलिस बेचारी क्या करे? जब सत्तासीन दल के नेता ही शराब आयात कर रहे हों और पीकर मस्त हो रहे हो। तो पुलिस तो उनके आधीन है। पुलिस उनको क्या कह सकती हैं। कभी–कभी यह ऊँची किस्म के लोग पुलिस को भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं और इस प्रकार खुद भी बिगड़ते है, पुलिस को भी बिगाड़ते हैं अतः मेरी सलाह है, शराब और शराबियों पर नियंत्रण किया जाए। बन्दी कभी भी सफल नहीं होगी और कहीं भी सफल नहीं है। यह भी वेश्यावृत्ति की तरह से है कि आप कितनी भी रोक लगा लें किन्तु वेश्यावृत्ति समाप्त नहीं हो सकती। यही स्थिति शराब की भी है।

आखिरकार केन्द्र सरकार की आँख खुली और अपमानित होने के बाद यह समझ में आया कि काश्मीर में अलगाववादी वास्तव में आतंकवादी हैं और आजकल वह जिन अलगाववादियों की खातिर तबज्जो और सुविधा पर करोड़ों रूपये खर्च रहे थे, वह नमक हराम हैं। खाते हिन्दुस्तान का हैं, गाते पाकिस्तान की है। ऐसे व्यक्तियों को सुविधाएँ दी जा रही थी, जो सुविधाओं के हकदार नहीं थे, जो काश्मीर घाटी में हर घड़ी हिंसा जिन्दा रखना चाहते हैं। जब कभी भी कहीं भी काश्मीर में कोई बात हुई है काश्मीर में कोई आतंकी मारा गया है, या काश्मीर में किसी बदलाव की, काश्मीर के उत्थान की बात हुई है तो इन्हीं अलगाववादियों ने पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाए हैं, पाकिस्तान के झण्डे लहराएं हैं और बच्चों के जहन में यह भरा है कि अगर काफिरों से लड़ते–लड़ते मर जाओगे तो जन्नत मिलेगी और काफिरों को मारोगे तो जन्नत मिलेगी अर्थात हर तरह से जन्नत उनको मिलने का आश्वासन दिया गया। मुफ्त के पैसे बाँटे गए और हाथों में पत्थर थमा दिए गए कि फौज पर हमला करो, पुलिस पर

हमला करो। ताअज्जुब यह है कि वही युवा जिनके हाथो में इन्होंने पत्थर दिए थे, वह इनके अपने नहीं थे, इन अलगाववादियों ने अपने बच्चों को पत्थर देकर हिंसकर उपद्रव करने के लिए नहीं भेजा। आजतक किसी अलगाव वादी का कोई बच्चा हिंसक उपद्रव में पुलिस की गोली से नहीं मारा गया। यह दूसरों को मरवाते हैं और हिंसा फैलाते हैं। हमारी पिछली सरकारें इनकी खातिर करती रही है ताकि यह जहर ना उगले। लेकिन यह सपोले कभी भी जहर उगलने से बाज नहीं आए। हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे। आँकड़ें बताते है कि इन पर हजारों करोड़ रुपया अब तक खर्च हो चुका है। इनको आवास, विकास, यात्रा, भोजन सभी प्रकार की सुविधाएँ सरकारों ने दी हैं। लेकिन क्या गिलानी , यासीन मलिक जैसे लोग भारत के पक्षधर हुए। नहीं। इन लोगों ने तो भगवान के कानून को भी एक तरफ रद्द कर दिया। भगवान का कानून यह है कि जिसका खाओ उसके खिलाफ मत बोलो, जिसका नमक खाओ उससे नमक हरामी मत करो। लेकिन इन्होंने, इन अलगाववादियों ने आतंकियों के साथ मिलकर, आतंकियों को अपने घर छिपाकरी हमेशा नमकहरामी की और अल्लाह के कानून के मुताबिक नमकहराम को सजा–ए–मौत देना भी जायज है। केन्द्र सरकार जागी है लेकिन मुझे डर है कि हमारे अहिंसक और केवल बोलने वाले नेता कई फिर न लुढ़क जाए और इन अलगाववादियों की सुविधाएँ, रियायतें बन्द करने के स्थान पर और अधिक न बढ़ा दें जनता को जागरूक रहना होगा, ऐसे नेताओं का, जो कहते कुछ है, करते कुछ है, जो अलगाववादियों को सुविधा नहीं देने के विरोध में हैं। उनका घिराव करना होगा, उनको मजबूर करना होगा कि वह अलगाववादियों की तरफदारी न करे वस्तुतः इस अहिंसा परमो धर्मः के सिद्धान्त ने भारतवर्ष को बहुत हानि पहुँचाई, बड़े–बड़े बहादुर क्षत्रियों के वंशज पिटने में विश्वास

रखने लगे, पीटने में नहीं। मैं उन सभी आन्दोलनकारियों से अपील करता हूँ, जो आरक्षण के सन्दर्भ में अथवा अन्य सन्दर्भों में आन्दोलन कर रहे हैं। या करते आए हैं अथवा सरकारी सम्पत्ति फूंकते आए हैं, वह वहाँ से ध्यान हटाकर काश्मीर की इस समस्या पर ध्यान दें और एक स्वर होकर प्रधानमंत्री को यह आश्वासन दिलाए कि हम आपके साथ हैं तथा प्रधानमंत्री से, गृहमंत्री से अनुरोध करें कि अलगाववादियों को दी जाने वाली सुविधाएँ और रियायते तुरन्त समाप्त कर दी जाए। फौजों को सतर्क कर दिया जाए। सुरक्षाबलों के हाथ खोल दिए जाए कि हर हिंसा का जवाब गोली से दें। हमारी फौजें और हमारे सुरक्षाबल पत्थर खाकर घायल होने के लिए नहीं हैं। ईश्वर उन नेताओं को कभी माफ नहीं करेगा, जिन्होंने अब तक फौजों के हाथ बाँध रखे थे अथवा बाँध रखे हैं और उनको हिंसक भीड़ पर सम्पत्ति फूंकने वालों पर पत्थर मारने वालों पर गोली चलाने की आज्ञा नहीं दी है। केन्द्र सरकार को मजबूती के साथ इस सन्दर्भ में अलगाववादियों के साथ निबटना है क्योंकि अब तो न्यायालय ने भी यह मान लिया है कि अलगाववादियों को रियायत और सुविधा देना बन्द होना चाहिए। तुष्टिकरण किसी का भी किया जाना केवल कायरता का दूसरा नाम है। कायर व्यक्ति ही दबंगों के तुष्टिकरण में लगे रहते हैं और सिंहपुरुष कभी क़िसी का तुष्टिकरण नहीं करते। भारतवर्ष को अहिंसा परमो धर्मः त्यागकर सिंहपुरुष बनना वांछनीय है।

तुष्टिकरण का उल्लेख हुआ है तो साथ ही साथ आरक्षण पर भी विचार किया जाना आवश्यक है। आरक्षण को मुद्दा बनाकर, आरक्षण का भय दिखाकर और दलित–दलित का नारा देकर आज मायावती महारानी बन गई हैं। दलितों को दो छोटे–छोटे कमरों के मकान देकर स्वयं 22 कमरों के मकान में विश्राम करने वाली तथाकथित दलितसुता, जो अब बहनजी के साथ–साथ स्वयं को देवी कहलाने

का भी दावा करती है, ने किसी दलित को आज तक कोई लाभ पहुंचाया हो ऐसी मिसाल नहीं है। किसी दलित की कन्या के विवाह में सम्मिलित हुई हों अथवा विवाह हेतु लाख–दो लाख दिए हों ऐसा भी कोई समाचार नहीं है। हाँ हर तीसरे महीने आरक्षण को मुद्दा बनाकर और केन्द्र सरकार द्वारा आरक्षण खत्म करने का हव्वा दिखाकर दलितों की एक रैली लखनऊ में आयोजित करना अब सुश्री बहनजी के शौक में शामिल हो गया है। इस रैली से कोई फायदा किसी गरीब दलित को नहीं होता हाँ, उनको रेल में तोड़–फोड़ करने की, बसों में तोड़–फोड़ करने की, लखनऊ में ठेले खोमचे वालों से झगड़ा करने की छूट अवश्य मिल जाती है। हो सकता किराये और खाने के नाम पर भी कुछ सौ रुपये रैली में सम्मिलित होने वालों को दिए जाते हों जिससे कम से कम वह एक दिन के लिए अपनी गरीबी को भूलकर लखनऊ जैसे शहर में जलेबी–पूरी खा सके। इसके अतिरिक्त रैली से कोई लाभ नहीं होता। मायावती जी को चाहिए कि देशहित के सन्दर्भ में कुछ कार्य करें अब अधिक दिन तक वह पैर छुआकर और मंत्रियों, सांसदों तथा अफसरों को अपने सामने जमीन पर बैठाकर अपमानित करके राजनीति को नहीं चला सकेंगी। मैं यह नहीं जानता कि लोग उनके व्यवहार से दुखी हुए हैं अथवा ब्राह्मणों, वैश्यों, क्षत्रियों और तथाकथित दलितों में स्वाभिमान जागा है, जो धीरे–धीरे उनकी परछाई से दूर भागना चाहते हैं। मैं यह मानता हूँ कि वर्तमान में कोई दलित नहीं है। दलित कोई जाति नहीं है बल्कि कर्म करने से सम्बन्धित है। अब यदि कोई व्यक्ति जूता–मरम्मत या जूता बनाने की छोटी सी दुकान करता है तो वह भी उतना ही सम्मानित है, जितना की बाटा और आगरा के बहुत से जूते बनाने वाले। जूते बनाने वाले को अथवा चमड़े का काम करने वाले को दलित कहना अपमान माना जाना चाहिए। क्योंकि दलित कोई है ही

नहीं। यह तो नेताओं ने एक शब्द चुरा लिया है और उसके आधार पर जनता को बरगलाते हैं। घरो–घरों में शौचालय बन गए हैं और 90 प्रतिशत शौचालय सैप्टिक टैंक से सम्बद्ध हैं। इसमें कोई मैला उठाने का काम नहीं होता। गाँव में भी जो शौचालय बन रहे हैं, उनमें भी मैला उठाने का प्राविधान नहीं है। महात्मा गाँधी अपने शौचालय को स्वयं साफ किया करते थे क्योंकि उस समय सैप्टिक टैंक वाले शौचालय नहीं थे। तो क्या महात्मा गाँधी को हम दलित मान लें। दलित शब्द को भूल जाना चाहिए और यदि कोई किसी को दलित कहता है तो उसको भी जातिसूचक अपशब्दों में माना जाना चाहिए। हमें सावधान रहना होगा और स्वयं को भी बदलना होगा किसी भी प्रकार की छुआछूत, किसी भी प्रकार का भेदभाव वर्तमान युग सहन नहीं करेगा। हमें सभी के साथ मिलकर चलना है किसी को अपने से छोटा नहीं मानना है, **नीरज के शब्दों में इसको भी अपनाता चल, उसको भी अपनाता चल, राही हैं सब एक राह के। सबको गले लगाता चल।** की भावना रखनी चाहिए। केन्द्र सरकार को सम्भवतः अपनी बात समझानी नहीं आती या वह भी दलित शब्द को भुनाना चाहते हैं। आज आरक्षण गुर्जर माँग रहे हैं। जाट माँग रहे हैं। मुसलमान माँग रहे है। सबको आरक्षण में लाभ दिख रहा है। आरक्षण से कोई लाभ नहीं है बल्कि हानि है। प्रतिभाएँ जन्म नहीं लेती। क्योंकि आरक्षित समुदाय में 33 प्रतिशत नम्बर ही मान्यता प्राप्त हैं। अतः वह अधिक नम्बर लाने के लिए प्रयास ही नहीं करते। इसी प्रकार अनारक्षित लोगों में 99 प्रतिशत नम्बर पाने वाला व्यक्ति जब 33 प्रतिशत के सामने चयनित नहीं होता तो उसमें कुण्ठा जाग्रत होती है और कुण्ठा किसी भी देश के नवयुवको के लिए अच्छी नहीं है कुण्ठाग्रस्त व्यक्ति कुछ भी कर सकता है कभी भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। अतः हमें इस पर विचार करना होगा और

जनमत संग्रह करने के पश्चात आरक्षण समाप्त करने की सोचनी होगी। इस बीच में किसी भी नेता को रैली करने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए। जनता पर दबाव न पड़े, उनको बहकाया ना जाये। जनमत संग्रह में इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। आरक्षण किसी भी दृष्टि से देशहित अथवा आरक्षित समाज के हित में नहीं है।

■

सत्यम वद–21

सत्यम् ब्रूयात, प्रियम् ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम् अप्रियम्। शास्त्रों का यह कथन सर्वथा उचित है। रामायण में भी यह कहा गया है कि अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए लेकिन कुछ लोग अपने आपको जमीन पर दूसरा भगवान मानकर अप्रिय सत्य बोलते रहते हैं। एक समय जस्टिस काटजू ने कहा था कि मैं गाय का मांस खाता हूँ। यह कोई पाप नहीं है और कानूनन कोई जुर्म भी नहीं है। सच है कि वह खाते होंगे लेकिन यह कहकर हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाना और जो उन पर श्रद्धा रखते हैं, उनके श्रद्धा पर चोट पहुँचाना सर्वथा अनुचित है। अभी हाल ही में एक अखबार में पूर्व न्यायमूर्ति काटजू ने कहा कि पाकिस्तान अगर काश्मीर लेना चाहता है तो हम उसे काश्मीर दे देंगे लेकिन साथ में बिहार भी लेना पड़ेगा। काश्मीर–बिहार दोनों लेने पड़ेंगे अन्यथा कुछ नहीं। इस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है। शायद किसी व्यक्ति ने केस भी दायर किया है। क्या न्यायमूर्तिगण को प्रत्येक प्रकार का बयान देने विवादास्पद निर्णय देने का अधिकार है अक्सर देखने को मिलता है कि पूर्व में एक न्यायमूर्ति महोदय ने जो निर्णय दिया 10 साल बाद एक अन्य न्यायमूर्ति महोदय ने उसके खिलाफ निर्णय दे दिया। क्या न्यायिक अभिरक्षा अधिनियम यदि कोई है तो यह उसका दुरूपयोग नहीं है। अभी हाल ही में वाणिज्य कर अधिकरण के अध्यक्ष महोदय द्वारा एक वाद में अधिवक्ता को और व्यापारी को 12 बार दौड़ाया गया और हर बार कुछ न कुछ नुख्ता लगाकर मामले में तारीख लगा दी गई। इसकी क्या मंशा हो सकती है अक्सर अदालतें उत्पीड़न की दृष्टि से वादकारियों को परेशान

करती है कभी स्थगन नहीं देती। कभी जमानत में दिक्कत होती है आदमी चक्कर ही काटता रहता है और फिर किसी दलाल की मार्फत उसकी पहुँच पूँछ बढ़ जाती है और तब वह मनचाही सुविधाशुल्क लेकर मनचाहा प्राप्त कर लेता है। यह सब क्या है? क्या न्याय का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा। पूर्व निर्णय नजीर के तौर पर प्रस्तुत किए जाते हैं और पीठासीन अधिकारी केवल एक लाइन लिखकर कि यह निर्णय प्रस्तुत वाद के विषयवस्तु से भिन्न होने के कारण सन्दर्भित वाद में प्रभावी नहीं है। उनका संज्ञान नहीं लेता। जबकि अधिवक्ता द्वारा सटीक निर्णय दिया गया है और उच्च न्यायालय भी देखती है कि निर्णय सटीक है फिर भी उच्च न्यायालय ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करता और सर्वोच्च न्यायालय भी लापरवाह न्यायमूर्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करती। न्याय सस्ता और सुलभ होना चाहिए। यह सविधान में लिखा है किन्तु भारतवर्ष में न्याय कितना जटिल है, कितना महँगा और कितना असुलभ है यह केवल भुक्तभोगी ही बता सकता है। प्रत्येक व्यक्ति जिसने अदालत का मुँह नहीं देखा है, जिसने कोई मुकदमा नहीं लड़ा है, वह इस सम्बन्ध में कुछ नहीं बता सकता। पचासों तारीखें मुकदमें में लगती हैं। वादकार और पैरोकार दोनों मर जाते हैं। लेकिन मुकदमे का फैसला नहीं होता। क्या यही न्याय है, क्या भारतीय संविधान यही चाहता है। क्या करते हैं हमारे कानून मंत्री सिवाय कुर्सी पर बैठकर कार्यालय में 6 बार चाय पीकर, खाना खाकर सोकर, एकाध सेक्रेटरी को बुलाकर हँसी–मजाक करके अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। अदालत की मानहानि का वाद प्रस्तुत करना कितना मुश्किल है और साथ ही कितना मुश्किल है अदालत की मानहानि साबित करना और मानहानि साबित होने के पश्चात कितना आसान है उसकी सजा से बच निकलना। जस्टिस काटजू ने जो भी कहा है, उसका संज्ञान लिया

जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति होने का अर्थ यह नहीं है कि उनको कुछ भी बोलने की अनुमति दे दी जाए। उनसे वह सब सुविधाएँ ले लेनी चाहिए, जो एक सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति को प्रदान की जाती हैं। किन्तु होगा कुछ नहीं क्योंकि वोटों के आधार पर टिकी सरकार उस गाय को भी नहीं बचा सकती, जिस गाय का मांस खाने की बात जस्टिस काटजू करते हैं। समस्त हिन्दुओं को चाहिए (जो गाय का मांस नहीं खाते) वह जस्टिस काटजू का बहिष्कार करें और अपने विरोध से उन्हें अवगत कराएँ।

यही स्थिति आजम खाँ की है, जैसे संविधान ने आजम खाँ को सम्पूर्ण अधिकार दे दिए हैं। कभी वह प्रधानमंत्री को हत्यारा कहते हैं, कभी झूठा बताते हैं, कभी अपमानजनक शब्दों से सम्बोधित करते हैं, कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च व्यक्ति होता है। जिसके विरुद्ध कुछ भी बोलना असंवैधानिक माना जाना चाहिए। और इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने हाईवे पर बुलन्दशहर के बलात्कार काण्ड में अनर्गल टिप्पणी किए जाने पर आजम खाँ को तलब किया है और यह भी चाहा है कि प्रत्येक सुनवाई की तिथि पर वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों। लेकिन मैं नहीं समझता कि सर्वोच्च न्यायालय की यह बात आजम खाँ स्वीकार करेंगे अथवा नहीं। आजम खाँ जो हर बात में टाँग अड़ाते हैं, जो हर एक को अपशब्द कहने के माहिर हैं, अपने–आपको मुगले आजम से भी ऊँचा समझते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी प्रकार से इस मामले में ढील नहीं देनी चाहिए और यदि आजम खाँ की टिप्पणी असंवैधानिक है, अमर्यादित है तो उन्हें मंत्री पद से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। वस्तुस्थिति यह है कि अल्पसंख्यकों के वोटों के चक्कर में मुलायम सिंह यादव आजम खाँ के विरूद्ध कुछ सोच ही नहीं सकते। वह कुछ भी कहते रहे। सपा की छवि कितनी भी खराब

होती रहे लेकिन श्री मुलायम सिंह उनको किसी भी कीमत पर नजरअन्दाज नहीं करेंगे और उनकी चापलूसी में लगे रहेंगे। आजम खाँ ही नहीं सपा के अन्य नेता भी अल्पसंख्यकों के साथ दौड़ लगा रहे हैं। प्रत्येक अवसर पर जब हिन्दू–मुस्लिम दंगे हुए हैं, सपा के नेताओं ने बहुसंख्यक को दबाया है। उनको पिटने दिया है, उनकी सम्पत्ति को जलने दिया है और अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहन दिया है। अभी हाल में जनपद बिजनौर के ग्राम पेदा में साम्प्रदायिक झगड़ा भड़का वही पुराना किस्सा लड़की की छेड़छाड़ का। जिसने साम्प्रदायिक झगड़े का रूप ले लिया। किस्सा हिन्दू लड़की को छेड़े जाने का था किन्तु सपा नेताओं द्वारा प्रयास किया गया कि झगड़ा मुस्लिम लड़की को छेड़े जाने का बना दिया जाए। मारपीट की शुरूआत अल्पसंख्यकों ने की थी। दोष सारा बहुसंख्यकों के ऊपर डाल दिया गया। ऐसे सम्भ्रात व्यक्तियों को इसमें फँसाया गया, जिनका झगड़े से कोई लेना देना नहीं था। केवल सपा नेताओं ने अपनी प्रतिद्वंद्विता निकाली तथा जिस रईस ने चुनाव में सपा को वोट नहीं दिया था, अथवा जिस व्यापारी ने सहयोग नहीं किया था, या जो आगामी चुनाव में विधानसभा का प्रत्याशी हो सकता है, उन सबको फँसाने का प्रयास किया गया, सबको फँसाया गया। नामजद रिपोर्ट कराई गई। इसमें एक अधिवक्ता भी सम्मिलित हैं। जबकि उनका कोई लेना–देना इस झगड़े से नहीं था। अधिवक्ता के समर्थन में बिजनौर जनपद के साथ–साथ अन्य 12 जनपदों में भी अधिवक्ताओं की हड़ताल हुई और अधिवक्ताओं का नाम निकालने के लिए ज्ञापन दिया गया। अधिवक्ता को फँसाने का मतलब ही नहीं है। केवल व्यक्तिगत द्वेष हो सकता है। अधिवक्ता तो प्रत्येक व्यक्ति के साथ खड़ा हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का मुकदमा लड़ सकता है, वह कभी साम्प्रदायिक झगड़ों में नहीं पड़ता। अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी है और सपा नेताओं के दबाव में

सरकार की यह लाचारी है कि वह निर्दोष व्यक्तियों का नाम इस झगड़ें में नामजद व्यक्तियों की सूची से निकालने का आदेश कर सके। सपा के बड़े और छोटे सभी नेता इस मुहिम में सम्मिलित हैं कि किसी प्रकार अधिवक्ता ऐश्वर्य चौधरी को इस साम्प्रदायिक झगड़े में आरोपी सिद्ध कर दिया जाए। वर्तमान में सपा के नेता स्वयं को ईश्वर का अवतार मानने लगे हैं। अतः ईश्वर से प्रार्थना है कि वह शीघ्र ही इनको सत्य से अवगत कराए और इनकी गलतफहमी दूर करे।

कितने आश्चर्य की बात है किन्तु सत्य है कि भारतवर्ष में रहने वाले दो व्यक्तियों के विचार आपस में नहीं मिलते हैं। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक एक अहिंसक, एक हिंसक, एक मूर्ति पूजक, एक मूर्ति खंडित करने वाला। एक अपने लोगों के साथ पूर्णतया खड़ा होने का मन रखने वाला अपने ही धर्माम्वलम्बियों के लिए विरोधी से भिड़ जाने वाला और दूसरा आदर्शवाद में पूरी तरह सना हुआ और अपनो के ही खिलाफ पूर्णतः समर्पित। विरोधाभासी तथ्यों के बीच एक कितना बड़ा सच है कि एक फिल्म आई पी.के. उसमें श्री आमिर खान ने ठोक बजाकर आखिर में ढंके की चोट पर यह डायलॉग बोला—**मुसलमान कभी धोखेबाज नहीं होता**। अभी हाल ही में सलमान खान का वक्तव्य आया कि— **पाक कलाकार आतंकी नहीं हैं**। अतः इनको वापस भेजने की बात गलत है। ऐसे और बहुत से उदाहरण मिलेंगे जहाँ अल्पसंख्यकों ने अपने धर्म का और अपने व्यक्तियों का साथ दिया है। एक मौलाना बलात्कार के मामले में वांछित हैं। जुर्म लगभग सिद्ध होने के करीब है किन्तु अल्पसंख्यक वर्ग के अनेक लोग उनके पक्ष में खड़े हो गए हैं और उनको गिरफ्तारी से बचा रहे हैं यानी अपना आदमी यदि जुर्म भी करता है तो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग उसे बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं, उसके समर्थन में सड़कों पर उतर आते हैं। इतना एका है अल्पसंख्यकों में कि उनको सलाम करने

को मन करता है। यदि अल्पसंख्यक वर्ग का कोई लड़का बहुसंख्यक वर्ग की लड़की को छेड़ता है और उस लड़के के परिवार वाले जानते हैं कि हमारे लड़के ने छेड़ की है तब भी वह उसके साथ खड़े हो जाते हैं और लड़की के परिवारजनों से मारपीट करते हैं। अक्सर देखने में आया है कि यदि अल्पसंख्यक वर्ग का लड़का, बच्चा, जवान, बूढ़ा किसी मामले में पकड़ा जाता है और थाने में पहुच जाता है तो हजारहा आदमी थाने में पहुंचकर उसकी पैरवी में लग जाते हैं। दूसरी ओर वाह रे हमारे आदर्शवादी बहुसंख्यक वर्ग के बुद्धिजीवियों जो आदर्शवाद में इतने सर से पांव तक डूबे हुए हैं कि अपने ही आदमी को फँसाने के लिए आदर्शवाद का नारा देकर उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। किसी भी स्तर पर देख लीजिए आपको यह नंगा सच तुरन्त दिखाई दे जाएंगा। अभी ग्राम पेदा में साम्प्रदायिक झगड़े का आगाज हुआ। अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपने लोगों की गलती न मानकर उनके साथ खड़े हो गए। सचिवालय से लेकर न्यायालय तक यह साबित करने की कोशिश की कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का कोई कसूर नहीं था उन पर बहुसंख्यक वर्ग के लोगों ने जुर्म किया और वाह रे! हमारे बहुसंख्यक वर्ग के लोगों अपने ही लोगों को फँसाने के लिए क्या मीडिया और अधिकारी और क्या नेता, सभी एकजुट हो गए। यानी बहुसंख्यक वर्ग आदर्शवाद के गहरे समुद्र में कूद पड़ा और यह साबित करने की कोशिश की कि बहुसंख्यक वर्ग के लोगों का कसूर है। और जब तक उन्हें जेल नहीं भिजवा दिया तब तक कलेजे में ठण्डक नहीं पड़ी। बहुसंख्यक वर्ग के लोगों की इसी फूट ने हिन्दुस्तान को मुगलों का गुलाम बनाया। इसी फूट ने अँग्रेजों का गुलाम बनाया। इसी फूट ने हजारहा बहुसंख्यकों के धर्मान्तरण को बर्दाश्त किया। आज अगर कोई बहुसंख्यक वर्ग का व्यक्ति अल्पसंख्यक वर्ग में सम्मिलित होता है तो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग उसे वह

सम्मान देते हैं, जो अपने वर्ग के लोगों से भी अधिक होता है और यदि अल्पसंख्यक वर्ग का कोई व्यक्ति बहुसंख्यक वर्ग में सम्मिलित होता है तो उसे हमारे आदर्शवाद के मारे, हमारे अन्धे धर्माम्वलम्बी छूआछूत के कारण स्वीकार करने से भी इन्कार कर देते हैं। सम्मान तो बहुत बड़ी बात है। हिन्दू ही हिन्दू को काटता रहा है और इसीलिए हिन्दू का पतन हुआ है। अगर हिन्दू–हिन्दू को न काटता, हिन्दू–हिन्दू का विरोध न करता, हिन्दुओं में फूट न होती तो आज भारतवर्ष का इतिहास बहुत कुछ बदला हुआ होता। महात्मा गांधी की जय हो जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद भी अल्पसंख्यकों को वहाँ जाने से रोक लिया। जवाहर लाल नेहरू की जय हो, जिन्होंने पी.ओ.के. के कबाइलियों पर हमलावर जीतती हुई अपनी फौज के पांव रोक दिए। हमारा यही आदर्शवाद हमें डुबोता रहा है। हमारा यही आदर्शवाद हमें पिटवाता रहा है। वर्तमान में आवश्यकता एकजुटता की है। हम इतने आदर्शवादी हो गए हैं कि अभी जब पाकिस्तान पर भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया जिसकी अखबारों के अनुसार अमेरीकी सेटेलाइट में फोटो हैं, उस पर हमारे ही हिन्दू नेता विवाद कर रहे हैं, कोई कहता है सर्जिकल स्ट्राइक अफवाह है, कोई सबूत मांग रहा है अर्थात् यह तथाकथित हिन्दू नेता भी पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए हैं। यह उनमें से हैं, जो हमला ना करो तो कहते हैं, हमला क्यों नहीं किया? और हमला करो तो कहते हैं, हमला क्यों किया? दशहरे का पर्व है भगवान राम की लीला चल रही है किन्तु वास्तविक लीला की प्रतीक्षा है, जब प्रभु इन तथाकथित दोगले नेताओं को कर्त्तव्य का पाठ पढ़ाने के लिए अवतरित होंगे। स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है– **यदा यदा हि धर्मस्यः ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।।** मेरा कहना है कि वर्तमान में अति हो चुकी है राक्षस प्रतिदिन कन्याओं का चीरहरण कर रहे हैं। अल्पसंख्यक आक्रामक हो

रहा है। फूट बहुत बढ़ चुकी है। देवताओं का पूजापाठ बन्द हो गया है और नेताओं की पूजा होने लगी है। नेताओं की समाधि बनाई जा रही है। मन्दिरों में भीड़ कम, मदिरालय में भीड़ अधिक बढ़ गई है, ऐसा कौन सा पाप है जो नहीं हो रहा है तथा और अधिक धर्म की ग्लानि सहन करने की शक्ति सम्भवतः क्षीण होती जा रही है। अतः प्रभु के शीघ्र अवतार की प्रार्थना है, अनुरोध है, निवेदन है अन्यथा धर्म नाम का शब्द किताबों में भी देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि वर्तमान में वही किताबे पढ़ाई जा रही है, जो राक्षसी विद्या सिखाती हैं। धर्मात्माओं की, देशभक्तों की, हुतात्माओं की जीवनियाँ पढ़ने को नहीं मिलती है अतः पधारो प्रभु, पधारो, पधारो।

■

सत्यम वद–22

एक सत्य जो बहुत दिन से मन को मथ रहा है, वह यह है कि क्या प्रजातंत्र का जो वर्तमान स्वरूप है वह सत्य पर आधारित है। क्या वह सत्यमेव जयते से लिया गया है अथवा इस सत्य पर विचार ही नहीं किया गया कि प्रजातंत्र में केवल चुनाव को छोड़कर जनता को कोई अधिकार नहीं होता। प्रजा को केवल वोट देने का अधिकार होता है। एक बार चयनित नेता कभी सेवामुक्त अथवा सेवानिवृत्त नहीं होता। जबकि भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक अधिकारी का सेवाकाल निश्चित है तो फिर नेताओं का क्यों नहीं? सम्भवतः इस पर विचार ही नहीं किया गया। प्रजातंत्र को यदि परिभाषित करने वाले संविधान में कोई प्राविधान ऐसा डाल देते जिससे या तो आयु सीमा निर्धारित हो जाती अथवा कार्यकाल की अवधि निर्धारित हो जाती तो प्रजातंत्र विरासत या रियासत बनने से रूक सकता था। अब तो प्रजातंत्र एक प्रकार से विरासत और रियासत बन चुका है। प्रत्येक नेता 10–10 बार सांसद और मंत्री बनता है, 9 बार उसने कुछ नहीं किया मगर फिर भी धनबल और बाहुबल के कारण वह 10वीं बार भी चुन लिया जाता है। प्रत्येक नेता अथवा मंत्री चुनाव जीतने के बाद देश के बारे में कोई चिन्ता नहीं करते। देश के विकास कार्यों पर उनका कोई ध्यान नहीं होता। केवल चिन्ता एक बात की होती है कि पांच वर्ष के पश्चात अगले चुनाव में कैसे जीतकर आऊँ। विपक्षियों की किस प्रकार आलोचना करूँ कि जनता उनके स्थान पर 5 साल बाद मुझे ही चुने और लगातार 5 साल कुर्सी पर चिपके रहने के अतिरिक्त और अगले 5 साल सोचने के अतिरिक्त 90 प्रतिशत नेता कुछ नहीं करते।

इसी उधेड़–बुन में लगे रहते हैं कि ये 5 साल कट जाएँ और अगले 5 साल के लिए हम चुनाव में पुनः जीत जाएँ। केन्द्र और प्रान्तीय सरकारें अपने सांसदों को, विधायकों को, और मंत्रियों को सांसद निधि व विधायक निधि करोड़ों में देती है अगले पांच साल की उधेड़ बुन में लगे हुए ये सांसद और विधायक उस निधि का भी सही प्रयोग नहीं कर पाते, जिसमें उनका लाभ निहित है। जनता को कोई लाभ सांसद अथवा विधायक निधि का नहीं मिलता। क्योंकि उन्हें इस सोच से निकलने की फुर्सत ही नहीं मिलती कि इस पांच साल के सत्ता सुख के बाद अगले पांच साल में क्या होगा। अल्पसंख्यकों में घूमते फिरते हैं उनके लाभ के लिए कुछ नहीं किया लेकिन ऐसे–ऐसे वायदे करते हैं, जो सम्भवतः ईश्वर भी पूरा न कर सके। दलितों में उनके उत्थान का वायदा, उनके हर प्रकार के कल्याण का वायदा करते हैं लेकिन केवल इसी दृष्टिकोण से कि इन 5 साल के बाद अगले 5 साल के लिए वह फिर उन्हीं को वोट दें। अर्थात् जनता की कोई चिन्ता नहीं है प्रजा के लाभ–हानि का कोई विचार नहीं है, केवल एक विचार है कि अगले पांच साल के लिए हमारा वोट बैंक पक्का हो जाए। हमें कोई हरा न सके। और इस प्रकार प्रजातंत्र में विरासत और रियासत पक्की होती जाती है। आज हर नेता बाप, हर मंत्री बाप अपने पुत्र को राजनीति में आगे बढ़ा रहा है। माननीय के पश्चात उनका पुत्र इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर राजनीति में आ बैठता है और बाप की विरासत सम्भाल लेता है और बाप के पश्चात उसका पुत्र अच्छी खासी सेना की नौकरी छोड़कर अपने बाबा की और पिता की गद्दी सम्भालने के लिए राजनीति में आ जाता है। आज क्या हो रहा है? प्रजातंत्र के नाम पर परिवार तंत्र फल–फूल रहा है। वंशवाद चल रहा है। एक राजैतिक दल जो भारतवर्ष को अपने बाप–दादा की बपौती समझता है वह कुछ नहीं करता, केवल वर्तमान सत्ता की

आलोचना करता है और जनता को यह दिखाना चाहता है कि वर्तमान सरकार कुछ नहीं कर रही, जो कुछ किया है, हमने किया है और आगे भी हमी ही कर सकते हैं। एक राजनैतिक दल के मुखिया के 11 परिवारिक सदस्य सत्तासीन हैं और वह इस जुगाड़ में लगे रहते हैं कि इस वर्ष जो पोता होगा उसको 18 साल बाद कहां फिट करेंगे। हर नेता/मंत्री का क्षेत्र निश्चित है और वह अपने क्षेत्र में धीरे–धीरे इतना बाहुबली हो जाता है कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद वही जीतता है और इस प्रकार उसकी रियासत पक्की हो जाती है और रियासत और विरासत का खेल जीतता रहता है, प्रजातंत्र हारता रहता है। एक दिन प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा ऐसा भी नहीं लगता। लेकिन प्रजा अवश्य ही पिसती रहेगी और प्रजातंत्र के तांत्रिक उसका खून चूसते रहेंगे। जब तक यह नियम नहीं बनता कि एक व्यक्ति सांसद, विधायक अथवा मंत्री तीन या चार सत्र से अधिक नहीं रह सकता और ना चुनाव में खड़ा हो सकता है। इसी प्रकार यदि आयु सीमा भी निश्चित हो जाए तब भी विरासत और रियासत पर कुछ रोक लग सकती है और प्रजातंत्र के जीवित रहने की आशा हो सकती है।

एक विशेषता और है हमारे भारतवर्ष में कि जो एक बार मंत्री बन जाता है उसकी पूरी सुरक्षा की गारण्टी सरकार ले लेती है यानी मंत्री बनने से पहले वह असुरक्षित नहीं था। उसे कोई खतरा किसी से नहीं था और मंत्री बनते ही उसकी जान को खतरा पैदा हो जाता है और वह 10–10, 20–20 कमाण्डों के बीच में चलता है। यही नहीं जब तक वह गद्दी पर था तब तक तो यह कमाण्डो एक शान की बात समझी जा सकती है लेकिन गद्दी से उतरने के बाद भी जब पूर्व लग जाता है तब भी पूर्व की भांति कमाण्डों के घेरे में चलता है। वह किसी के साथ कुछ भी कर सकता है किन्तु कमाण्डों के होते हुए उसके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं पूछता हूँ कि अगर मंत्री बनने के

बाद इतना डर पैदा हो गया था तो राजनीति में क्यों आए और राजनीति में आए हो तो डर कैसा भगवान को, अल्ला को, गॉड को अथवा किसी को भी मानते हो तो यह भी मानते होगे कि जीवन मरण भगवान, अल्ला, गॉड के हाथ में है। तो फिर सुरक्षा घेरे में क्यों चलते हो। क्यों तुम्हारी सुरक्षा देश की सुरक्षा से आवश्यक हो गई है। अभी जेल से 8 आतंकी भाग गए। जिनको किसी न किसी प्रकार मैं तो कहता हूँ ईश्वर की बड़ी भारी मदद थी कि वह मारे गए अन्यथा देश का कितना नुकसान होता। इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह जेल से कैसे भागे इसकी पड़ताल हुई तो पता चला कि उस दिन अधिकांश सुरक्षाकर्मी जिनकी डयूटी जेल में होती है, वह वी.आई.पी. की आवभगत, सुरक्षा व सेवा में लगे हुए थे। क्या कानून है, क्या व्यवस्था है कि जेल के सुरक्षाकर्मी किसी वी.आई.पी. की सुरक्षा में लगे हुए हैं। यदि ये सुरक्षाकर्मी जेल की सुरक्षा में लगे होते तो आतंकी कभी नहीं भाग सकते थे और मजा देखिए विपक्षी यह कह रहे हैं कि आतंकी भागे नहीं बल्कि भगाए गए और उनका एनकाउण्टर कर दिया गया। प्रथम तो कोई भी इतना बेवकूफ नहीं होगा जो आतंकियों की भागने में मदद करे। फिर आतंकियों ने एक हेड गार्ड की हत्या कर दी। यह भी सबूत है वह भगाए नहीं गए बल्कि सुरक्षा घेरा तोड़कर भागे। आतंकियों के मरने पर राजनीति क्यों? जो आतंकी मारे गए वह थे तो देश के दुश्मन ही, कोई देशभक्त तो नहीं मारा गया। फिर आतंकी के मारे जाने पर राजनीति क्यों? आतंकी तो आतंकी ही है देश का दुश्मन ही है। किन्तु हमारे देश के नेताओं को यह आदत पड़ गई है कि वह हर बात में राजनीति करते हैं। कभी गुजरात के दंगे का मसला उठाते हैं, कभी इशरत जहां का मामला उठाते हैं जबकि यह तय हो चुका है कि इशरत जहां आतंकी थी अमेरिका में हेडली ने बयान दिया है कि उसके सम्पर्क थे। इसी प्रकार गुजरात

का दंगा एक क्रिया की प्रतिक्रिया थी यानी एक समुदाय ने दो रेल खड़े कोच में आग लगाकर जीवित व्यक्तियों को जला दिया था। अब क्या उन जीवित व्यक्तियों के हमदर्दो को क्रोध नहीं आना था अगर आपके भाई बिरादर को कोई जीवित जला दे तो आप क्या हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे। गुस्से में आकर उस व्यक्ति को जीवित जलाने का प्रयास नहीं करेंगे, अवश्य करेंगे। क्योंकि अपने या अपनों की हानि पर व्यक्ति को क्रोध आता ही है, समुदाय कोई भी हो। नेताओं को यह ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। इससे उनका भला नहीं होता क्योंकि वही पुरानी बात क्रिया की प्रतिक्रिया यदि एक दल गुजरात के दंगे की बात छेड़ता है तो दूसरा काँग्रेसी दंगे की बात छेड़ देता है आपसी कटुता बढ़ती जाती है यदि हम आपसी कटुता त्याग दें और सामान्य विचार रखे, सही सोच रखे तो बहुत से झगड़े दोहराए नहीं जा सकते।

राजनीतिक हस्तक्षेप पर याद आया कि एक सैनिक ने आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि उस सैनिक को 20 हजार से अधिक पेंशन मिल रही थी। लेकिन उसकी कुछ और मांग भी थी, सम्भवतः वन रंक वन पेंशन वाली चिन्ता भी उसे थी और इसी में उसने आत्महत्या कर ली। लीजिए साहब शुरू हो गई सियासत उसके घर पर जमावड़ा लगने लगा। उसके घर पर नेता लोग जाने लगे, तरह–तरह के बयान आने लगे। एक मुख्यमंत्री ने बहुत सही बात कही कि सच्चा सैनिक, सच्चा सिपाही आत्महत्या नहीं करता। क्योंकि उसने देश की सुरक्षा की कसम खाई है। लेकिन वाह रे हमारी राजनीति इस पर सियासत हो रही है सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। क्यों भाई इसमें दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार या किसी भी प्रान्त या केन्द्र की सरकार की क्या जिम्मेदारी है, आत्महत्या कर ली, पूछ कर तो नहीं करी, दिल्ली सरकार ने एक करोड़ का मुआवजा

ऐलान कर दिया। क्यों ? क्या वह एक करोड़ का मुआवजा लेने के लिए मरा है क्या मुआवजे से उसके मरने की भरपाई हो जाएगी। आम आदमी इन सवालों को लेकर परेशान है लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती। अरे उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है वह सैनिक जो बर्फ में, रेगिस्तान में, बारिश में, सर्दी–गर्मी के मौसम में खड़े सीमा पर चौकसी करते हैं और दुश्मन की गोली से मारे जाते हैं। एक करोड़ देने हैं तो उनको दिए जाने चाहिए। एक शहीद सैनिक के परिवार की महिला ने गृहमंत्री से यह सवाल किया कि हर बार सैनिक ही क्यों मरता है, हर हफ्ते एक सैनिक क्यों मर रहा है, अब गृहमंत्री क्या जवाब देते, भावुक हो गए, सेना की तो नौकरी ही ऐसी है कि देश की सुरक्षा में जान ली भी जाती है, और जान दे भी सकते हैं। शहीदों की शाहदत पर राजनीति करना नीचता है। मीडिया को भी इस सन्दर्भ में सतर्क रहना चाहिए और ऐसी सियासत से बचना चाहिए। याद आ रहा है आतंकियों ने मोहन चन्द्र शर्मा नाम के एक इंस्पेक्टर को मार दिया था, इस पर सियासत शुरू हुई कि वह मोहन चन्द्र शर्मा आतंकी की गोली से नहीं मरा बल्कि वह पुलिस की गोली से मरा है। झूठ और सच का एक सिद्धान्त है। अगर झूठ को बार–बार बोला जाए तो कभी–कभी वह सच के बराबर ताकतवर हो जाता है। यह बात साधारण रूप से देखने में आती है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति जरा जोर से बोलता है अपनी बात को वजन देकर बोलता है और सच बोलने वाला व्यक्ति अपनी सज्जनता में चीखता चिल्लाता नहीं। इसीलिए आज के दौर में झूठे, बाहुबली, माफिया, सच्चे–सज्जन और शांतिप्रिय व्यक्तियों पर हावी हैं। आत्महत्या करने वाले को कोई मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए। मुआवजा केवल उनको दिया जाना चाहिए, जो देश की

सुरक्षा में अपने प्राण गँवाते हैं। एक प्रसंग और याद आ रहा है, गौकशी करते हुए भीड़ ने अखलाक को मार दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी तुष्टिकरण की नीति के अन्तर्गत उसके परिवार को यह मानकर कि उसे गलत मारा गया वह गौकशी नहीं कर रहा था लगभग 50 लाख रुपये और एक व्यक्ति को नौकरी दी। अब अदालत से और फोरेंसिक जांच से यह तय हो गया कि अखलाक गौकशी ही कर रहा था। तब क्या वह मुआवजा वापस लिया जाएगा और उन लोगों को बांटा जाएगा, जिन्हें इस जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई। नहीं ऐसा नहीं होगा। इस तुष्टिकरण और आरक्षण के जमाने में वोटों के सौदागर कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहते जिससे दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग उनसे नाराज हो जाए और भविष्य में उन्हें वोट ना मिले इसीलिए शहीदों की शाहदत पर भी सियासत होती है, सीमा पर मरने वाले सैनिक को कोई मुआवजा नहीं होता। आत्महत्या करने वाले सैनिक को मुआवजे का ऐलान होता है। यह दौर बड़ा भयानक है। इससे कब छुटकारा मिलेगा पता नहीं, कब गीता का यह श्लोक यदा– **यदा ही धर्मस्य ग्लार्नि भवति भारतः अम्युथानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाहम्यम्।** सत्य होगा। प्रतीक्षा है। ■

सत्यम वद–23

नरेन्द्र मोदी जी का अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ मे सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसा सत्य है, जो महर्षि दयानन्द के सत्यार्थ प्रकाश की भांति सज्जनों को ईमानदार व्यक्तियों को, प्रकाश स्तम्भ की भांति प्रतीत होगा और भ्रष्टाचारियों को तथा रिश्वतखोरों को आग की लपटों की तरह झुलसाएगा। कौन सा क्षेत्र ऐसा था जहाँ भ्रष्टाचार नहीं था। देश के 90 प्रतिशत लोग रिश्वतखोर हो गए हैं। भ्रष्टाचारी हो गए हैं। उनको सुधारने की जिम्मेदारी वास्तव में सरकार की है और सरकार ने यही किया। 10 करोड़ रुपये लेकर अपनी पार्टी का टिकट चुनाव लड़ने के लिए देना। चुनाव में रु. 500/– और रु. 1000/– के नोट वोटरों को बांटना यह सब कम से कम फिलवक्त रूक जाएगा लेकिन देश के चोर दिमाग वाले फिर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, जिससे रु. 500/– और रु. 1000/– के नोटों का दुरूपयोग हो सके। वस्तुतः हम भ्रष्टाचार में इतने सन चुके हैं कि कई बार नहाने के बाद भी साफ होना मुश्किल है। जिस अफसर का वेतन एक लाख रुपये है और उसे भी वह खर्च नहीं कर पाता। उसको भी रिश्वत चाहिए। जिन उद्योगपतियों को मधुमेय रोग के कारण मक्खन, मलाई, दूध, मिठाई खाना मना है और खाने में केवल दो सूखी रोटी, एक कटोरी दाल, एक सब्जी, एक दही और जरा से चावल खाते हैं, उनको भी करोड़ों में काला धन चाहिए। या तो आर्थिक असुरक्षा की भावना इतनी अधिक गहरी बैठ चुकी है कि आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित होने के लिए व्यक्ति अरबों रूपया कमा लेना चाहता है। फिल्मी एक्टर करोड़ों रूपये एक पिक्चर में काम करने के लेते हैं, क्रिकेटरों की आय करोड़ों

रूपया साल है, वह भी आयकर देना नहीं चाहते। वह भी किसी न किसी तरह से आयकर को बचाने का प्रयास करते हैं और काले धन को बढ़ाते चले जाते हैं स्विटजरलैण्ड में जिन व्यक्तियों का काला धन जमा है, वह कभी वापस नहीं आएगा। इतिहास गवाह है कि स्विटजरलैण्ड में पैसा जमा अवश्य होता है किन्तु वहां से कोई पैसा लेकर आया या चुनाव के वक्त किसी ने कोई पैसा मंगाया ऐसी जानकारी कम से कम नहीं हैं तो क्या लाभ हो रहा था उस काले धन का जो हम अपना ईमान बेचकर, अपना चरित्र बेचकर एकत्रित कर रहे थे। वस्तुतः कालाधन नींद, भूख, प्यास सबका दुश्मन है पारिवारिक सम्बन्ध केवल पैसा आधारित रह जाते हैं। शारीरिक सुख भी नष्ट हो जाता है। अधिकतर काला धन दवाओं में, शराब में खर्च हो जाता है आदमी के किसी काम में नहीं आता। फिर भी लोग इसके पीछे दौड़ते हैं। काफी समय दिया था मोदी जी ने कि जिनके पास कालाधन है, वो उसकी घोषणा कर दें तथा अर्थदण्ड आदि की कार्यवाही से बचे, केवल निर्धारित आयकर जमा करें। कुछ लोगों ने ऐसी घोषणा की किन्तु सबने नहीं की और मैं समझता हूँ जिन्होंने की उन्होंने भी सारे काले धन की नहीं की, कुछ रोक लिया अब क्या होगा। अब तो रु. 500 और रु. 1000 के नोट का लाभ उठाना है तो बैंक में अथवा डाकघर में जमा करने ही पड़ेगा और जमा करने पर यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किसने जमा किए हैं, और तब उसे भुगतना पड़ेगा आयकर का डण्डा। देश में इतना चारित्रिक पतन हो चुका है कि आदमी सही बात सुनने को तैयार नहीं है, सही रास्ते पर चलने को तैयार नहीं है। हर तरह से गलत तरीके से धन कमाने की सोचता है और उसे गलत तरीके से ही खर्च कर देता है हाथ में कुछ नहीं बचता। वैसे भी सभी सन्त महात्मा, सभी ऋषि–मुनि अब तक कहते रहे हैं कि मृत्यु के बाद सबकुछ यही पड़ा रह जाता है। आदमी यदि

ईमानदारी से सत्यनिष्ठा से, जीवन व्यतीत करे तो उसे जीवन के सभी सुख प्राप्त होते रहते हैं। लेकिन गलत रास्ते पर चलने वाला रास्ता भटक जाता है मैं मोदी जी की इस घोषणा का स्वागत करता हूं कि उन्होंने कालेधन पर यथोचित निर्णय लिया है। यह कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, यह एक प्रकार से भारत की जनता को दुर्व्यसनों से बचाने की चेष्टा है। भारत की जनता को भ्रष्टाचार के रोग से मुक्त कराने की चेष्टा है। किसी व्यक्ति विशेष, किसी दल विशेष के विरुद्ध नहीं है। बल्कि जनसाधारण के लाभ के लिए है। लाभ उनको भी होगा, जिनके पास अरबों रूपया बोरियों में कालेधन के रूप में जमा है। जब यह बोरियाँ खाली हो जाएगी, कालाधन घर से गायब हो जाएगा तो उन्हें भी अच्छी नींद आएगी, भूख भी लगेगी और गृहस्थी के सभी कार्य सामान्य रूप से सम्पन्न कर सकेंगे। कोई अत्याचार नहीं हुआ है। जब तक नये नोट चलन में नहीं आते तब तक सुविधायें भी दी गई हैं, हाँ, जिन नेताओं ने आने वाले चुनाव में वोटरों को देने के लिए कालाधन एकत्रित किया था, उन्हें अवश्य झटका लगेगा, जिन अधिकारियों के पास करोड़ों रूपया कालेधन के रूप में था उन्हें भी झटका लगेगा। लेकिन यह झटका उनमें मानसिक और शारीरिक चेतन्यता उत्पन्न कर देगा।

अभी आज के ही अखबार में पढ़ने को मिला। कि सम्भल में जो कल्कि मन्दिर का शिलान्यास होने जा रहा है उस पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने आपत्ति दर्ज की है, तथा झगड़ें पर उतारू हो गए हैं क्यों? यह अल्पसंख्यक हैं कौन? इनका भारतवर्ष से क्या लेना–देना जब सन 1947 में भारत आजाद हुआ था तभी जनसंख्या का बंटवारा भी सुनिश्चित हो गया था और जनसंख्या के आधार पर ही पाकिस्तान बना था। यह स्व. जवाहर लाल नेहरू तथा स्व. महात्मा गांधी की कुचेष्टा थी, कोई कुचक्र था, जिसके कारण उन्होंने अल्पसंख्यकों

को जाने नहीं दिया। हिन्दुस्तान में रोक लिया और इसी प्रेम के कारण महात्मा गांधी की हत्या हुई। अब तो नाथूराम गोडसे पैदा होने ही बन्द हो गए हैं अन्यथा अल्पसंख्यक प्रेमी नेताओं को कष्ट हो सकता था। वर्तमान में अल्पसंख्यक भारतवर्ष में एक अतिथि के रूप में रह रहे हैं। एक जबरिया मेहमान के रूप में रह रहे हैं। तो इन्हें अपने मेजबान की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। अल्पसंख्यकों का कोई अधिकार नहीं है कि वह हिन्दुओं के किसी भी कार्य में, किसी भी आयोजन में व्यवधान डालें। यह तो हमारे नेतागण वोटों के चक्कर में अल्पसंख्यकों को हर से प्रकार छूट दे रहे हैं अन्यथा भारतवर्ष में इनकी स्थिति वही होनी चाहिए, जो पाकिस्तान में हिन्दुओं की है। हमारे नेताओं ने इन अल्पसंख्यकों के हौंसले इतने बढ़ा दिए हैं कि कभी ये रामलीला के प्रदर्शन पर ऐतराज करते हैं, कभी ये रामडोल के जलूस पर ऐतराज करते हैं। कभी किसी मन्दिर के निर्माण पर ऐतराज करते हैं। प्रत्येक प्रकार से यह ऐतराज करते रहते हैं। हर काम में रोड़ा अटकाना अपने वर्चस्व को सिद्ध करना इनका ध्येय बन गया है। काश्मीर जहाँ प्रत्येक प्रकार की सुविधा और सहूलियत काश्मीरियों को दी जा रही है, वह भी भारतवर्ष के साथ मिलकर रहने को तैयार नहीं है। धारा 370 हटाने को तैयार नहीं है। अल्पसंख्यकों को यह सोचना चाहिए कि उनका लाभ हिन्दुओं के साथ मिलकर रहने में हैं, उनके साथ झगड़ा करके रहने में उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि कभी भी ऐसा कोई नेता देश में हो सकता है, जो इन अल्पसंख्यकों को 2 नम्बर का नागरिक घोषित कर दें और इनसे वो सभी सुख सुविधाएं वापस ले ले जिनके बल पर यह कूदते हैं, इनका मतदान का अधिकार भी समाप्त कर दिया जाए तब भी यह घुटनों में आ जाएंगे और हर बात पर ऐतराज करना बन्द कर देंगे। चूंकि यह जानते हैं कि भारतवर्ष के नेता चुनाव में उनके आगे पीछे घूमते हैं

इसलिए इनके मन–मस्तिष्क दूषित हो गए हैं। यह हिन्दुस्तान में ही हिन्दुओं की खिलाफत करते हैं। जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। भारतवर्ष में रहकर गिलानी और मलिक जैसे लोग पाकिस्तान समर्थक नारे लगाते हैं, काश्मीर के अवाम को फौजों पर हमला करने के लिए पत्थर देते हैं और हमारे नेता इन अलगाववादियों को सुख–सुविधाएं प्रदान करते हैं पता नहीं इन कायर नेताओं से, इन स्वार्थी ने ताओं से देश को कब मुक्ति मिलेगी। मोदी जी से बहुत सी आशाएं हैं और यह सबसे बड़ी आशा है कि काश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दी जाए भले ही वहां सैन्य कार्यवाही क्यों ना करनी पड़े। इस सम्बन्ध में चीन के लाल चौक का उदाहरण ध्यान में रखना चाहिए। क्रांति और परिवर्तन इन दोनों में व्यवधान आते हैं किन्तु इनको चीन की तरह दबाना आवश्यक होता है।

मजहब के नाम पर भारत के संविधान का विरोध करने वाले देश के नेताओं के परमप्रिय अल्पसंख्यक तीन तलाक पर भारतीय कानून को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। वस्तुतः पिछले 70 वर्षो में हमने इतनी खुशामद की है अल्पसंख्यकों की और वोट के लिए उनके आगे–पीछे इतने घूमे हैं कि उनके दिमाग में यह बैठ गया है कि हिन्दुस्तान में हमारी बात कोई नहीं काट सकता। और इसीलिए वो हर मौके पर भारत सरकार, प्रान्तीय सरकार अथवा हिन्दुस्तान के हिन्दुओं के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। शोर मचाने लगते हैं। हर काम में व्यवधान पैदा करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण योजना के अन्तर्गत नसबन्दी का विरोध भी इन्होंने किया। यह तो एक उदाहरण मात्र है वरना आप सोचिए कि आपके कौन से त्योहार के मौके पर इन्होंने व्यवधान डालने का प्रयास नहीं किया और अब भी नेताओं की आंख बन्द है। तीन तलाक मुस्लिम औरतों के लिए अभिशाप की तरह है। मुस्लिम औरतें इसके विरुद्ध हैं और वह चाहती हैं कि इस सम्बन्ध में भारत

सरकार कोई ठोस कानून बनाए जिससे परित्यक्ता महिलाओं को भी गुजारा भत्ता मिल सके और केवल मात्र तीन बार तलाक कहने से ही तलाक न समझा जाए बल्कि जिस प्रकार भारतीय संविधान में तलाक देने का प्राविधान है, वह पूरे देश में समान रूप से प्रभावी होना चाहिए। हिन्दु हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो अथवा कोई भी कौम हो। केवल मात्र तलाक कहना नाकाफी है इसके लिए कानूनी प्रक्रिया अपनानी आवश्यक है। वर्तमान स्थिति में जबानी लपलपी से जो तलाक दे दिया जाता है। उससे मुस्लिम महिलाएँ बड़ा दुखी जीवन व्यतीत करती हैं, इनको गुजारा भत्ता नहीं मिलता। अगर वह बच्चों को अपने पास रखती हैं तो रोजी रोटी का सहारा नहीं होता। पढ़ी–लिखी महिला को घर से बाहर निकलकर नौकरी करनी पड़ती है, वह मिलनी भी आसान नहीं है और कभी–कभी नौकरी की जो शर्त होती है वह भी महिला के लिए ग्राह्य नहीं होती। कम पढ़ी लिखी महिलाओं को घरो में काम करना पड़ता है तब जाकर वह अपना और अपने बच्चों का पेट पाल पाती हैं। यह जुर्म है और महिलाओं के साथ जुल्म है। इसके विरुद्ध यदि कानून बन रहा है तो इन मजहब के ठेकेदारों को ऐतराज क्यों? और अगर ऐतराज ही है तो दो टूक बात यह है कि यह भारत को छोड़कर उस देश में जाकर बसें जहाँ इनकी शरीयत के हिसाब से देश चलता हो। जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण इनका वांछित स्थान था किन्तु यह पाप किया है महात्मा गाँधी और नेहरू ने जो इनको हिन्दुस्तान में रोक लिया और हर काम में व्यवधान डालने के लिए स्वतन्त्र कर दिया। आज बहुत से मुस्लिम देशों में तीन बार तलाक कहने पर तलाक मान्य नहीं है। अगर भारतवर्ष भी उसी प्रकार तीन प्रकार तलाक कहने को मान्यता नहीं देना चाहता तो इसमें धर्म के ठेकेदारों को क्या ऐतराज है। कानून बनना चाहिए, कानून बनाया जाना चाहिए और इसके लिए

चीन में स्थापित सिद्धान्तों को आधार बनाया जाना चाहिए। चीन में तथाकथित अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थानों पर ताला डाल दिया जाता है, रोजे नमाज पर पाबन्दी लगा दी जाती है और यह चूं नहीं बोलते क्योंकि वहां के नेता इनकी खुशामद नहीं करते, इनके आगे–पीछे नहीं घूमते। यह वहाँ केवल जनसंख्या का एक हिस्सा मात्र हैं जबकि भारतवर्ष में इनको राजनीति का हिस्सा मान लिया गया है। अगर यह भारत का कानून नहीं मानते हैं तो इनका मताधिकार भी छीन लेना चाहिए। क्योंकि एक साथ दो बातें नहीं चल सकती कि आप देश का संविधान भी ना माने और देश के संविधान पर अधिकार भी जमाए। शान्ति के साथ समझने की बात है भारतवर्ष में रहना है तो अपनी शरीयत के हिसाब से नहीं बल्कि भारतीय संविधान के, भारतीय कानून के हिसाब से रहना ही वांछनीय है अन्यथा अल्पसंख्यकों को राजनीति से माइनस कर दिया जाना चाहिए और जो दल इनके समर्थन में खड़े होते हैं। जनता को चाहिए कि उनके साथ वही व्यवहार करे जो भगवान कृष्ण के अनुसार शठे शाठयम् समाचरेत का है। युग परिवर्तित हो रहा है और सम्भवतः कल्कि अवतार हो चुका है, जिसका उद्‌देश्य ही अधर्म का नाश और धर्म की संस्थापना है। जनता का सहयोग प्रत्येक दृष्टिकोण से आवश्यक है। आने वाले समय में यदि राजनेताओं को मेरी बात समझ में आती है तो भारतवर्ष स्वर्ग के समान सुखद हो जाएगा वर्ना यदि राजनेता अब भी अल्पसंख्यक पूजन नहीं छोड़ेंगे तो इतिहास अपने आपको दोहरा सकता है, जो बड़ा भयावह होगा।

■

सत्यम वद–24

महात्मा गाँधी ने जिस सच को दबाया था उसका प्रभाव अब देखने को मिल रहा है। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो सच यह था कि ईमानदारी से जनसंख्या की अदला–बदली हो जाती। और तब न तो मुजफ्फनगर में झगड़े होते और ना ही तीन तलाक पर विरोध की बात होती और ना ही बाबरी मस्जिद का झगड़ा होता। यह महात्मा गाँधी का राजनीतिक खेल था कि उन्होंने इस सच को दबाया और पाकिस्तान जाने वाली जनता को देश में रोक लिया। जिसका परिणाम हम सब भुगत रहे हैं। आज अखबार में छपा है कि एक मौलाना ने कहा कि तीन तलाक और बाबरी मस्जिद पर समझौता नहीं। क्या खूब बात है हिन्दुस्तान में रहते हैं और हिन्दुओं के खिलाफ ही बोलते हैं। हिन्दुस्तान के संविधान को मानने से इन्कार करते हैं। कौन है यह? भारत के प्रति वफादार तो हो ही नहीं सकते। अरे भारत में रहना है तो भारत का संविधान मानना चाहिए। जिस प्रकार से चीन में चीन का कानून चलता है, रूस में रूस का कानून चलता है। और बहुत से अरब देशों में भी वहीं का कानून चलता है तो भारत का संविधान मानने से इन्कार करने वाले भारत के वफादार कैसे हो सकते हैं। तीन तलाक पर अगर मौलाना यह कहते हैं कि समझौता नहीं हो सकता तो सरकार को भी समझौता नहीं करना चाहिए इसके सन्दर्भ में कानून बना देना चाहिए और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मान्यता समाप्त कर देनी चाहिए। अपना देश अपनी ही जनता के सामने झुके। यह कदापि मंजूर नहीं होना चाहिए। अल्पसंख्यकों का बार–बार भारत संविधान विरोधी बयान और उस पर सरकार की

चुप्पी कदापि उचित नहीं है। हर त्यौहार के मौके पर इनके द्वारा आपत्तियाँ जतायी जाती है। जो कदापि उचित नहीं है। कभी जलूस निकालने पर कभी मंदिर में आरती करने पर ये एक फैशन बन गया है हर मौके पर अपना विरोध जताना अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सर्वथा अनुचित है। जहाँ तक तीन तलाक का प्रश्न है मुस्लिम महिलाएँ भी चाहती हैं कि इस सन्दर्भ में परिवर्तन हो। पढ़े–लिखे मुसलमान भी यही चाहते हैं। कि तीन तलाक की प्रथा अच्छी नहीं है तो केवल कुछ कट्टरपंथियों की बात मानना और तीन तलाक पर उनके सामने झुक जाना सरकार की कमजोरी दर्शाएगा। और सरकार को कमजोर नहीं होना चाहिए। न्याय का सिद्धान्त है राजतंत्र की नीति है भय बिन होई न प्रीत। जहाँ राजा को जनता से प्यार करने का सुनिश्चित कर्त्तव्य है, जनता की सुरक्षा उसका दायित्व है। वहीं राजतंत्र के प्रति जनता को भी हर नियम, हर कानून स्वीकार होना चाहिए और कानून में अगर दण्ड का प्राविधान, अगर भय का प्राविधान नहीं है तो उसको मानना सम्भव ही नहीं होता। इसलिए राजतंत्र का भय भी आवश्यक है। जहाँ तक बाबरी मस्जिद का प्रश्न है, जहाँ तथाकथित बाबरी मस्जिद थी, वह जमीन खसरा खतौनी में राजा दशरथ के नाम दर्ज है। इसलिए वहाँ पर बाबरी मस्जिद का अस्तित्व सोचना ही सरासर भूल है। खुदाई में जिस प्रकार के अवशेष मिले हैं। भूभाग पर जिस प्रकार के गुम्बद बने हुए हैं और जिस प्रकार की इमारत है, वह सब मन्दिर के द्योतक है, मस्जिद का कोई चिह्न वहां नहीं हैं। आज तक कभी वहां नमाज पढ़ी गई हो, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। अल्पसंख्यकों को अड़ियल रूख त्याग देना चाहिए। कट्टरपंथी छोड़ देनी चाहिए और हिन्दुओं के हित में तथाकथित बाबरी मस्जिद का मुद्दा त्याग देना चाहिए इसी में देश की भलाई है, इसी में अल्पसंख्यकों का हित है। झगड़े–दंगे, विरोध अवरोध मनुष्य

की उन्नति में बाधक होते हैं। भारतवर्ष का राजतंत्र चाहता है कि अल्पसंख्यक महिलाओं को वही अधिकार मिले, जो हिन्दु महिलाओं को है, वह भी देश के प्रत्येक कर्मक्षेत्र में अपना दायित्व निभाएं। मैं सरकार को भी यह सुझाव देना चाहता हूँ कि अँग्रेजी शासन के विरुद्ध सर्वप्रथम क्रांति सन 1857 में हुई, जिसने उनको भयभीत कर दिया। तत्पश्चात सन 1942 में क्रांति हुई। आदि से अन्त तक अँग्रेजों के विरुद्ध नेताजी सुभाष चन्द्र बोस युद्धरत रहे। बहुत से क्रांतिकारियों ने अपने प्राण भी गँवाए अँग्रेजी शासन की जब नींव हिल चुकी थी तब महात्मा गाँधी अफीका में हुए अपने अपमान का बदला लेने के लिए भारत में आए और पूरी परिस्थिति का जायजा लेने के बाद उन्होंने अहिंसा आन्दोलन छेड़ दिया। अँग्रेज पहले ही हिंसा से हिल चुका था। अतः उसने देश को आजाद करने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन चलते–चलते पाकिस्तान का विष वृक्ष बो गया और महात्मा जी ने अल्पसंख्यकों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। काँग्रेस शासन था इसलिए नोट पर महात्मा गांधी का चित्र छपने लगा। अब कम से कम मैं यह चाहता हूँ और जनता से भी पूछ लिया जाए कि 2000/– या 1000/– या 500/– के किसी नोट पर नेताजी सुभाषचन्द बोस का चित्र छपना चाहिए और 100/– 50/– 20/– और 10/– के किसी एक नोट पर भगतसिंह का फोटो छपना चाहिए। आशा है सरकार तक मेरी आवाज पहुंचेगी और वह इस पर विचार करेगी। क्योकि यह शहीदों को और नेताजी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

नोटबन्दी हुई। सम्भवतः सरकार पूरी तरह तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से बैंकों में नोट की कमी रही। ए.टी.एम. से भी पूरा काम नहीं हुआ किन्तु धीरे–धीरे स्थिति सामान्य हो रही है आवश्यकतानुसार वांछित धन बैंकों से मिल रहा है। जनता को कोई परेशानी नहीं है।

जनता कोई विरोध नोटबन्दी का नहीं कर रही। किन्तु नेतागण रोज एक नई बात निकालकर नोटबन्दी के विरोध में खड़े हो जाते हैं। जनता से जाकर पूछते हैं और बार–बार यह शोर मचाते हैं कि नोटबन्दी वापस ली जाए अथवा नोट बदलने की सीमा बढ़ाई जाए। अफवाहें खूब उड़ रही हैं, जिन पर जनता को विश्वास नहीं करना चाहिए। किन्तु जो सत्य है उसकी जांच की जानी आवश्यक है। ज्ञात हुआ है कि जन धन योजना में गरीबों के खातों में करोड़ों रूपया जमा हो गया। यह रूपया कहाँ से आया। किन लोगों ने जमा कराया। इसकी जाँच होनी आवश्यक है क्योंकि जिन लोगों को जन–धन योजना में बैंक में खाते खुले थे, उनके पास तो इतना पैसा था नहीं कि वह खाते में जमा कराते। अवश्य ही यह कुछ लोगों ने बहला–फुसलाकर अपना कालाधन उनके खाते में जमा कराया है, इसकी जांच आवश्यक है एक कद्दावर नेता ने केवल तीन घंटे के अन्दर दि. 9–11–16 को घोषणा के बाद लगभग 100 करोड़ के नोट बदल लिए, एक नेता ने अपने सभी मिलने वाले विधायकों को बदलने के लिए करोड़ों रूपये के नोट भेज दिए हैं। यह अफवाहें जनता को दिग्भ्रन्त कर रही हैं। उनका नेताओं पर तो गुस्सा है ही, नोटबन्दी पर भी कभी–कभी आक्रोश दिखता है, क्योंकि जब आदमी क्रोध में होता है, तो कोई भी बात सामने आए उस पर अपना क्रोध उतारता है। ईमानदार लोगों के पास न तो आवश्यकता से अधिक बदलने के लिए था, न जमा करने के लिए था अतः उनको तो कोई परेशानी नहीं हुई, आरम्भ में थोड़ी दिक्कत नोट बदलने में हुई। अथवा ए.टी.एम. से निकालने में हुई अब वह भी दूर हो गई है। लेकिन यह कालेधन के हिमायती नेता अभी भी नोटबन्दी को वापस लेने के लिए अड़े हुए हैं। कुछ कह रहे हैं कि नोटबन्दी की नीति में बदलने के लिए समय बढ़ाया जाना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कभी यह कहते थे कि

वह भ्रष्टाचार दूर करेंगे व रिश्वतखोरी के खिलाफ हैं आज वह भी नोटबन्दी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के समर्थन में खड़े हो गए हैं। वैसे बहुत से नेताओं ने केवल अपना उद्देश्य यह बना लिया है कि मोदी जी यदि मुस्कुराये तो उसका विरोध करो, यदि भावुक हो जाए तो उसका विरोध करो। यदि कोई घोषणा करें तो उसका विरोध करो और कोई देशहित की बात करें तो उसका विरोध करो। विरोध पर याद आया पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, इस पर भी विरोध हुआ। खुश होने की बजाय नेताओं ने प्रधानमंत्री और सेना की आलोचना शुरू कर दी। कितने आश्चर्य की बात है कि बंगाल की मुख्यमंत्री जो बड़ी सीदी–सादी सादगीभरी जिन्दगी व्यतीत करती है और भ्रष्टाचार की विरोधी कही जाती है, वह भी नोटबन्दी के विरोध में आ गई। केवल नेताई चमकाने के लिए अथवा विरोध वास्तविक है अथवा विरोध में कोई दम है, विरोध सकारात्मक होना चाहिए, केवल आदतन विरोध नहीं होना चाहिए। प्रशंसा के पात्र हैं नीतिश कुमार जिन्होंने नोटबन्दी का समर्थन किया है। लालू प्रसाद यादव तो इस बारे में कुछ बोले ही नहीं। मुलायम सिंह जी भी अधिक मुखर नहीं हुए। किन्तु काँग्रेस, बसपा अधिक शोर मचा रहे हैं। अपने मुँह से कुछ भी कहते रहे। लेकिन इसके द्वारा जनता में यह सन्देश जा रहा है कि सम्भवतः इस योजना से इनको धक्का लगा है। क्योंकि दुखी वही होता है, जिसको हानि होती है अथवा हानि की सम्भावना होती है। आम जनता एटीएम से भी पैसे ले रही है, नोट भी बदल रही है और बैंक से भी मिल रहे हैं। अब वह जो कमी थी वह खत्म हो गई। लेकिन नेताओं का मन विरोध से नहीं भरा। जनता की समझ में आ गया है कि नोटबन्दी होने से कालाधन समाप्त होगा और कालाधन समाप्त होने से महँगाई दूर होगी। आतंकवाद और नक्सलवाद के पैर टूट जाएंगे। डकैतों की डकैती तथा फिरौती व रंगदारी मांगने पर भी ताला लग जाएगा।

होटलों में जो अय्याशी होती थी। उस पर भी लगाम लगेगी। क्योंकि यह सारे काम कालेधन से होते थे। शादियों में फिजूलखर्ची, शिक्षा के क्षेत्र में भारी–भारी डोनेशन कालेधन में ही लिए जाते थे। उस पर भी लगाम लगेगी। जनता को कुछ दिन बाद यह पूरी तरह से अहसास हो जाएगा कि नोटबन्दी से उसे लाभ हुआ है। भ्रष्टाचारी अवश्य कुछ दिन रोएंगे लेकिन धीरे–धीरे वह भी लाइन पर आ जाएंगे। मोदी जी को इस सन्दर्भ में विपक्ष के आगे किसी प्रकार की ढिलाई नहीं दिखानी चाहिए। अपने निश्चय पर, अपने निर्णय पर अटल रहना चाहिए यही देशहित में है।

भयंकर रेल दुर्घटना हुई। 150 से अधिक लोग मारे गए। सैकड़ों लोग घायल हुए। कौन जिम्मेदार है। सरकार कुछ अफसरों को निलम्बित करके एक दो का स्थानान्तरण करके, मुआवजे की घोषणा करके और मंत्री जी अपना वक्तव्य देकर खानापूर्ति कर लेंगे और अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर लेंगे। लेकिन जिनके घर के सदस्य हताहत हुए हैं। उनका क्या होगा। केवल कुछ पैसे मिलने से तो दर्द कम नहीं होता। दर्द तो उचित उपचार से समाप्त होता है। यदि दर्द उठने से पहले उचित परवाह की जाए, देखभाल की जाए तो दर्द नहीं उठता। बचाव हो जाता है। इसी प्रकार यदि भारतीय रेलों की उचित देखभाल की गई होती। तो यह दर्द ना होता। लेकिन पिछले 70 सालों में वही अँग्रेज की बिछायी हुई पटरियाँ, वही पुराने डिब्बे चलते रहे। गुणवत्ता में कमी आती गई और किसी ने ध्यान नहीं दिया। दो मंत्री अवश्य ऐसे हुए हैं, जिन्होंने दुर्घटना में जिम्मेदारी का अहसास करते हुए त्याग पत्र दे दिया। लेकिन रेल की पटरियाँ नहीं बदली गई। पटरियों के नीचे बिछे गले–सड़े स्लीपर भी चलते रहे। नट–वोल्ट ढीले हो गए तो उनको कसने की जहमत नहीं उठाई गई। नए डिब्बे, नए कोच बनाने पर ध्यान नहीं दिया गया। नई रेल लाइनें नहीं बिछाई गईं।

कोहरा हर साल पड़ा लेकिन कोहरे के खिलाफ कोई ऐसा अभियान नहीं चलाया गया, जिससे गाड़ियाँ सुरक्षित और सही समय पर चलती रहे। कोहरे के दिनों में गाड़ी का संचालन बन्द करना उचित माना गया। लेकिन कोहरे से लड़ने के उपाय नहीं ढूँढे गए। द्वितीय श्रेणी शयनयान में वही पुरानी खिड़कियों को बन्द करने का तरीका। अब तक चल रहा है। खिड़कियाँ पूरी तरह बन्द नही होती। बरसात में पानी और जाड़ों में हवा तीव्र गति से आती है और शयनयान के यात्री बैठकर रात गुजारते हैं। कोई ध्यान कभी नहीं दिया गया। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि रेल मंत्री ने अचानक किसी गाड़ी में बैठकर यात्रा की हो और गाड़ी के संचालन पर ध्यान दिया हो। पिछले 70 सालों में सभी मंत्री वातानुकूलित कक्षों में बैठकर हैलीकाप्टर से ही जाँच–पड़ताल करते रहे हैं और आज भी वही ढर्रा चला आ रहा है। वर्तमान रेलमंत्री जी ने कभी रेलवे ट्रैक की जाँच हेतु किसी गाड़ी में सफर किया हो ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। द्वितीय श्रेणी शयनयान की खिड़कियाँ अब भी वैसी ही हैं। यदि मंत्री महोदय से आप पूछे कि खिड़कियाँ कैसी है, तो वह शायद बता भी ना पाए। क्योंकि वह द्वितीय श्रेणी शयनयान में मंत्री बनने के बाद बैठे ही नहीं हैं। किसी भी कोच की द्वितीय श्रेणी शयनयान की खिड़की पूरी तरह बन्द नहीं होती। यात्री बरसात में और जाड़ों में बैठकर रात गुजारते हैं। ऐसी बहुत सी सुविधाएँ हैं, जो यात्रियों को दी जा सकती हैं। यात्री किराया बढ़ाने का विरोध नहीं करते। लेकिन वह सुविधा चाहते हैं। मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए कि द्वितीय श्रेणी शयनयान में खिड़कियाँ ठीक कराई जाएँ। कोई नया तरीका ऐसा निकाला जाए जिससे खिड़की सही प्रकार से बन्द हो सके। द्वितीय श्रेणी शयनयान में कम्बल, चादर, तकिये की व्यवस्था भी होनी चाहिए। यदि कोई यात्री यह सुविधा चाहता है तो आरक्षण फार्म में ही इस सुविधा हेतु उल्लेख

होना चाहिए और इसके लिए अलग से शुल्क निर्धारित करके टिकट में जोड़ देना चाहिए। यात्री कभी मना नहीं करेगा। किन्तु इस सुविधा से वह बिस्तर आदि बाँधकर चलने से बच जाएगा। जहाँ तक टिकट वापसी का प्रश्न है। यदि कोई यात्री तिथि बदलवाना चाहता है तो उसकी व्यवस्था निःशुल्क होनी चाहिए। जिस तारीख को शायिका उपलब्ध हो उस तारीख को निःशुल्क बदला जाना चाहिए। टिकट कैंसिल करने में पैसे काटने की व्यवस्था भी न्यूनतम होनी चाहिए यह दण्ड के रूप में नहीं होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को किसी व्यवस्था के कारण अपने टिकट पर भेजना चाहता है तो इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे रेलवे को नुकसान न हो और उस व्यक्ति को यह सुविधा मिल जाए कि वह अपने स्थान पर किसी और को भेज सके। रेल मंत्रालय में जो सलाहकार समिति अथवा सदस्य नियुक्त हैं उनको यह दायित्व सौंपा जाना चाहिए कि कम से कम 10 हजार किमी. प्रति वर्ष रेल में अवश्य सफर करें और गाड़ियों के रख–रखाव, पटरियों के रख–रखाव व उनकी जाँच पर अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को दें। केवल अपने निकटतम व्यक्तियों को रेल मंत्रालय में सदस्य बनाकर रखना और उनको मुफ्त यात्रा का लाभ प्रदान करना तथा अन्य भत्ते आदि देना और काम कुछ न लेना। एक प्रकार से जनता के साथ विश्वासघात है। प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। और भी बहुत सी सुविधाये हैं, जो यात्रियों को दी जा सकती हैं। सभी सदस्यों से पूछना चाहिए कि उनकी राय में और क्या सुविधा यात्रियों को दी जा सकती हैं। यदि हम सत्ता में बने रहना चाहते हैं तो हमें उस जनता को सुविधा देनी होगी। तभी हम सत्ता में बने रह सकते हैं। हर दुर्घटना पर केवल मुआवजे की घोषणा करना और रटे–रटाये यह शब्द कहना कि इस दुर्घटना की जाँच कराई जाएंगी और दोषियों को बख्शा नहीं

जाएगा। जनता के दुखों पर मरहम नहीं लगा सकता। जो लोग दुर्घटना में हताहत होते हैं, उनके परिवार को हुई क्षति को शब्दों से नहीं आंका जा सकता और आंकना भी नहीं चाहिए। मंत्री जी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मैं अभी इलाहाबाद गया था। जहाँ प्रातःकाल 6 बजे हरिद्वार–इलाहाबाद एक्सप्रैस गाड़ी पहुंचनी थी किन्तु वह दोपहर बाद 3 बजे पहुँची। कार्यक्रम प्रातः 10 बजे से 11. 30 बजे तक जिसमें महामहिम राज्यपाल पश्चिम बंगाल पधारे थे। मैं कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सका। उस गाड़ी में जिस डिब्बे में मैं बैठा था, वह रगड़कर चल रहा था, हर बार गाड़ी बन्द होने पर और पुनः चलने पर बड़ी भयावह आवाज होती थी। किन्तु किसी भी स्टेशन पर गार्ड या ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया, उसमें भी दुर्घटना हो सकती थी। गाड़ियाँ 10–10 या 12–12 घण्टे लेट क्यों हो जाती है, इस पर कोई शोध नहीं किया गया। मंत्री महोदय ने कभी यह जानने का प्रयास नहीं किया कि यदि कोई गाड़ी 12 घण्टे लेट हुई है तो क्यों हुई? यदि कोहरे या बरसात के कारण गाड़ियाँ लेट होती हैं, और हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है तो गाड़ियाँ बन्द कर देनी चाहिए। यदि हम सुरक्षित और सुविधाजनक रेलयात्रा उपलब्ध नहीं करा सकते। तो हमें रेलमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। केवल शाब्दिक भाषण जनता के लिए उस दुख को दूर करने का कार्य नहीं कर सकते, जो असुरक्षित रेलयात्रा में यात्रियों के हताहत होने से होता है। आशा है रेलमंत्री अवश्य ही इस पर ध्यान देंगे।

■

सत्यम वद–25

इस सत्य का सभी को पता था कि देश में कालेधन की अर्थव्यवस्था हावी है। अधिकांश कार्य कालेधन पर आधारित हो गया था। बिना सुविधाशुल्क दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा था और सुविधाशुल्क सदैव कालेधन में दिया जाता था। भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर था। ऐसे में कोई क्रांतिकारी घोषणा की जानी आवश्यक थी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने नोटबन्दी का ऐलान करके यह क्रांतिकारी घोषणा कर दी और एक प्रकार से भ्रष्टाचार पर भरपूर वार किया किन्तु कहावत है कि चोर चोरी से जाए पर हेराफेरी से ना जाए। वह सिद्ध हो गई। रात को 8 बजे यह घोषणा हुई कि 12 बजे से 1000 व 500 के नोट का चलन बन्द हो जाएगा यह केवल खास–खास स्थान पर चलेंगे अथवा बैंक में जमा किए जाएंगे और इस चार घंटे के बीच में करोड़ों रूपये का खेल हो गया, जिसका जिस बैंक में प्रभाव था उसने 1000 व 500 के नोट देकर उसके बदले में या तो नई करेन्सी ली अथवा 100 व उससे छोटे नोट ले लिए। यह 4 घण्टे बड़े कातिल साबित हुए इस घोषणा के लिए फिर भी विपक्ष ने हल्ला किया कि समय कम दिया गया और अधिक समय दिया जाना चाहिए, नोट बदलने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने कुछ ढील दी किन्तु विश्वासघाती लोग इतने सक्रिय हैं कि उन्होंने आनन–फानन में बैंक अधिकारियों से सांठगांठ की, चार्टेड एकाउण्टेंट से सांठगांठ की और रिजर्व बैंक तक में घुसपैठ बना ली। नतीजा यह हुआ कि जो नई करेन्सी बैंकों को भेजी गई, जिसका उपयोग ए.टी.एम. में अथवा नोट बदलने में या जरूरतमन्द को नोट देने में होना चाहिए था, वह नहीं हुआ बल्कि रास्ते में ही नई करेन्सी कमिशन पर बदल दी गई। सम्भवतः प्रधानमंत्री

जी को यह आशा नहीं थी कि देश में इतने बड़े भ्रष्टाचारी है, इतने बड़े माफिया हैं कि वह रिजर्व बैंक तक में सेंध लगा सकते हैं तथा बैंकों की शाखाओं में अपनी दबंगई अथवा अपने प्रभाव का प्रयोग करके नोटबन्दी के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। करोड़ों रूपये की करेन्सी बैंकों से बाहर व्यक्तिगत लोगों के पास से पकड़ी गई है। अभी यह खुलासा नहीं हो रहा है कि बैंक से बाहर पकड़ी गई अनगिनत नई करेन्सी किस माध्यम से उन व्यक्तियों के पास पहुँची जिनको केवल एक दिन में 2500/– अथवा सप्ताह में 24000/– निकालने का अधिकार था। नई करेन्सी करोड़ों की और लाखों की संख्या में एक–एक व्यक्ति के पास मिली है। बैंकों के ए.टी.एम. खाली हो गए। बैंकों मे बैंक कर्मचारियों के ही भ्रष्टाचार की वजह से नो कैश का बोर्ड लग गया और जिनको नई करेन्सी मिलनी चाहिए थी वह वंचित रह गए। भ्रष्टाचार इस सीमा तक हुआ कि शादी वालों को 2,50,000/– रूपये कई जगह पर नहीं मिल सके, लम्बी–लम्बी लाइनें बैंकों के बाहर लग गई और जब तक आधी लाइन पूरी हुई तब तक वहां नो कैश का बोर्ड लग गया। जब सारी नई करेन्सी बैंक से बाहर व्यक्तिगत हाथों में आ चुकी थी तब बैंकों में एटीएम में रहने का प्रश्न ही नहीं था। विपक्ष ने प्रधानमंत्री की इस घोषणा को असफल बनाने के लिए प्रत्येक प्रयास किया। दुर्वचनों का प्रयोग किया। अपशब्दों का प्रयोग किया। प्रधानमंत्री की इस घोषणा को व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति बताया। कुछ दुर्घटनाएँ भी इस दौरान हुई। लाइन में कुछ लोग खड़े–खड़े तनाव को बर्दाश्त नहीं कर सके, कुछ लोगों को रोजगार छूटने की वजह से और धन की प्राप्ति ना होने के कारण जीवन से हाथ धोना पड़ा और विपक्ष ने इसका दुष्प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सारी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार पर डाल दी। करोड़ों का कालाधन बाहर आया और पकड़ा गया। इसके लिए शाबाशी के दो शब्द किसी के पास नहीं थे, विपक्ष का हर बड़ा नेता

पानी–पी–पीकर इस योजना के खिलाफ बोल रहा था किन्तु भारत की जनता बहुत धैर्यवान है। दुर्घटनाओं के बावजूद भी बैंक में भ्रष्टाचार के बावजूद भी जनता ने इस योजना का स्वागत किया और किसी प्रकार का कोई हंगामा नहीं हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने भी दंगों की आशंका जताई लेकिन वह भी निर्मूल सिद्ध हुई, नेता, अभिनेता, क्रिकेटर, जनसाधारण सभी ने इस योजना का स्वागत किया। यदि बैंक अधिकारी और कुछ दबंग लोग गड़बड़ी न करते तो इस नोटबन्दी की घोषणा के कारण जो दुर्घटनाएँ हुई वह रूक सकती थीं, विश्वासघात बैंक अधिकारियों ने किया, विश्वासघात में कहीं–कहीं पुलिस भी शामिल रही। चार्टेड एकाउण्टेंट, बड़ी बडी कम्पनियाँ जिन्होंने कालाधन एक वर्ष का वेतन एडवांस में बांटकर खपा दिया, भी शामिल रहे किन्तु अब स्थिति नियत्रण में आ गई है, जनता ने नोटबन्दी को ग्रहण कर लिया है और सहनशीलता के साथ एटीएम से और बैंकों से धन प्राप्त कर रही है, एटीएम के बाहर लगने वाली लाइन भी छोटी हो गई हैं। सत्य कभी भी दबता नहीं। जिस प्रकार सूरज कभी–कभी बादलों के अन्दर आ जाता है, उसी प्रकार झूठ और भ्रष्टाचार भी सच के ऊपर आकर उसे दबाने का प्रयास करता है किन्तु अन्तवोगत्वा जीत सत्य की ही होती है और यही हुआ मोदी जी की नोटबन्दी नीति पूरी तरह सफल है।

वर्तमान समय में राजनीति में दो राजकुमार सक्रिय हैं, एक कॉंग्रेस से, एक सपा से। अभी सुनने में आया है कि सपा के राजकुमार कांग्रेस से गठबन्धन की आशा कर रहे हैं, कुछ उनकी पारिवारिक परेशानियाँ हैं, जिसके कारण वह गठबन्धन के प्रति झुक रहे हैं। किन्तु सपा में और कांग्रेस में बड़ा भारी अन्तर है। यूँ तो दोनों का एक ही उद्देश्य है कि भाजपा को हराओ, हिन्दुओं को दबाओ और अल्पसंख्यकों को आगे लाओ। दोनों पार्टी अल्पसंख्यकों के हित के लिए प्रतिबद्ध रहती है, उन्हीं के सहारे चुनाव लड़ती हैं, उन्हीं के अधिकांश व्यक्तियों को

प्रत्याशी बनाया जाता है और उनको प्रत्येक ऐसे प्रलोभन तथा लोक लुभावन आश्वासन दिए जाते हैं, जिससे वह भाजपा के विरुद्ध कांग्रेस और सपा को ही वोट दें। किन्तु दोनों राजकुमारों में वैचारिक भिन्नता है। दोनों की सोच अलग है, दोनों के तौर तरीके अलग हैं। कांग्रेस के राजकुमार 24 घण्टे अपनी बाँहें चढ़ाए रहते हैं, तल्ख तेवरों में कटु वचनों का प्रयोग करके वक्तव्य देते हैं, उनके पास कोई नई सोच नहीं है, उनके पास कोई विकास का एजेण्डा नहीं है, केवल एकमात्र एजेण्डा जो उनके पास है, वह मोदी के विरोध का है। मोदी ने सूट कैसा पहना, मोदी के कपड़े कितने करोड़ के हैं, मोदी की घोषणा मूर्खतापूर्ण है, मोदी ने गरीबों को नुकसान पहुंचाया और अमीरों को लाभ पहुंचाया, नोटबन्दी की घोषणा करके। यानी अगर मोदी जी मुस्कुराए हैं तो कांग्रेस के राजकुमार तुरन्त यह कहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री हंस रहा है और गरीब जनता नोट प्राप्त करने के लिए लाइन में खड़ी है, कितना ही बढिया काम मोदी जी कर दें। लेकिन कांग्रेस के राजकुमार को कभी मुस्कुराते नहीं देखा, वहीं हाथ फेंककर तल्ख लेवरों में मोदी जी के खिलाफ बोलना उनका एक सैद्धान्तिक तरीका हो गया है। 24 घण्टे में एक मिनट भी वह अन्य किसी विषय पर नहीं बोलते। अभी उन्होंने कहा कि मेरे पास मोदी जी के खिलाफ भ्रष्टाचार के बहुत सबूत हैं, मैं अगर बोलूंगा तो सदन में भूचाल आ जाएगा। लेकिन जब वह मोदी जी से मिलने गए तब उन्होंने किसी भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं किया जबकि मोदी जी ने उनसे चलते समय कहा कि आते रहा कीजिए। वहीं दूसरी ओर सपा के राजकुमार 24 घण्टे मुस्कुराते हुए बात करते हैं, कभी उनको तल्ख तेवरों में या तैश में नहीं देखा। काफी कटुतापूर्ण पारिवारिक वातावरण में रहते हुए भी उन्होंने कोई कटुतापूर्ण बात नहीं करी। उनके पास केवल विकास का एजेण्डा है, उनका एकमात्र लक्ष्य सपा को पुनः जीत दिलाना है। किसी की बुराई करना उनकी आदत में शामिल नहीं है, जिनको वह

नहीं चाहते, उनको भी नजर अन्दाज तो कर देते हैं, लेकिन बुराई नहीं करते। गरीबों को ई–रिक्शा बांटते हैं, बच्चियों को लैपटॉप बांटते हैं, जरूरतमन्दों की नकद मदद भी करते हैं तथा प्रान्त के विकास की नई–नई योजनाएँ बनाने में व्यस्त रहते हैं और उनको कार्य रूप देने का प्रयास भी करते हैं। प्रधानमंत्री के सन्दर्भ में उनको कभी कोई हलकी बात कहते नहीं सुना गया। नोटबन्दी के वह भी विरुद्ध है, प्रधानमंत्री जी का इस बिन्दु पर वह भी विरोध करते हैं, किन्तु शालीनता के साथ। दो भिन्न–भिन्न विचारों के व्यक्तियों में गठबन्धन राजनीतिक खेल तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में सदन में कब्जा करने के लिए दोनों एक हो जाएँ। किन्तु वैचारिक मतभेद के कारण आदतों में मतभेद के कारण दोनों की मिली–जुली सरकार प्रान्त का भला नहीं कर सकेगी बल्कि हो सकता है कुछ समय बाद यह गठबन्धन टूट जाए प्रथम तो इस गठबन्धन के विरुद्ध अमरसिंह हैं। श्री मुलायम सिंह ने अभी इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा है। लेकिन फिर भी सम्भव हो सकता है। किन्तु प्रान्त का इससे कोई भला होगा यह एक नकारात्मक तथ्य है, जिसको समय सच या झूठ सिद्ध करेगा।

जनाब आजम खां साहब ने बुलन्दशहर लूट और रेप काण्ड के सन्दर्भ में कहीं गई अपनी टिप्पणी पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर क्षमा याचना की। अपने पूरे कार्यकाल में अपनी कही हुई बात पर वह प्रथम बार पछताए हैं और प्रथम बार उन्होंने क्षमा याचना की है जबकि वह दिन भर में जब भी बोलते हैं तभी प्रधानमंत्री जी के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं कभी उनको हत्यारा कहना, कभी उनकी तुलना हिटलर से करना। गरज यह है कि प्रत्येक सन्दर्भ में उनकी आलोचना करना उनके प्रति अपशब्दों का प्रयोग करना आजम खां साहब की आदत बन गई है बहुत से लोग होते हैं जिनका अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं होता, मस्तिष्क कहता है यह मत बोलो

लेकिन वह बोल जाते हैं। प्रथम तो प्रधानमंत्री का पद ऐसा है, जिस पर किसी प्रकार की आलोचना करने का अथवा उंगली उठाने का अधिकार राष्ट्रपति के अतिरिक्त किसी को नहीं होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को कोई शिकायत है यदि कोई व्यक्ति विरोध में कुछ कहना चाहता है तो वह राष्ट्रपति को ज्ञापन दे सकता है, राष्ट्रपति को प्रार्थना पत्र दे सकता है लेकिन वह खुलेआम प्रधानमंत्री को हत्यारा कहे यह खुलेआम भारत के संविधान की अवहेलना ही नहीं, अपमान है। जिस प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बुलन्दशहर कांड के सन्दर्भ में की गई टिप्पणी का संज्ञान लिया और आजम खां साहब को अपनी टिप्पणी के सन्दर्भ में माफी मांगने का निर्देश दिया उसी प्रकार न्यायपालिका को अपशब्दों के और दुर्वचनों के प्रयोग पर भी संज्ञान लेना चाहिए। स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति अच्छी बात है किन्तु इसका दुरूपयोग अपराध की श्रेणी में लाना चाहिए। इसी प्रकार से फारूख अब्दुल्ला साहब है जिन्होंने अभी एक टी.वी. साक्षात्कार में भारत सरकार को सम्बोधित करते हुए कहा– कि पी.ओ.के. लेकर दिखाओ तो जाने। यह भी कहा कि – कि काश्मीर आपके बाप का है क्या? आश्चर्यजनक बात यह है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को इस पर कोई आपत्ति नहीं हुई और इसका संज्ञान भी नहीं लिया गया। जबकि यह हिन्दुओं की भावनाओं को भड़काने वाली बात थी, जबकि यह सरकार के विरुद्ध खुलेआम एक ऐलान था। विरोध होना चाहिए सत्ता का विरोध अगर नहीं होगा। तो सत्ता अनियंत्रित हो सकती है। सत्ता के पैर डगमगा सकते हैं, नियत फिसल सकती है अतः विरोध तो होना चाहिए किन्तु विरोध सकारात्मक हो यह आवश्यक है। नकारात्मक विरोध करना, जबरदस्ती का विरोध करना अकारण ही दुर्वचनों का अपशब्दों का और निम्न स्तर की आलोचना के शब्दों का प्रयोग करना अपराध की श्रेणी में माना जाना चाहिए और जिस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बुलन्दशहर

कांड पर की गई टिप्पणी का संज्ञान लिया और मंत्री महोदय को क्षमा मांगने का आदेश दिया उसी प्रकार जनाब फारूख अब्दुल्ला साहब के कटु वचनों का भी संज्ञान लिया जाना चाहिए था। सुनने में आया है कि किन्हीं बुन्दु खां साहब ने फारूख अब्दुल्ला साहब के काश्मीर के बारे में किए गए शब्दों के प्रयोग पर कोई वाद भी प्रस्तुत किया है। मैं आज तक नहीं समझ सका कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि हर दल अल्पसंख्यकों के मामले में उदारतापूर्ण रवैया अपनाता है। उनकी खुशामद में लगा रहता है, प्रत्येक प्रकार की सुविधा उनको दी जाती है, जबकि वह भारतवर्ष का कानून या संविधान भी मानने को तैयार नहीं रहते। हमारी नीति इस सन्दर्भ में चीन जैसी होनी चाहिए जहां हिन्दु हो या मुसलमान, यूरोपीयन हो अंग्रेज, अमेरिकन हो या रूसी सबके लिए एक कानून है। वहाँ पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे कोई संगठन नहीं हैं। चीन का उदाहरण दिया तो याद आया कि चीन में मेरी जानकारी के अनुसार पार्टी के एक बहुत बड़े नेता को रिश्वत लेने के आरोप में मृत्युदण्ड सुनाया गया। काश! हमारे देश में भी भ्रष्टाचारियों और रिश्वतखोरों के प्रति सख्त कानून का प्रयोग करते हुए ऐसी सजा का प्राविधान किया जाए कि दोबारा करने वाला व्यक्ति 10 बार सोचे और भ्रष्टाचार करने से दूर रहे। डर से ही राज्य चलता है लेकिन डर सज्जनों को नहीं दुर्जनों को होना चाहिए। देखिए सरकार कब चेतती है, कब उचित निर्णय लेती है, उस पर निर्भर करता है। हमें तो अपनी सोच अपनी नियत साफ रखनी चाहिए जिसके परिणाम अच्छे ही होंगे।

■

सत्यम वद–26

प्रधानमंत्री जी ने सच्ची और सटीक नोटबन्दी की घोषणा की, जिसके फलस्वरूप काफी कालाधन बाहर आया और केन्द्रीय राजस्व कोष में जमा हुआ। विपक्षी दलों ने झूठ का सहारा लेकर बार--बार यह कहा कि जनसाधारण बहुत परेशान है, लोगों को पैसा नहीं मिल रहा। नोटबन्दी से लोग मर रहे हैं। नोटबन्दी की नीति दुखदायी है। मानता हूँ कि कतिपय लोग एटीएम की लाइन में खड़े होकर परलोक सिधार गए लेकिन वह लोग कौन थे, बूढ़े और बीमार जहाँ पुत्र ने अपने बीमार और बूढ़े बाप को एटीएम की लाइन में लगा दिया। वहाँ यह दुर्घटना तो होनी ही थी फिर सवा सौ करोड़ की आबादी वाले देश में यदि छुटपुट ऐसी घटनाएँ होती है, तो इसमें नीति को दोष नहीं दिया जा सकता। नीति सर्वथा सटीक और सही थी, मेरे विचार से तो 8 बजे रात की घोषणा 12 बजे रात से प्रभावी करना भी नीति विरुद्ध रहा। घोषणा रात को 12 बजे ही होनी चाहिए थी ताकि एक घण्टे का भी समय नहीं मिलता। जनसाधारण बहुत खुश है। केवल वही नेता चीख रहे हैं। जिनकी दाढ़ी में तिनका है। नोटबन्दी की नीति के बारे में देखिए इस बन्दी के बाद दंगल फिल्म की आय रु. 200 करेाड़ से अधिक हो गई। यदि नोटबन्दी से पैसे की किल्लत हुई होती तो दंगल पिक्चर की आय 200 करोड़ से अधिक कैसे हो सकती थी, पिक्चर देखने के लिए पैसा कहाँ से आया। हर नई नीति में कुछ न कुछ परेशानी होती है और वही हुई। छोटे–मोटे कारोबारियों को पूरा पैसा नहीं मिला। लोगों की क्रय शक्ति कुछ कम हुई। साथ–ही–साथ कालेधन के बल पर दौड़ने वाली बड़ी गाड़ियों का संचालन भी सड़क

पर कम हुआ। लेकिन अभी पूरी तरह नहीं हुआ है, जितना कालाधन बाहर आया है अभी उससे भी अधिक पर्दे के पीछे है और यह पर्दे के पीछे स्विस बैंक में जमा कालेधन के अतिरिक्त है। जिस दिन स्विस बैंक में जमा कालाधन प्राप्त करने में हमारी केन्द्रीय सरकार सफल हो गई उस दिन बहुत कुछ परिवर्तित हो जाएगा। अभी उन लोगों पर छापेमारी नहीं हुई है, जो लाइन में कभी नहीं लगे। लेकिन जिनकी जेब में 2000 के नए नोटों की सैकड़ों की तादाद में सख्या उपलब्ध है। पुराने नोट 100, 50, 20, 10 के पूरी तरह प्रचलन में है। कुछ ठेकेदारों ने मजदूरों को पैसा नहीं दिया। कुछ फैक्ट्री मालिकों ने मजदूरों को पुराने नोट थमा दिए। पाकिस्तान से, नेपाल से और बंगलादेश के रास्तों से जाली करेंसी बहुत बड़ी मात्रा में भारत के अन्दर भेजने का प्रयास किया गया। हो सकता है सारी जाली करेंसी ना पकड़ी गई हो, लेकिन काफी जाली करेंसी पकड़ी गई। और खजाने में जमा हुई। कई अफवाहें उड़ायी गई। नोट से बल्ब जलता है, नोट का रंग छूट रहा है, नोट में ऐसी चिप लगी है, जिससे उसकी किस जगह पर उपलब्धता है, उसका पता चलता है। भाजपा के एक नेता की बेटी के हाथ में 2000 के नोटो की गड्डी दिखाकर अफवाह उड़ाई गई। जबकि उस भाजपा नेता के कोई बेटी ही नहीं है। सब विपक्ष की चाल थी, उस उन लोगों का शोर था, जिनके पास अकूत कालाधन है। रतन टाटा जो भारतवर्ष के सबसे बड़े व्यापारी है, जिनके पास अकूत धन–सम्पदा है, उन्होंने नोटबन्दी का समर्थन किया और बहुत से उद्योगपतियों ने नोटबन्दी का समर्थन किया, किन्तु कुछ नेता लगातार चीख रहे है, रैलियाँ कर रहे है, भूकम्प लाने का दावा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से माफी अथवा इस्तीफा माँगने की बात कर रहे हैं। इन सबकी दाढ़ी में तिनका है। होना तो यह चाहिए था कि वह विपक्ष, जो कालाधन लाने के लिए मोदी जी पर दबाव बना

रहा था, वह इस नीति का समर्थन करता। हुआ उल्टा बजाय समर्थन करने के बैंकों से सांठ–गांठ करके कालेधन को सफेद करने का प्रयास किया गया और इसमें चोरों की सहायता दलालों ने कमीशनखोर बैंक अधिकारियों ने की। मैं प्रधानमंत्री जी के साहस की सराहना करता हूँ। उनके हौसले को दाद देता हूं, उनके दृढ़ निश्चय को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने विपक्ष के लगातार हमलों के बाद भी नीतिगत निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं किया। कोई झुकाव नहीं आया। लगातार छापे लगते रहे, लगातार नई करेंसी और पुरानी करेंसी जब्त होती रही किन्तु अभी केवल 10 प्रतिशत हुआ है अभी 90 प्रतिशत बड़ी मछलियाँ बांकी है, जिन पर छापा लगना चाहिए। आश्चर्य इस बात का है कि आंकड़ों के अनुसार लगभग 20 हजार आयकर अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए किन्तु उसके लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा। यदि आयकर अधिकारियों की नियुक्तियाँ नहीं होंगी तो कालेधन वाले कैसे पकड़े जाएंगे, किस प्रकार छापे लगेंगे। किस प्रकार जांच होगी।यह सोचने की बात है। जिस राजस्व पर सारा देश निर्भर है, जिस कालेधन के सन्दर्भ में प्रत्येक विपक्षी उड़ान भर रहा है, उस कालेधन को बाहर निकालने के लिए आयकर अधिकारियों की नियुक्ति अत्यन्त आवश्यक है। यह जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। नियम तो यह होना चाहिए कि रिक्ति होने से पहले ही नियुक्ति का प्रबन्ध कर दिया जाए लेकिन होता उलटा है अधिकारी, कर्मचारी हस्तांतरित अथवा सेवानिवृत्त होकर चले जाते हैं और उनके स्थान पर नियुक्ति कई–कई महीने तक नहीं होती। प्रधानमंत्री जी को ऐसे मंत्रियों की खिचाई करनी चाहिए, जिनके यहाँ 2 वर्ष से वांछित नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं और पूछना चाहिए कि क्यों नहीं की गई। जितने सक्रिय और चेतन प्रधानमंत्री जी हैं, यदि उतनी ही चैतन्यता मंत्रियों में भी हो तो बहुत कुछ परिवर्तित हो सकता है, बहुत

अच्छा परिवर्तन आ सकता है।

आयकर अधिकारियों की नियुक्ति की बात आई तो यह भी विचार हुआ कि ऐसे और कितने महकमे है, जिनमें नियुक्ति होनी चाहिए, जिनमें बहुत बड़ी संख्या अधिकारी तथा कर्मचारी नहीं है। बचपन की याद है कि जब कभी रेल से बाहर कहीं जाते थे। तो लौटने पर स्टेशन के मुख्यद्वार तथा अन्तिम और प्रथम छोर पर भी टिकट निरीक्षक तैनात रहते थे और बहुत बड़ी संख्या में बिना टिकट लोग पकड़े जाते थे। आज स्थिति यह है कि मुख्यद्वार पर भी टिकट निरीक्षक नहीं रहता। स्टेशन की छोड़िए कई पैसेजर ट्रेन ऐसी है, जिनमें टिकट निरीक्षक चलता ही नहीं। ऐसी व्यवस्था क्यों है। क्या नियुक्तियाँ करने में कोई हानि है, क्या नियुक्तियाँ करने से रेलमंत्री का सम्मान घटता है अथवा यात्रियों की संख्या घटती है, क्या कारण है कि नियुक्तियां नहीं हो रही। वर्तमान में सत्यनिष्ठ भाजपा का शासन है, भाजपा के रेलमंत्री है, उन्हें निस्स्वार्थ भाव से सोचना चाहिए और शीघ्र अति शीघ्र नियुक्तियाँ करनी चाहिए। केन्द्र सरकार के आधीन जितने भी विभाग है, उन सबमें इस सत्र में यदि एक भी रिक्ति रहती है, एक भी वास्तविक नियुक्ति नहीं होती है। तो न तो ईश्वर क्षमा करेगा और ना जनता ही क्षमा करेगी। पुलिस विभाग है यह प्रान्तीय सरकार के आधीन है लेकिन सी.आर.पी.एफ. अथवा सी. आई.एस.एफ. या बी.एस.एफ. या आई.टी.बी.पी. या एन.एस.जी. यह तो सरकार के पास है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इनमें तत्काल प्रभाव से दुगुनी नियुक्ति और होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर के दंगों को देखते हुएं पुलिस का नियंत्रण प्रत्येक प्रान्त में केन्द्र सरकार के आधीन होना चाहिए वर्ना यह अल्पसंख्यकपरस्त नेता मुजफ्फरनगर की तरह से, कांधना, कैराना की तरह से पश्चिमी बंगाल की तरह से बहुसंख्यक को मरवाते रहेंगे। अल्पसंख्यक के साथ मिलकर उनकी

लाशों पर जश्न मनाते रहेंगे। और सत्तासीन बने रहेंगे। वर्तमान में स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है कि कभी भी गृहयुद्ध हो सकता है। छुट-पुट घटनाएं तो होती ही है, जिसमें प्रत्येक नेता अल्पसंख्यकों के साथ खड़ा हो जाता है और बहुसंख्यक अपने ही भाइयों को पकड़वाने में मददगार होते हैं। बिजनौर में पेदा कांड में हिन्दू लड़की को छेड़ा गया था, जिस पर छेड़ने वालों की पिटाई सम्भवतः लड़की परिजनों ने कर दी थी। इस पर अल्पसंख्यकों ने हिन्दुओं के विरुद्ध साजिश बनाकर हमला करने का निर्णय लिया, जिसका पर्दाफाश होने पर हिन्दुओं ने अपना बचाव किया और बचाव में आत्मरक्षा में गोली चली। अल्पसंख्यक मारे गए। हमारे नेताओं ने पूरी तरह से बहुसंख्यकों को गिरफ्तार कराया। उनके खिलाफ वक्तव्य दिए और प्रशासन को कार्रवाई के लिए मजबूर किया। यदि पुलिस बल पूरा होता तो ऐसा नहीं हो सकता था। आवश्यकता है प्रत्येक गांव में पुलिस चौकी स्थापना की। जहाँ जनसंख्या के आधार पर पुलिस बल तैनात रहे। एक सब इन्सपैक्टर या चार सिपाही से काम नहीं चलता, पुलिस में भर्तियाँ होनी चाहिए। हमारे रक्षामंत्री ने सेना में भर्तियों की बात कहीं है, सुनने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगेगा। जब भर्तियाँ हो जाएंगी। नेवी में, वायु सेना में सभी में भर्तियाँ होनी चाहिए हम चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे हुए है। यदि हम अपना सैन्यबल मजबूत नहीं करेंगे तो परिणाम बड़ा भयावह हो सकता है। इसी प्रकार सरकारी कार्यालयों में जहाँ-जहाँ भी नियुक्तियाँ हैं, उनका भरा जाना भी आवश्यक है, कम से कम केन्द्र सरकार तो अपने आधीन विभागों में यह नियुक्तियाँ 2 वर्ष के अन्दर कर सकती थीं। अब भी यदि नहीं की गई हैं तो आने वाले एक साल के अन्दर किसी भी विभाग में कोई रिक्ति न रहे। प्रधानमंत्री जी को इस सन्दर्भ में प्रत्येक मंत्री को सचेत कर देना चाहिए और एक साल बाद जिस मंत्रालय में रिक्तियाँ पाई

जाए उस मंत्रालय के मंत्री जी को घर भेज देना चाहिए। ताकि वह सरकार की बजाय घर बैठकर आराम करे। जनता को इस बारे में बड़ी शिकायत है। कि मंत्री कुछ नहीं करते। केवल करोड़ों का जलपान करना, सचिवों के साथ वार्तालाप करना, उद्घाटन करना और ऐसे मौके तलाश करना जिसमें मलाई खाने का अवसर हो। कालेधन पर कार्यवाही करने के साथ–साथ उन मंत्रियों पर भी कार्यवाही आवश्यक है, जो अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर रहे हैं।

वर्तमान घटनाक्रम समाजवादी पार्टी के सन्दर्भ में जोर शोर से जारी है टी.वी. पर प्रत्येक चैनल पर यही दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार समाजवादी पार्टी में पहले फूट हुई फिर एका हुआ और फिर सम्भवतः पटाक्षेप हुआ। श्री अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयंभू निर्वाचित हो गए। नरेश अग्रवाल, किरणमय नन्दा तथा अमर सिंह पार्टी से निकाल दिए गए। श्री मुलायम सिंह मार्गदर्शक की श्रेणी में आ गए। भविष्य के लिए यह अच्छा हुआ। श्री अखिलेश यादव ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह पूरी तरह से अल्पसंख्यकों के पीछे नहीं हैं। वह दागदार व्यक्तियों को अपराधियों को साथ लेकर चलने के लिए तैयार नहीं हैं। झगड़े की शुरूआत भी इसी प्रकार से हुई **थी** कि श्री शिवपाल यादव ने अतीक अंसारी और श्री अमर सिंह को सपा में सम्मिलित कर लिया था और अतीक को टिकट भी दे दिया था। अखिलेश शुरू से ही इसके विरुद्ध थे कि अपराधिक छवि वाले व्यक्ति को टिकट दिया जाए किन्तु मुलायम सिंह बहुत पुराने रणनीतिकार हैं और उन्हें आजमगढ़ में अल्पसंख्यक वोटों का लाभ मिला है। वह अल्पसंख्यकों का दामन किसी प्रकार छोड़ना गवारा नहीं कर सकते। यही कारण है कि मुलायम सिंह ने उन अपराधिक छवि वाले व्यक्तियों को टिकट दिया, जो मोस्ट वांटेड हैं। झगड़ा शुरू हुआ दो तिहाई से

अधिक लोग अखिलेश के समर्थन में आ गए और कुछ लोग मुलायम सिंह के साथ चले गए। श्री मुलायम सिंह ने जिन लोगों को निकाल दिया है, अखिलेश को उन्हें नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक तो मैं श्री अखिलेश की ताजपोशी को ठीक समझता हूँ कि वह एक युवा नेता हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुत काम किया है। अपने पिताश्री मुलायम सिंह जी से भी ज्यादा काम किया है। श्री मुलायम सिंह को अब संन्यास ले लेना चाहिए। धामपुर में एक शुगर मिल है, जिसके मालिक श्री विजय गोयल है, जब कोई जनरल मैनेजर हावी होने लगता था तो श्री विजय गोयल उसे एडवाइजर बना दिया करते थे और मुख्यालय धामपुर के अतिरिक्त कहीं और भेज देते थे तथा जनरल मैनेजर नया नियुक्त कर देते थे यही इस घटनाक्रम का निचोड़ है, सम्मान इसी में है कि श्री मुलायम सिंह स्वतः राजनीति से संन्यास लेकर श्री अखिलेश को राजगद्दी सौंप दें वर्ना सच पूछिए तो जनता ऐसे कई लोगों से आजिज आ चुकी है और उन्हें सत्ता में नहीं देखना चाहती। हालांकि बहुत प्रयास हुए कि सपा में फूट न पड़े। वैसे मैं इसको फूट नहीं मानता यह परिवर्तन है और परिवर्तन पारिवारिक स्तर पर होता है तो सत्ता के स्तर पर भी हो गया। परिवार में भी कुछ समय बाद पिता अपने बड़े पुत्र को राजगद्दी सौंप देता है, परिवार का मुखिया बना देता है और स्वयं एक कोने में बैठकर केवल चिन्तन करता है और सलाह देता है। मैं तो कई बार लिख चुका हूँ लेकिन जिनके हाथ नें सत्ता है वो इसे मानना नहीं चाहते। मैंने कई बार लिखा कि कानून ऐसा होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति तीन सत्र से अधिक विधायक, सांसद या मंत्री ना बने। राजनीति को विरासत न बनाया जाए। रियासत न बनने दी जाए। लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। सम्भवतः कोई तैयार नहीं है इस बात के लिए कि कोई व्यक्ति तीन सत्र से अधिक सांसद, मंत्री या विधायक न बने। हर

व्यक्ति चाहता है कि वह मरने तक कुर्सी पर बना रहे। जो सांसद विधायक हार जाते हैं और पार्टी के गोदाम में रख दिए जाते हैं, उनको भी यथोचित समय पर राज्यपाल अथवा अन्य कोई पद दे दिया जाता है, जिससे मरते समय वह बिना पद के न मरे। व्यवस्था नहीं है ईश्वर के यहाँ नियम नहीं है। अन्यथा सत्ता लोलुप व्यक्ति अपने पद, कुर्सी व धन, धाम, दौलत को भी मरते समय अपने साथ ले जाया करते। यह कैसा लोकतंत्र है जिसमें सत्तासीन पार्टी के ही व्यक्तियों को सबकुछ बांटा जाता है। जनता में कितने भी विद्वान, प्रतिभाशाली और योग्य व्यक्ति क्यों ना हों उनको कोई नहीं पूछता। क्या हम लोकतंत्र के शव पर राज कर रहे हैं। क्या हम इस नियम को नहीं बना सकते कि तीन सत्र के पश्चात हर मंत्री, विधायक, सांसद राजनीति से बाहर हो जाए। सम्भवतः ऐसा नियम नहीं बनेगा क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना पद और उससे मिलने वाले लाभ नहीं छोड़ना चाहता। देश का क्या है, देश तो राम भरोसे चल ही रहा है, और चलता ही रहेगा। जब तक कोई निस्वार्थ व्यक्ति गद्दी पर नहीं बैठेगा और लोकतांत्रिक परम्परा को जीवित रखने के लिए यह तीन सत्र वाला नियम नहीं बनाएगा।

■

सत्यम वद–27

और सच यह है कि सलमान खान आर्म्स एक्ट के मुकदमें भी जोधपुर अदालत द्वारा बरी कर दिए गए। सलमान खान एक ऐसा नाम है, जो बम्बई में फुटपाथ पर सोए लोगों पर गाड़ी चढ़ा देने के सन्दर्भ में सुर्खियों में आया। फुटपाथ पर सोए व्यक्ति मरे भी और घायल भी हुए। लेकिन सलनान खान बरी हो गए क्योंकि उनके गार्ड की बजाय ड्राइवर के बयान का अधिक विश्वास किया गया। ड्राइवर उनका मुलाजिम था, गार्ड सरकारी मुलाजिम था अदालत ने सरकारी व्यक्ति की गवाही पर विश्वास नहीं किया और सलमान खान के ड्राइवर की बात पर विश्वास कर लिया। प्रश्न उठता है कि जो आदमी विकलांग हो गया और जो नर गया उनके साथ हादसा कैसे हुआ? किसने किया? उनको क्या मुआवजा मिला? इस मुआवजे के दौर में क्या कार्यवाही हुई क्योंकि जब सभी व्यक्तियों को मुआवजा दिया जा रहा है तो उनको भी दिया जाना चाहिए था अथवा दिया गया होगा। अब सलमान खान दो मुकदमों में और वांछित है एक काले हिरण की हत्या का है और एक और है छूटना तो उनमें भी निश्चित ही है। क्योंकि बम्बई में कोई भी न्यायालय, कार्यालय अथवा पुलिस उनके विरुद्ध कार्यवाही करने में डरते हैं। जिस आर्म्स एक्ट के मामले में संजय दत्त को सजा हुई। उसमें वह बरी हो गए हैं। सलमान खान ही नहीं और कई खान ऐसे हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री को भी हत्यारा कहने की हिम्मत रखते हैं और हमारी सरकार इसके लिए किस विशेषण का प्रयोग करूँ, उनके विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहती। साक्षी महाराज अगर यह कहते हैं कि चार बीवी चालीस बच्चे तो जनता के साथ–साथ सरकार भी सचेत हो जाती है और उनके खिलाफ

कार्यवाही करने के लिए तत्पर हो जाती है। जबकि प्रधानमंत्री को जेबकतरा कहने वाले श्री येचुरी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होती, उनको हत्यारा कहने वाले के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होती, चार बीवी चालीस बच्चे कोई गाली नहीं है, कोई अपशब्द भी नहीं है, एक उदाहरण है। जबकि जेबकतरा और हत्यारा कहना गाली के समान है। लेकिन हम अल्पसंख्यक के विरुद्ध कुछ कार्यवाही नहीं कर सकते। शायद गांधी जी अल्पसंख्यक के बारे में कह गए हैं, कि यदि वह एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो महात्मा बुद्ध का अहिंसात्मक सन्देश भी शायद इसी सन्दर्भ में है। कोई बहुसंख्यक को कुछ भी कह ले उसे पूरी छूट है, किन्तु अल्पसंख्यको की भावनाएँ चार बीवी चालीस बच्चे कहने से ही भड़क उठती हैं और प्रत्येक प्रकार की कार्यवाही सरकार करने लगती है। लगता है स्वतन्त्रता की अभिव्यक्ति केवल अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई है बहुसंख्यक इस स्वतन्त्रता का उपभोग नहीं कर सकते। मोहन भागवत आरक्षण के बारे में बोलते हैं तो विपक्ष को नींद आनी बन्द हो जाती है जबकि अम्बेडकर जी ने स्पष्ट रूप से संविधान में लिखा है कि आरक्षण एक नियत सीमा के बाद समाप्त कर दिया जाना चाहिए। वोट की राजनीति अल्पसंख्यकों के विरुद्ध अथवा आरक्षण के विरुद्ध कार्यवाही करने से रोकती है। प्रत्येक राजनेता मरणोपरान्त तक सत्ता में रहना चाहता है इसलिए अल्पसंख्यकों की और तथाकथित आरक्षित वर्ग की खुशामद में लगा रहता है और इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता। ऐसे बहुत से उदाहरण है, जब देश के अल्पसंख्यकों ने प्रधानमंत्री के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग किया है अथवा कानून तोड़ा है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई जबकि इसके विपरीत यदि बहुसंख्यक ने कोई हल्की फुलकी बात भी कहीं है उसको भी विपक्ष ले उड़ा है। वस्तुतः हिन्दू संगठित नहीं है हिन्दुओं में एका नहीं है। यही कारण है कि कोई भी, कभी भी इनके विरुद्ध खड़ा हो जाता है।

मुजफ्फरनगर के दंगे हो अथवा पश्चिम बंगाल के दंगे हो, बहुसंख्यक पिटते रहते हैं, मरते रहते हैं और पुलिस देखती रहती है। क्योंकि पुलिस को सम्भवतः हिदायत है कि अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किसी प्रकार की सख्ती न की जाए। वर्तमान केन्द्रीय शासन से आशा थी कि यह लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के सिद्धान्तों पर चलेगा किन्तु सम्भवतः वर्तमान केन्द्रीय शासन भी तुष्टिकरण में लग गया है और इस तुष्टिकरण के कारण ही अल्पसंख्यकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होती न्यायपालिका भी उनका सम्मान करती है।

चुनाव प्रक्रिया आरम्भ हो गई है और सम्भवतः आज बिजनौर में नामांकन है। नामांकन में जिले की सारी पुलिस बिजनौर में उपस्थित है जनता का रास्ता रोक दिया गया है। पता नहीं भारतवर्ष में प्रजातंत्र है, सत्ता तंत्र है, लोकतंत्र है अथवा कौन सा तंत्र है, जिसके आधीन केवल नामांकन के दिन सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी कचहरी परिसर में मौजूद हैं। नामांकन एक सामान्य सी प्रक्रिया है, जिसमें कानून बनना चाहिए कि प्रत्याशी के साथ केवल 11 लोग होंगे। हथियार किसी पर नहीं होगा 11 से अधिक लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी। भारी–भरकम भीड़ और उसे सम्भालने के लिए भारी भरकम पुलिस संविधान के विरुद्ध है। पुलिस का काम शांति व्यवस्था बनाए रखना, चोरों गुण्डों पर नजर रखना तथा जनता की सुरक्षा करना लेकिन हो रहा है उलटा। यदि आपके शहर में कोई नेता आता है तो उसके साथ पुलिस का पूरा काफिला होता है। सारे पुलिसकर्मी उसकी सुरक्षा में मुस्तैद हो जाते हैं। हर चौराहे पर पुलिस की तैनाती, रास्ते में पुलिस का साथ चलना और जहाँ पर वह रूकता है अथवा सभा को सम्बोधित करता है, वहाँ पुलिस का उसके साथ रहना। वर्तमान नेताओं के साथ पूरे कमाण्डो का काफिला रहता है और नेता लोग उस काफिले के बीच में चलते हैं तथा पूर्णरूप से सुरक्षित रहते हैं। अर्थात् उन्हें अपनी ही जनता से खतरा है। खतरा

क्यों है क्योंकि ऐसे काम किए हैं, जो जनसाधारण को पसन्द नहीं थे इसलिए डरते हैं। अपने स्वयं के डरने से खतरा है। लेकिन जो नेतागण वर्तमान में सत्ता में नहीं हैं और सांसद या मंत्री भी नहीं है उनको सुरक्षा देना कहाँ तक उचित है। मुख्यमंत्री के रूप में जो कमाण्डो सुरक्षा उपलब्ध होती है वह मुख्यमंत्री पद से निवृत्त होने के पश्चात भी जारी रहती है क्यों? अंगरक्षक की आवश्यकता इन नेताओं को क्यों है? जनता के व्यक्ति को सरेआम चौराहे पर गोली मार दी जाती है। झगड़े–दंगे में एक पक्ष दूसरे पक्ष पर गोलियाँ दागता रहता है और पुलिस मूकदर्शक बनी रहती है। कभी–कभी देखने में आता है कि पुलिस की तैनाती नेताजी के डाकबंगले पर कर दी गई है अथवा किसी बड़े अफसर के साथ कर दी गई है। शहर पूरा असुरक्षित है, जनता पूरी तरह असुरक्षित है लेकिन पुलिस केवल एक नेता की, केवल एक अफसर की सुरक्षा के लिए सैकड़ों की तादाद में मौजूद है। यह कैसा प्रजातंत्र है, जिसमें प्रजा तो असुरक्षित है लेकिन प्रजा द्वारा चयनित प्रजा के प्रतिनिधि कमाण्डो के घेरे में चलते हैं। वस्तुतः सारा ढर्रा बिगड़ चुका है अब प्रश्न यह है कि बिल्ली के गले में घण्टी कौन बाँधे कौन ऐसा कानून बनाए कि सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी प्रकार की कोई सुरक्षा गार्ड उपलब्ध नहीं कराए जाएँगे। कौन यह कानून बनाए कि मंत्रीजी के नगर आगमन पर केवल एक इंस्पैक्टर और चार सिपाही उनकी डयूटी पर रहेंगे। सैकड़ों की तादाद में पुलिस की डयूटी नहीं लगाई जाएगी। कानून संसद में बनता है और सांसद अपनी सुरक्षा का कानून खुद बना लेते हैं, अपने वेतन भत्ते खुद बढ़ा लेते हैं, जनता को कानून बनाने का, कानून में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। भारतवर्ष में किसकी चलती है केवल अफसर की अथवा मंत्री की जनता की कोई सुनवाई नहीं होती। कई बरस से कह रहा हूँ कि साल दर साल सांसद विधायक अथवा मंत्री एक व्यक्ति को बनाना राजशाही को जन्म देना है। किन्तु किसी के

कान पर कोई असर नहीं क्योंकि कानून तो सांसद अथवा विधायक ही बनाएंगे और यह अपने खिलाफ कानून क्यों बनाएँ? यही कारण है कि राजनीति अब विरासत और रियासत बन गई है। बाहुबल से, धनबल से, संख्या बल से एक ही आदमी बार–बार सांसद बनता है, मंत्री बनता है, विधायक बनता है, जनता की कोई पूछ नहीं है। जनतंत्र के मायने ही बदल गए हैं। जिस दल का शासन होता है, जिस दल की सरकार होती है। उसके अपने जितने भी पुराने हारे–थके सदस्य होते हैं, उनको राज्यपाल, मुख्यमंत्री अथवा सांसद मनोनीत कर दिया जाता है। बरसो से लिख रहा हूँ कि मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की भी आयु सीमा निश्चित होनी चाहिए एक आयु के पश्चात न व्यक्ति सांसद बनेगा, न विधायक और न मंत्री किन्तु कोई सुनवाई नहीं है वही बात कि अपने विरुद्ध सुनेगा कौन? देखिए भविष्य के गर्भ में क्या है इसका कुछ पता नहीं तथा भारत में प्रजातंत्र कहाँ है, इसका भी कुछ पता नहीं है।

प्रजातंत्र में चुनाव आवश्यक है और भारत में वर्ष के 365 दिन चुनाव ही होते हैं कभी उप–चुनाव होते है कभी वार्षिक चुनाव होते है कभी समितियों के चुनाव होते है, कभी पंचायत के चुनाव होते है, कभी यूनियन के चुनाव होते है, कभी कालेज में चुनाव होते है और कभी ग्राम सभा के चुनाव होते है। तात्पर्य यह है कि चुनाव ही चुनाव होते है, कान कुछ नहीं होता। चुनाव के बाद सब वादे भूल जाते है, केवल चुनाव के समय मतदाता याद आता है और चुनाव के बाद मत ही मत रह जाता है दाता याद नहीं आता। आजकल विधान सभा के चुनाव कुछ राज्यों में चल रहे है। प्रत्याशियों की सत्यनिष्ठा देखी जा रही है जिनको टिकट नहीं मिल रहा वह बगावत करके दूसरें दल में जा मिलते है और वहाँ टिकट हासिल कर लेते है। कौन सा दल देश का भला करेगा इससे कोई मतलब नहीं। नेताओं को देश सेवा से भी मतलब नहीं केवल मतलब है सत्ता से, इस चुनाव में सत्ता हमें

मिलनी चाहिए और अगले चुनाव में पुनः हमारी ही जीत होनी चाहिए। जिसके पास वोट बैंक ज्यादा है उसकी पूछ है। भारतवर्ष में दो वोट बैंक है एक अल्पसंख्यकों का और दूसरा तथा–कथित आरक्षित वर्ग का। आरक्षित वर्ग की नेता का भाग्य प्रबल है उनका वोट बैंक बिल्कुल पक्का है और उनके कहने से ही वोट पड़ते है। प्रत्याशी कैसा है अच्छा है, बूरा है मतदाताओं को इसका कोई विचार नहीं आता। केवल नेता का कहना ही सर्वमान्य होता है इसलिए आरक्षित वर्ग को जो वोट बैंक है वह पूर्णतया निश्चित है। दूसरा वोट बैंक अल्पसंख्यकों का है, प्रत्येक दल प्रत्येक प्रकार से और हर तरह के प्रलोभन से अल्पसंख्यकों का वोट हासिल करना चाहता है। बड़े–बड़े महारथी टोपी पहनकर अल्पसंख्यकों का पहनावा पहनकर उनके साथ फोटो खिचवाते है। दिवाली पर बहुसंख्यकों से अपने घर वालों से गले नहीं मिलते। ईद पर अल्पसंख्यकों से गले मिलने अवश्य जाते है। बड़े–बड़े नेता, बड़े धर्मात्मा करोड़पति दिवाली, दशहरा या होली पर अपने कुटम्बियों की अपने मित्रों की कोई दावत नहीं करते, लेकिन ईद पर रोजा अफ्तार की बड़ी–बड़ी दावतें होती है, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति, राज्यपाल, श्रीमान मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सभी सम्मिलित होते है। सब यह सिद्ध करने में लगे रहते है कि अल्पसख्यकों का उनसे बढ़कर कोई हितेशी नहीं है और इसलिए अल्पसंख्यकों का वोट उन्हीं को मिलना चाहिए। महागठबंधन, बहुजन समाज, रालोद अथवा भाजपा सब आजकल अल्पसंख्यकों को मनाने में रिझाने में लगे हुए है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो अल्पसंख्यक महिलाओं को लैपटौप बाँटे है, रुपये बाँटे है तथा अधिकांश अल्पसंख्यक व्यक्तियों को ई–रिक्शा दी है। विडम्बना देखिए कि प्रत्येक दल अधिक से अधिक अल्पसंख्यकों को प्रत्याशी बनाने को आतुर है। राजनीति का समीकरण बदल चुका है, देश सेवा का कोई एजेन्डा नहीं है। प्रत्येक एजेन्डा मतदाताओं को रिझाने का बनता है, हालाकि चुनाव के बाद

मतदाता को कुछ नहीं मिलता। पूरे पाँच साल चुनाव के बाद तथाकथित देश सेवा के लिए मिलते है। लेकिन वह पाँच साल अगले पाँच साल में पुनः सत्तासीन होने के प्रयास में निकल जाते है। मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पाँच साल तक वादे करते रहते है और यह बताते है कि उनसे बड़ा देश हितेशी कोई नहीं है। लेकिन काम कुछ नहीं होता केवल अगले चुनाव में जीत की तैयारियों नें व्यस्त रहते है। वर्तमान में केन्द्र में सरकार से बहुत आशाएँ थी। लेकिन कुछ नहीं हुआ आज भी प्रत्येक विभाग में रिक्तियाँ मौजूद है। योग्य व्यक्ति मौजूद है, लेकिन नियुक्तियाँ नहीं हो रही है। कई हजार पद आयकर विभाग में रिक्त है और यह केन्द्र में भाजपा के शासन से पहले दिन से रिक्त है। मंत्री जी रोज नये कपड़े पहनकर टीवी पर आ जाते है लेकिन रिक्त स्थानों पर नियुक्तियाँ करने का कोई कार्यक्रम नहीं है। रेलवे विभग में कई गाड़ियाँ बगैर टिकट चैकर के चलती हैं। स्टेशन पर कोई टिकट चैकिंग नहीं होता लेकिन नियुक्तियाँ नहीं हो रही। डाक घरों में डाक वाहक पूरे नहीं है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पूरे नहीं है, कार्यालयों में लाखों की तादात में पूरे देश में रिक्तियाँ है, लेकिन भरने का कोई प्रयास नहीं होता। जब कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है अथवा स्थानान्तरित होता है तो उसके स्थान पर साल–दो साल तो नियुक्ति नहीं होती। कार्य प्रणाली कुछ नहीं है। केवल एक विदेशी के अनुसार भारत रामभरोसे चल रहा है। नोटबंदी हुई लेकिन उससे पहले ऐसी कोई तैयारी नहीं की गई कि बैंक के कर्मचारी अपनी मर्जी के मुताबिक नोट न बाँट सके। बैंकों में नो कैश का बोर्ड लगा रहा और करोड़ों की तादात में नये नोट सड़कों पर पकड़े गये। जितनी निष्ठा से प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की योजना शुरू की थी अगर उनके मंत्री और बैंक के कर्मचारी उतनी ही निष्ठा से काम करते तो बैंकों में बाहर लाईन न लगती और विपक्ष को कुछ कहने का मौका न मिलता, लेकिन सत्य यही है कि कोई मंत्री काम नहीं करना चाहता

केवल आँख बचाकर **मेरा क्या** के सिद्धान्त का अनुपालन करता है। अगर मोदी जी के मुताबिक मंत्रियों ने काम किया होता तो देश की स्थिति बहुत अच्छी हो सकती थी। रेल में रोज हादसे हो रहे है क्योंकि रेलों में कोच बढ़ा दिये गये है, जिसकी वजह से गाड़ी झोक लेती है और पटरी से उतर जाती है। नई कोई लाईन नहीं बिछाई गई। उदाहरण के रूप में कोटद्वार से नजीबाबाद–बिजनौर–विदुर कुटी–हस्तिनापुर–मवाना–मेरठ–दिल्ली– उससे आगे का सर्वे हो चुका है लेकिन लाईन बिछाने की प्रक्रिया नहीं हुई। प्रत्येक विभाग में सुविधाएँ घटाई जा रही है जनता को देने के लिए केवल आश्वासन और वादे है। जो कभी पूरे नहीं होते।

■

सत्यम वद–28

बहुत समय बाद सत्य कहने का हौसला रखने वाला एक प्रधानमंत्री भारत को मिला, भारत की जनता को गर्व है इस बात का कि उनका प्रधानमंत्री सत्य कहने की हिम्मत रखता है उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान यह सत्य जो मैं बरसो से लिखता आया हूं प्रधानमंत्री के मुंह से सुना प्रधानमंत्री ने कहा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रमजान और ईद के मौके पर तीसों दिन बिजली दी जाती है, लेकिन दीवाली पर बिजली दो दिन भी पूरी तरह से नहीं आती। इसी प्रकार प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कब्रिस्तान को सहयोग राशि प्रदान की जबकि श्मशान घाट के लिए बहुत कम राशि प्रदान की। भेदभाव की तरफ पहली बार उंगली उठाई गई, जिसका समर्थन दूरदर्शन द्वारा भी आंकड़ें प्रस्तुत करके किया गया। वस्तुतः सत्य की आवश्यकता है। सत्य की ही जीत होती है लेकिन लोग सत्य कहने का साहस नहीं जुटा पाते इसलिए ईश्वर भी उदासीन हो जाता है और वर्तमान में ईश्वर के उदासीन होने का यह प्रमुख कारण है, भारत वर्ष में पनपते दुराचार, भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लग पा रही है क्योंकि सत्य बोलने वाला व्यक्ति सत्य नहीं बोल रहा। जब व्यक्ति सत्य नहीं बोलेगा तो ईश्वर उसकी मदद में क्यों आएगा मैं मोदी जी से अनुरोध करता हूँ। कि सत्य का सहारा लें और सत्य के आधार पर चलें। सत्य क्या है? सत्य यह है कि काश्मीर से 370 धारा हटनी चाहिए जब तक आप धारा 370 नहीं हटाएंगे। तब तक ईश्वर भी काश्मीर में आपकी मदद नहीं करेगा। गालियाँ और पत्थर बहुत खा लिए सत्य तो यह है कि हर गाली का जवाब गोली से दिया जाना चाहिए। पाकिस्तानी झण्डे लहराने वालों को सम्पत्ति में आग लगाने वालों को बहुत समझा

लिया अब अगर नहीं समझते हैं तो सत्य का तकाजा है। कि देशद्रोहियों को गोली मार दी जाए, फांसी पर चढ़ा दिया जाए आजीवन कैद से कुछ हल होने वाला नहीं है। क्योंकि 20 साल जेल में रहने के बाद देशद्रोही और कट्टर होकर निकलेगा। यह सोचना दूर की बात है कि वह सुधर जाएगा इसी प्रकार यदि मोदी जी चाहते हैं कि अपहरण ना हो। यदि मोदी जी चाहते हैं सामूहिक बलात्कार ना हों, यदि मोदी जी चाहते हैं कि दुष्कर्म और हत्याएँ ना हों यदि मोदी जी चाहते हैं कि देश विरोधी आन्दोलन ना हो, जाम न लगे, संसद में गतिरोध ना हो, रेले ना रोकी जाए तो सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा। यह सुनकर–जानकर अच्छा नहीं लगता कि 40 आदमी 400 आदमियों की संसद को चलने नहीं दे रहे। अभिव्यक्ति की आजादी संसद में गतिरोध उत्पन्न करने के लिए नहीं दी जानी चाहिए संसद में गतिरोध उत्पन्न करने वाले को देशद्रोही की संज्ञा दी जानी चाहिए और उसी प्रकार से उसके साथ कार्यवाही होनी चाहिए। कानून में आमूल–चूल परिवर्तन होना चाहिए और सख्त सजा का प्राविधान होना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि तानाशाह किम की तरह से केवल झूठी रिपोर्ट देने पर अफसरों को गोली से उड़ा दिया जाए लेकिन मैं यह कहता हूँ और संविधान के रखवालों से अपील करता हूँ, कि जो संविधान की अवहेलना करता है, जो देशद्रोह के नारे लगाता है, जो पाकिस्तानी झण्डा देश में फहराता है, उसके साथ नम्रता का व्यवहार करना अथवा ढुल–मुल नीति रखना कायरता की श्रेणी में आता है। भारतवर्ष कायरों का देश नहीं रहा है। यह तो आपस की फूट थी, जिसने इसको अँग्रेजों का और मुगलों का गुलाम बनाया। यदि फूट नहीं होती तो निश्चित मानिए भारत गुलाम नहीं बन सकता था अभी भी समय है हमें यह दो सुधार करने होंगे। भारतवर्ष की जनता को कसम खानी होगी कि आपसी फूट नहीं पनपने देंगे और सरकार को कठोर दण्ड की व्यवस्था करनी होगी एक आदमी

हत्या करता है अथवा तेजाब डालता है, उसको पुलिस पकड़ती है लचर कानून होने की वजह से उसको एक सप्ताह में जमानत मिल जाती है और जमानत मिलने के बाद जब वो बाहर आता है तो पुनः हत्या और तेजाब काण्ड में लिप्त हो जाता है तथा पीड़ित को धमकाता है। प्राविधान होना चाहिए कि इन दो मामलों में जमानत नहीं होगी। साथ ही यह प्राविधान भी होना चाहिए कि मुकदमे जल्दी से जल्दी निपटा दिए जाएं। जिससे सजा अथवा मुक्ति का फैसला जल्दी हो सके और न्याय प्रक्रिया में विलम्ब या पक्षपात न हो।

कुछ नेता जो वस्तुतः देशभक्त हैं किन्तु निर्भीक नहीं है, निष्काम नहीं हैं, वह तुष्टिकरण में लगे रहते हैं और यह इच्छा रखते हैं कि इस सत्र में तो मंत्री बन गए अगले सत्र के लिए भी वोट बैंक पक्का कर लें और इस उलझन में वह जनता के सामने नहीं आते। फलतः देशभक्त लोगों को सहारा नहीं मिलता, नेता नहीं मिलता। मैं प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और साधारण मंत्री तक यह समझाना चाहता हूँ। कि एक पिक्चर प्रथ्वीवल्लभ आई थी, उसमें जब राजा को उसके सम्बन्धी ने कैद कर दिया तो उसने यह कहा था कि यह धरती किसी के साथ नहीं गई लेकिन लगता है यह राज्य और धरती तुम्हारे साथ जाएंगी इसलिए तुम किसी और को सहन नहीं कर रहे हो। वही बात मैं नेताओं से कहता हूँ कि यह हिन्दुस्तान यह संसद, यह दिल्ली अथवा प्रान्तों की राजधानी, जमीन अथवा मकान कोई भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। अगर भाग्य में होगा तो अवश्य ही इस सत्र के बाद भी अगला सत्र तुम्हें मिलेगा। किन्तु देशभक्ति छोड़कर देशद्रोहियों की खुशामद करना, तुष्टिकरण करना छोड़ दो। यदि तुष्टिकरण नें लगे रहोगे तो ईश्वर भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा देश फिर गुलाम हो जाएगा। हर बात को बर्दाश्त करना, आजादी की अभिव्यक्ति का नाम देना कदापि उचित नहीं है। देश में एकता आवश्यक है और हमें यह एकता सीखने की आवश्यकता है। जिस दिन हमारे अन्दर से फूट

निकल जाएगी और एकता स्थापित हो जाएगी उस दिन सम्भवतः हमें तुष्टिकरण की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तुष्टिकरण ने कितने काम बिगाड़े हैं। महात्मा गाँधी से लेकर आज तक तुष्टिकरण भारत पर हावी रहा। यह तुष्टिकरण ही था जिसके कारण जनसंख्या की पूर्ण रूप से अदला–बदली नहीं हुई। यह तुष्टिकरण ही है कि आज हम उन मुद्दों पर भी सहमत हो जाते हैं। जिनमें सहमत नहीं होना चाहिए। यह तुष्टिकरण ही है, जो आरक्षण को हम पर लादे हुए हैं। केवल आरक्षण समाप्त किए जाने का भय दिखाते हुए बसपा प्रमुख वोट मांग रही हैं, जबकि आरक्षण समाप्त करने की बात भाजपा ने कभी नहीं कहीं लेकिन बसपा प्रमुख जानती हैं कि आरक्षण समाप्त होने का भय दिखाकर ही वह कुर्सी पर बनी रह सकती हैं और बसपा प्रमुख बनी रह सकती हैं। आरक्षण एक ऐसा साँप है जो देश को प्रतिदिन जहर भरी फुंकार से डस रहा है। कभी मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठता है, कभी जाट आरक्षण का मुद्दा उठता है और कभी हार्दिक पटेल खड़ा हो जाता है। आरक्षण को समाप्त करने में क्या परेशानी है संविधान के अनुसार भी स्व. अम्बेडकर जी ने केवल एक अवधि तक आरक्षण लागू रखने की बात कहीं थी जीवन भर आरक्षण का प्राविधान रखने की बात नहीं कही थी। वांछनीय है कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाए तुष्टिकरण को भुला दिया जाए आज काश्मीर में हमारे सैनिक गालियाँ खाते हैं, पत्थर खाते हैं, और उनको गोली चलाने की आज्ञा नहीं है, यह क्या है यह तुष्टिकरण ही तो है। मोदी जी ने पिछले अनुभव से भी लाभ नहीं उठाया। जब जल प्रलय आई थी, तब यह हमारी सेना ही थी, जिसने काश्मीरियों को बचाया था, मोदी जी ने एक हजार करोड़ की सहायता तुरन्त दी थी, जबकि कश्मीर के मुख्यमंत्री आराम फरमा रहे थे तब जल–प्रलय में फँसे लोगों को निकालने का काम सेना ने किया था, और वही सेना अब पत्थर खा रही है, गाली खा रही है। और हमारे कायर नेता सम्पत्ति

फूंकने वालों पर, पत्थरबाजी करने वालों, गाली देने वालों पर गोली चलाने का आदेश नहीं देते क्योंकि उन्हें आज भी उम्मीद है कि तुष्टिकरण की नीति के अन्तर्गत काश्मीर की जनता उनके साथ खड़ी हो जाएगी, जो कभी नहीं हो सकता। उसकी कल्पना करना, उसकी कामना करना कम से कम वीर पुरुषों का काम नहीं है। एक बार हिम्मत करके धारा 370 काश्मीर से हटाई जाए, पत्थरबाजी करने वालों पर गोली चलाई जाए। भारत के खिलाफ बोलने वाले नेताओं को, अलगाववादियों को, चिदम्बरम और फारूख अब्दुल्ला जैसे नेताओं को जेल में डाल दिया जाए। हमारी सेना इतनी मजबूत है कि वह हर विपल्व को दबा सकती है, अगर उसे खुली छूट दे दी जाए। चीन की तरह विद्रोहियों को दबाने के लिए लाल चौक का उदाहरण नेताओं को देना चाहता हूं लेकिन लगता है, कायरों की भीड़ में वीरता का भाषण दे रहा हू, जो कोई नहीं सुन रहा सब मूंगफली खाने में मस्त हैं।

न्याय प्रक्रिया जिन्दाबाद। भारतवर्ष का यह युग सदैव याद रखा जाएगा, जिसमें न्याय प्रक्रिया व्यक्ति विशेष के लिए है। न्यायिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण कोई भी फैसला दें। सर्वोच्च न्यायालय के न्याय मूर्तिगण कोई फैसला दें उनके विरुद्ध कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता। केवल महाअभियोग लाया जा सकता है और महा अभियोग लाने वाले जो नेतागण संसद में विराजमान है, उनके बारे में आप सब जानते हैं, मोदी जी कितनी भी कोशिश कर लें, भारतवर्ष में मैं क्या और मेरा क्या कभी समाप्त नहीं हो सकता। नोटबन्दी के बाद भी सभी काम सुचारू रूप से हुए बैंकों ने भी हल्ला बोल दिया। आज तक यह समझ में नहीं आया कि नई करेंसी बैंकों से बाहर कैसे पकड़ी गई, जबकि बैंकों में नो कैश का बोर्ड लगा दिया जाता था। कई–कई लाख की करेंसी लाख नहीं कई–कई करोड़ की करेंसी बैंकों से बाहर मिली। कौन दोषी है, किसे

पकड़ा जाए। लचर कानून है, कमजोर सरकार है, इसीलिए आए दिन बैंक वाले हड़ताल करते रहते हैं। एक बार सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, बुराई हमेशा के लिए दूर हो जाती है, शरीर का जो हिस्सा गलने लगे उसे काटना आवश्यक होता है और काटने में तकलीफ होती है, उस तकलीफ से तमाम उम्र का आराम होता है। 5 वर्ष के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी जाए और आवश्यक हो तो अवधि और बढ़ाई जाए। और इस बीच में हड़ताल करने वालों से निपटने के लिए फौज को खुली छूट दी जाए। विपक्ष अगर शोर मचाता है और आपातकाल–आपातकाल कहकर शोर मचाता है तो उसकी भी नापतौल की जाए। जहां तक मीडिया का प्रश्न है, मीडिया भी तुष्टिकरण में लगा रहता है, एक समाचार पत्र मेरे द्वारा लिखी गई सच्ची–मुच्ची प्रकाशित करता था किन्तु इस चुनाव में उसने भी सच्चाई छापनी बन्द कर दी। मैंने कई सच्ची–मुच्ची भेजी और जिसमें दो प्रमुख थीं। जो उसने छापने से इन्कार कर दिया और भविष्य में मेरी सच्ची मुच्ची छापना बन्द कर दिया। मैंने कुछ गलत नहीं लिखा था, केवल एक सच्चाई की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहता था लेकिन समाचार पत्रों को भी निष्पक्ष बात छापने में, सच्चाई छापने में डर लगता है। मेरी देशभक्ति की रचनाएँ गद्दारों के विरुद्ध लिखी गई रचनाएँ कोई नहीं छापना चाहता। बात न्याय प्रक्रिया की हो रही थी, सम्भवतः मैं भटक गया कल के अखबार में नागौरी सहित 10 मुजरिमों को देशद्रोह के अपराध में उम्रकैद की सजा सुनाई गई, यानी वह जब उम्रकैद पूरी करके बाहर निकलेंगे तो और भी कट्टर होकर निकलेंगे और भी अधिक क्रूरता से देशद्रोह को अंजाम दे सकेंगे। सम्भवतः हमारे न्यायाधीश भी बुरहान और अफजल को फांसी देने के बाद डर गए और बजाय फांसी के उम्रकैद की सजा सुनाई अगर देशद्रोहियों को फांसी नहीं दी जाएगी तो फांसी की सजा किसके लिए है। कहाँ तक लिखा जाए न्यायालयों में न्यायाधीश के

पद रिक्त हैं कार्यालयों में कर्मचारियों के पद रिक्त हैं, मंत्री जी केवल भाषण देने में व्यस्त हैं। रिक्तियों पर नियुक्ति त्वरित गति से होनी चाहिए थी ताकि 10–10 साल तक मुकदमा ना चले लेकिन नहीं हुई। परिणाम क्या होता है कि 10 साल तक मुकदमा चलता है, इस बीच में गवाह मर जाते हैं, साक्ष्य/सबूत नष्ट हो जाते है और मुजरिम छूट जाता है, क्या कहा जाए न्याय प्रक्रिया जिन्दाबाद अथवा सरकारी कार्यवाही जिन्दाबाद। भारत का भविष्य कुछ डरपोक नेताओं के हाथ में, कुछ स्वार्थी नेताओं के हाथ में और कुछ बदजबान नेताओं के हाथ में फंसा हुआ दीख रहा है, कब देश में कोई शिवाजी पैदा होगा, कोई भगत सिंह पैदा होगा, जो बदजुबान, बेईमान और देशद्रोहियों को उनके घर में घुसकर मारेगा। प्रतीक्षा है। इसके अलावा निरीह जनता और कर भी क्या सकती है।

सत्यम वद–29

कलयुग में सत्य को नकारना बहादुरी की बात समझा जाता है और कुछ लोग इसे स्पष्टवादिता के रूप में भी प्रस्तुत कर देते हैं, झूठ बोलते हुए कहते हैं कि हम तो स्पष्टवादी हैं। स्वतन्त्रता की अभिव्यक्ति का भी दुरूपयोग होता है फिर भी सत्य कहीं छिपता नहीं। यह एक सारभौम सत्य है कि जिस स्थल पर तथाकथित बाबरी मस्जिद बताई जा रही है, वह जमीन खसरा में राजा दशरथ के नाम दर्ज है फिर यह जमीन राम जन्म भूमि या रामलला के मन्दिर की नहीं है तो किसकी है। किमवंदंती है कि जब बाबर भारत में आया तो उससे किसी फकीर ने कहा कि अगर तुम अयोध्या में राम मन्दिर तोड़कर एक मस्जिद बना दोगे तो तुम्हारा कब्जा सारे हिन्दुस्तान पर हो जाएगा। उसने वही किया। और उसका कब्जा हिन्दुस्तान पर हुआ। जब तक बाबर जिया तब तक तो कब्जा नहीं हो सका लेकिन अकबर का राज्य आते–आते हिन्दुस्तान के लगभग सारे हिस्सों पर मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया। यह राम मन्दिर तोड़ने का परिणाम नहीं था बल्कि फूट का परिणाम था। राजपूत राजाओं में फूट थी और अन्य प्रान्तों के राजाओं में भी एकता नहीं थी यही कारण था कि महाराणा प्रताप अकबर से लड़ते थे और मानसिंह अकबर का साथ देता था इसी फूट के कारण भारतवर्ष पर मुगलों का साम्राज्य स्थापित हुआ। अब विचारणीय बात यह है कि यदि किसी बाहरी व्यक्ति ने आपकी कमजोरी का लाभ उठाकर आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया है तब जब आप सशक्त हो जाएंगे क्या उस जमीन को वापस लेना नहीं चाहेंगे। बिलकुल चाहेंगे? अगर हाथी किसी जगह बैठ जाए और कई दिन तक लगातार बैठा रहे तो वह जमीन हाथी के बाप की नहीं हो

जाती है। यही स्थिति बाबरी मस्जिद के बारे में है इस तथाकथित बाबरी मस्जिद में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई। इसके ढाँचे को गिराने में हिन्दुओं ने कोई अपराध नहीं किया। अपनी जमीन पर गैरों ने कब्जा कर रखा था उस कब्जे को हटाना हर एक का अधिकार है, कानून को भी इसमें हिन्दुओं की मदद करनी चाहिए। खसरा खतौनी सब देखनी चाहिए और तथाकथित बाबरी मस्जिद की जगह पर अल्पसंख्यकों (मुस्लिम भाईयों को) बेदखल कर देना चाहिए। स्वाभाविक न्याय का सिद्धान्त यही है और प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के कब्जों में रही अपनी चीज को वापस लेने का अधिकार है।

अक्सर मुसलमान भाई कहते हैं कि देश के लिए हमने भी कुर्बानी दी है। हम भी आजादी के लिए अँग्रेजों से लड़े हैं, हमारा भी देश पर उतना ही हक है, जितना हिन्दुओं का है। बात सही है लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि बँटवारे के नाम पर दस हजार हिन्दू कलकत्ते में कत्ल कर दिए गए थे और मुसलमान भाइयों की कुर्बानी और उनके अधिकार के बदले आका–ए–जनाब स्व. जिन्ना साहब ने पाकिस्तान मांग लिया था। इस प्रकार मुसलमानों को उनकी कुर्बानी की कीमत भी अदा हो गयी और देश पर उनके अधिकार का हिस्सा उनको मिल गया। यह तो हिन्दुओं की बदकिस्मती थी कि महात्मा गांधी ने पाकिस्तान जाते हुए मुसलमान भाईयों को भारत में रोक लिया और यह नासूर झगड़े–दंगे के रूप में आज भी जिन्दा है, कल भी जिन्दा रहेगा, जब तक या तो मुसलमान भाई अपने आपको हिन्दुओं के साथ मिल–जुलकर भारत में एक मेहमान की तरह रहने लायक नहीं समझ लेंगे और कुर्बानी की बात करते रहेंगे तब तक झगड़े नहीं सुलझेंगे। अवश्य ही कहीं ना कहीं पर अम्बेडकर जी का लिखा हुआ उपलब्ध होगा मैंने अपनी पत्रिका के पिछले अंकों में प्रकाशित किया है, अम्बेडकर जी ने साफ कहा था कि हिन्दु–मुस्लिम दोनों में एकता होनी सम्भव नहीं है। क्योंकि दोनों की सोच, सभ्यता और संस्कारों में

जमीन आसमान का अन्तर है। आतंकी हमले क्यों हो रहे हैं। इसी सोच और संस्कार की वजह से लव–जिहाद क्यों चल रहा है, इसी सोच और संस्कार की वजह से। क्या तमाम हिन्दुओं को एक साथ खत्म किया जा सकता है। क्या सभी को मुसलमान बनाया जा सकता है। नहीं। सर्वथा उचित यह है कि या तो मुसलमान भाई अपनी स्थिति को सहज रूप से स्वीकार कर लें। अन्यथा देश छोड़कर पाकिस्तान चले जाएँ। इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। आपसी सौहार्द यदि कायम नहीं होता है तो दुश्मनी को अधिक दिन तक नहीं खीचना चाहिए। यदि आपस में दोस्ती नहीं है अनजान बनकर रहकर भी रास्ता कट सकता है। लेकिन अगर दुश्मनी है तो एक साथ चलने में कोई लाभ नहीं।

अभी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कट्टरपंथियों ने फतवा दिया क्योंकि वह होली मिलन में सम्मिलित होने के लिए हिन्दुओं के आयोजन में चले गए थे और वहाँ उन्होंने गायत्री मन्त्र भी सुना यह बात स्पष्ट करती है कि दोनों समुदाय मिलकर रह ही नहीं सकते और रहना भी चाहे तो कट्टरपंथी रहने नहीं देंगे। नवाज शरीफ पाकिस्तान के वजीरे आजम है और वजीरे आजम है उन सभी लोगों के जो पाकिस्तान में रहते हैं, वह चाहे हिन्दु हो, मुस्लिम हो या ईसाई हों। और एक शासक के नाते उनका यह कर्त्तव्य है कि प्रत्येक की खुशी में सम्मिलित हों। इसी फर्ज को निभाने के लिए वह होली मिलन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए उन पर ईशनिन्दा का आरोप लगाया गया। हिन्दु के किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने पर ईशनिन्दा कैसे हो गई? क्या उन्होंने वहाँ अल्लाह के खिलाफ कुछ बोला। क्या उन्होंने अपने ईश्वर के खिलाफ कोई बयान दिया। क्या उन्होंने हिन्दुओं के भगवान की तारीफ में कसीदे पढ़े। नहीं। ऐसा कुछ नहीं यह बुनियादी नफरत कुछ दिलों में बहुत गहरे तक है, जो हिन्दु–मुसलमानों को चैन से नहीं रहने देना चाहती। अरे अगर फतवा

ही देना है उन मुसलमान भाईयों के खिलाफ दों जो रमजान और ईद के दिनों में हिन्दुओं के घर रोजा ईफ्तारने जाते हैं, उन मुसलमान भाईयों के खिलाफ दो जो ईद के मौके पर अपने हिन्दु मित्रों के यहाँ मुबारकबाद और मिठाई भिजवाते हैं, जबरदस्ती बेचारे नवाज शरीफ के खिलाफ फतवा देना बिलकुल उचित नहीं है। साथ ही मैं हिन्दुओं से भी कहना चाहूंगा अगर मुसलमान नहीं सुधरते हैं और यह अपनी सोच में बदलाव नहीं लाते हैं तो उन हिन्दुओं का भी सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, जो रोजा इफ्तारने के लिए मुसलमान भाईयों को दावत देते है, अपने घर बुलाते हैं। यदि अलग ही रहना है तो दिखावा क्यों? यदि मिजाज नहीं मिलते तो शांति वार्ता कैसी। एक तरफ तो हम रोजा इफ्तारने हिन्दुओं के घर जाते हैं, दूसरी तरफ हिन्दुओं के ही खिलाफ बयानबाजी करते हैं। ऐसे सब मुसलमान भाई, जिनके दिलों में नफरत है (और यह नफरत खत्म नहीं हो सकती) उन्हें हिन्दुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है, उनकी कुर्बानी और अधिकार के रूप में उनको पाकिस्तान दिया जा चुका है।

तीन तलाक का मुद्दा बहुत जोरो–शोरो से चल रहा है। मुस्लिम औरते तीन तलाक के खिलाफ हैं और सरकार का रूख भी साफ है, केवल कुछ कट्टरपंथी अपनी फोटो अखबार में छपवाने के लिए और नफरत का इजहार करने के लिए तीन तलाक के मुद्दे पर सरकार का विरोध कर रहे हैं। किसी शरीयत में तीन तलाक का समर्थन नहीं किया गया है। वैसे भी जिस देश में आप रहते हैं उस देश का कानून मानना आपकी जिम्मेदारी है। आप किसी भी देश पर अपनी रवायते, अपनी शरीयते, अपने विचार नहीं थोप सकते। हर देश का अपना कानून होता है, जिसे मानना उस देश के हर नागरिक का कर्त्तव्य है यह तो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री और कांग्रेस सरकार का वोट बैंक हासिल करने का एक दांव था। महात्मा गांधी जानते थे कि जवाहर लाल नेहरू के दादा, परदादा मुगल थे और जवाहर लाल नेहरू की

मनोवृत्ति मुस्लिमों की तरफ झुकाव की थी, जो कालान्तर में हिन्दू विरोध उत्पन्न कर सकती थी अतः महात्मा गांधी ने मुसलमानों को हिन्दुस्तान में रोकने का फैसला किया ताकि मुसलमानों का वोट बैंक काग्रेस के पास रहे। महात्मा गांधी यह भी जानते थे कि हिन्दुओं में फूट बहुत है, यह आपस में बंटे रहते हैं जबकि मुसलमानों में एकता है अतः उन्होंने बहुत सोच समझकर केवल मात्र जवाहर लाल नेहरू की सत्ता कायम रखने के लिए मुसलमान भाइयों को पाकिस्तान जाने से रोक लिया। अब अगर मुसलमान भाई कहते हैं कि हम शरीयत के हिसाब से चलेंगे तो गलत है समाज में रहने के लिए उस देश का कानून मानना आवश्यक है जिस देश में आप रहते हैं। भारतवर्ष के नेताओं को इस पर समझौता नहीं करना चाहिए और समान आचार संहिता का निर्माण करना चाहिए। जिससे कि सब पर एक कानून लागू हो जैसा चीन में है। चीन में कोई मुस्लिम कानून प्रभावी नहीं होता हिन्दु–मुसलमान–सिक्ख ईसाई सभी पर चीन का कानून प्रभावी होता है।

एक और बड़ा दिलचस्प मामला जिक्रो फिक्र में है हज जाने के लिए सरकार का सब्सिडी देना मुस्लिम शरीयतों के खिलाफ है और मुसलमानों का सब्सिडी लेना भी पाक कुरान शरीफ की हिदायतों के खिलाफ है मेरे मुसलमान दोस्तों ने मुझे बताया कि हज जाने वाले के लिए इतनी चीजें आवश्यक हैं। 1. तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया हो बच्चों के शादी ब्याह कर चुका हो। 2. किसी का कर्जदार ना हो। 3. उसका कोई रिश्तेदार भूखा और कमजोर ना हो। 4. जाने के लिए और वापस आने के लिए उसके पास पूरा प्रबन्ध हो। 5. वापस लौटकर आने के लिए रहने हेतु मकान भी हो। तभी आदमी को हज को जाना चाहिए। दूसरों के पैसे से हज करने जाने की मुमानियत है लेकिन अगर कोई दे रहा है तो मैं क्यों मना करूँ। किस सिद्धान्त पर ना चाहते हुए भी कट्टर धार्मिक मुसलमान भी सब्सिडी कबूल कर

लेते हैं। कांग्रेस सरकार ने और प्रान्तीय सरकारों ने सब्सिडी केवल इसीलिए बांटी ताकि सब्सिडी प्राप्त करने वालों के वोट उन्हें मिलते रहें। एक आदमी जो हर तरफ से खुशो–खुर्रम है। पैसे से, मालदार है और आने–जाने का खर्चा उठा सकता है, वापस आकर रहने के लिए मकान भी है, उसे सब्सिडी क्यों दी जाए और वह सब्सिडी क्यों ले इस पर दोनों को ही विचार करना चाहिए सरकार को भी सब्सिडी देने पर रोक लगानी चाहिए और मुसलमानों को भी सब्सिडी लेने से इन्कार कर देना चाहिए जहाँ तक मुझे जानकारी है, अल्लाह भी यही चाहता है कि अपनी कमाई की **आमदनी से हज कर** गैर के पैसे से हज मत कर।

■

सत्यम वद–30

सत्य क्या है? इसकी विवेचना, इसका विश्लेषण राजनीतिज्ञ नहीं करते, राजनीतिज्ञ तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते है। और सत्य के स्वरूप को कुरूप कर देते हैं। अभी फिर एक आवाज उठी है, महागठबन्धन की। जिसकी आवश्यकता इसलिए बताई जाती है कि साम्प्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए महागठबन्धन आवश्यक है और सभी का निशाना साम्प्रदायिक ताकतों के रूप में भाजपा पर रहता है अर्थात् काँग्रेस सपा, बसपा, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल तथा आप जैसी सभी पार्टियाँ केवल भाजपा को ही साम्प्रदायिक मानती हैं, और किसी को साम्प्रदायिक नहीं मानती। जबकि भाजपा साम्प्रदायिक नहीं है। भाजपा सबको मिलाकर चलने का रास्ता चुनती है। साम्प्रदायिक है वह दल और उसके जो नेता केवल दलित–दलित का नारा देकर एक ही सम्प्रदाय को अपने साथ जोड़कर चलते हैं। साम्प्रदायिक है वह दल जो केवल मुस्लिम वोटबैंक का सहारा लेता है और एक तिहाई मुस्लिम लोगों को चुनाव में टिकट देता है। साम्प्रदायिक है वो दल जिसके कोष में सारी सुविधाएँ केवल एक निश्चित वर्ग के लिए सुनिश्चित है। साम्प्रदायिक है वो लोग जो मंच पर खड़े होकर साम्प्रदायिकता के विरुद्ध बोलते हैं और मन्दिरों में जाकर शीश झुकाते हैं, जो केवल वाल्मीकि मोहल्ले में जाकर उनके यहां खाट बिछवाते हैं और उनके साथ खाना भी खाते हैं। एक ही सम्प्रदाय के लोगों को लेकर चलने वाले ही साम्प्रदायिक हो सकते हैं। इसलिए महागठबन्धन का यह कहना कि साम्प्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए महागठबन्धन आवश्यक है, बेबुनियाद बात है, जिन्होंने महागठबन्धन बनाया है, वो ही साम्प्रदायिक हैं, झूठ का सहारा लेकर केवल भाजपा को साम्प्रदायिक कहना किसी भी व्यक्ति के गले नहीं

उतरेगा। जो हिन्दू गोल मुसलमानी टोपी पहनकर, उनका अगोछा पहनकर मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, वह साम्प्रदायिक हैं। जो छठ पूजा के नाम पर पूरे बिहार में छठ पूजा मनाते हैं, वह साम्प्रदायिक हैं। साम्प्रदायिक वह है, जो रोजा इफ्तार पर मुस्लिम भाइयों की दावत करते हैं और वह मुस्लिम भाई भी साम्प्रदायिक हैं, जो रोजा इफ्तारी के लिए हिन्दुओं के यहां जाते हैं। मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझने वाले सब पूरे साम्प्रदायिक हैं। बाबरी मस्जिद के पक्ष में जितने लोग खड़े हैं, वह सभी साम्प्रदायिक हैं। जबकि स्पष्ट है कि जहाँ बाबरी मस्जिद बनी वहाँ पहले राम मन्दिर था। क्योंकि बाबर बाद में आया था और रामजन्म यहाँ पहले हुआ था। जनता को भ्रमित नहीं होना चाहिए। महागठबन्धन के कहने में नहीं आना चाहिए। महागठबन्धन के लोग सच को छिपाते हैं और अनर्गल बोलते हैं, जिस प्रकार हिन्दू इस समय जाग्रत हुआ है। प्रलय होने तक उसी प्रकार जागना चाहिए, उसी प्रकार एकता प्रदर्शित करनी चाहिए और कोई अवसर इन महागठबन्धन वालों को देने की भूल नहीं करनी चाहिए। जहां तक साम्प्रदायिकता का प्रश्न है अभी फारूख अब्दुल्ला साहब ने कहा कि काश्मीर का नौजवान भूखा रह सकता है मगर पत्थरबाजी नहीं छोड़ सकता। इस कथन को कौन सी संज्ञा दी जाए क्या यह साम्प्रदायिक नहीं है। अभी सदर में विपक्ष के नेता अलवर कांड की जांच की मांग कर रहे हैं। अलवर कांड की निन्दा कर रहे हैं और मालेगांव में हुई हिंसा पर चुप हैं। यह साम्प्रदायिकता की कौन सी श्रेणी है। जो तीन तलाक का समर्थन करते हैं। वह साम्प्रदायिक हैं। जो गाय की हत्या करते हैं। उनसे बड़ा साम्प्रदायिक कोई नहीं हो सकता। जानते हैं कि गाय हिन्दुस्तान में पूज्य है, जानते है कि गाय को माता कहा जाता है फिर भी चोरी–छिपे गाय की हत्या करने को पुण्य मानते हैं। यह सभी साम्प्रदायिक हैं। जो आरक्षण की मांग करते हैं। उनसे बड़ा सम्प्रदायिक कोई नहीं हो सकता। भारतवर्ष में संविधान बनाते समय आरक्षण को एक निश्चित अवधि के लिए रखा गया था

लेकिन सत्ता के लोभी नेताओं ने वोट के चक्कर में आरक्षण को सन 1947 से सन 2017 तक खीच दिया। इसी प्रकार जो रात–दिन तुष्टिकरण में लगे रहते हैं। यह साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि उनसे बड़ा देश हितैषी, मुस्लिम हितैषी कोई नहीं है। सच मानिए तो साम्प्रदायिक वह हैं और गहराई में जाए तो वामपंथी दलों से बड़ा कोई साम्प्रदायिक हो ही नहीं सकता। जो रात–दिन पूंजीपतियों के विरुद्ध बोलते हैं और स्वयं पूंजीपति बनने के मार्ग ढूँढते रहते हैं। जनता को इन महागठबन्धन करने वालों के कहने में नहीं आना चाहिए और भाजपा को साम्प्रदायिक कहने वालो से दूरी रखनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश जिसका राजकोष पूर्व मुख्यमंत्री महोदय ने लैपटाप बांटकर, ट्राई साइकिले बांटकर, फर्जी ट्रस्टों को देकर खाली कर दिया था, वह राजकोष वर्तमान मुख्यमंत्री जी को उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ। उन्होंने गृह प्रवेश किया, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इसकी भी हँसी उड़ाई, उनके द्वारा एण्टी रोमियो स्कवायड चलाया गया, नेताओं ने झूठे–सच्चे वायरल आरम्भ कर दिए। मुख्यमंत्री जी ने गोहत्या के सन्दर्भ में वक्तव्य दिया। उसका भी विरोध होने लगा। मुस्लिम महिलाओं ने एक ईमानदार व्यक्ति को जब मुख्यमंत्री पद पर देखा तो उन्होंने तीन तलाक प्रथा को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई। मुख्यमंत्री जी के हर कदम का जनता ने स्वागत किया । मुख्यमंत्री जी ने किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कुछ नहीं कहा। अभी तक उन्होंने राम–मन्दिर के बारे में भी कुछ नहीं कहा है। लेकिन नीति स्पष्ट है। मुख्यमंत्री जी की नीति है कि सब काम पारदर्शी होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अफसर जो भी काम करे वह पारदर्शी हो और जनता को जवाबदेही के लिए उपयुक्त हो। अभी एक एण्टी रोमियो स्कवायड के सन्दर्भ में वायरल आया, जो झारखण्ड के निजी निवासियों ने एक युवक और महिला के साथ छेड़छाड़ का बनाया था। पैसे लेने

का बनाया था। उसको यू.पी. पर थोपने की कोशिश की गई। भला हो मीडिया का कि मीडिया ने सत्यता को स्पष्ट कर दिया और बात साफ हो गई कि ये वायरल उत्तर प्रदेश का नहीं है अभी कुछ गोरक्षकों ने गौहत्या के सन्देह में एक व्यक्ति को पीट–पीट कर मरणासन्न कर दिया। यह सभी तथ्य सामने है और इनसे केवल मात्र एक बात सिद्ध होती है कि पूर्व में उत्तर प्रदेश के शासन में हिन्दुओं को बहुत दबाया गया और ऐसे कानून बनाए गए, ऐसी रवायतें पैदा की गई, जिससे मुसलमान हावी होता चला गया। और तो और मीडिया ने भी नुसलमान को मुसलमान कहना छोड़कर गैरसम्प्रदाय कहना शुरू कर दिया। मुसलमान को मुसलमान कहने में क्या आपत्ति, हिन्दू को हिन्दू कहने में क्या विशेषता है। ऐसे भी मुसलमान है। जो गौहत्या के खिलाफ है, जो गौमांस खाने की मनाही करते हैं। जो तीन तलाक की प्रथा के विरुद्ध हैं। वह सभी हमारे अपने हैं। वह सभी भारतीय हैं। उनका व्यवहार यह सिद्ध करता है कि वह हमारे कितने करीब हैं। हमारी प्रथाओं को मानते हैं। मानना ही चाहिए। आप जिस देश में रहते है, वहां का कानून आपको मानना चाहिए। एक बात स्पष्ट तौर से प्रत्येक हिन्दु–मुसलमान को जान लेनी चाहिए कि सन 1947 में जनसंख्या के आधार पर देश का विभाजन किया गया था। हिन्दुओं को हिन्दुस्तान में रहना था और मुसलमानों को पाकिस्तान जाना था लेकिन चूंकि जवाहर लाल नेहरू के दादा मुगल थे और महात्मा गांधी जवाहर लाल नेहरू के मुस्लिम प्रेम से परिचित थे इसलिए दुहाइयाँ दे–देकर उपवास कर–कर के खुशामद कर–कर के मुसलमानों को पाकिस्तान जाने से रोक लिया क्यों? इसका उत्तर कौन दे न जवाहर लाल रहे, न महात्मा गांधी हैं। काश ये दोनों उस समय ना रहे होते तो यह झगड़े ना होते। जो मुसलमान राम जन्म भूमि पर राम मन्दिर बनाने के पक्ष में है। वह हृदय से स्वागत योग्य है, वह गले लगाने योग्य है, क्योंकि वह सच बोल रहे हैं, लेकिन जो सिर्फ अपनी नेतागिरि चमकाने के लिए राम मन्दिर का विरोध कर रहे

हैं। वह स्वागत योग्य नहीं है, वह अपने भी नहीं हैं, जो काश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं का विरोध करते हैं, वह वास्तव में देशप्रेमी है। लेकिन जो पत्थरबाजों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। वह देशद्रोही हैं। भारतवर्ष की नीति तुष्टिकरण की रही है और जब रोग शरीर नें पैदा हो जाता है तो वह धीरे–धीरे ही निकलता है। तुष्टिकरण भी सनाप्त होगा और सदैव के लिए समाप्त होगा। लेकिन समय लगेगा। कुछ नेता तुष्टिकरण में इतने अन्दर तक डूबे हुए हैं कि वह देश का भला बुरा नहीं सोचते। वह देश के मान–सम्मान पर भी विचार नहीं करते। अभी एक नेताजी ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की बात उठाई। जो सरासर देश विरोधी है। पाकिस्तान जो लगातार देश के खिलाफ जहर उगलता है, जो लगातार आतंकवादियों को उकसाता है और भारतवर्ष पर आतंकी हमले कराता है, जो स्वयं भी कई बार भारतवर्ष पर हमला कर चुका है, उसके साथ क्रिकेट खेलना, उसके साथ क्रिकेट खेलने की बात करना, परोक्ष नहीं प्रत्यक्ष रूप में देशद्रोह है। शत्रु के साथ शत्रुता का ही व्यवहार करना चाहिए। पाकिस्तान कभी मित्र नहीं बन सकता। चाहे कितनी भी बसें चला दी जाए, चाहे कितनी रेलगाड़ियाँ चला दी जाए। कोई लाभ नहीं होगा। हमारे नेताओं को इन सन्दर्भो में पुर्नविचार करना चाहिए।

हमारे मुख्यमंत्री जी की पैनी नजर हर विभाग पर है। हर अफसर पर है, हर मंत्री पर है। पूर्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रमुख कार्य तबादला उद्योग था। अफसर 15 दिन नहीं रह पाता था कि तबादला हो जाता था। एक ईमानदार जिलाधिकारी बिजनौर में आया, चारो तरफ उसकी प्रशंसा होने लगी किन्तु एक सपा के नेता के कहने अनुसार काम न करने के कारण उसका तबादलता कर दिया गया। जनता नहीं चाहती थी लेकिन नेताजी और उनके गुर्गे जिलाधिकारी नहोदय से डर गए थे क्योंकि खनन माफिया और करोड़ों के घोटाले जिलाधिकारी की पकड़ में आ चुके थे। तथा अगर कुछ दिन वह और रहते तो यह पूरी तरह सम्भव था कि घोटालों में कुछ सपा नेता

सामने आ जाते। वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी ने तबादला उद्योग समाप्त कर दिया। इससे राजस्व की बचत होगी अधिकारियों का मनोबल ऊँचा उठेगा और जनता का शासन सत्ता में विश्वास बढ़ेगा। विपक्ष का काम तो केवल व्यंग्य करना है, केवल विरोध करना है, विपक्ष के पास कोई ठोस कार्य करने को नहीं है, कोई ठोस मुद्दा नहीं है। बिजली की कोई कमी भारतवर्ष में नहीं है। फर्जी कमी दिखाकर फैक्ट्री वालों को बिजली सप्लाई की जाती थी और जनता को दी जाने वाले बिजली में कटौती की जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा। एक बात की ओर विशेष ध्यान माननीय मुख्यमंत्री जी को देना होगा कि जिन इलाकों में दबंगई के बल पर, कटुआ डालकर बिजली का इस्तेमाल किया जाता है और जहां बिजली चैकिंग करने वाले अधिकारी भी जाने से डरते हैं। वहां का भी कोई उचित प्रबन्ध होना आवश्यक है। यदि जनता से सत्ता डरने लगी तो देश डूब जाएगा। स्थिति यह होनी चाहिए कि डर अपराधी को हो सत्ता या जनता को ना हो। अभी सम्भल में जो कांड हुआ जिसमें पुलिस पर हमला हुआ पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी और सिपाही घायल हुए। उसमें कठोर कार्यवाही की आवश्यकता है जितनी जल्दी हो सके उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाना चाहिए जो यह कहता है कि सम्भल आना है तो मुसलमान बनना पड़ेगा। जो एक तरह से खुली चुनौती सरकार को दे रहा है भले ही वहाँ मिलिट्री भेजनी पड़े। भले ही वहाँ हजार–दो हजार गुण्डे मारे जाएँ लेकिन सत्ता को ऐसे लोगों के सामने झुकना नहीं चाहिए और झुकना शोभा भी नहीं देता। ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए आवश्यक है कि इस घटना का सही रूप से उपचार किया जाए। प्रतिकार किया जाए। हिन्दु शुरू से अहिंसक रहा है और मुसलमान की शिक्षा ही हिंसा से आरम्भ होती है। इसीलिए एक बार अम्बेडकर जी ने कहा था कि यह दो भिन्न–भिन्न संस्कृतियाँ है जो आपस में कभी मिल नहीं सकती। मिलना आवश्यक भी नहीं है। आदमी आदमी

से मिलता है व प्रेम से मिलता है, सम्बन्धों के कारण मिलता है, समझौतों के कारण मिलता है। जबरदस्ती मजबूरी में मिलता है। लेकिन संस्कृतियां कभी नहीं मिल सकती। जहाँ चींटी को मारना भी पाप हो वह संस्कृति उस संस्कृति से कैसे मेल खा सकती है, जहां जिबह और हलाल करना पुण्य माना जाता हो। मालेगांव में हिंसक भीड़ ने खुलकर तांडव किया। और वहां की सरकार मूकदर्शक बनी रही। ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का हक नहीं है। क्यों हम सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकते। क्यों वहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। बंगाल का इतिहास पढ़िए आपकी समझ में सब आ जाएगा। मैं आशावादी व्यक्ति हूँ और मुझे पूरी आशा है कि शनैः शनैः भारतवर्ष का इतिहास फिर लिखा जाएगा और भारतवर्ष हिन्दू राष्ट्र के रूप में विश्व गुरु बनकर उभरेगा। वर्तमान सत्ता के हाथों उत्तर प्रदेश भी उत्तम प्रदेश बनेगा और समाचार पत्रों में तेजाब कांड, दुष्कर्म, हत्या, बलात्कार के समाचार कम हो जाएंगे। तथा नवयुवकों को अमेरिका जाकर पढ़ने, व्यवसाय करने या नौकरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बड़ा चिन्ता का विषय है कि अमेरिका में भारतीय युवकों की हत्या की जा रही है और कई घटनाएँ ऐसी हो चुकी हैं, जो एक प्रश्नचिह्न खड़ा करती हैं। प्रतीक्षा है आमूल–चूल परिवर्तन की। आवश्यकता है हिन्दु एकता की। क्योंकि यदि एकता होती तो बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती थी और बाबरी मस्जिद नहीं बनती तो राम जन्मभूमि पर विवाद नहीं होता। और विवाद नहीं होता तो तनाव भी नहीं होता और तनाव नहीं होता तो सम्बन्ध कटुतापूर्ण ना होकर मधुर होते। अतः प्रतीक्षा और आवश्यकता दोनों ही वांछनीय है।

■

परिचय

1. **नाम– हितेश कुमार शर्मा**

2. **पिता का नाम–** डॉ. आर.पी. शर्मा

3. **माता का नाम–** स्व. श्रीमती रामसुमरनी शर्मा

4. **शिक्षा–** बी.काम., एल.एल.बी (एडवोकेट)

5. **पत्नी का नाम–** श्रीमती ऊषा शर्मा

6. **पुत्रगण–** तपेश शर्मा अधिवक्ता, ललित शर्मा अधिवक्ता, आशुतोष शर्मा प्राकृतिक चिकित्सक एवं व्यवसाय तथा विदुर भारद्वाज, कमाण्डेन्ट सी0सु0ब0

7. **जन्म तिथि** –30 दिसम्बर सन 1936

8. **प्रकाशन**–स्वरचित कविताओं के 19 संकलन प्रकाशित तथा सामूहिक 15 काव्य संकलन संपादित व्यंग्य पुस्तक **हम आज़ाद हैं;** समसामयिक लेख **जनता जाग्रत हो** तथा लघु पुस्तिकाएँ **महँगाई की मार** व **खामोश सरकार सो रहे हैं** तथा **हमारी न्यायिक व्यवस्था, भ्रष्टाचार कहाँ है, प्रजातंत्र कहाँ है, यह देश किसका है, यक्ष प्रश्न (प्रलय चार वर्ष बाद क्यों), जय हो हिन्दुस्तान की, अत्र तत्र जनतंत्र, सत्यम शिवम सुन्दरम, बेटियाँ, कैकेयी, दादी सीधी सादी थी, मैं गजल हूँ, फर्जन्दे काश्मीर, मैं स्वयंभू** तीन शोध–पत्र स्वीकृत एवं प्रकाशित।

9. **संपादन–** ब्राह्मण अन्तर्राष्ट्रीय समाचार

10. **व्यापार कर कानून** पर 11 पुस्तकें लिखीं। इसके अतिरिक्त भिन्न–भिन्न विषयों पर लगभग 17 पुस्तकें लिखी और प्रकाशित की।

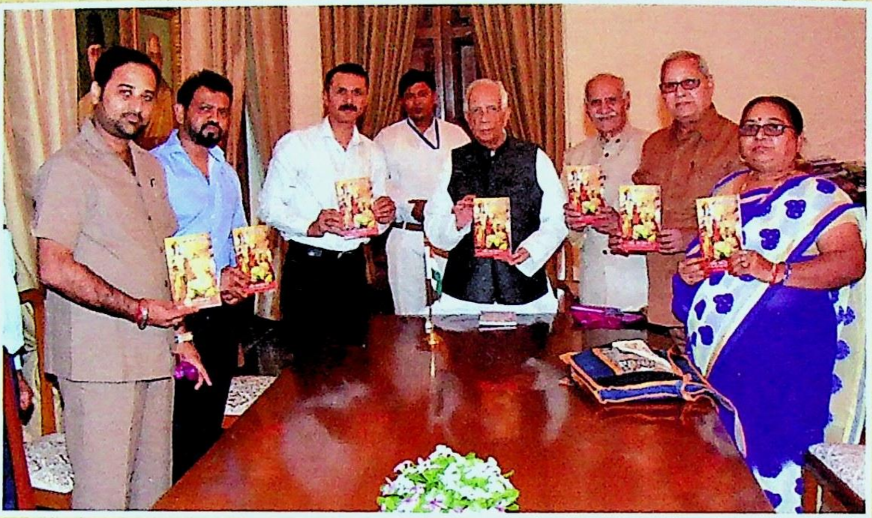
11. **विशेष सम्मान**–1. ए.बी.आई. यू.एस.ए.द्वारा **मैन ऑफ दी इयर 2000** की उपाधि 2. इन्टरनेशनल नैचरोपैथी इन्सटीट्यूट द्वारा **डाक्टर** की उपाधि 3. रोटरी अन्तर्राष्ट्रीय मण्डल 3100 के **गवर्नर** (98–99)

12. **साहित्यिक सम्मान**–भिन्न–भिन्न संस्थाओं द्वारा अब तक 206 सम्मान प्राप्त हो चुके हैं।

सम्पर्क– गणपति भवन, सिविल लाइन्स, बिजनौर–246701 (उ0प्र0)

फोन.–01342–262085 मो0–9319935979

हितेश कुमार शर्मा द्वारा लिखित काव्य पुस्तिका 'मैं स्वयं भू' का विमोचन करते हुए महामहिम राज्यपाल श्री केसरीनाथ त्रिपाठी



बांये से दांये-श्री अभिषेक मार्तण्ड, श्री अभिषेक पटनी, श्री विदुर भारद्वाज राजभवन कर्मचारी, महामहिम राज्यपाल श्री केसरीनाथ त्रिपाठी, हितेश कुमार शर्मा, श्री कुँवर वीर सिंह मार्तण्ड एवं श्रीमती मधु शर्मा



लेखक श्री हितेश कुमार शर्मा एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उषा शर्मा